

प्रस्ताव 1

2025-2026 के नियमित सत्र के सीनेट बिल 417 द्वारा प्रस्तावित इस कानून (अध्याय 16, 2026 का विधान) को California संविधान की धारा XVI के प्रावधानों के अनुसार लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

यह प्रस्तावित स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता एवं सैन्य और भूतपूर्व सैनिक संहिता में अनुभाग जोड़ता है; इसलिए, जोड़े जाने वाले प्रस्तावित नए प्रावधानों को यह संकेत देने के लिए, कि वे नये हैं, इटैलिक टाइप में प्रिंट किया गया है।

प्रस्तावित कानून

अनुभाग 2. स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता के प्रभाग 31 में भाग 16.1 (अनुभाग 54050 से शुरू करते हुए) को इस तरह पढ़े जाने के लिए जोड़ा जाता है:

भाग 16.1. भूतपूर्व सैनिक और किफायती आवास बॉन्ड अधिनियम, 2026

अध्याय 1. सामान्य प्रावधान

54050. सैन्य और भूतपूर्व सैनिक संहिता के प्रभाग 4 के अध्याय 6 की धारा 5ab (अनुभाग 998.750 से शुरू करते हुए) के साथ, इस भाग को भूतपूर्व सैनिक और किफायती आवास बॉन्ड अधिनियम, 2026 के नाम से जाना जाएगा और इसी नाम से इसका उल्लेख किया जा सकता है।

54051. यह भाग केवल तभी प्रभावी होगा जब इसे 3 नवम्बर, 2026 के राज्यव्यापी आम चुनाव में मतदाताओं द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

54052. इस भाग के प्रयोजनों के लिए, “कोष” का अर्थ अनुभाग 54054 के अनुसार स्थापित 2026 का किफायती आवास बॉन्ड अधिनियम ट्रस्ट कोष है।

अध्याय 2. 2026 का किफायती आवास बॉन्ड अधिनियम ट्रस्ट कोष और प्रोग्राम

54054. (a) 2026 का किफायती आवास बॉन्ड अधिनियम ट्रस्ट कोष इसके द्वारा राज्य कोषागार में स्थापित किया जाता है। विधान मंडल का आशय है कि इस भाग के अनुसार जारी और बेचे गए बॉन्ड्स से प्राप्त आय, अनुभाग 54076 के अनुसार जारी किए गए पुनर्वित्त बॉन्ड्स को छोड़कर, कोष में जमा की जाए और इस अध्याय में वर्णित किफायती किराये के आवास और घर के स्वामित्व वाले प्रोग्रामों के वित्तपोषण के लिए उपयोग की जाए।

(b) इस भाग के अनुसार इस अध्याय में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए जारी और बेचे गए बॉन्ड्स से प्राप्त आय का आबंटन निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा:

(1) पाँच बिलियन एक सौ मिलियन डॉलर (\$5,100,000,000) अनुभाग 50661 के अनुसार स्थापित आवास पुनर्वास ऋण कोष में जमा किए जाएँगे, जिनका उपयोग भाग 2 के अध्याय 6.7 (अनुभाग 50675 से शुरू करते हुए) द्वारा अधिकृत बहुपरिवार आवास प्रोग्राम के लिए किया जाएगा। यह धनराशि प्राप्त करने वाले प्रत्येक विकास में सहायता प्राप्त यूनिट्स में से कम से कम 10 प्रतिशत यूनिट्स अत्यंत कम आय वाले परिवारों के लिए किफायती होने चाहिए।

(2) एक बिलियन एक सौ पचास मिलियन डॉलर (\$1,150,000,000) अनुभाग 50661 के अनुसार स्थापित आवास पुनर्वास ऋण कोष में जमा किए जाएँगे, जिनका उपयोग भाग 2 के अध्याय 6.7 (अनुभाग 50675 से शुरू करते हुए) द्वारा अधिकृत बहुपरिवार आवास प्रोग्राम के

अनुसार, अनुभाग 50675.14 में वर्णित सहायक आवास के लिए किया जाएगा। प्रशासन करने वाली संस्था यह धनराशि प्राप्त करने वाले विकासों में सहायक आवास यूनिट्स के लिए पूंजीकृत परिचालन आर्थिक सहायता आरक्षित निधि उपलब्ध कराएगी।

(A) (i) इस राशि का अधिकतम 15 प्रतिशत अनुभाग 50675.1.3 में निर्दिष्ट योग्य संस्थाओं को पूंजीगत परिसंपत्तियाँ प्राप्त करने के लिए अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका उपयोग अंतरिम आवास को स्थायी आवास में बदलने के लिए उसके अधिग्रहण, रूपांतरण या पुनर्वास हेतु किया जाएगा, जिसमें संघीय विनियम संहिता के शीर्षक 24 के भाग 578.3 में परिभाषित आवासहीन, लंबे समय से आवासहीन या आवासहीन होने के जोखिम वाले व्यक्तियों के लिए विभिन्न स्थानों पर स्थित परियोजनाएँ; यूनिट्स के लिए किफायती आवास संबंधी अनुबंधों और प्रतिबंधों की खरीद; मौजूदा यूनिट्स के पुनर्वास के कारण विस्थापित किए जा रहे व्यक्तियों की स्थानांतरण लागतें; और इस अनुभाग के तहत उपलब्ध कराई गई धनराशि से खरीदी गई, रूपांतरित की गई या संशोधित की गई यूनिट्स के लिए पूंजीकृत परिचालन के लिए आर्थिक सहायता शामिल है।

(ii) इस उप-अनुच्छेद में वर्णित किसी भी उद्देश्य के लिए प्राप्त धनराशि का उपयोग करने वाला कोई भी प्रोग्राम या परियोजना स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता की अनुभाग 50675.1.5 और अनुभाग 50675.1.3 के उपखंड (i) में दिए गए विनियामक प्रक्रिया-सरलीकरण संबंधी प्रावधानों के अधीन होगा।

(iii) बहुपरिवार आवास प्रोग्राम (भाग 2 का अध्याय 6.7, (अनुभाग 50675 से शुरू करते हुए)) की अन्य आवश्यकताओं और इस अनुच्छेद के बीच किसी भी टकराव का समाधान इस अनुच्छेद के पक्ष में किया जाएगा, जैसा कि अनुभाग 54077 के अनुसार अधिकृत दिशानिर्देशों में निर्धारित किया जा सकता है।

(B) (i) इस राशि में से एक सौ पचास मिलियन डॉलर (\$150,000,000) का उपयोग युवा आवास के लिए किया जाएगा।

(ii) इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, “युवा आवास” का अर्थ वर्तमान या पूर्व फोस्टर युवाओं, आवासहीन नाबालिगों या युवाओं, या आवासहीन होने के जोखिम वाले युवाओं के लिए आवास है, जिसमें ऐसे आवास शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, जो उन्हें स्वतंत्र और आत्मनिर्भर वयस्क जीवन में सफलतापूर्वक प्रवेश करने के लिए आवश्यक कौशल और संसाधन विकसित करने में सहायता करते हैं।

(iii) इस उप-अनुच्छेद के तहत उपलब्ध कराई गई धनराशि का उपयोग केवल युवा आवास के विकास, अधिग्रहण, पुनर्वास या संरक्षण की पूंजीगत लागतों के लिए किया जाएगा और इसका उपयोग सेवाओं के संचालन या उन्हें प्रदान करने के वित्तपोषण के लिए नहीं किया जाएगा।

(iv) उपलब्ध होने के तीन वर्षों के भीतर इस उप-अनुच्छेद के उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध न की गई कोई भी धनराशि, भाग 2 के अध्याय 6.7 (अनुभाग 50675 से शुरू करते हुए) द्वारा अधिकृत बहुपरिवार आवास प्रोग्राम में सामान्य उपयोग के लिए वापस कर दी जाएगी।

(3) सात सौ पचास मिलियन डॉलर (\$750,000,000) विधान मंडल द्वारा भाग 2 के अध्याय 5.5 (अनुभाग 50606 से शुरू करते हुए) के अनुसार स्थापित, सामान्यतः पोर्टफोलियो पुनर्निवेश प्रोग्राम के नाम से जाने जाने वाले प्रोग्राम के लिए विनियोजित किए जाएँगे। 3 नवम्बर, 2036 तक इस अनुच्छेद के उद्देश्यों के लिए प्रतिबद्ध न की गई कोई भी धनराशि, भाग 2 के अध्याय 6.7 (अनुभाग 50675 से शुरू करते हुए) द्वारा अधिकृत बहुपरिवार आवास प्रोग्राम में सामान्य उपयोग के लिए वापस कर दी जाएगी।

(4) दो सौ मिलियन डॉलर (\$200,000,000) विधान मंडल द्वारा ऐसे प्रोग्राम के लिए विनियोजित किए जाएंगे, जो बिना प्रतिबंध वाली आवास यूनिट्स के अधिग्रहण और पुनर्वास का वित्तपोषण करेगा और मौजूदा निवासियों को विस्थापन से सुरक्षित रखते हुए उन आवास यूनिट्स पर दीर्घकालिक किरायादाता आवास संबंधी प्रतिबंध लागू करेगा। पहले तीन वर्षों के भीतर प्रशासन करने वाली संस्था द्वारा आर्बिट्रेशन की गई कोई भी धनराशि, उसी संस्था द्वारा बहुपरिवार आवास प्रोग्राम (भाग 2 का अध्याय 6.7, अनुभाग 50675 से शुरू करते हुए) के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

(5) छह सौ मिलियन डॉलर (\$600,000,000) अनुभाग 50697.1 के अनुसार स्थापित स्व-सहायता आवास कोष में जमा किए जाएंगे। इस कोष की धनराशियाँ भाग 2 के अध्याय 6 (अनुभाग 50650 से शुरू करते हुए) द्वारा अधिकृत CalHome प्रोग्राम के लिए उपलब्ध होंगी, ताकि एकल-परिवार उपविभाजन सहित कई घर के स्वामित्व यूनिट्स वाली विकास परियोजनाओं में सहायता के लिए प्रत्यक्ष, माफ़ किए जाने योग्य ऋण प्रदान किए जा सकें, साथ ही स्व-सहायता गृह ऋण सहायता प्रोग्रामों और निर्मित आवासों के लिए भी सहायता प्रदान की जा सके। इन धनराशियों को प्रोग्राम के किसी भी अधिकृत उद्देश्य के लिए भी खर्च किया जा सकता है। इस अनुच्छेद के उद्देश्यों के लिए 3 नवम्बर, 2036 तक प्रतिबद्ध न की गई कोई भी धनराशि, भाग 2 के अध्याय 6.7 (अनुभाग 50675 से शुरू करते हुए) द्वारा अधिकृत बहुपरिवार आवास प्रोग्राम में सामान्य उपयोग के लिए वापस कर दी जाएगी।

(6) पाँच सौ मिलियन डॉलर (\$500,000,000) अनुभाग 51342 के अनुसार स्थापित घर की खरीद के लिए सहायता कोष में जमा किए जाएंगे। सरकारी संहिता की अनुभाग 13340 और अनुभाग 50697.1 के बावजूद, यह धनराशि वित्तीय वर्षों की परवाह किए बिना, भाग 3 के अध्याय 6.8 (अनुभाग 51341 से शुरू करते हुए) के अनुसार स्थापित घर की खरीद के लिए सहायता प्रोग्राम के उद्देश्यों के लिए California हाउसिंग फाइनेंस एजेंसी को इसके द्वारा निरंतर विनियोजित की जाती है।

(7) चार सौ पचास मिलियन डॉलर (\$450,000,000) अनुभाग 50517.5 के अनुसार स्थापित Joe Serna, जो सर्ना, जूनियर फार्मवर्कर हाउसिंग अनुदान कोष, में जमा किए जाएंगे, ताकि कृषि कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए आवास के निर्माण या पुनर्वास या निर्मित आवास के अधिग्रहण के लिए अनुदान या ऋण, या दोनों, का वित्तपोषण किया जा सके, जो ऐसे प्रोग्राम के हिस्से के रूप में होगा जिसका उद्देश्य मौजूदा श्रमिक शिविरों, मोबाइल होम पार्कों या अन्य आवासों से खेतिहर श्रमिक परिवारों के वर्तमान और संभावित विस्थापन के प्रभाव का समाधान और निवारण करना है। इस धनराशि को प्रोग्राम के किसी भी अधिकृत उद्देश्य के लिए भी खर्च किया जा सकता है। इस धनराशि का उपयोग अनुभाग 54007 के अनुसार तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए भी किया जा सकता है। इस अनुच्छेद के उद्देश्यों के लिए 3 नवम्बर, 2036 तक प्रतिबद्ध न की गई कोई भी धनराशि, भाग 2 के अध्याय 6.7 (अनुभाग 50675 से शुरू करते हुए) द्वारा अधिकृत बहुपरिवार आवास प्रोग्राम में सामान्य उपयोग के लिए वापस कर दी जाएगी।

(8) दो सौ मिलियन डॉलर (\$200,000,000) विधान मंडल द्वारा अध्याय 6.4 (अनुभाग 50651 से शुरू करते हुए) के अनुसार स्थापित जनजातीय आवास अनुदान प्रोग्राम के लिए विनियोजित किए जाएंगे, ताकि ऐसे आवास और आवास-संबंधी कार्यकलापों का वित्तपोषण किया जा सके जो जनजातियों को अपने समुदायों का पुनर्निर्माण और पुनर्गठन करने में सक्षम बनाएँगे। इस अनुच्छेद के उद्देश्यों के लिए 3 नवम्बर, 2036 तक प्रतिबद्ध न की गई कोई भी धनराशि, भाग 2 के अध्याय 6.7

(अनुभाग 50675 से शुरू करते हुए) द्वारा अधिकृत बहुपरिवार आवास प्रोग्राम में सामान्य उपयोग के लिए वापस कर दी जाएगी।

(9) पाँच सौ मिलियन डॉलर (\$500,000,000) स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता के अनुभाग 53559 के अनुसार स्थापित 2019 के इनफिल बुनियादी ढाँचा अनुदान प्रोग्राम के लिए दिए जाएंगे, ताकि इनफिल के रूप में निर्दिष्ट स्थानों पर उच्च-घनत्व वाले किरायादाता और मिश्रित-आय आवास को सहारा देने वाले बुनियादी ढाँचे के नए निर्माण और पुनर्वास में सहायता के लिए इनफिल प्रोत्साहन अनुदान प्रदान किए जा सकें। इस अनुच्छेद के उद्देश्यों के लिए 3 नवम्बर, 2036 तक प्रतिबद्ध न की गई कोई भी धनराशि, भाग 2 के अध्याय 6.7 (अनुभाग 50675 से शुरू करते हुए) द्वारा अधिकृत बहुपरिवार आवास प्रोग्राम में सामान्य उपयोग के लिए वापस कर दी जाएगी।

(10) तीन सौ पचास मिलियन डॉलर (\$350,000,000) विधान मंडल द्वारा नई किरायादाता विद्यार्थी आवास परियोजनाओं के लिए विनियोजित किए जाएंगे। यह वित्तपोषण California विश्वविद्यालय और California राज्य विश्वविद्यालय के बीच समान रूप से बाँटा जाएगा। वित्तपोषित विद्यार्थी आवास परियोजनाओं को शिक्षा संहिता की अनुभाग 17201 के उपखंड (f) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करना होगा। इन परियोजनाओं के लिए, California विश्वविद्यालय और California राज्य विश्वविद्यालय को शिक्षा संहिता के अनुभाग 17201 के उपखंड (i) और (o) में निर्दिष्ट जवाबदेही और रिपोर्टिंग संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।

(11) दो सौ मिलियन डॉलर (\$200,000,000) अनुभाग 53545 के उपखंड (a) के अनुच्छेद (1) के उप-अनुच्छेद (F) के अनुसार स्थापित किरायादाता आवास नवाचार कोष में जमा किए जाएंगे। विधान मंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, कोष की धनराशि अनुभाग 50842.2 के अनुसार स्थापित स्थानीय आवास ट्रस्ट कोष मिलान अनुदान प्रोग्राम के तहत उन स्थानीय आवास ट्रस्ट कोषों को प्रतिस्पर्धी अनुदान या ऋण देने के लिए उपलब्ध होगी, जो किरायादाता आवास का विकास करते हैं, उसका स्वामित्व रखते हैं, उसके लिए ऋण देते हैं या उसमें निवेश करते हैं और इस धनराशि का उपयोग किरायादाता आवास बनाने या संरक्षित करने के लिए नवाचारी और लागत में बचत करने वाले तरीकों को प्रदर्शित करने हेतु पायलट प्रोग्राम बनाने के लिए भी किया जाएगा। स्थानीय आवास ट्रस्ट कोषों के लिए धनराशि निरंतर आधार पर निजी योगदानों या ऐसे सरकारी स्रोतों से प्राप्त की जाएगी, जिनका उपयोग अन्यथा आवास प्रोग्रामों तक सीमित नहीं है। इन धनराशियों को इस प्रोग्राम के किसी भी अधिकृत उद्देश्य के लिए भी खर्च किया जा सकता है। उपलब्ध होने के तीन वर्षों के भीतर इस अनुच्छेद के उद्देश्यों के लिए प्रतिबद्ध न की गई कोई भी धनराशि, भाग 2 के अध्याय 6.7 (अनुभाग 50675 से शुरू करते हुए) द्वारा अधिकृत बहुपरिवार आवास प्रोग्राम में सामान्य उपयोग के लिए वापस कर दी जाएगी, जब तक कि आवास और सामुदायिक विकास विभाग यह निर्धारित न करे कि माँग में कमी के कारण धनराशि को इससे पहले ही वापस कर दिया जाना चाहिए।

(12) अनुच्छेद (1) से (11), दोनों सहित, के बावजूद, व्यवसाय, उपभोक्ता सेवाएँ और आवास एजेंसी या उसकी उत्तराधिकारी संस्था और उसके प्रशासनिक विभाग, विधान मंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर, इस उपखंड के अनुसार वित्तपोषित प्रोग्रामों को अधिक कुशल बनाने और धनराशि के वितरण में तेजी लाने के लिए उन्हें समन्वित कर सकते हैं या उनकी प्रक्रियाओं को सरल बना सकते हैं, बशर्ते कि व्यय उन उद्देश्यों और योग्य उपयोगों के अनुरूप रहें जिन्हें मतदाताओं और विधान मंडल ने अनुमोदित किया है।

54056. (a) विधान मंडल समय-समय पर उन प्रोग्रामों से संबंधित किसी भी कानून में संशोधन कर सकता है, जिनके लिए इस अध्याय के अनुसार धनराशि आबंटित की जाती है या की गई है, ताकि उन प्रोग्रामों की दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार किया जा सके या उनके लक्ष्यों को आगे बढ़ाया जा सके।

(b) विधान मंडल इस अध्याय में संशोधन कर सकता है, ताकि इस भाग के अनुसार जारी और बेचे गए बॉन्ड्स से प्राप्त आय को इस अध्याय के अनुसार धनराशि प्राप्त करने वाले प्रोग्रामों के बीच आवश्यकतानुसार पुनः आबंटित किया जा सके, जिससे इस राज्य में किराया आवास के विकास को प्रभावी ढंग से बढ़ावा दिया जा सके।

(c) आवास और सामुदायिक विकास विभाग या प्रशासन करने वाली संस्था इस अध्याय के अनुसार आवास विकास परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराई गई किसी भी धनराशि को निर्माण अवधि के दौरान वितरित कर सकती है।

अध्याय 3. राजकोषीय प्रावधान

54060. अनुभाग 54076 के अनुसार जारी किए गए पुनर्वित्त बॉन्ड्स को छोड़कर, कुल दस बिलियन डॉलर (\$10,000,000,000) की राशि के बॉन्ड, या समिति द्वारा आवश्यक निर्धारित की गई इस राशि के जितने हिस्से की आवश्यकता हो, इस भाग में व्यक्त उद्देश्यों को पूरा करने और सरकारी संहिता के अनुभाग 16724.5 के अनुसार सामान्य दायित्व बॉन्ड व्यय परिक्रामी कोष की प्रतिपूर्ति करने के लिए जारी और बेचे जाने हेतु इसके द्वारा अधिकृत किए जाते हैं। कोई भी बॉन्ड, बेचे, जारी और सुपुर्द किए जाने पर, राज्य का वैध और बाध्यकारी सामान्य दायित्व होगा और माना जाएगा, एवं उन बॉन्ड्स के मूलधन और ब्याज के देय और भुगतान योग्य होने पर, दोनों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए राज्य की पूर्ण आस्था और साख इसके द्वारा गिरवी रखी जाती है।

54062. इस भाग द्वारा अधिकृत बॉन्ड्स, सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के प्रभाग 4 के भाग 3 के अध्याय 4 (अनुभाग 16720 से शुरू करते हुए) में दिए गए राज्य सामान्य दायित्व बॉन्ड कानून के अनुसार तैयार, निष्पादित, जारी, बेचे, भुगतान, समाप्त और मोचित किए जाएंगे; हालांकि सरकारी संहिता के अनुभाग 16727 के उपखंड (a) और (b) इसके अपवाद होंगे, और समय-समय पर संशोधित उस कानून के सभी प्रावधान, अनुभाग 54078 में दिए गए अपवाद को छोड़कर, बॉन्ड और इस भाग पर लागू होंगे और इसके द्वारा इस भाग में इस प्रकार शामिल किए जाते हैं मानो उन्हें इस भाग में पूर्ण रूप से निर्धारित किया गया हो।

54064. (a) केवल इस भाग द्वारा अधिकृत बॉन्ड को राज्य सामान्य दायित्व बॉन्ड कानून के अनुसार जारी और बेचने की अनुमति देने के उद्देश्य से, अनुभाग 53524 द्वारा गठित आवास वित्त समिति का अस्तित्व जारी रहेगा। इस भाग के प्रयोजनों के लिए, आवास वित्त समिति वही “समिति” है, जिस अर्थ में इस शब्द का उपयोग राज्य सामान्य दायित्व बॉन्ड कानून में किया गया है।

(b) इस भाग और राज्य सामान्य दायित्व बॉन्ड कानून में प्रयुक्त “बोर्ड” के संदर्भ का अर्थ आवास विकास और वित्त समिति होगा। यह अधिकार उन प्रोग्रामों के लिए आवास और सामुदायिक विकास विभाग या California हाउसिंग फाइनेंस एजेंसी को सौंपा जा सकता है जिनका प्रशासन वे करते हैं। विभाग द्वारा प्रशासित प्रोग्रामों के लिए आवास और सामुदायिक विकास विभाग को “बोर्ड” नामित किया जाता है, और एजेंसी द्वारा प्रशासित प्रोग्रामों के लिए California हाउसिंग फाइनेंस एजेंसी को “बोर्ड” नामित किया जाता है।

54066. बोर्ड द्वारा यह बताते हुए अनुरोध किए जाने पर कि इस भाग के उद्देश्यों के लिए धनराशि की आवश्यकता है, समिति संकल्प द्वारा यह

निर्धारित करेगी कि बॉन्ड्स जारी करना और बेचना आवश्यक या वांछनीय है या नहीं और, यदि ऐसा है, तो जारी और बेचे जाने वाले बॉन्ड्स की राशि कितनी होगी। उन कार्यों को क्रमिक रूप से पूरा करने के लिए बॉन्ड्स के क्रमिक इश्यू अधिकृत किए और बेचे जा सकते हैं, और यह ज़रूरी नहीं है कि जारी किए जाने के लिए अधिकृत सभी बॉन्ड्स किसी एक समय में ही बेचे जाएँ। बॉन्ड्स पर ऐसा ब्याज लग सकता है जो संघीय आयकर के अधीन हो।

54068. राज्य के सामान्य राजस्व के अतिरिक्त, प्रत्येक वर्ष उसी तरीके और उसी समय एक ऐसी राशि एकत्र की जाएगी जिस तरीके और समय पर राज्य का अन्य राजस्व एकत्र किया जाता है, यह राशि प्रत्येक वर्ष बॉन्ड्स के मूलधन और ब्याज का भुगतान करने के लिए आवश्यक राशि के बराबर होगी। राज्य के राजस्व की वसूली के संबंध में कानून द्वारा जिन अधिकारियों को कोई कर्तव्य सौंपा गया है, उन सभी का यह कर्तव्य होगा कि वे उस अतिरिक्त राशि को एकत्र करने के लिए आवश्यक प्रत्येक कार्य करें और उसे पूरा करें।

54070. सरकारी संहिता के अनुभाग 13340 के बावजूद, इस भाग के उद्देश्यों के लिए राज्य कोषागार के सामान्य कोष से इसके द्वारा निम्नलिखित दोनों राशियों के कुल योग के बराबर राशि निरंतर विनियोजित की जाती है:

(a) इस भाग के अनुसार जारी और बेचे गए बॉन्ड्स के मूलधन और ब्याज के देय और भुगतान योग्य होने पर उनका भुगतान करने के लिए प्रत्येक वर्ष आवश्यक राशि।

(b) अनुभाग 54074 को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक राशि, जिसे वित्तीय वर्षों की परवाह किए बिना विनियोजित किया जाएगा।

54072. बोर्ड इस भाग के उद्देश्यों के लिए सरकारी संहिता के अनुभाग 16312 के अनुसार पूल्ड मनी इन्वेस्टमेंट बोर्ड से पूल्ड मनी इन्वेस्टमेंट अकाउंट से ऋण देने का अनुरोध कर सकता है। अनुरोध की राशि उन बिना बिके बॉन्ड्स की राशि से अधिक नहीं होगी जिन्हें समिति ने संकल्प द्वारा बेचने के लिए अधिकृत किया है। इसमें अनुभाग 54076 के अनुसार अधिकृत किन्हीं भी पुनर्वित्त बॉन्ड्स को शामिल नहीं किया जाएगा और इसमें से इस अनुभाग के अनुसार ऋण के रूप में दी गई एवं अभी तक वापस न चुकाई गई कोई भी राशि और अनुभाग 54074 के अनुसार सामान्य कोष से निकाली गई एवं अभी तक सामान्य कोष में वापस न की गई कोई भी राशि घटाई जाएगी। ऋण प्राप्त करने और उसे चुकाने के लिए पूल्ड मनी इन्वेस्टमेंट बोर्ड द्वारा आवश्यक किसी भी दस्तावेज़ को बोर्ड निष्पादित करेगा। ऋण के रूप में दी गई कोई भी राशि कोष में जमा की जाएगी और इस भाग के अनुसार आबंटित की जाएगी।

54074. इस भाग को कार्यान्वित करने के उद्देश्यों के लिए, वित्त निदेशक सामान्य कोष से ऐसी राशि निकालने की अनुमति दे सकता है जो उन बिना बिके बॉन्ड्स की राशि से अधिक न हो जिन्हें समिति ने संकल्प द्वारा बेचने के लिए अधिकृत किया है, इसमें अनुभाग 54076 के अनुसार अधिकृत किन्हीं भी पुनर्वित्त बॉन्ड्स को शामिल नहीं किया जाएगा और इसमें से अनुभाग 54072 के अनुसार ऋण के रूप में दी गई एवं अभी तक वापस न चुकाई गई कोई भी राशि और इस अनुभाग के अनुसार सामान्य कोष से निकाली गई एवं अभी तक सामान्य कोष में वापस न की गई कोई भी राशि घटाई जाएगी। निकाली गई कोई भी राशि कोष में जमा की जाएगी और इस भाग के अनुसार आबंटित की जाएगी। इस अनुभाग के तहत उपलब्ध कराई गई कोई भी धनराशि, उस ब्याज सहित जो उस राशि पर पूल्ड मनी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में अर्जित होता, बॉन्ड्स की बिक्री से प्राप्त उन धनराशियों में से सामान्य कोष में वापस की जाएगी जो अन्यथा उस कोष में जमा की जाती।

54076. इस भाग के अनुसार जारी और बेचे गए बॉन्ड का पुनर्वित्त सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के प्रभाग 4 के भाग 3 के अध्याय 4 की धारा 6 (अनुभाग 16780 से शुरू करते हुए) के अनुसार किया जा सकता है। इस भाग में वर्णित बॉन्ड्स की बिक्री और जारी किए जाने को मतदाताओं द्वारा दी गई मंजूरी में, इस भाग के अनुसार जारी किए गए बॉन्ड्स के पुनर्वित्त के लिए जारी किए जाने वाले बॉन्ड्स की बिक्री और जारी किए जाने की मंजूरी भी शामिल है, जिसमें पहले जारी किए गए कोई भी पुनर्वित्त बॉन्ड्स शामिल हैं। इस अनुभाग के द्वारा अधिकृत किए गये के अनुसार, किसी पुनर्वित्त बॉन्ड की धनराशियों के साथ उस वापस किए गए बॉन्ड को अधिकृत करने वाले संकल्प में, जो समय-समय पर संशोधित हो, निर्धारित तरीके और सीमा तक, कानूनी रूप से समाप्त किया जा सकता है।

54076.5. भूतपूर्व सैनिक और किरायेती आवास बॉन्ड अधिनियम, 2026 द्वारा जारी किए जाने के लिए अधिकृत बॉन्ड्स के मूलधन की राशि से अधिक न होने वाली बॉन्ड आय, अनुभाग 54076 के अनुसार जारी किन्हीं भी पुनर्वित्त बॉन्ड्स को छोड़कर, का उपयोग ऐसे किसी भी कानूनी रूप से उपलब्ध स्रोत की प्रतिपूर्ति के लिए किए जाने की अपेक्षा है और किया जा सकता है, जिसका उपयोग भूतपूर्व सैनिक और किरायेती आवास बॉन्ड अधिनियम, 2026 के अनुसार अधिकृत परियोजनाओं या प्रोग्रामों की लागतों का भुगतान करने के लिए किया गया हो (इसमें विशेष राज्य विभागों या एजेंसियों की वह धनराशियाँ भी शामिल हैं जिसे परियोजनाओं या प्रोग्रामों की लागतों पर खर्च किया जा सकता है), ऐसी लागतों का भुगतान 3 नवम्बर, 2026 के बाद किया गया होना चाहिए, हालांकि, बॉन्ड्स से प्राप्त आय से प्रतिपूर्ति की जाने वाली किसी भी लागत का भुगतान किसी अन्य ऋण से प्राप्त आय से नहीं किया गया होना चाहिए, जब तक कि उस पूर्व ऋण का भुगतान बॉन्ड से प्राप्त आय द्वारा समाप्त न किया जाना हो।

54077. अनुभाग 54054 में वर्णित वित्तपोषण को लागू करने के लिए, प्रशासन करने वाली संस्था अपने वित्तपोषण प्रोग्रामों के प्रशासन संबंधी आवश्यकताएँ निर्धारित करने वाले दिशानिर्देश अपना सकती है। ये दिशानिर्देश सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के प्रभाग 3 के भाग 1 के अध्याय 3.5 (अनुभाग 11340 से शुरू करते हुए) के अधीन नहीं हैं।

54078. राज्य सामान्य दायित्व बॉन्ड कानून के किसी भी प्रावधान के बावजूद, इस भाग द्वारा अधिकृत किसी भी बॉन्ड की परिपक्वता तिथि बॉन्ड जारी किए जाने की तारीख से 35 वर्ष से अधिक बाद की नहीं होगी।

54080. इस भाग द्वारा अधिकृत बॉन्ड्स की बिक्री से प्राप्त आय, California के संविधान की धारा XIII B में प्रयुक्त अर्थ में “टैक्सों से प्राप्त आय” नहीं है, और इस आय का वितरण उस धारा द्वारा लगाई गई सीमाओं के अधीन नहीं है।

54082. इस भाग द्वारा अधिकृत बॉन्ड की बिक्री से प्राप्त उस आय के संबंध में, जो सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के प्रभाग 4 के भाग 2 के अध्याय 3 की धारा 4 (अनुभाग 16470 से शुरू करते हुए) के तहत निवेश के अधीन है, राज्य सामान्य दायित्व बॉन्ड कानून के किसी भी प्रावधान के बावजूद, कोषाध्यक्ष निवेश से होने वाली आय के लिए एक अलग खाता रख सकता है।

54083. इस भाग या राज्य सामान्य दायित्व बॉन्ड कानून के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद, यदि कोषाध्यक्ष इस अध्याय के अनुसार ऐसे बॉन्ड्स बेचता है जिनके साथ बॉन्ड संबंधी कानूनी सलाहकार की यह राय शामिल है कि निर्दिष्ट शर्तों के तहत बॉन्ड्स पर मिलने वाला ब्याज संघीय टैक्स उद्देश्यों के लिए सकल आय से बाहर रखा गया है या अन्यथा किसी संघीय टैक्स लाभ का योग्य है, तो कोषाध्यक्ष बॉन्ड से प्राप्त आय के निवेश, उस आय से होने वाली कमाई एवं उस कमाई के निवेश के लिए अलग-अलग खाते रख सकता है। कोषाध्यक्ष संघीय कानून के अंतर्गत

आवश्यक रियायत, जुर्माना, या अन्य भुगतान को चुकाने के लिए या उन बॉन्ड्स की बिक्री से मिले धन के निवेश और इस्तेमाल के संबंध में कोई अन्य कार्रवाई करने के लिए या उन बॉन्ड्स की टैक्स मुक्त स्थिति को बरकरार रखने और इस राज्य की निधियों की ओर से संघीय कानून के अंतर्गत कोई अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए उन बॉन्ड्स की बिक्री से मिले धन का इस्तेमाल कर सकता या उसके लिए निर्देश दे सकता है, जो संघीय कानून के अंतर्गत आवश्यक या वांछनीय है।

54084. (a) उपखंड (b) के अधीन, इस भाग के अनुसार बेचे गए बॉन्ड्स के प्रीमियम और उपार्जित ब्याज से प्राप्त सभी धनराशि को बॉन्ड ब्याज संबंधी व्यय में क्रेडिट के रूप में सामान्य कोष में हस्तांतरित किया जाएगा।

(b) प्रीमियम से प्राप्त राशियों को सामान्य कोष में हस्तांतरित करने से पहले बॉन्ड जारी करने की लागतों का भुगतान करने के लिए आरक्षित रखा और उपयोग किया जा सकता है।

अध्याय 4. जवाबदेही

54088. प्रशासन करने वाली संस्था स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता के अनुभाग 50408 के अनुसार एक वार्षिक रिपोर्ट में इस बॉन्ड से किए गए निवेशों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रकाशित करेगी।

अनुभाग 3. सैन्य और भूतपूर्व सैनिक संहिता के प्रभाग 4 के अध्याय 6 में धारा 5ab (अनुभाग 998.750 से शुरू करते हुए) को इस तरह पढ़े जाने के लिए जोड़ा जाता है:

धारा 5ab. भूतपूर्व सैनिक और किरायेती आवास बॉन्ड अधिनियम, 2026

998.750. स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता के प्रभाग 31 के भाग 16.1 (अनुभाग 54050 से शुरू करते हुए) के साथ, इस धारा को भूतपूर्व सैनिक और किरायेती आवास बॉन्ड अधिनियम, 2026 के नाम से जाना जाएगा और इसी नाम से इसका उल्लेख किया जा सकता है।

998.751. (a) (1) समय-समय पर संशोधित किए जा सकने वाले राज्य सामान्य दायित्व बॉन्ड कानून (सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के प्रभाग 4 के भाग 3 का अध्याय 4, (अनुभाग 16720 से शुरू करते हुए)) को इस धारा द्वारा जारी किए जाने के लिए अधिकृत बॉन्ड्स की तैयारी, निष्पादन, जारी करने, बिक्री, समाप्ति, मोचन और पुनर्भुगतान एवं उनसे संबंधित अन्य व्यवस्थाएँ करने के उद्देश्य से अपनाया जाता है, और उस कानून के प्रावधानों को इस धारा में इस प्रकार शामिल किया जाता है मानो उन्हें इस धारा में पूर्ण रूप से निर्धारित किया गया हो, निम्नलिखित दोनों अपवादों को छोड़कर:

(A) राज्य सामान्य दायित्व बॉन्ड कानून के अनुभाग 16727 के उपखंड (a) और (b) एवं अनुभाग 16755 का उपखंड (a) लागू नहीं होंगे।

(B) राज्य सामान्य दायित्व बॉन्ड कानून के अनुभाग 16753 के उपखंड (c) के अनुच्छेद (1) को पूर्ण रूप से निम्नलिखित टेक्स्ट से प्रतिस्थापित किया जाएगा: “कोषाध्यक्ष यह आवश्यक बनाएगा कि प्रतिस्पर्धी बिक्री में सफल बोलीदाता या बातचीत द्वारा की गई बिक्री में अंडरराइट, उन बॉन्ड्स के मूलधन की राशि का कम से कम आधा प्रतिशत सद्भावना जमा राशि के रूप में प्रदान करे, जिनके लिए बोलीदाता सफल बोलीदाता है या जिनके लिए अंडरराइट प्रस्थापना प्रस्तुत करता है। सद्भावना जमा राशि उतनी होगी जितनी कोषाध्यक्ष द्वारा, जैसे भी लागू होती है, बॉन्ड्स की प्रतिस्पर्धी बिक्री या बातचीत द्वारा की गई बिक्री से कम से कम एक दिन पहले उचित रूप से निर्धारित की जाए। कोषाध्यक्ष जमा राशि का स्वरूप निर्दिष्ट करेगा, जो कैशियर चेक, जमानती बॉन्ड, धनराशि का वायर ट्रांसफर या इनका संयोजन हो सकता है। जमा राशि पर ब्याज नहीं मिलेगा।”

(2) इस धारा में “यहाँ” के सभी संदर्भ इस धारा और यहाँ सम्मिलित किए गए उस कानून, दोनों को संदर्भित करते हैं।

(b) राज्य सामान्य दायित्व बॉन्ड कानून के प्रयोजनों के लिए, भूतपूर्व सैनिक मामलों के विभाग को “बोर्ड” नामित किया जाता है।

998.752. यहाँ प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों के मतलब इस प्रकार हैं:

(a) “बोर्ड” का अर्थ भूतपूर्व सैनिक मामलों का विभाग है।

(b) “बॉन्ड” का अर्थ इस धारा के अनुसार जारी किया गया भूतपूर्व सैनिक बॉन्ड, यानि राज्य का सामान्य दायित्व बॉन्ड है, जिसके लिए यहाँ दिए गए प्रावधानों के अनुसार राज्य सामान्य दायित्व बॉन्ड कानून के प्रावधान अपनाए गए हैं।

(c) “बॉन्ड अधिनियम” का अर्थ यह धारा है, जो राज्य के सामान्य दायित्व बॉन्ड्स जारी करने को अधिकृत करता है और संदर्भ द्वारा राज्य सामान्य दायित्व बॉन्ड कानून को अपनाता है।

(d) “समिति” का अर्थ अनुभाग 991 द्वारा स्थापित 1943 की भूतपूर्व सैनिक वित्त समिति है।

(e) “कोष” का अर्थ अनुभाग 988 द्वारा स्थापित 1943 का भूतपूर्व सैनिक कृषि और गृह निर्माण कोष है।

(f) “भुगतान कोष” का अर्थ अनुभाग 988.6 द्वारा स्थापित भूतपूर्व सैनिक बॉन्ड भुगतान कोष है।

998.753. 1974 के (भूतपूर्व सैनिक कृषि और घर की खरीद संबंधी अधिनियम (धारा 3.1, अनुभाग 987.50 से शुरू करते हुए)) एवं उसमें संशोधन और उसके पूरक सभी अधिनियमों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को कृषि और घर के लिए सहायता प्रदान करने के लिए एक कोष बनाने के उद्देश्य से, समिति यहाँ निर्धारित तरीके से California राज्य पर कुल मिलाकर एक बिलियन दो सौ पचास मिलियन डॉलर (\$1,250,000,000) से अधिक का ऋण या ऋणों या देयता या देयताओं का सृजन कर सकती है, इसमें अनुभाग 998.762 के अनुसार जारी किए गए किन्हीं भी पुनर्वित्त बॉन्ड्स की राशि शामिल नहीं होगी।

998.754. (a) इस अनुच्छेद द्वारा अधिकृत सभी बॉन्ड्स, बेचे, जारी और सुपुर्द किए जाने पर, California राज्य के वैध और कानूनी रूप से बाध्यकारी सामान्य दायित्व होंगे और माने जाएँगे, और बॉन्ड्स के मूलधन और ब्याज के देय और भुगतान योग्य होने पर, दोनों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए California राज्य की पूर्ण आस्था और साख इसके द्वारा गिरवी रखी जाती है।

(b) राज्य के सामान्य राजस्व के अतिरिक्त, प्रत्येक वर्ष उसी तरीके और उसी समय एक ऐसी राशि एकत्र की जाएगी जिस तरीके और समय पर राज्य का अन्य राजस्व एकत्र किया जाता है, यह राशि प्रत्येक वर्ष देय और भुगतान योग्य होने वाले इन बॉन्ड्स के मूलधन और ब्याज का भुगतान करने के लिए आवश्यक राशि के बराबर होगी। राज्य के राजस्व की वसूली के संबंध में कानून द्वारा जिन अधिकारियों को कोई कर्तव्य सौंपा गया है, उन सभी का यह कर्तव्य होगा कि वे उस अतिरिक्त राशि को एकत्र करने के लिए आवश्यक प्रत्येक कार्य करें और उसे पूरा करें।

(c) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बॉन्ड्स की ऋण-सेवा के भुगतान के लिए सरकारी संहिता के अनुभाग 16676 के अनुसार जिन तिथियों पर धनराशि भेजी जानी है, उन तिथियों पर ऋण-सेवा का भुगतान करने के लिए कोष में उपलब्ध समस्त धनराशि भुगतान कोष में हस्तांतरित की जाएगी, बशर्त यह राशि उस समय देय और भुगतान योग्य ऋण-सेवा की

राशि से अधिक न हो। यदि प्रेषण की तिथियों पर हस्तांतरित धनराशि उस समय देय और भुगतान योग्य ऋण-सेवा से कम है, तो शेष अवैतनिक राशि उपलब्ध होते ही कोष से सामान्य कोष में हस्तांतरित की जाएगी, इसके साथ ही प्रेषण की तारीख से भुगतान की तारीख तक उस राशि पर बॉन्ड्स की समान ब्याज दर से, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया गया ब्याज भी हस्तांतरित किया जाएगा। इसके विपरीत कानून के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद, यह उपखंड इस अध्याय के अनुसार सभी भूतपूर्व सैनिक कृषि और गृह खरीद बॉन्ड अधिनियमों पर लागू होगा। यह उपखंड इस धारा के तहत जारी किए गए किसी भी बॉन्ड के धारकों को कोष, भुगतान कोष, या उनमें उपलब्ध धनराशि पर कोई ग्रहणाधिकार प्रदान नहीं करता है। इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, “ऋण-सेवा” का अर्थ बॉन्ड्स की किसी भी श्रृंखला के संबंध में किसी भी तारीख को देय मूलधन (चाहे वह परिपक्वता, मोचन या त्वरित देयता के कारण देय हो), प्रीमियम, यदि कोई हो, या ब्याज है। हालांकि, यह उपखंड ऐसी किसी ऋण-सेवा के मामले में लागू नहीं होगा जिसका भुगतान किन्हीं पुनर्वित्त बॉन्ड्स से प्राप्त आय से किया जाना हो।

998.755. सरकारी संहिता के अनुभाग 13340 के बावजूद, इस धारा के उद्देश्यों के लिए, वित्तीय वर्ष की परवाह किए बिना, राज्य कोषागार के सामान्य कोष से इसके द्वारा ऐसी धनराशि निरंतर विनियोजित की जाती है जो निम्नलिखित दोनों के बराबर होगी:

(a) यहाँ दिए गए प्रावधानों के अनुसार जारी और बेचे गए बॉन्ड्स के मूलधन और ब्याज के देय और भुगतान योग्य होने पर उनका भुगतान करने के लिए प्रत्येक वर्ष आवश्यक राशि।

(b) अनुभाग 998.756 को क्रियान्वित करने के लिए वह ज़रूरी राशि।

998.756. इस धारा के उद्देश्यों के लिए, वित्त निदेशक सामान्य कोष से ऐसी धनराशि निकालने की अनुमति दे सकता है जो उन बिना बिके बॉन्ड्स की राशि से अधिक न हो जिन्हें समिति ने इस अनुच्छेद के अनुसार बेचने के लिए अधिकृत किया है, इसमें अनुभाग 998.762 के अनुसार अधिकृत किन्हीं भी पुनर्वित्त बॉन्ड्स को शामिल नहीं किया जाएगा और इसमें से अनुभाग 998.757 के अनुसार ऋण के रूप में दी गई एवं अभी तक वापस न चुकाई गई कोई भी राशि और इस अनुभाग के अनुसार निकाली गई एवं अभी तक सामान्य कोष में वापस न की गई कोई भी राशि घटाई जाएगी। निकाली गई कोई भी राशि कोष में जमा की जाएगी। इस अनुभाग के तहत बोर्ड को उपलब्ध कराई गई कोई भी धनराशि, इस धारा को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से बॉन्ड्स की बिक्री से प्राप्त धनराशि में से, बोर्ड द्वारा सामान्य कोष में वापस की जाएगी, इसके साथ वह ब्याज भी वापस किया जाएगा जो उस राशि पर पूलड मनी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में अर्जित होता है।

998.757. बोर्ड इस धारा को कार्यान्वित करने के उद्देश्यों के लिए, सरकारी संहिता के अनुभाग 16312 के अनुसार पूलड मनी इन्वेस्टमेंट बोर्ड से पूलड मनी इन्वेस्टमेंट अकाउंट से ऋण देने का अनुरोध कर सकता है, जिसमें से अनुभाग 998.756 के अनुसार निकाली गई और अभी तक सामान्य कोष में वापस न की गई कोई भी राशि घटाई जाएगी। अनुरोध की राशि उन बिना बिके बॉन्ड्स की राशि से अधिक नहीं होगी जिन्हें समिति ने संकल्प द्वारा इस अनुच्छेद को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से बेचने के लिए अधिकृत किया है, इसमें अनुभाग 998.762 के अनुसार अधिकृत किन्हीं भी पुनर्वित्त बॉन्ड्स को शामिल नहीं किया जाएगा और इसमें से इस अनुभाग के अनुसार ऋण के रूप में दी गई एवं अभी तक वापस न चुकाई गई कोई भी राशि और अनुभाग 998.756 के अनुसार निकाली गई एवं

अभी तक सामान्य कोष में वापस न की गई कोई भी राशि घटाई जाएगी। ऋण प्राप्त करने और उसे चुकाने के लिए पूल मनी इन्वेस्टमेंट बोर्ड द्वारा आवश्यक सभी दस्तावेजों को बोर्ड निष्पादित करेगा। ऋण के रूप में दी गई कोई भी राशि कोष में जमा की जाएगी और बोर्ड द्वारा इस धारा के अनुसार आबंटित की जाएगी।

998.758. बोर्ड के अनुरोध पर, जिसके समर्थन में राज्यपाल द्वारा अनुमोदित उसकी योजनाओं और परियोजनाओं का विवरण होगा, समिति संकल्प द्वारा यह निर्धारित करेगी कि बोर्ड की योजनाओं और परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए इस धारा के अनुसार अधिकृत किसी बॉन्ड को जारी करना आवश्यक या वांछनीय है या नहीं और, यदि ऐसा है, तो जारी और बेचे जाने वाले बॉन्ड्स की राशि कितनी होगी। इन योजनाओं और परियोजनाओं को क्रमिक रूप से कार्यान्वित करने के लिए बॉन्ड्स के लगातार निर्गम अधिकृत और बेचे जा सकते हैं, और सभी बॉन्ड्स को एक ही समय पर जारी या बेचना आवश्यक नहीं है।

998.759. (a) जब तक इस धारा के अनुसार अधिकृत कोई भी बॉन्ड्स बकाया हैं, भूतपूर्व सैनिक मामलों के सचिव प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में यह आवश्यक करेंगे कि मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठा वाले एक स्वतंत्र सार्वजनिक लेखाकार द्वारा कृषि और गृह खरीद प्रभाग की वित्तीय स्थिति का सर्वेक्षण एवं प्रभाग के संचालन का पूर्वानुमान तैयार किया जाए। प्रत्येक सर्वेक्षण और पूर्वानुमान के परिणाम सार्वजनिक लेखाकार द्वारा लिखित रूप में भूतपूर्व सैनिक मामलों के सचिव, California भूतपूर्व सैनिक बोर्ड, सीनेट और विधानसभा में भूतपूर्व सैनिक मामलों से संबंधित उपयुक्त नीति समितियों एवं समिति को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(b) कृषि और गृह खरीद प्रभाग इन सेवाओं के लिए सार्वजनिक लेखाकार को उस धनराशि में से प्रतिपूर्ति करेगा जो प्रभाग के पास कोषाध्यक्ष के पास जमा के रूप में उपलब्ध हो सकती है।

998.760. (a) कोषाध्यक्ष इस धारा द्वारा अधिकृत बॉन्ड्स को उस राशि में जारी और बेचेगा जिसे समिति ने अनुभाग 998.758 के अनुसार आवश्यक और वांछनीय होना निर्धारित किया गया है। बॉन्ड्स सरकारी संहिता के अनुभाग 16731 के अनुसार समिति द्वारा अपनाए जाने वाले संकल्प में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों पर जारी और बेचे जाएंगे।

(b) जब भी समिति बॉन्ड्स की प्रभावी बिक्री के लिए इसे आवश्यक समझे, तो सरकारी संहिता के अनुभाग 16754 के बावजूद, समिति कोषाध्यक्ष को बॉन्ड्स के किसी भी निर्गम को उनके अंकित मूल्य से कम पर बेचने के लिए अधिकृत कर सकती है। हालांकि, बॉन्ड्स पर छूट उनके अंकित मूल्य के 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

998.761. यहाँ दिए गए प्रावधानों के अनुसार बॉन्ड्स की बिक्री से प्राप्त पहली धनराशि में से, सरकारी संहिता के अनुभाग 16724.5 द्वारा स्थापित सामान्य दायित्व बॉन्ड व्यय परिक्रामी कोष में उस अनुभाग में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए किए गए सभी व्ययों की राशि पुनः जमा की जाएगी, और जब भी अतिरिक्त बॉन्ड्स की बिक्री की जाए, इस धनराशि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है और उसी तरीके से इसकी प्रतिपूर्ति की जा सकती है। इस धारा के अनुसार बेचे गए बॉन्ड्स के प्रीमियम और उपार्जित ब्याज से प्राप्त एवं कोष में जमा की गई समस्त धनराशि को कोष में आरक्षित रखा जाएगा और बॉन्ड ब्याज संबंधी व्यय में क्रेडिट के रूप में सामान्य कोष में हस्तांतरण के लिए उपलब्ध कराया

जाएगा, हालांकि, प्रीमियम से प्राप्त राशियों को सामान्य कोष में किसी भी हस्तांतरण से पहले बॉन्ड जारी करने की लागतों का भुगतान करने के लिए आरक्षित रखा और उपयोग किया जा सकता है।

998.762. इस धारा के अनुसार जारी और बेचे गए किन्हीं भी बॉन्ड्स का पुनर्वित्त सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के प्रभाग 4 के भाग 3 के अध्याय 4 की धारा 6 (अनुभाग 16780 से शुरू करते हुए) के अनुसार किया जा सकता है। इस धारा के अनुसार बॉन्ड्स जारी करने के लिए मतदाताओं की मंजूरी में, इस धारा के तहत मूल रूप से जारी किए गए बॉन्ड्स या पहले जारी किए गए किसी भी पुनर्वित्त बॉन्ड्स के पुनर्वित्त के लिए जारी किए जाने वाले बॉन्ड्स की मंजूरी भी शामिल है। इस अनुभाग द्वारा अधिकृत पुनर्वित्त बॉन्ड्स से प्राप्त आय द्वारा पुनर्वित्त किए गए किसी भी बॉन्ड को, कानून द्वारा अनुमत सीमा तक, उस पुनर्वित्त किए गए बॉन्ड को अधिकृत करने वाले समय-समय पर संशोधित संकल्प में निर्धारित तरीके और सीमा के अनुसार कानूनी रूप से दायित्व-मुक्त किया जा सकता है।

998.763. राज्य सामान्य दायित्व बॉन्ड कानून या इस धारा के किसी भी प्रावधान के बावजूद, यदि कोषाध्यक्ष इस धारा के अनुसार ऐसे बॉन्ड्स बेचता है जिनके संबंध में बॉन्ड के कानूनी सलाहकार ने यह राय दी है कि निर्दिष्ट की जा सकने वाली किसी भी शर्त के अधीन, बॉन्ड्स पर मिलने वाला ब्याज संघीय आयकर के प्रयोजनों के लिए सकल आय से बाहर रखा जा सकता है या अन्यथा किसी संघीय टैक्स लाभ का योग्य है, तो कोषाध्यक्ष बॉन्ड से प्राप्त आय के निवेश और उस आय से होने वाली कमाई के लिए अलग-अलग खाते रख सकता है, कोषाध्यक्ष संघीय कानून द्वारा आवश्यक किसी छूट-वापसी, जुर्माने या अन्य भुगतान के लिए उस आय या कमाई का उपयोग कर सकता है या उसके उपयोग का निर्देश दे सकता है, और वह बॉन्ड की टैक्स-मुक्त स्थिति बनाए रखने या इस राज्य के कोषों की ओर से संघीय कानून के अनुसार कोई अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए बॉन्ड से प्राप्त आय के निवेश और उपयोग के संबंध में संघीय कानून के तहत आवश्यक या अनुमत कोई अन्य कार्रवाई भी कर सकता है।

998.764. इस धारा द्वारा अधिकृत बॉन्ड की बिक्री से प्राप्त आय, California के संविधान की धारा XIII B में प्रयुक्त अर्थ में “टैक्सों से प्राप्त आय” नहीं है, और इस आय का वितरण धारा XIII B द्वारा लगाई गई सीमाओं के अधीन नहीं है। “आशय की घोषणा” इस धारा द्वारा जारी किए जाने के लिए अधिकृत बॉन्ड्स के मूलधन की राशि से अधिक न होने वाली बॉन्ड आय (अनुभाग 998.762 के अनुसार जारी किसी भी पुनर्वित्त बॉन्ड्स को छोड़कर) का उपयोग ऐसे किसी भी कानूनी रूप से उपलब्ध स्रोत की प्रतिपूर्ति के लिए किए जाने की अपेक्षा है और किया जा सकता है, जिसका उपयोग इस धारा के अनुसार अधिकृत परियोजनाओं या प्रोग्रामों की लागतों का भुगतान करने के लिए किया गया हो, (इसमें विशेष राज्य विभागों या एजेंसियों की वह धनराशि भी शामिल है जिसे उन परियोजनाओं या प्रोग्रामों की लागतों पर खर्च किया जा सकता है), ऐसी लागतों का भुगतान 3 नवम्बर, 2026 के बाद किया गया होना चाहिए, हालांकि, बॉन्ड्स से प्राप्त आय से प्रतिपूर्ति की जाने वाली किसी भी लागत का भुगतान किसी अन्य ऋण से प्राप्त आय से नहीं किया गया होना चाहिए, जब तक कि उस पूर्व ऋण का भुगतान बॉन्ड से प्राप्त आय द्वारा समाप्त न किया जाना हो।

प्रस्ताव 2

2025-2026 के नियमित सत्र के विधानसभा संवैधानिक संशोधन 20 (संकल्प अध्याय 130, 2026 का विधान) द्वारा प्रस्तावित यह संशोधन, California के संविधान के अनुभागों में संशोधन करके उसमें स्पष्ट रूप से संशोधन करता है; इसलिए हटाए जाने के लिए प्रस्तावित मौजूदा प्रावधानों को स्ट्राइकआउट टाइप में और जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित नए प्रावधानों को इटैलिक टाइप में प्रिंट किया गया है, ताकि यह दर्शाया जा सके कि वे नए हैं।

धारा XVI में प्रस्तावित संशोधन

पहला—(a) इस विधेयक को California के भविष्य के लिए बचत अधिनियम के नाम से जाना जाएगा और इसी नाम से इसका उल्लेख किया जा सकता है।

(b) विधान मंडल निम्नलिखित सभी को पाता है और इनकी घोषणा करता है:

(1) California के परिवार समझते हैं कि ज़िम्मेदारी भरी वित्तीय योजना के लिए अच्छे समय में बचत करके अलग रखना आवश्यक है, ताकि अप्रत्याशित चुनौतियों और आर्थिक मंदी के लिए तैयारी की जा सके। California राज्य को भी इसी सामान्य समझ-बूझ के सिद्धांत का पालन करना चाहिए।

(2) California वासी अपनी सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वह सार्वजनिक वित्त का प्रबंधन ज़िम्मेदारी और विवेक के साथ एवं भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए करे। पर्याप्त आरक्षित निधियाँ बनाए रखने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि आवश्यक सार्वजनिक सेवाएँ उस समय उपलब्ध रहें जब उनकी सबसे अधिक आवश्यकता हो।

(3) California की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे गतिशील अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन यह आर्थिक चक्रों, राजस्व में उतार-चढ़ाव, प्राकृतिक आपदाओं, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों और अन्य अप्रत्याशित घटनाओं से भी प्रभावित होती है, जो राज्य के बजट पर महत्वपूर्ण दबाव डाल सकती हैं।

(4) जब आर्थिक मंदी के दौरान राज्य का राजस्व घटता है, तो अपर्याप्त आरक्षित निधियाँ ऐसे कठिन निर्णय लेने के लिए मजबूर कर सकती हैं जो California के परिवारों, विद्यार्थियों, वरिष्ठ नागरिकों, भूतपूर्व सैनिकों, कामगारों और व्यवसायों द्वारा निर्भर आवश्यक प्रोग्रामों और सेवाओं को बाधित करते हैं।

(5) आर्थिक वृद्धि की अवधि के दौरान मजबूत बजट आरक्षित निधियों का निर्माण और उन्हें बनाए रखना California वासियों को आवश्यक सेवाओं में अचानक होने वाली कटौतियों से बचाने में मदद करता है और राजकोषीय दबाव की अवधि में कठोर सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता को कम करता है।

(6) सुदृढ़ वित्तीय योजना के लिए अगले वित्तीय वर्ष से आगे देखना और भविष्य की चुनौतियों के उत्पन्न होने से पहले ही उनके लिए तैयारी करना आवश्यक है। जिस प्रकार परिवार आपात स्थितियों और अप्रत्याशित खर्चों के लिए बचत करते हैं, उसी प्रकार California को अच्छे वर्षों के दौरान बचत करनी चाहिए, ताकि कठिन समय में स्कूलों, सार्वजनिक सुरक्षा और आवश्यक सेवाओं की रक्षा की जा सके।

(7) मजबूत आरक्षित निधि नीतियाँ राजकोषीय स्थिरता को बढ़ावा देती हैं, राज्य सरकार में जनता का विश्वास बढ़ाती हैं, दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि का समर्थन करती हैं और आपात स्थितियों एवं आर्थिक मंदी का प्रभावी ढंग से सामना करने की California की क्षमता को बनाए रखने में मदद करती हैं।

(8) प्रस्ताव 98 को मतदाताओं ने 1988 में स्कूलों के लिए न्यूनतम वित्तपोषण स्तर प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया था। इस अधिनियम में किसी भी बात का उद्देश्य धारा XVI के अनुभाग 8 के तहत न्यूनतम गारंटी की गणना या वित्तपोषण में बदलाव करना नहीं है।

(c) इसलिए विधान मंडल का आशय California की बजट आरक्षित निधियों को बढ़ाकर और यह सुनिश्चित करके कि राज्य भविष्य की आर्थिक चुनौतियों के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो, ज़िम्मेदारी भरी बजट व्यवस्था, दीर्घकालिक वित्तीय योजना और विवेकपूर्ण बचत के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को मजबूत करना है। आरक्षित निधियों को मजबूत करना California के भविष्य और भावी पीढ़ियों में किया जाने वाला एक निवेश है।

दूसरा—California के संविधान की धारा XVI के अनुभाग 20 को इस तरह पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

अनुभाग 20. (a) (1) (A) बजट स्थिरीकरण खाता इसके द्वारा सामान्य कोष में स्थापित किया जाता है।

(B) इस उपखंड (a) के अनुच्छेद (2) और उपखंड (c) एवं (d) के अनुसार, इस उप-अनुच्छेद को जोड़ने वाले विधेयक की प्रभावी तारीख से पहले बजट स्थिरीकरण खाते में जमा शेष राशियाँ खाते में बनी रहेंगी और इसके बाद इस उप-अनुच्छेद को जोड़ने वाले विधेयक द्वारा संशोधित इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार हस्तांतरित, निकाली या समायोजित की जाएंगी।

(2) 2015-16 2027-28 वित्तीय वर्ष और उसके बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, उस वित्तीय वर्ष के बजट अधिनियम के आधार पर, न्यूनतम 1 अक्टूबर तक, सामान्य कोष से बजट स्थिरीकरण खाते में उस वित्तीय वर्ष के लिए सामान्य कोष के अनुमानित राजस्व के 1.5 प्रतिशत के बराबर राशि हस्तांतरित करेगा।

(b) (1) 2015-16 2027-28 वित्तीय वर्ष और उसके बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, उस वित्तीय वर्ष के बजट अधिनियम के आधार पर, वित्त विभाग विधान मंडल को निम्नलिखित सभी जानकारी प्रदान करेगा:

(A) उस वित्तीय वर्ष के लिए धारा XIII B के अनुसार विनियोजित किए जा सकने वाले सामान्य कोष के टैक्सों से प्राप्त आय की राशि का अनुमान।

(B) (i) उप-अनुच्छेद (A) में पहचाने गये सामान्य कोष के टैक्सों से प्राप्त आय के उस हिस्से का अनुमान, जो शुद्ध पूंजीगत लाभ पर चुकाए गए व्यक्तिगत आयकर से प्राप्त होता है।

(ii) निम्नलिखित का योग:

(iii) (I) खंड (i) में दिए गए अनुमान का वह हिस्सा जो उप-अनुच्छेद (A) के तहत 8 प्रतिशत से अधिक है लगाए गए अनुमान के 8 प्रतिशत से अधिक, लेकिन 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

(II) खंड (i) में दिए गए अनुमान के उस हिस्से का एक सौ पचास प्रतिशत जो उप-अनुच्छेद (A) के तहत लगाए गए अनुमान के 10 प्रतिशत से अधिक है।

(C) अनुभाग 8 के तहत राज्य के वित्तपोषण दायित्व के उस हिस्से की अद्यतित गणना, जो उप-अनुच्छेद (B) के खंड (ii) के तहत गणना की गई अद्यतित राशि, यदि कोई हो, को सामान्य कोष के टैक्सों से प्राप्त आय में शामिल करने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है।

(D) उपखंड (c) के अनुच्छेद (1) के उप-अनुच्छेद (B) के खंड (ii), या अनुच्छेद (2) के उप-अनुच्छेद (C) में वर्णित ऐसे किसी भी विनियोजन की राशि, जो इस अनुच्छेद के उप-अनुच्छेद (B) के खंड (ii) में वर्णित राजस्व से किया जाता है।

(E) उप-अनुच्छेद (B) के खंड (ii) के तहत गणना किए गए मूल्य में से उप-अनुच्छेदों (C) और (D) के तहत गणना किए गए संयुक्त मूल्यों को घटाने पर प्राप्त राशि। यदि यह राशि शून्य से कम है, तो इस प्रयोजन के लिए इसे शून्य माना जाएगा।

(F) उप-अनुच्छेद (E) के तहत गणना की गई राशि या वह हस्तांतरण राशि, जिसके परिणामस्वरूप बजट स्थिरीकरण खाते में शेष राशि उपखंड (e) में निर्दिष्ट सीमा तक पहुँच जाती है—इन दोनों में से जो कम हो।

(2) 2016=17 2027-28 वित्तीय वर्ष में, केवल 2015=16 2026-27 वित्तीय वर्ष के संबंध में, और 2017=18 2028-29 वित्तीय वर्ष एवं उसके बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, उससे ठीक पहले के दो वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक के संबंध में अलग-अलग, वित्त विभाग संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए इस्तेमाल की गई उसी पद्धति का उपयोग करके निम्नलिखित सभी की गणना करेगा और वे गणनाएँ विधान मंडल को उपलब्ध कराएगा:

(A) धारा XIII B के अनुसार विनियोजित किए जा सकने वाले सामान्य कोष के टैक्सों से प्राप्त आय की राशि का अद्यतित अनुमान।

(B) (i) उप-अनुच्छेद (A) में पहचाने गये सामान्य कोष के टैक्सों से प्राप्त आय के उस हिस्से का अद्यतित अनुमान, जो शुद्ध पूंजीगत लाभ पर चुकाए गए व्यक्तिगत आयकर से प्राप्त होता है।

(ii) निम्नलिखित का योग:

(iii) (I) खंड (i) में दिए गए अद्यतित अनुमान का वह हिस्सा जो उप-अनुच्छेद (A) के तहत 8 प्रतिशत से अधिक है लगाए गए अद्यतित अनुमान के 8 प्रतिशत से अधिक, लेकिन 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

(II) खंड (i) में दिए गए अनुमान के उस हिस्से का एक सौ पचास प्रतिशत जो उप-अनुच्छेद (A) के तहत लगाए गए अनुमान के 10 प्रतिशत से अधिक है।

(C) अनुभाग 8 के तहत राज्य के वित्तपोषण दायित्व का वह हिस्सा, जो उप-अनुच्छेद (B) के खंड (ii) के तहत गणना की गई राशि, यदि कोई हो, को सामान्य कोष के टैक्सों से प्राप्त आय में शामिल करने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है।

(D) उपखंड (c) के अनुच्छेद (1) के उप-अनुच्छेद (B) के खंड (ii), या अनुच्छेद (2) के उप-अनुच्छेद (C) में वर्णित ऐसे किसी भी विनियोजन की राशि, जो अनुच्छेद (1) के उप-अनुच्छेद (B) के खंड (ii) में वर्णित राजस्व से किया जाता है।

(E) उप-अनुच्छेद (B) के खंड (ii) के तहत गणना किए गए मूल्य में से उप-अनुच्छेद (C) और (D) के तहत गणना किए गए संयुक्त मूल्यों को घटाने पर प्राप्त राशि। यदि यह राशि शून्य से कम है, तो इस प्रयोजन के लिए इसे शून्य माना जाएगा।

(F) उस वित्तीय वर्ष के लिए नियंत्रक द्वारा उपखंड (c) और (d) के अनुसार सामान्य कोष से बजट स्थिरीकरण खाते में पहले हस्तांतरित की गई राशि।

(G) निम्नलिखित दोनों में से कम राशि: (i) उप-अनुच्छेद (E) के तहत गणना की गई राशि में से संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए विधान मंडल द्वारा पहले अनुमोदित अनुभाग 22 के उपखंड (a) के अनुच्छेद (1) के अनुसार हस्तांतरण के किसी निलंबन या कटौती का मूल्य और उप-अनुच्छेद (F) में वर्णित उस वित्तीय वर्ष के लिए नियंत्रक द्वारा पहले हस्तांतरित राशि घटाने

पर प्राप्त राशि, जो शून्य से कम नहीं होगी; या (ii) वह हस्तांतरण राशि जिसके परिणामस्वरूप बजट स्थिरीकरण खाते में शेष राशि उपखंड (e) में निर्दिष्ट सीमा तक पहुँच जाती है।

(c) (1) (A) 2015=16 2027-28 वित्तीय वर्ष की और उसके बाद 2029=30 2039-40 वित्तीय वर्ष तक, दोनों सहित, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 1 अक्टूबर तक, उपखंड (h) के अनुच्छेद (2) और (3) के अनुसार वार्षिक बजट अधिनियम में निर्धारित अनुमानों और उपखंड (a) के अनुच्छेद (2) में पहचानी गई राशि के आधार पर, नियंत्रक वित्त निदेशक द्वारा उपलब्ध कराई गई अनुसूची के अनुसार, उप-अनुच्छेद (B) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार सामान्य कोष और बजट स्थिरीकरण खाते से राशियाँ हस्तांतरित करेगा।

(B) इस अनुभाग के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद, उस वित्तीय वर्ष में जिस पर उप-अनुच्छेद (A) में पहचाना गया बजट अधिनियम लागू होता है:

(i) उपखंड (a) के अनुच्छेद (2) में पहचानी गई राशि का पचास प्रतिशत और उपखंड (b) के अनुच्छेद (1) के उप-अनुच्छेद (B) के खंड (ii) के तहत गणना किए गए मूल्य में से उपखंड (b) के अनुच्छेद (1) के उप-अनुच्छेद (C) के तहत गणना किए गए मूल्य को घटाने पर प्राप्त राशि का पचास प्रतिशत, दोनों सामान्य कोष से बजट स्थिरीकरण खाते में हस्तांतरित किए जाएँगे।

(ii) शेष 50 प्रतिशत का विनियोजन विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित में से एक या अधिक दायित्वों और उद्देश्यों के लिए किया जाएगा:

(I) अनुभाग 8 के अनुसार पूर्व वित्तीय वर्षों के सामान्य कोष के ऐसे वित्तपोषित न किए गए दायित्व, जो 1 जुलाई, 2014 को मौजूद थे।

(II) सामान्य कोष के बाहर के कोषों से सामान्य कोष को दिए गए बजटीय ऋण, जिनमें 1 जनवरी, 2014 पर बकाया राशियाँ थीं। साथ ही साथ चिकित्सा प्रदाता अंतरिम भुगतान कोष को दिए गए ऋणों की लागतों को निर्धारित समय से पहले मान्यता देना और शिक्षा संहिता के अनुभाग 41206.04 के उपखंड (c) के अनुच्छेद (1) में वर्णित लागतों को निर्धारित समय से पहले मान्यता देना।

(III) 2004-05 वित्तीय वर्ष से पहले वहन की गई अनिवार्य लागतों के लिए भुगतान योग्य ऐसे दावे जिनका अभी तक भुगतान नहीं किया गया है और जिन्हें धारा XIII B के अनुभाग 6 के उपखंड (b) के अनुच्छेद (2) के अनुसार, कानून द्वारा निर्धारित तरीके से कई वर्षों की अवधि में भुगतान करने की अनुमति है।

(IV) राज्य-स्तरीय पेंशन योजनाओं की वित्तपोषित न की गई देयताएँ और रोजगार समाप्ति के बाद मिलने वाले अन्य लाभों के लिए अग्रिम वित्तपोषण, उस वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित मौजूदा आधार राशियों से अधिक, जिसमें अन्यथा धनराशि बजट स्थिरीकरण खाते में हस्तांतरित की जाती। इस उपखंड के प्रयोजन के लिए, मौजूदा आधार राशियाँ वे राशियाँ हैं जिनका भुगतान कानून, अनुमोदित समझौता ज्ञापन, सामूहिक सौदेबाजी से बाहर रखे गए या छूट प्राप्त कर्मचारियों के लिए इन अंशदानों को निर्धारित करने हेतु अधिकृत नियोक्ता या संस्था द्वारा स्थापित लाभ अनुसूचियों, या इनके किसी संयोजन के अनुसार किया जाना आवश्यक है। इस उपखंड के तहत योग्य होने के लिए, विनियोजन उस वित्तपोषण के अतिरिक्त होना चाहिए और उसका स्थान नहीं लेना चाहिए जो अन्यथा उस वित्तीय वर्ष या अगले वित्तीय वर्ष में इस उपखंड में वर्णित दायित्वों के भुगतान के लिए उपलब्ध कराया जाता।

(V) बेरोज़गारी कोष को दिए गए संघीय ऋण।

(iii) यदि खंड (ii) के अनुसार विनियोजित राशि, खंड (ii) में वर्णित दायित्वों और उद्देश्यों की कुल राशि से अधिक है, तो शेष राशि बजट स्थिरीकरण खाते में हस्तांतरित की जाएगी; हालांकि ऐसा कोई भी हस्तांतरण उपखंड (e) में निर्धारित सीमा के अधीन होगा।

(2) (A) 2030=31 2040-41 वित्तीय वर्ष और उसके बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 1 अक्टूबर तक, उपखंड (h) के अनुच्छेद (2) और (3) के अनुसार वार्षिक बजट अधिनियम में निर्धारित अनुमानों के आधार पर, नियंत्रक वित्त निदेशक द्वारा उपलब्ध कराई गई अनुसूची के अनुसार, उप-अनुच्छेद (B) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार सामान्य कोष से बजट स्थिरीकरण खाते में राशियाँ हस्तांतरित करेगा।

(B) जिस वित्तीय वर्ष पर उप-अनुच्छेद (A) में पहचाना गया बजट अधिनियम लागू होता है, उस वित्तीय वर्ष में उपखंड (a) के अनुच्छेद (2) में पहचानी गई राशि और उपखंड (b) के अनुच्छेद (1) के उप-अनुच्छेद (B) के खंड (ii) के तहत गणना किए गए मूल्य में से उपखंड (b) के अनुच्छेद (1) के उप-अनुच्छेद (C) के तहत गणना किए गए मूल्य को घटाने पर प्राप्त राशि, दोनों सामान्य कोष से बजट स्थिरीकरण खाते में हस्तांतरित की जाएगी।

(C) इस अनुभाग के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद, विधान मंडल उपखंड (a) के अनुच्छेद (2) में पहचानी गई राशि के और उपखंड (b) के अनुच्छेद (1) के उप-अनुच्छेद (B) के खंड (ii) के तहत गणना किए गए मूल्य में से उपखंड (b) के अनुच्छेद (1) के उप-अनुच्छेद (C) के तहत गणना किए गए मूल्य को घटाने पर प्राप्त राशि के 50 प्रतिशत तक का विनियोजन, अनुच्छेद (1) के उप-अनुच्छेद (B) के खंड (ii) में वर्णित एक या अधिक दायित्वों और उद्देश्यों के लिए कर सकता है।

(3) इस उपखंड में वर्णित हस्तांतरण अनुभाग 22 के उपखंड (a) के अनुच्छेद (1) के अनुसार निलंबन या कटौती के अधीन हैं।

(d) 2016=17 2027-28 वित्तीय वर्ष और उसके बाद के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 1 अक्टूबर तक, उपखंड (h) के अनुच्छेद (4) और (5) के अनुसार वार्षिक बजट अधिनियम में निर्धारित अनुमानों के आधार पर, नियंत्रक वित्त निदेशक द्वारा प्रदान की गई अनुसूची के अनुसार सामान्य कोष और बजट स्थिरीकरण खाते के बीच राशियों का निम्नलिखित तरीके से हस्तांतरण करेगा:

(1) यदि उपखंड (b) के अनुच्छेद (2) के उप-अनुच्छेद (G) में दी गई राशि शून्य से अधिक है, तो उस राशि को सामान्य कोष से बजट स्थिरीकरण खाते में हस्तांतरित किया जाएगा, बशर्ते कि अनुभाग 22 के उपखंड (a) के अनुच्छेद (1) के अनुसार इस हस्तांतरण को निलंबित या कम न किया गया हो।

(2) यदि उपखंड (b) के अनुच्छेद (2) के उप-अनुच्छेद (F) में वर्णित राशि, उपखंड (b) के अनुच्छेद (2) के उप-अनुच्छेद (E) के तहत गणना की गई राशि से अधिक है, तो उस अतिरिक्त राशि को बजट स्थिरीकरण खाते से वापस सामान्य कोष में हस्तांतरित किया जाएगा।

(e) इस अनुभाग के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद, किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए उपखंड (a) के अनुच्छेद (2) एवं उपखंड (c) और (d) के अनुसार बजट स्थिरीकरण खाते में हस्तांतरित की जाने वाली राशि इतनी अधिक नहीं होगी कि हस्तांतरण किए जाने के समय खाते की शेष राशि, उपखंड (b) के अनुसार उस वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित सामान्य कोष

की टैक्स आय 10 20 प्रतिशत से अधिक हो जाए। किसी भी वित्तीय वर्ष में सामान्य कोष की वह टैक्स आय, जो इस अनुच्छेद के अभाव में बजट स्थिरीकरण खाते में हस्तांतरित की जाती, केवल बुनियादी ढाँचे के लिए खर्च की जा सकती है, जैसा कि सरकारी संहिता के अनुभाग 13101 में परिभाषित है और जैसा कि वह अनुभाग 1 जनवरी, 2014 को प्रभावी थी, जिसमें उस बुनियादी ढाँचे का स्थगित रखरखाव भी शामिल है।

(f) उपखंड (b) में सामान्य कोष की टैक्स आय के रूप में वर्णित धनराशि, अनुभाग 8 के प्रयोजनों के लिए उस वित्तीय वर्ष की सामान्य कोष की टैक्स आय मानी जाएगी, जिसके लिए वह आय निर्धारित की गई है; लेकिन बाद में उस धनराशि को बजट स्थिरीकरण खाते से सामान्य कोष में हस्तांतरित किए जाने के आधार पर उसे सामान्य कोष की अतिरिक्त टैक्स आय नहीं माना जाएगा।

(g) नियंत्रक बजट स्थिरीकरण खाते की उस धनराशि का उपयोग सामान्य कोष की दैनिक नकदी प्रवाह संबंधी आवश्यकताओं के प्रबंधन में सहायता के लिए कर सकता है, जिसे वह वर्तमान में इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए आवश्यक नहीं मानता है। इस उपखंड के अनुसार किया गया कोई भी उपयोग बजट स्थिरीकरण खाते के उद्देश्यों में बाधा नहीं डालेगा।

(h) वार्षिक बजट अधिनियम में निम्नलिखित सभी में वर्णित अनुमान शामिल होंगे:

(1) उपखंड (a) का अनुच्छेद (2)।

(2) उपखंड (b) के अनुच्छेद (1) के उप-अनुच्छेद (B) का खंड (ii)।

(3) उपखंड (b) के अनुच्छेद (1) का उप-अनुच्छेद (F)।

(4) उपखंड (b) के अनुच्छेद (2) के उप-अनुच्छेद (B) का खंड (ii)।

(5) उपखंड (b) के अनुच्छेद (2) का उप-अनुच्छेद (G)।

(i) धारा XIII B के अनुभाग 5 के बावजूद, 2027-28 वित्तीय वर्ष और उसके बाद के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, बजट स्थिरीकरण खाते में किए गए हस्तांतरण, धारा XIII B के प्रयोजनों के लिए “सीमा के अधीन विनियोजन” नहीं माने जाएँगे। 2027-28 वित्तीय वर्ष और उसके बाद के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, बजट स्थिरीकरण खाते से निकाली गई या हस्तांतरित की गई वह धनराशि, जिसे पहले धारा XIII B के प्रयोजनों के लिए “सीमा के अधीन विनियोजन” के रूप में नहीं गिना गया था, उस वित्तीय वर्ष में धारा XIII B के प्रयोजनों के लिए “सीमा के अधीन विनियोजन” मानी जाएगी जिसमें वह बजट स्थिरीकरण खाते से निकाली जाती है या सामान्य कोष में वापस की जाती है।

(j) बजट स्थिरीकरण खाते के पूरक के रूप में, सरकारी संहिता के अनुभाग 16418.7 में स्थापित अनुमानित अधिशेष अस्थायी होल्डिंग खाता, या उस खाते का कोई उत्तराधिकारी खाता, टैक्स से होने वाले राजस्व में उतार-चढ़ाव का मुकाबला करने के लिए ज़िम्मेदार बजट प्रबंधन की एक अतिरिक्त तकनीक होगा। धारा XIII B के अनुभाग 5 के बावजूद, 2027-28 वित्तीय वर्ष और उसके बाद के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, जब वार्षिक बजट अधिनियम के अनुसार अनुमानित अधिशेष अस्थायी होल्डिंग खाते में कोई हस्तांतरण किया जाता है, तो वह हस्तांतरण उस वित्तीय वर्ष के लिए धारा XIII B के प्रयोजनों के लिए “सीमा के अधीन विनियोजन” नहीं माना जाएगा, बशर्ते कि सीमा के अधीन न आने वाली राशि, उस वित्तीय वर्ष में जिसमें हस्तांतरण किया गया है, सामान्य कोष की टैक्स आय की राशि के 10 प्रतिशत से अधिक न हो। 2027-28

वित्तीय वर्ष और उसके बाद के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, अनुमानित अधिशेष अस्थायी होल्डिंग खाते से निकाली गई या हस्तांतरित की गई वह धनराशि, जिसे पहले धारा XIII B के प्रयोजनों के लिए “सीमा के अधीन विनियोजन” के रूप में नहीं गिना गया था, उस वित्तीय वर्ष में धारा XIII B के प्रयोजनों के लिए “सीमा के अधीन विनियोजन” मानी जाएगी जिसमें वह निकाली जाती है या सामान्य कोष या किसी अन्य राज्य कोष में हस्तांतरित की जाती है।

तीसरा—धारा XVI के उस अनुभाग 22 को इस तरह पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

अनुभाग 22. (a) राज्यपाल द्वारा बजट आपातकाल घोषित करने और आपातकाल उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों की पहचान करने वाली उद्घोषणा जारी किए जाने पर, विधान मंडल ऐसा विधेयक पारित कर सकता है जो निम्नलिखित में से कोई कार्य करता हो:

(1) अनुभाग 20 के तहत सामान्य कोष से बजट स्थिरीकरण खाते में धनराशि के आवश्यक हस्तांतरण को एक वित्तीय वर्ष के लिए निलंबित करता है या उसे एक निर्दिष्ट डॉलर राशि से कम करता है।

(2) (A) अनुभाग 20 के अनुसार बजट स्थिरीकरण खाते में हस्तांतरित की गई धनराशि को बजट आपातकाल से निपटने के लिए विनियोजन हेतु सामान्य कोष में वापस करता है।

(B) किसी भी वित्तीय वर्ष में उप-अनुच्छेद (A) के अनुसार विनियोजन के लिए बजट स्थिरीकरण खाते की शेष राशि का 50 प्रतिशत से अधिक सामान्य कोष में वापस नहीं किया जा सकता, जब तक कि ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में बजट स्थिरीकरण खाते की धनराशि विनियोजन के लिए सामान्य कोष में वापस न की गई हो।

(3) अनुभाग 21 के तहत सामान्य कोष से सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली स्थिरीकरण खाते में धनराशि के आवश्यक हस्तांतरण को एक वित्तीय वर्ष के लिए निलंबित करता है या उसे एक निर्दिष्ट डॉलर राशि से कम करता है।

(4) अनुभाग 21 के अनुसार सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली स्थिरीकरण खाते में हस्तांतरित धनराशि का विनियोजन करता है और उस धनराशि को स्कूल जिलों एवं सामुदायिक कॉलेज जिलों की सहायता के लिए आबंटित करता है।

(b) इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए, “बजट आपातकाल” का अर्थ निम्नलिखित में से कोई भी है:

(1) धारा XIII B के अनुभाग 3 के उपखंड (c) के अनुच्छेद (2) के अर्थ के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा घोषित कोई आपातकाल।

(2) (A) राज्यपाल द्वारा यह निर्धारित किया जाना कि वर्तमान या आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सामान्य कोष के व्ययों का वित्तपोषण करने हेतु अनुमानित संसाधन अपर्याप्त हैं, जबकि प्रतिबद्ध देनदारियों के निपटान के लिए आरक्षित निधि अलग रखी गई हो, और व्यय का स्तर हाल के तीन बजट अधिनियमों में से किसी के अधिनियमन के समय अनुमानित कुल सामान्य कोष व्ययों की उच्चतम राशि के बराबर हो, जिसे निम्नलिखित दोनों के अनुसार समायोजित किया गया हो:

(i) California उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई राज्य में जीवन-यापन की लागत में वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन।

(ii) सरकारी संहिता के अनुभाग 7901 के उपखंड (b) के अनुसार राज्य की नागरिक आबादी में वार्षिक प्रतिशत वृद्धि।

(B) इस अनुच्छेद के तहत निर्धारित बजट आपातकाल के लिए निकाली जा सकने वाली अधिकतम राशि ऐसी राशि से अधिक नहीं होगी जिसके परिणामस्वरूप किसी वित्तीय वर्ष में कुल सामान्य कोष व्यय का स्तर, उप-अनुच्छेद (A) के अनुसार गणना किए गए हाल के तीन बजट अधिनियमों में से किसी के अधिनियमन के समय अनुमानित कुल सामान्य कोष व्ययों की उच्चतम राशि से अधिक हो जाए; और न ही यह उपखंड (a) के अनुच्छेद (2) के उप-अनुच्छेद (B) द्वारा लगाई गई किसी सीमा से अधिक होगी।

(c) यदि उपखंड (b) के अनुसार राज्यपाल द्वारा बजट आपातकाल घोषित करने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ मौजूद हों, तो सरकारी संहिता के अनुभाग 13308 के उपखंड (e) के अनुसार वित्त निदेशक द्वारा विधान मंडल को प्रस्तुत राज्यपाल के बजट में प्रस्तावित समायोजन, या किसी उत्तरवर्ती कानून के तहत विधान मंडल को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक कोई अन्य बजटीय संशोधन, बजट आपातकाल की राज्यपाल की उद्घोषणा माना जाएगा, यदि उस संशोधन में निम्नलिखित में से किसी एक का प्रस्ताव किया गया हो:

(1) सामान्य कोष से बजट स्थिरीकरण खाते या सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली स्थिरीकरण खाते में धनराशि के हस्तांतरण का निलंबन या उसमें कमी।

(2) इस अनुभाग के अनुसार बजट स्थिरीकरण खाते से सामान्य कोष में धनराशि की वापसी, या इस अनुभाग के अनुसार सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली स्थिरीकरण खाते से किया गया विनियोजन।

प्रस्ताव 3

यह पहल विधेयक California के संविधान की धारा II के अनुभाग 8 के प्रावधानों के अनुसार जनता के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

यह पहल विधेयक California के संविधान के एक अनुभाग में संशोधन करता है; इसलिए, हटाए जाने वाले प्रस्तावित मौजूदा प्रावधानों को स्ट्राइकआउट टाइप में प्रिंट किया जाता है और जोड़े जाने वाले प्रस्तावित नए प्रावधानों को इटैलिक टाइप में प्रिंट किया जाता है, ताकि यह दर्शाया जा सके कि वे नए हैं।

प्रस्तावित कानून

California बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल
संरक्षण अधिनियम, 2026

अनुभाग 1. शीर्षक।

इस विधेयक को “California बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल संरक्षण अधिनियम, 2026” के नाम से जाना जाएगा और इसी नाम से इसका उल्लेख किया जा सकता है।

अनुभाग 2. निष्कर्ष।

(a) 2012 में, California के मतदाताओं ने उच्च आय अर्जित करने वालों—शीर्ष 2 प्रतिशत—पर टैक्स वृद्धि को मंजूरी दी, ताकि राज्य की महत्वपूर्ण सेवाओं का वित्तपोषण किया जा सके और महामंदी से उत्पन्न राजकोषीय चुनौतियों के कारण सार्वजनिक शिक्षा में होने वाली अत्यधिक कटौतियों को रोका जा सके। इन टैक्स दरों को मतदाताओं ने 2016 में आगे बढ़ाया, जिसमें 63 प्रतिशत ने हाँ में मतदान किया। पहली बार पारित होने के बाद से, इस टैक्स विधेयक ने स्कूलों और अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए \$104 बिलियन डॉलर से अधिक की राशि जुटाई है। यह राज्य के बजट और राज्य के आकस्मिक निधि कोष का एक बुनियादी हिस्सा है।

(b) उच्च आय अर्जित करने वालों पर लगाए गए इस आयकर ने राज्य को हमारे बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण निवेश करने में सक्षम बनाया है और California की सार्वजनिक स्कूल प्रणाली को 50 राज्यों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धी बनने में मदद की है। 2012 में, स्कूलों पर खर्च के मामले में California राज्यों के निचले 10 में था। आज, इन राजस्वों की बढ़ौलत California ने स्कूलों पर खर्च के मामले में वास्तविक प्रगति की है। अब हमारा राज्य स्कूलों में निःशुल्क भोजन; सभी चार वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क ट्रांज़िशनल किंडरगार्टन; प्राथमिक विद्यालय के छोटे विद्यार्थियों के लिए स्कूल से पहले और बाद की निःशुल्क देखभाल; और कई स्कूल ज़िलों में सामुदायिक सेवाएँ प्रदान करता है।

(c) यदि मतदाता इस टैक्स को आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो यह 2030 में समाप्त हो जाएगा। इसके परिणामस्वरूप राज्य के राजस्व में तत्काल \$10 बिलियन डॉलर से अधिक की कमी आएगी और स्कूलों, बच्चों की स्वास्थ्य देखभाल एवं अन्य आवश्यक सेवाओं में भारी कटौती होगी। इससे 2012 में उच्च आय अर्जित करने वालों पर आयकर पहली बार पारित होने के बाद से हमारे स्कूलों द्वारा की गई प्रगति उलट जाएगी।

(d) आज के डॉलर मूल्य के अनुसार, यह विधेयक \$680,000 डॉलर से कम आय वाले दंपतियों या \$340,000 डॉलर से कम आय वाले व्यक्तियों पर टैक्स को नहीं बढ़ाता है। यह मौजूदा टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं करता है, जो इस टैक्स विधेयक के पहली बार 2012 में लागू होने के बाद से समान बनी हुई हैं।

(e) यह California के सबसे धनी लोगों को ऐसी टैक्स कटौती देने का समय नहीं है जिसकी उन्हें आवश्यकता नहीं है और जिसका खर्च हमारे स्कूल और समुदाय वहन नहीं कर सकते। उच्च आय अर्जित करने वालों पर इस टैक्स को बनाए रखने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि California के बच्चों को आगे बढ़ने और अपनी सर्वोच्च क्षमता हासिल करने के लिए आवश्यक शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल मिले, जबकि इस टैक्स को समाप्त होने देने से हमारी अगली पीढ़ी की शिक्षा और स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च में बड़ी कटौती करनी पड़ेगी।

(f) California का भविष्य उसके 9 मिलियन से अधिक बच्चों की सफलता पर निर्भर करता है। California के प्रत्येक बच्चे को एक सफल वयस्क बनने का उचित अवसर मिलना चाहिए। लेकिन बच्चों को वयस्क के रूप में सफल होने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच मिलनी चाहिए।

(g) बच्चों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल दोनों आवश्यक हैं और एक-दूसरे पर निर्भर हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच California के बच्चों की सफलता के लिए बुनियादी है। पर्याप्त स्कूल उपलब्ध होने के बावजूद, यदि बीमारी बच्चों को स्कूल जाने से रोकती है, तो वे शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। और जिन समुदायों में पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध नहीं है, वहाँ बड़े होने वाले बच्चों के बीमार पड़ने या ऐसी दीर्घकालिक चिकित्सीय स्थितियों से ग्रस्त होने की संभावना अधिक होती है जो उन्हें नियमित रूप से स्कूल जाने से रोकती हैं।

(h) अनुसंधान से पता चलता है कि कम उम्र से ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच बच्चों के स्कूल और जीवन में सफल होने की संभावनाओं को बेहतर बनाती है। उच्च आय अर्जित करने वालों पर यह टैक्स यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि California के बच्चों को आगे बढ़ने और अपनी सर्वोच्च क्षमता हासिल करने के लिए आवश्यक शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल मिले।

(i) California के संविधान में यह सुनिश्चित किया गया है कि आयकर से होने वाले राजस्व सीधे स्थानीय स्कूल ज़िलों और सामुदायिक कॉलेजों को जाए। इससे राज्य की धनराशि बजट को संतुलित करने और आकस्मिक निधि कोष के लिए उपलब्ध हो जाती है, ताकि राजस्व में गिरावट आने पर भी बच्चों और उनके परिवारों की स्वास्थ्य देखभाल; वरिष्ठ नागरिकों, कामकाजी परिवारों और छोटे व्यवसाय मालिकों के लिए सेवाओं; जंगल में लगने वाली आग की रोकथाम; एवं अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में कटौती को रोका जा सके। इससे सभी को लाभ होता है।

(j) यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह सारी धनराशि केवल वहीं खर्च हो जहाँ मतदाता चाहते हैं, इसे एक विशेष कोष में रखा जाता है, जिसे विधान मंडल अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं कर सकता। इस राजस्व में से किसी भी राशि को राज्य की नौकरशाही या प्रशासनिक लागतों पर खर्च नहीं किया जा सकता।

(k) इस धनराशि का हर वर्ष स्वतंत्र लेखा-परीक्षण किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसे केवल इस विधेयक में निर्धारित उद्देश्यों के लिए ही खर्च किया जाए। यदि निर्वाचित अधिकारी धनराशि का दुरुपयोग करते हैं, तो उन पर मुकदमा चलाया जाएगा और वे आपराधिक दंड के अधीन होंगे।

(l) इस विधेयक ने राज्य के आकस्मिक निधि कोष को बनाने में मदद की है और इसे बनाए रखने में सहायता करेगा। पिछले 15 वर्षों में California के बजट में बहुत बड़े उतार-चढ़ाव देखे गए हैं, जहाँ अच्छे वर्षों के बाद अक्सर भारी घाटे और गंभीर कटौतियाँ हुई हैं। राज्य के आकस्मिक निधि कोष को बनाए रखने से आर्थिक मंदी के दौरान हमारे बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग California वासियों को स्कूलों और स्वास्थ्य देखभाल के वित्तपोषण में कटौती से बचाने में मदद मिली है।

(m) संघीय बजट में कटौतियों का कम आय वाले California वासियों और विशेष रूप से हमारे बच्चों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन संघीय टैक्स कानून धनी मतदाताओं को बहुत बड़ी टैक्स छूट दे रहे हैं। उच्च आय अर्जित करने वाले California वासियों पर इस मौजूदा टैक्स को बनाए रखना हमारे स्कूलों और स्कूली बच्चों की रक्षा के लिए आवश्यक है।

अनुभाग 3. उद्देश्य और आशय।

(a) इस विधेयक को अधिनियमित करने में मतदाताओं का मुख्य उद्देश्य और आशय ऐसी हानिकारक कटौतियों से बचना है जो California के स्थानीय सार्वजनिक स्कूलों में शिक्षा और शिक्षण की गुणवत्ता को कम करेंगी, एवं बच्चों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं हेतु पर्याप्त वित्तपोषण उपलब्ध कराना है।

(b) इस विधेयक का उद्देश्य धनी California वासियों पर मौजूदा आयकर दरों को आगे बढ़ाकर हमारे बच्चों की रक्षा करना है। धनराशि को धनी लोगों की जेबों में वापस भेजने के बजाय, यह विधेयक उस धनराशि को एक विशेष खाते में भेजता है, जिसका उपयोग विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना आवश्यक है कि California के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक शिक्षा तक पहुँच मिले। इससे राज्य की धनराशि बच्चों को स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने और अन्य आवश्यक सेवाओं का वित्तपोषण करने के लिए उपलब्ध हो जाती है।

(c) यह विधेयक संविधान में यह सुनिश्चित करता है कि स्कूलों के लिए इससे प्राप्त राजस्व सीधे स्कूल ज़िलों और सामुदायिक कॉलेजों को कक्षा संबंधी खर्चों के लिए भेजा जाएगा, न कि प्रशासनिक लागतों के लिए। राज्य के बजट के साथ चाहे कुछ भी हो, स्कूलों के इस वित्तपोषण को न तो निलंबित किया जा सकता है और न ही रोका जा सकता है।

(d) इस विधेयक से प्राप्त समस्त राजस्व का हर वर्ष स्थानीय स्तर पर लेखा-परीक्षण किया जाएगा और स्वतंत्र नियंत्रक द्वारा भी इसका लेखा-परीक्षण किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसका उपयोग केवल इस विधेयक में निर्धारित उद्देश्यों के लिए ही किया जाए।

अनुभाग 4. California के संविधान की धारा XIII के अनुभाग 36 को इस तरह पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

अनुभाग 36. (a) इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए:

(1) “सार्वजनिक सुरक्षा सेवाओं” में निम्नलिखित शामिल हैं:

(A) सार्वजनिक सुरक्षा अधिकारियों को नियुक्त करना और प्रशिक्षण देना, जिनमें कानून प्रवर्तन कर्मी, आपराधिक कार्यवाहियों के लिए नियुक्त वकील और न्यायालय सुरक्षा कर्मचारी शामिल हैं।

(B) स्थानीय जेलों का प्रबंधन करना एवं किशोर और वयस्क अपराधियों के लिए आवास, उपचार और सेवाएँ प्रदान करना एवं उनकी निगरानी करना।

(C) बाल दुर्व्यवहार, उपेक्षा या शोषण को रोकना; दुर्व्यवहार, उपेक्षा या शोषण के शिकार बच्चों और युवाओं, या इनके जोखिम वाले बच्चों और युवाओं एवं उनके परिवारों को सेवाएँ प्रदान करना; गोद लेने संबंधी सेवाएँ प्रदान करना; और वयस्क संरक्षण सेवाएँ प्रदान करना।

(D) बच्चों और वयस्कों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना, ताकि स्कूल में असफलता, स्वयं को या दूसरों को नुकसान पहुँचाने, बेघर होने एवं रोके जा सकने वाले कारावास या संस्थागत देखभाल में रखे जाने की घटनाओं को कम किया जा सके।

(E) मादक पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम और उपचार करना एवं उससे उबरने के लिए सेवाएँ प्रदान करना।

(2) “2011 पुनर्संरक्षण विधान” का अर्थ राज्य की बजट योजना को लागू करने के लिए 30 सितंबर, 2012 को या उससे पहले अधिनियमित वह विधान है, जिसका शीर्षक 2011 पुनर्संरक्षण है और जिसमें संबंधित रिपोर्टिंग जिम्मेदारियों सहित सार्वजनिक सुरक्षा सेवाओं की जिम्मेदारियाँ स्थानीय एजेंसियों को सौंपने का प्रावधान है। विधान मंडल द्वारा निर्धारित अनुसार, यह विधान संघीय कानून और वित्तपोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप सार्वजनिक सुरक्षा सेवाओं की रूपरेखा तैयार करने, उनका प्रशासन करने और उन्हें प्रदान करने के संबंध में स्थानीय एजेंसियों को अधिकतम लचीलापन और नियंत्रण प्रदान करेगा। हालांकि, 2011 के पुनर्संरक्षण विधान में 1 जनवरी, 2012 के बाद स्थानीय एजेंसियों को सौंपा गया कोई नया प्रोग्राम शामिल नहीं होगा, सिवाय प्रारंभिक आवधिक जाँच, निदान और उपचार (EPSDT) प्रोग्राम एवं मानसिक स्वास्थ्य संबंधित देखभाल के।

(b) (1) उपखंड (d) में दिए गए प्रावधान को छोड़कर, 2011-12 वित्तीय वर्ष से शुरू होकर और उसके बाद निरंतर, निम्नलिखित राशियाँ सरकारी संहिता के अनुभाग 30025 द्वारा स्थापित स्थानीय राजस्व कोष 2011 में निम्नलिखित प्रकार से जमा की जाएंगी:

(A) राजस्व और कराधान संहिता के अनुभागों 6051.15 और 6201.15 में वर्णित टैक्सों से प्राप्त समस्त राजस्व, धनवापसी की राशि घटाने के बाद, जैसा कि वे अनुभाग 1 जुलाई, 2011 को प्रभावी थे।

(B) राजस्व और कराधान संहिता के अनुभाग 11005 में वर्णित वाहन लाइसेंस शुल्कों से प्राप्त समस्त राजस्व, धनवापसी की राशियों को घटाने के बाद, जैसा कि वह अनुभाग 1 जुलाई, 2011 को प्रभावी था।

(2) 1 जुलाई, 2011 से और उसके बाद, अनुच्छेद (1) के अनुसार जमा किए गए राजस्व को California के संविधान की धारा XVI के अनुभाग 8 के प्रयोजनों के लिए सामान्य कोष के राजस्व या टैक्सों से प्राप्त आय नहीं माना जाएगा।

(c) (1) स्थानीय राजस्व कोष 2011 में जमा की गई धनराशियाँ स्थानीय एजेंसियों द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा सेवाएँ प्रदान करने के वित्तपोषण के लिए विशेष रूप से और निरंतर विनियोजित रहेंगी। 2011 के पुनर्संरक्षण विधान के पूरी तरह लागू होने तक, इस धनराशि का उपयोग स्थानीय एजेंसियों की ओर से सार्वजनिक सुरक्षा सेवाएँ प्रदान करने में राज्य द्वारा वहन की गई प्रोग्राम लागतों की प्रतिपूर्ति के लिए भी किया जा सकता है। धनराशियों के आबंटन की पद्धति 2011 के पुनर्संरक्षण विधान में निर्दिष्ट अनुसार होगी।

(2) काउंटी कोषाध्यक्ष, शहर और काउंटी के कोषाध्यक्ष, या अन्य उपयुक्त अधिकारी प्रत्येक काउंटी या शहर और काउंटी के कोषागार में काउंटी स्थानीय राजस्व कोष 2011 स्थापित करेंगे। प्रत्येक काउंटी स्थानीय राजस्व कोष 2011 में मौजूद धनराशि का उपयोग विशेष रूप से 2011 के पुनर्संरक्षण विधान में निर्दिष्ट अनुसार स्थानीय एजेंसियों द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा सेवाएँ प्रदान करने के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा।

(3) धारा XIII B के अनुभाग 6 या किसी अन्य संवैधानिक प्रावधान के बावजूद, 2011 के पुनर्संरक्षण विधान द्वारा किसी स्थानीय एजेंसी पर लागू किए गए किसी नए प्रोग्राम या उच्च स्तर की सेवा का अधिदेश, या उस विधान को लागू करने के लिए अपनाए गए किसी विनियम या जारी किए गए किसी कार्यकारी आदेश या प्रशासनिक निर्देश द्वारा लगाया गया ऐसा अधिदेश, उस अनुभाग के अर्थ के अंतर्गत ऐसा अधिदेश नहीं माना जाएगा जिसके लिए राज्य को धनराशियों की सहायता प्रदान करना आवश्यक हो। सार्वजनिक सुरक्षा सेवाओं की अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने या किसी अन्य मामले के संबंध में, किसी स्थानीय एजेंसी के लिए सरकारी संहिता के शीर्षक 5 के प्रभाग 2 के भाग 1 के अध्याय 9 (अनुभाग 54950 से शुरू करते हुए) का अनुपालन करने की कोई भी आवश्यकता, धारा XIII B के अनुभाग 6 के तहत प्रतिपूर्ति योग्य अधिदेश नहीं होगी।

(4) (A) 30 सितंबर, 2012 के बाद अधिनियमित ऐसा विधान, जिसका समग्र प्रभाव 2011 के पुनर्संरक्षण विधान द्वारा अनिवार्य किए गए प्रोग्रामों या सेवा स्तरों के लिए स्थानीय एजेंसी द्वारा पहले से वहन की जा रही लागतों को बढ़ाना हो, स्थानीय एजेंसियों पर केवल उस सीमा तक लागू होगा जिस सीमा तक राज्य उस बढ़ी हुई लागत के लिए वार्षिक वित्तपोषण प्रदान करता है। स्थानीय एजेंसियाँ इस उप-अनुच्छेद में वर्णित विधान द्वारा आवश्यक प्रोग्रामों या सेवा स्तरों को उस स्तर से अधिक प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं होंगी जिसके लिए वित्तपोषण उपलब्ध कराया गया है।

(B) 9 अक्टूबर, 2011 के बाद लागू किए गए ऐसे विनियम, कार्यकारी आदेश या प्रशासनिक निर्देश, जो 2011 के पुनर्संरक्षण विधान को लागू करने के लिए आवश्यक नहीं हैं और जिनका समग्र प्रभाव 2011 के पुनर्संरक्षण विधान द्वारा अनिवार्य किए गए प्रोग्रामों या सेवा स्तरों के लिए स्थानीय एजेंसी द्वारा पहले से वहन की जा रही लागतों को बढ़ाना हो, स्थानीय एजेंसियों पर केवल उस सीमा तक लागू होंगे जिस सीमा तक राज्य उस बढ़ी हुई लागत के लिए वार्षिक वित्तपोषण प्रदान करता है। स्थानीय एजेंसियाँ इस उप-अनुच्छेद में वर्णित नए विनियमों, कार्यकारी आदेशों या प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार प्रोग्रामों या सेवा स्तरों को उस स्तर

से अधिक प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं होंगी जिसके लिए वित्तपोषण उपलब्ध कराया गया है।

(C) उप-अनुच्छेद (A) और (B) में वर्णित अनुसार, स्थानीय एजेंसियों द्वारा वित्तपोषित स्तर से अधिक प्रदान किए गए किसी नए प्रोग्राम या उच्चतर स्तर की सेवा के लिए राज्य द्वारा धनराशि की सहायता देना आवश्यक नहीं होगा और न ही वह अन्यथा धारा XIII B के अनुभाग 6 के अधीन होगा। यह अनुच्छेद ऐसे विधान पर लागू नहीं होगा जिसे वर्तमान में धारा XIII B के अनुभाग 6 के उपखंड (a) के अनुच्छेद (2) के तहत सहायता प्रदान करने की आवश्यकता से छूट प्राप्त है, जैसा कि वह अनुच्छेद 2 जनवरी, 2011 को प्रभावी था।

(D) राज्य संघीय सरकार को ऐसी कोई योजना या छूट, या उन योजनाओं या छूटों में कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं करेगा जिसका समग्र प्रभाव 2011 के पुनर्संरक्षण विधान द्वारा अनिवार्य किए गए प्रोग्रामों या सेवा स्तरों के लिए स्थानीय एजेंसी द्वारा वहन की जाने वाली लागत को बढ़ाना हो, सिवाय उस सीमा तक जहाँ ऐसी योजनाएँ, छूट या संशोधन संघीय कानून द्वारा आवश्यक हों, या राज्य उस बढ़ी हुई लागत के लिए वार्षिक वित्तपोषण प्रदान करता हो।

(E) इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य को ऐसे किसी अधिदेश के लिए धनराशि की सहायता प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होगी जो किसी स्थानीय एजेंसी के अनुरोध पर राज्य द्वारा लगाया गया हो या संघीय कानून का अनुपालन करने के लिए लगाया गया हो। इस अनुच्छेद के तहत आवश्यक राज्य की धनराशि, उपखंड (b) और (d) में वर्णित स्रोतों, यथामूल्य संपत्ति टैक्सों, या स्थानीय राजस्व कोष के बिक्री टैक्स खाते के सामाजिक सेवा उपखाते के अलावा किसी अन्य स्रोत से होगी।

(5) (A) उपखंड (a) के अनुच्छेद (1) के उप-अनुच्छेद (C) से (E), दोनों सहित, में वर्णित और 2011 के पुनर्संरक्षण विधान में शामिल प्रोग्रामों के लिए, यदि बाद में संघीय कानूनों या विनियमों में ऐसे परिवर्तन होते हैं जो 2011 के पुनर्संरक्षण विधान में वर्णित संघीय समतुल्य धनराशि प्राप्त करने की शर्तों को बदलते हैं और जिनका समग्र प्रभाव किसी स्थानीय एजेंसी द्वारा वहन की जाने वाली लागतों को बढ़ाना होता है, तो राज्य द्वारा निर्धारित उन लागतों के गैर-संघीय हिस्से का कम से कम 50 प्रतिशत राज्य प्रत्येक वर्ष प्रदान करेगा।

(B) जब राज्य किसी संघीय न्यायिक या प्रशासनिक कार्यवाही में दायर किसी शिकायत का पक्षकार हो, जिसमें उपखंड (a) के अनुच्छेद (1) के उप-अनुच्छेद (C) से (E), दोनों सहित, में वर्णित और 2011 के पुनर्संरक्षण विधान में शामिल एक या अधिक प्रोग्राम सम्मिलित हों, और कोई समझौता या न्यायिक या प्रशासनिक आदेश मौद्रिक दंड के रूप में कोई लागत लगाता हो या जिसका समग्र प्रभाव 2011 के पुनर्संरक्षण विधान द्वारा अनिवार्य किए गए प्रोग्रामों या सेवा स्तरों के लिए स्थानीय एजेंसी द्वारा पहले से वहन की जा रही लागतों को बढ़ाना हो, तो राज्य द्वारा निर्धारित उन लागतों के गैर-संघीय हिस्से का कम से कम 50 प्रतिशत राज्य प्रत्येक वर्ष प्रदान करेगा। यदि राज्य यह निर्धारित करता है कि समझौता या आदेश एक या अधिक स्थानीय एजेंसियों द्वारा किसी अनिवार्य प्रशासनिक कर्तव्य को पूरा न करने, किसी कानूनी दायित्व को सद्भावपूर्वक पूरा न करने, या लापरवाही या असावधानीपूर्ण तरीके से कार्य करने से संबंधित है, तो राज्य द्वारा भुगतान करना आवश्यक नहीं होगा।

(C) इस अनुच्छेद में प्रदान की गई राज्य की धनराशि, उपखंड (b) और (d) में वर्णित वित्तपोषण स्रोतों, यथामूल्य संपत्ति टैक्सों, या स्थानीय राजस्व कोष के बिक्री टैक्स खाते के सामाजिक सेवा उपखाते के अलावा अन्य वित्तपोषण स्रोतों से होगी।

(6) यदि राज्य या कोई स्थानीय एजेंसी इस अनुभाग या 2011 के पुनर्संरक्षण विधान के तहत किसी कर्तव्य या दायित्व को पूरा करने में असफल रहती है, तो कोई उपयुक्त पक्ष न्यायिक राहत की मांग कर सकता है। इन कार्यवाहियों को अन्य सभी दीवानी मामलों पर प्राथमिकता दी जाएगी।

(7) काउंटी स्थानीय राजस्व कोष 2011 में जमा की गई धनराशियाँ इस प्रकार खर्च की जाएंगी कि संघीय समतुल्य धनराशि प्राप्त करने के लिए राज्य की योग्यता बनी रहे और सार्वजनिक सुरक्षा सेवाएँ प्रदान करने के संबंध में राज्य पर लागू होने वाले संघीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित हो।

(8) काउंटी स्थानीय राजस्व कोष 2011 में जमा की गई धनराशियों का उपयोग स्थानीय एजेंसियाँ सार्वजनिक सुरक्षा सेवाओं के लिए अन्य वित्तपोषण के स्थान पर नहीं करेंगी।

(d) यदि उपखंड (b) में वर्णित टैक्सों को कम कर दिया जाता है या वे प्रभावी नहीं रहते हैं, तो राज्य प्रत्येक वर्ष स्थानीय राजस्व कोष 2011 को ऐसी राशि प्रदान करेगा जो कम से कम उस कुल राशि के बराबर होगी जो अन्यथा उपखंड (b) में वर्णित टैक्सों से प्राप्त होती। उस राशि को निर्धारित करने की पद्धति 2011 के पुनर्संरक्षण विधान में वर्णित होगी, और जब तक स्थानीय एजेंसियों के लिए 2011 के पुनर्संरक्षण विधान द्वारा सौंपी गई सार्वजनिक सुरक्षा सेवाओं की ज़िम्मेदारियाँ निभाना आवश्यक रहेगा, तब तक राज्य उस राशि को प्रदान करने के लिए बाध्य होगा। यदि राज्य प्रत्येक वर्ष उस राशि का विनियोजन करने में विफल रहता है, तो नियंत्रक उस राशि को सामान्य कोष से आनुपातिक मासिक हिस्सों में स्थानीय राजस्व कोष 2011 में हस्तांतरित करेगा। इसके बाद, नियंत्रक इन राशियों को 2011 के पुनर्संरक्षण विधान में निर्धारित तरीके से स्थानीय एजेंसियों को वितरित करेगा। इस उपखंड के तहत राज्य के दायित्वों का सामान्य कोष की धनराशि पर दावा, धारा XVI के अनुभाग 8 के तहत अलग रखी जाने वाली धनराशि की प्रथम प्राथमिकता और धारा XVI के अनुभाग 1 में वर्णित मतदाताओं द्वारा अनुमोदित ऋणों और देनदारियों के भुगतान की द्वितीय प्राथमिकता से निम्न प्राथमिकता का होगा।

(e) (1) स्थानीय सार्वजनिक सुरक्षा सेवाओं को महत्वपूर्ण संरक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया में सार्वजनिक शिक्षा को नुकसान न पहुँचे, यह सुनिश्चित करने के लिए सामान्य कोष में इसके द्वारा शिक्षा संरक्षण खाता स्थापित किया जाता है, जो उपखंड (f) में निर्दिष्ट अनुसार इस अनुभाग द्वारा लगाए गए टैक्सों में वृद्धिशील बढ़ोतरी से प्राप्त राजस्व को प्राप्त और वितरित करेगा।

(2) (A) 30 जून, 2013 से पहले, और उसके बाद, 2014-से-2030 तक, दोनों सहित, प्रत्येक वर्ष 30 जून से पहले, वित्त निदेशक उपखंड (f) में की गई टैक्स दरों की वृद्धिशील बढ़ोतरी से प्राप्त होने वाले कुल अतिरिक्त राजस्व का, धनवापसियाँ घटाने के बाद, अनुमान लगाएगा, जो अगले वित्तीय वर्ष के दौरान शिक्षा संरक्षण खाते में हस्तांतरण के लिए उपलब्ध होगा। वित्त निदेशक 10 जनवरी, 2013 तक उस अतिरिक्त राजस्व का भी इसी प्रकार अनुमान लगाएगा, धनवापसियाँ घटाने के बाद, जो 2012-13 वित्तीय वर्ष के अंत तक प्राप्त होगा।

(B) 2013-14 से शुरू करते हुए, 2013-14 से-2030-31 तक, दोनों सहित, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में से प्रत्येक तिमाही के अंतिम 10 दिनों के दौरान, नियंत्रक उस वित्तीय वर्ष के लिए उप-अनुच्छेद (A) के अनुसार अनुमानित कुल राशि का एक-चौथाई शिक्षा संरक्षण खाते में हस्तांतरित करेगा, सिवाय इसके कि इस राशि को उप-अनुच्छेद (D) के अनुसार समायोजित किया जा सकता है।

(C) 2012-13 से शुरू करते हुए, 2012-13 से 2032-33 तक, दोनों सहित, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त निदेशक, जैसा कि उप-अनुच्छेद (D) में निर्दिष्ट है, निम्नलिखित राशियों को जोड़कर, जैसा भी लागू होता है, शिक्षा संरक्षण खाते के लिए समायोजन की गणना करेगा:

(i) 2012-13 से शुरू करते हुए, 2012-13 से 2030-31 तक, दोनों सहित, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में वित्त निदेशक उप-अनुच्छेद (A) के अनुसार उस वित्तीय वर्ष के लिए लगाए गए अनुमान की पुनर्गणना करेगा और इस अद्यतित अनुमान में से उस वित्तीय वर्ष के लिए पहले शिक्षा संरक्षण खाते में हस्तांतरित की गई राशियों को घटाएगा।

(ii) जून 2015 में और उसके बाद, 2016 से 2033 तक, दोनों सहित, प्रत्येक जून में, वित्त निदेशक दो वर्ष पहले समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए उपखंड (f) में की गई टैक्स दरों की वृद्धिशील बढ़ोतरी से प्राप्त अतिरिक्त राजस्व की राशि का, धनवापसी घटाने के बाद, अंतिम निर्धारण करेगा। दो वर्ष पहले समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए खंड (i) के अनुसार गणना किए गए अद्यतित अनुमान की राशि को इस अंतिम निर्धारण की राशि में से घटाया जाएगा।

(D) यदि उप-अनुच्छेद (C) के अनुसार निर्धारित कुल राशि धनात्मक है, तो नियंत्रक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले के 10 दिनों के भीतर उस कुल राशि के बराबर राशि शिक्षा संरक्षण खाते में हस्तांतरित करेगा। यदि वह राशि ऋणात्मक है, तो नियंत्रक शिक्षा संरक्षण खाते में बाद के तिमाही हस्तांतरणों, यदि कोई हों, को तब तक निलंबित या कम करेगा जब तक कुल कटौती यहाँ वर्णित ऋणात्मक राशि के बराबर न हो जाए। उप-अनुच्छेद (C) के खंड (i) के अनुसार की गई किसी भी गणना के प्रयोजनों के लिए, किसी तिमाही हस्तांतरण की राशि को इस उप-अनुच्छेद के अनुसार किए गए किसी निलंबन या कटौती को दर्शाने के लिए संशोधित नहीं किया जाएगा।

(E) 30 जून, 2018 से पहले, और 2019 से 2030 तक, दोनों सहित, प्रत्येक वर्ष 30 जून से पहले, वित्त निदेशक उपखंड (f) में की गई टैक्स दरों की वृद्धिशील बढ़ोतरी से अगले वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाले अतिरिक्त राजस्व की राशि का, धनवापसी घटाने के बाद, अनुमान लगाएगा, जिसकी अन्य सभी उपलब्ध सामान्य कोष राजस्व के साथ मिलकर निम्नलिखित को पूरा करने के लिए आवश्यकता होगी:

(i) उस अगले वित्तीय वर्ष के लिए धारा XVI के अनुभाग 8 के तहत न्यूनतम वित्तपोषण गारंटी; और

(ii) उस अगले वित्तीय वर्ष के लिए कार्यभार बजट, जिसमें खंड (i) के माध्यम से पहले ही शामिल किए गए किसी भी प्रोग्राम व्यय को शामिल नहीं किया जाएगा। इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए, “कार्यभार बजट” का वही अर्थ है जो सरकारी संहिता के अनुभाग 13308.05 में निर्धारित है, जैसा कि वह अनुभाग 1 जनवरी, 2016 को प्रभावी थी और वित्त विभाग द्वारा उसकी व्याख्या की गई थी; हालांकि, “वर्तमान में अधिकृत सेवाओं” का अर्थ केवल वे सेवाएँ होंगी जिन्हें 1 जनवरी, 2016 तक सरकारी संहिता के अनुभाग 13308.05 के तहत “वर्तमान में अधिकृत सेवाएँ” माना जाता।

(F) California के सभी स्कूली बच्चों और उनके परिवारों की नियमित, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करने की क्षमता बढ़ाने और इस प्रकार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण स्कूल से अनुपस्थिति को कम करने के लिए, जब भी वित्त निदेशक यह अनुमान लगाता है कि अगले वित्तीय वर्ष के दौरान शिक्षा संरक्षण खाते में हस्तांतरण के लिए उपलब्ध राशि,

उस अगले वित्तीय वर्ष के लिए उप-अनुच्छेद (E) के अनुसार उस खाते से आवश्यक राजस्व की राशि से अधिक है, तो निदेशक शेष राशि की पहचान करेगा। उस शेष राशि का पचास प्रतिशत, किसी एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम दो बिलियन डॉलर तक, नियंत्रक द्वारा शिक्षा संरक्षण खाते से California स्वास्थ्य देखभाल सेवा विभाग को तिमाही आधार पर आबंटित किया जाएगा, ताकि कल्याण और संस्थान संहिता के प्रभाग 9 के भाग 3 के अध्याय 7 (अनुभाग 14000 से शुरू करते हुए) से अध्याय 8.9 (अनुभाग 14700 से शुरू करते हुए), दोनों सहित, में वर्णित मौजूदा स्वास्थ्य देखभाल प्रोग्रामों और सेवाओं के लिए वित्तपोषण बढ़ाया जा सके। इस वित्तपोषण का उपयोग केवल बच्चों और उनके परिवारों के लिए महत्वपूर्ण, आपातकालीन, तीव्र और निवारक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए किया जाएगा, जो स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संहिता के अनुभाग 1250 के अनुसार लाइसेंस प्राप्त स्वास्थ्य सुविधाओं द्वारा प्रदान की जाती हैं, एवं उन स्वास्थ्य योजनाओं या अन्य संस्थाओं के लिए किया जाएगा जो Medi-Cal लाभार्थियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान का प्रबंधन करती हैं और इस अनुभाग के अनुसार स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए California स्वास्थ्य देखभाल सेवा विभाग के साथ अनुबंध करती हैं।

(G) उप-अनुच्छेद (F) में निर्धारित आबंटन को ऐसे वित्तीय वर्ष के दौरान कानून द्वारा निलंबित किया जा सकता है जिसमें बजट आपातकाल घोषित किया गया हो; हालांकि, उस वर्ष के समग्र सामान्य कोष व्ययों में की गई आनुपातिक कटौती से अधिक इस आबंटन में कटौती नहीं की जाएगी। इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए, “बजट आपातकाल” का वही अर्थ है जो धारा XVI के अनुभाग 22 के उपखंड (b) के अनुच्छेद (2) में दिया गया है।

(H) उप-अनुच्छेद (F) के अनुसार प्रदान किए गए वित्तपोषण का उपयोग उन प्रोग्रामों के लिए भुगतान के गैर-संघीय हिस्से हेतु मौजूदा राज्य सामान्य कोष की धनराशि के स्थान पर नहीं किया जाएगा और, संघीय कानून के अनुरूप, इसका उपयोग संघीय समतुल्य Medicaid धनराशि प्राप्त करने के लिए किया जाएगा।

(3) शिक्षा संरक्षण खाते में मौजूद सभी धनराशियाँ इसके द्वारा इस अनुच्छेद में निर्धारित अनुसार स्कूल ज़िलों, काउंटी शिक्षा कार्यालयों, चार्टर स्कूलों और सामुदायिक कॉलेज ज़िलों के समर्थन के लिए, एवं अनुच्छेद (2) के उप-अनुच्छेद (F) में निर्धारित अनुसार स्वास्थ्य देखभाल के लिए निरंतर विनियोजित की जाती हैं।

(A) इस अनुच्छेद के अनुसार शिक्षा के लिए विनियोजित धनराशियों का ग्यारह प्रतिशत, California सामुदायिक कॉलेजों के शासक मंडल द्वारा तिमाही आधार पर सामुदायिक कॉलेज ज़िलों को सामान्य प्रयोजन के लिए वित्तपोषण प्रदान करने हेतु आबंटित किया जाएगा, यह आबंटन शिक्षा संहिता के अनुभाग 84750.5 के अनुसार निर्धारित राशियों के अनुपात में होगा, जैसा कि वह संहिता के अनुभाग 6 नवम्बर, 2012 को प्रभावी थी। इस उप-अनुच्छेद के अनुसार गणना किए गए आबंटनों को शिक्षा संहिता के अनुभाग 84751 के उपखंड (a), (c) और (d) में निर्दिष्ट उन राशियों से समायोजित किया जाएगा, जैसा कि वह अनुभाग 6 नवम्बर, 2012 को प्रभावी थी, जो शिक्षा संहिता के अनुभाग 84750.5 के अनुसार गणना की गई राशियों से अधिक हैं, जैसा कि वह अनुभाग 6 नवम्बर, 2012 को प्रभावी थी; बशर्ते कि किसी भी सामुदायिक कॉलेज ज़िले को प्रति पूर्णकालिक समतुल्य विद्यार्थी एक सौ डॉलर (\$100) से कम प्राप्त न हो।

(B) इस अनुच्छेद के अनुसार शिक्षा के लिए विनियोजित धनराशि का नवासी प्रतिशत, सार्वजनिक शिक्षा अधीक्षक द्वारा तिमाही आधार पर स्कूल जिलों और काउंटी शिक्षा कार्यालयों को सामान्य प्रयोजन का वित्तपोषण एवं चार्टर स्कूलों को राज्य का सामान्य प्रयोजन वित्तपोषण प्रदान करने के लिए आबंटित किया जाएगा, और यह आबंटन क्रमशः काउंटी शिक्षा कार्यालयों, स्कूल जिलों और चार्टर स्कूलों के लिए शिक्षा संहिता के अनुभागों 2558 और 42238 के अनुसार गणना की गई राजस्व सीमाओं एवं शिक्षा संहिता के अनुभाग 47633 के अनुसार गणना की गई राशियों के अनुपात में होगा, जैसा कि वे अनुभाग 6 नवम्बर, 2012 को प्रभावी थीं। इस प्रकार गणना की गई राशियों को क्रमशः काउंटी शिक्षा कार्यालयों, स्कूल जिलों और चार्टर स्कूलों के लिए शिक्षा संहिता के अनुभाग 2558 के उपखंड (c), अनुभाग 42238 के उपखंड (h) के अनुच्छेद (1) से (7), और अनुभाग 47635 में निर्दिष्ट उन राशियों से समायोजित किया जाएगा, जैसा कि वे अनुभाग 6 नवम्बर, 2012 को प्रभावी थीं, जो क्रमशः काउंटी शिक्षा कार्यालयों, स्कूल जिलों और चार्टर स्कूलों के लिए शिक्षा संहिता के अनुभागों 2558, 42238 और 47633 के अनुसार गणना की गई राशियों से अधिक हैं, जैसा कि वे अनुभाग 6 नवम्बर, 2012 को प्रभावी थीं; बशर्ते कि किसी भी स्कूल जिले, काउंटी शिक्षा कार्यालय या चार्टर स्कूल को औसत दैनिक उपस्थिति की प्रति इकाई दो सौ डॉलर (\$200) से कम प्राप्त न हो।

(4) यह उपखंड स्वतः प्रभावी है और इसे प्रभावी करने के लिए किसी विधायी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। California सामुदायिक कॉलेजों के शासक मंडल और सार्वजनिक शिक्षा अधीक्षक द्वारा शिक्षा संरक्षण खाते की धनराशियों के वितरण में, धारा IV के अनुभाग 12 के अनुसार विधान मंडल और राज्यपाल द्वारा वार्षिक बजट विधेयक अधिनियमित करने में विफलता, धारा XVI के अनुभाग 8 के उपखंड (h) को लागू किए जाने, या विधान मंडल या राज्यपाल द्वारा की गई किसी अन्य कार्रवाई या कार्रवाई करने में विफलता के कारण न तो देरी की जाएगी और न ही यह वितरण किसी अन्य प्रकार से प्रभावित होगा।

(5) कानून के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद, शिक्षा के लिए शिक्षा संरक्षण खाते में जमा की गई धनराशियों का उपयोग विधान मंडल, राज्यपाल या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी द्वारा वहन की गई किसी भी लागत का भुगतान करने के लिए नहीं किया जाएगा।

(6) किसी सामुदायिक कॉलेज जिले, काउंटी शिक्षा कार्यालय, स्कूल जिले या चार्टर स्कूल को यह निर्धारित करने का एकमात्र अधिकार होगा कि शिक्षा संरक्षण खाते से प्राप्त धनराशियों को उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले स्कूल या स्कूलों में किस प्रकार खर्च किया जाए; हालांकि, संबंधित शासी बोर्ड या निकाय खर्च संबंधी ये निर्णय शासी बोर्ड या निकाय की सार्वजनिक बैठक के खुले सत्र में करेगा और शिक्षा संरक्षण खाते की किसी भी धनराशि का उपयोग प्रशासकों के वेतन या लाभों या किसी अन्य प्रशासनिक लागत के लिए नहीं करेगा। प्रत्येक सामुदायिक कॉलेज जिला, काउंटी शिक्षा कार्यालय, स्कूल जिला और चार्टर स्कूल हर वर्ष अपनी इंटरनेट वेबसाइट पर इस बात का लेखा-जोखा प्रकाशित करेगा कि शिक्षा संरक्षण खाते से कितनी धनराशि प्राप्त हुई और उस धनराशि को किस प्रकार खर्च किया गया।

(7) सामुदायिक कॉलेज जिलों, काउंटी शिक्षा कार्यालयों, स्कूल जिलों और चार्टर स्कूलों के लिए आवश्यक वार्षिक स्वतंत्र वित्तीय और अनुपालन

लेखा-परीक्षण में, कानून की अन्य सभी आवश्यकताओं के अतिरिक्त, यह निर्धारित और सत्यापित किया जाएगा कि शिक्षा संरक्षण खाते से प्रदान की गई धनराशियों का इस अनुभाग की आवश्यकताओं के अनुसार उचित रूप से वितरण और व्यय किया गया है या नहीं। इस अनुभाग की अतिरिक्त लेखा-परीक्षण आवश्यकता का अनुपालन करने के लिए उन संस्थाओं द्वारा वहन किए गए खर्चों का भुगतान शिक्षा संरक्षण खाते से प्राप्त वित्तपोषण से किया जा सकता है और इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए उन्हें प्रशासनिक लागतें नहीं माना जाएगा।

(8) इस अनुभाग के अनुसार शिक्षा संरक्षण खाते में जमा करने के लिए उपखंड (f) के अनुसार प्राप्त राजस्व को, धनवापसीयाँ घटाने के बाद, धारा XVI के अनुभाग 8 के प्रयोजनों के लिए “सामान्य कोष के राजस्व,” “टैक्सों से प्राप्त सामान्य कोष की आय,” और “स्कूल जिलों एवं सामुदायिक कॉलेज जिलों के समर्थन के लिए राज्य द्वारा उपयोग की जाने वाली धनराशियाँ” माना जाएगा।

(f) (1) (A) राजस्व और कराधान संहिता के प्रभाग 2 के भाग 1 (अनुभाग 6001 से शुरू करते हुए) द्वारा लगाए गए टैक्सों के अतिरिक्त, मूर्त व्यक्तिगत संपत्ति को खुदरा में बेचने के विशेषाधिकार के लिए, 1 जनवरी, 2013 को या उसके बाद और 1 जनवरी, 2017 से पहले इस राज्य में खुदरा में बेची गई सभी मूर्त व्यक्तिगत संपत्ति की बिक्री से किसी भी खुदरा विक्रेता की सकल प्राप्तियों पर 1/4 प्रतिशत की दर से इसके द्वारा सभी खुदरा विक्रेताओं पर कर लगाया जाता है।

(B) राजस्व और कराधान संहिता के प्रभाग 2 के भाग 1 (अनुभाग 6001 से शुरू करते हुए) द्वारा लगाए गए टैक्सों के अतिरिक्त, 1 जनवरी, 2013 को या उसके बाद और 1 जनवरी, 2017 से पहले किसी भी खुदरा विक्रेता से इस राज्य में भंडारण, उपयोग या अन्य उपभोग के लिए खरीदी गई मूर्त व्यक्तिगत संपत्ति के इस राज्य में भंडारण, उपयोग या अन्य उपभोग पर, उस संपत्ति के बिक्री मूल्य के 1/4 प्रतिशत की दर से इसके द्वारा उत्पाद शुल्क लगाया जाता है।

(C) इस अनुच्छेद के प्रभावी होने की तारीख को या उसके बाद अधिनियमित किसी भी संशोधन सहित, बिक्री और उपयोग टैक्स कानून इस अनुच्छेद के अनुसार लगाए गए टैक्सों पर लागू होगा।

(D) यह अनुच्छेद 1 जनवरी, 2017 को निष्प्रभावी हो जाएगा।

(2) 1 जनवरी, 2012 को या उसके बाद और 1-जनवरी, 2031 से पहले शुरू होने वाले किसी भी टैक्स योग्य वर्ष के लिए, राजस्व और कराधान संहिता के अनुभाग 17041 के अनुसार लगाए गए टैक्स के संबंध में, राजस्व और कराधान संहिता के अनुभाग 17041 के उपखंड (a) के अनुच्छेद (1) में निर्धारित आयकर श्रेणी और 9.3 प्रतिशत की दर को निम्नलिखित में से प्रत्येक के अनुसार संशोधित किया जाएगा:

(A) (i) टैक्स योग्य आय के उस हिस्से के लिए, जो दो मिलियन पचास हजार डॉलर (\$250,000) से अधिक लेकिन तीन मिलियन डॉलर (\$300,000) से अधिक नहीं है, टैक्स की दर दो मिलियन पचास हजार डॉलर (\$250,000) से अधिक की राशि का 10.3 प्रतिशत होगी।

(ii) टैक्स योग्य आय के उस हिस्से के लिए, जो तीन मिलियन डॉलर (\$300,000) से अधिक लेकिन पाँच मिलियन डॉलर (\$500,000) से अधिक नहीं है, टैक्स की दर तीन मिलियन डॉलर (\$300,000) से अधिक की राशि का 11.3 प्रतिशत होगी।

(iii) टैक्स योग्य आय के उस हिस्से के लिए, जो पाँच मिलियन डॉलर (\$500,000) से अधिक है, टैक्स की दर पाँच मिलियन डॉलर (\$500,000) से अधिक की राशि का 12.3 प्रतिशत होगी।

(B) उप-अनुच्छेद (A) के खंड (i), (ii) और (iii) में निर्दिष्ट आयकर श्रेणियों की पुनर्गणना, राजस्व और कराधान संहिता के अनुभाग 17041 के उपखंड (h) में अन्यथा निर्धारित अनुसार, केवल 1 जनवरी, 2013 को या उसके बाद शुरू होने वाले टैक्स योग्य वर्षों के लिए की जाएगी।

(C) (i) राजस्व और कराधान संहिता के अनुभाग 19136 के उपखंड (g) के प्रयोजनों के लिए, इस अनुच्छेद को 6 नवम्बर, 2012 को अधिनियमित माना जाएगा।

(ii) राजस्व और कराधान संहिता के प्रभाग 2 के भाग 10 (अनुभाग 17001 से शुरू करते हुए) और भाग 10.2 (अनुभाग 18401 से शुरू करते हुए) के प्रयोजनों के लिए, इस अनुच्छेद द्वारा स्थापित और लगाई गई संशोधित टैक्स श्रेणियों और टैक्स दरों को राजस्व और कराधान संहिता के अनुभाग 17041 के तहत स्थापित और लगाया गया माना जाएगा।

(D) यह अनुच्छेद 1 दिसंबर, 2031 को निष्प्रभावी हो जाएगा।

(3) 1 जनवरी, 2012 को या उसके बाद और 1 जनवरी, 2031 से पहले शुरू होने वाले किसी भी टैक्स योग्य वर्ष के लिए, राजस्व और कराधान संहिता के अनुभाग 17041 के अनुसार लगाए गए टैक्स के संबंध में, राजस्व और कराधान संहिता के अनुभाग 17041 के उपखंड (c) के अनुच्छेद (1) में निर्धारित आयकर श्रेणी और 9.3 प्रतिशत की दर को निम्नलिखित में से प्रत्येक के अनुसार संशोधित किया जाएगा:

(A) (i) टैक्स योग्य आय के उस हिस्से के लिए, जो तीन मिलियन चालीस हजार डॉलर (\$340,000) से अधिक लेकिन चार मिलियन आठ हजार डॉलर (\$408,000) से अधिक नहीं है, टैक्स की दर तीन मिलियन चालीस हजार डॉलर (\$340,000) से अधिक की राशि का 10.3 प्रतिशत होगी।

(ii) टैक्स योग्य आय के उस हिस्से के लिए, जो चार मिलियन आठ हजार डॉलर (\$408,000) से अधिक लेकिन छह मिलियन अस्सी हजार डॉलर (\$680,000) से अधिक नहीं है, टैक्स की दर चार मिलियन आठ हजार डॉलर (\$408,000) से अधिक की राशि का 11.3 प्रतिशत होगी।

(iii) टैक्स योग्य आय के उस हिस्से के लिए, जो छह मिलियन अस्सी हजार डॉलर (\$680,000) से अधिक है, टैक्स की दर छह मिलियन अस्सी हजार डॉलर (\$680,000) से अधिक की राशि का 12.3 प्रतिशत होगी।

(B) उप-अनुच्छेद (A) के खंड (i), (ii) और (iii) में निर्दिष्ट आयकर श्रेणियों की पुनर्गणना, राजस्व और कराधान संहिता के अनुभाग 17041 के उपखंड (h) में अन्यथा निर्धारित अनुसार, केवल 1 जनवरी, 2013 को या उसके बाद शुरू होने वाले टैक्स योग्य वर्षों के लिए की जाएगी।

(C) (i) राजस्व और कराधान संहिता के अनुभाग 19136 के उपखंड (g) के प्रयोजनों के लिए, इस अनुच्छेद को 6 नवम्बर, 2012 को अधिनियमित माना जाएगा।

(ii) राजस्व और कराधान संहिता के प्रभाग 2 के भाग 10 (अनुभाग 17001 से शुरू करते हुए) और भाग 10.2 (अनुभाग 18401 से शुरू करते हुए) के प्रयोजनों के लिए, इस अनुच्छेद द्वारा स्थापित और लगाई गई संशोधित टैक्स श्रेणियों और टैक्स दरों को राजस्व और कराधान संहिता के अनुभाग 17041 के तहत स्थापित और लगाया गया माना जाएगा।

(D) यह अनुच्छेद 1 दिसंबर, 2031 को निष्प्रभावी हो जाएगा।

(g) (1) नियंत्रक, अपने वैधानिक अधिकार के अनुसार, स्थानीय राजस्व कोष 2011 और किसी भी काउंटी स्थानीय राजस्व कोष 2011 से किए गए व्ययों का लेखा-परीक्षण कर सकता है और शिक्षा संरक्षण खाते का लेखा-परीक्षण करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उस धनराशि का उपयोग और लेखा-जोखा इस अनुभाग के अनुरूप किया गया है।

(2) अटॉर्नी जनरल या स्थानीय ज़िला अटॉर्नी काउंटी स्थानीय राजस्व कोष 2011 या शिक्षा संरक्षण खाते की धनराशि के किसी भी दुरुपयोग की शीघ्र जाँच करेगा और ऐसे दुरुपयोग के लिए दीवानी या आपराधिक दंड की मांग कर सकता है।

अनुभाग 5. परस्पर विरोधी विधेयक।

यदि यह विधेयक और व्यक्तिगत आय के लिए टैक्स दरों को प्रभावित करने वाला कोई अन्य विधेयक एक ही राज्यव्यापी मतपत्र पर प्रस्तुत होता है, तो अन्य विधेयक या उपायों के प्रावधानों को इस विधेयक के साथ परस्पर विरोधी माना जाएगा। यदि इस विधेयक को इसके साथ परस्पर विरोधी माने गए किसी विधेयक की तुलना में अधिक हाँ के मत प्राप्त होते हैं, तो इस विधेयक के प्रावधान पूर्ण रूप से प्रभावी होंगे और अन्य विधेयक या विधेयक अमान्य और निष्प्रभावी होंगे।

अनुभाग 6. पृथक्करणीयता।

यदि इस अधिनियम के प्रावधानों या उसके किसी भाग को किसी भी कारण से अमान्य या असंवैधानिक ठहराया जाता है, तो शेष प्रावधान इससे प्रभावित नहीं होंगे, बल्कि पूर्ण रूप से प्रभावी बने रहेंगे और इस उद्देश्य से इस अधिनियम के प्रावधान पृथक्करणीय हैं।

अनुभाग 7. प्रस्तावक का पक्षकार बनने का अधिकार।

कानून के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद, मतदाताओं द्वारा इस अधिनियम को अनुमोदित किए जाने के बाद, यदि राज्य, कोई सरकारी एजेंसी या उसका कोई अधिकारी इस अधिनियम की संवैधानिकता का बचाव करने में असफल रहता है, तो कोई अन्य सरकारी नियोक्ता, प्रस्तावक या उनकी अनुपस्थिति में इस राज्य का कोई भी नागरिक इस अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली किसी भी अदालती कार्यवाई में इसकी संवैधानिकता का बचाव करने के उद्देश्य से हस्तक्षेप करने का अधिकार रखेगा, चाहे ऐसी कार्यवाई निचली अदालत में हो, अपील पर हो, या California के सर्वोच्च न्यायालय या संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विवेकाधीन समीक्षा के अधीन हो। कार्यवाई का बचाव करने में लगने वाली फीस और लागत अटॉर्नी जनरल को विनियोजित धनराशि पर प्रभार होगी, जिसका भुगतान शीघ्र किया जाएगा।

प्रस्ताव 4

2025-2026 के नियमित सत्र के सीनेट विधेयक 42 (अध्याय 245, 2025 के विधान) द्वारा प्रस्तावित यह कानून California के संविधान की धारा II के अनुभाग 10 के अनुसार जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

यह प्रस्तावित कानून सरकारी संहिता के अनुभागों में संशोधन करता है; इसलिए, जिन प्रावधानों को हटाने का प्रस्ताव है उन्हें स्ट्राइकआउट टाइप में और जिन नए प्रावधानों को जोड़ने का प्रस्ताव है उन्हें इटैलिक टाइप में प्रिंट किया गया है, ताकि यह दर्शाया जा सके कि वे नए हैं।

3

4

प्रस्तावित कानून

अनुभाग 1. इस अधिनियम को California निष्पक्ष चुनाव अधिनियम, 2026 के नाम से जाना जाएगा और इसी नाम से इसका उल्लेख किया जा सकता है।

अनुभाग 2. विधान मंडल निम्नलिखित सभी को पाता है और इनकी घोषणा करता है:

(a) सभी नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में अपनी आवाज़ उठाने और अपने निर्वाचित अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने में सक्षम होना चाहिए।

(b) स्थानीय या राज्य के निर्वाचित पदों के लिए चुनाव निष्पक्ष, खुले और प्रतिस्पर्धी होने चाहिए।

(c) राजनीतिक अभियानों की बढ़ती हुई लागतें उम्मीदवारों को धनी दानदाताओं और विशेष हितों वाले समूहों से मिलने वाले बड़े योगदानों पर निर्भर होने के लिए मजबूर कर सकती है, जिससे उन धनी दानदाताओं और विशेष हितों वाले समूहों को सरकारी निर्णयों पर असंगत रूप से अधिक प्रभाव मिल सकता है।

(d) ऐसा असंगत प्रभाव जनता के इस विश्वास को कमजोर कर सकता है कि सार्वजनिक अधिकारी निष्पक्ष रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं और सरकार सभी नागरिकों की संपत्ति की परवाह किए बिना समान रूप से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है और उनकी इच्छाओं पर प्रतिक्रिया दे रही है।

(e) विशेष हितों वाले समूह चुनौती देने वाले उम्मीदवारों की तुलना में मौजूदा पदाधिकारियों को अधिक योगदान देते हैं, क्योंकि वे निर्वाचित अधिकारियों तक पहुँच चाहते हैं; और ऐसे योगदान पद पर होने से मिलने वाले वित्तीय लाभ का एक बड़ा हिस्सा होते हैं, जिसकी पुष्टि 2014 में जर्नल ऑफ़ पॉलिटिक्स और 2016 में पॉलिटिकल रिसर्च क्वार्टरली में प्रकाशित अध्ययनों जैसे अध्ययनों से हुई है।

(f) नागरिक-वित्तपोषित चुनाव प्रोग्राम, जिनमें योग्य उम्मीदवार केवल निजी दानदाताओं पर निर्भर रहने के बजाय मतदाताओं के साथ संवाद करने के उद्देश्य से सार्वजनिक धनराशि प्राप्त कर सकते हैं, वर्तमान में California के पाँच चार्टर शहरों के साथ-साथ कई अन्य स्थानीय और राज्य अधिकार क्षेत्रों में संचालित हैं।

(g) नागरिक-वित्तपोषित चुनाव प्रोग्राम पद पर होने से मिलने वाले वित्तीय लाभों को कम करके प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करते हैं और केवल धनी दानदाताओं या विशेष हितों वाले समूहों से संबंध रखने वाले लोगों को ही नहीं, बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों के नागरिकों के लिए पद के लिए चुनाव लड़ना संभव बनाते हैं, इसकी पुष्टि 2008 में स्टेट पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी क्वार्टरली में प्रकाशित अध्ययनों एवं 2015 में कैपेन फाइनेंस इंस्टीट्यूट, 2016 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन मनी इन स्टेट पॉलिटिक्स और 2022 में स्टेट पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी क्वार्टरली द्वारा प्रकाशित अध्ययनों से हुई है।

(h) धनी दानदाताओं और विशेष हितों वाले समूहों पर निर्भरता कम करके, नागरिक-वित्तपोषित चुनाव प्रोग्राम अनुचित प्रथाओं को रोकते हैं, भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचार की धारणा से सुरक्षा प्रदान करते हैं और हमारी सरकारी संस्थाओं की राजनीतिक अखंडता की रक्षा करते हैं।

(i) Johnson v. Bradley (1992) 4 Cal.4th 389 में, California के सर्वोच्च न्यायालय ने अपीलीय न्यायालय की इस टिप्पणी को प्रमुखता से उद्धृत किया कि “यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सार्वजनिक धनराशि सार्वजनिक पद चाहने वालों पर धन जुटाने के दबाव को बढ़ाने के बजाय कम करती है और इस प्रकार विशेष हितों वाले समूहों के अनुचित प्रभाव को कम करती है।”

(j) Buckley v. Valeo (1976) 424 U.S. 1 में, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि “बड़े निजी योगदानों के अनुचित प्रभाव को समाप्त करने के साधन के रूप में सार्वजनिक वित्तपोषण एक महत्वपूर्ण सरकारी हित को आगे बढ़ाता है।”

(k) Arizona Free Enterprise v. Bennett (2011) 564 U.S. 721 में, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने Buckley v. Valeo को उद्धृत करते हुए स्वीकार किया कि चुनावों का सार्वजनिक वित्तपोषण “भ्रष्टाचार को रोकने में राज्य के हित जैसे ‘महत्वपूर्ण सरकारी हितों’ को आगे बढ़ा सकता है।”

(l) Buckley v. Valeo में, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि नागरिक-वित्तपोषित चुनाव प्रोग्राम “चुनावी प्रक्रिया में सार्वजनिक चर्चा और भागीदारी को सुगम और व्यापक बनाते हैं, जो स्वशासी जनता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं।”

(m) चुनाव अभियानों के सार्वजनिक वित्तपोषण पर पूर्ण प्रतिबंध विशेष हितों वाले समूहों को असंगत रूप से अधिक प्रभाव प्राप्त करने की अनुमति देता है और मौजूदा पदाधिकारियों को अनुचित लाभ पहुँचाता है। नागरिक-वित्तपोषित चुनाव प्रोग्रामों की अनुमति देने के लिए एक अपवाद बनाया जाना चाहिए, ताकि चुनाव अधिक निष्पक्ष रूप से आयोजित किए जा सकें।

अनुभाग 3. सरकारी संहिता के अनुभाग 85300 को इस तरह पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

85300. (a) उपखंड (b) में दिए गए प्रावधान को छोड़कर, कोई कोई सार्वजनिक अधिकारी सार्वजनिक धनराशि/निधि/धनराशि खर्च नहीं करेगा और कोई उम्मीदवार निर्वाचित पद प्राप्त करने के उद्देश्य से सार्वजनिक धनराशि स्वीकार नहीं करेगा, यदि वह धनराशि किसी राज्य या स्थानीय संस्था द्वारा शिक्षा, परिवहन या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए निर्धारित की गई हो।

(b) कोई सार्वजनिक अधिकारी या उम्मीदवार निर्वाचित पद प्राप्त करने के उद्देश्य से सार्वजनिक धनराशि खर्च या स्वीकार कर सकता है, यदि राज्य या कोई स्थानीय सरकारी संस्था कानून, अध्यादेश, प्रस्ताव या चार्टर द्वारा इस उद्देश्य के लिए एक समर्पित कोष स्थापित करती है और निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं:

(1) कोष में रखी सार्वजनिक धनराशि उसी पद के लिए सभी योग्य और स्वेच्छा से भाग लेने वाले उम्मीदवारों को उपलब्ध हो; चाहे वे मौजूदा पदाधिकारी हों या नहीं और उनकी राजनीतिक दल संबंधी प्राथमिकता कुछ भी हो।

(2) राज्य या स्थानीय सरकारी संस्था ने कानून, अध्यादेश, प्रस्ताव या चार्टर द्वारा उम्मीदवार की योग्यता निर्धारित करने के लिए मानदंड स्थापित किए हों।

(b) उम्मीदवार सार्वजनिक धनराशि प्राप्त करने के लिए योग्य होने हेतु व्यय सीमाओं का पालन करेंगे और सख्त मानदंडों को पूरा करेंगे।

(c) सार्वजनिक धनराशियों का उपयोग कानूनी बचाव की फीस या जुर्माने का भुगतान करने के लिए नहीं किया जाएगा।

(d) (1) कोई उम्मीदवार किसी भी समय अपने चुनाव अभियान को दिए गए व्यक्तिगत ऋण की अदायगी के लिए सार्वजनिक धनराशि का उपयोग नहीं करेगा।

(2) जिस उम्मीदवार को अपने चुनाव अभियान के लिए सार्वजनिक धनराशि प्राप्त होती है, वह अपना चुनाव अभियान समाप्त होने के बाद अपने अभियान को दिए गए व्यक्तिगत ऋण की अदायगी के लिए किसी भी स्रोत की धनराशि का उपयोग नहीं करेगा।

(e) इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित परिभाषाएँ लागू होती हैं:

(1) “उपलब्ध उम्मीदवार धनराशियाँ” का अर्थ उम्मीदवार की व्यय सीमा या उस निर्वाचित पद के लिए उम्मीदवार की नियंत्रित समिति द्वारा प्राप्त सभी योगदानों और सार्वजनिक धनराशियों का कुल योग, इनमें से जो भी कम हो, है।

(2) “व्यय सीमाएँ” का अर्थ कानून, अध्यादेश या चार्टर द्वारा स्थापित स्वीच्छिक खर्च सीमाएँ हैं, जिनका पालन योग्य और स्वेच्छा से भाग लेने वाले उम्मीदवारों को सार्वजनिक धनराशियाँ प्राप्त करने के लिए करना आवश्यक है।

(3) “विरोध में स्वतंत्र व्यय” का अर्थ किसी विशिष्ट उम्मीदवार के विरोध में स्वतंत्र व्यय करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किए गए सभी व्ययों या वहन किए गए खर्चों का कुल योग है।

(4) “समर्थन में स्वतंत्र व्यय” का अर्थ किसी विशिष्ट उम्मीदवार के समर्थन में स्वतंत्र व्यय करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किए गए सभी व्ययों या वहन किए गए खर्चों का कुल योग है।

(5) “शुद्ध समर्थक धनराशियाँ” का अर्थ उपलब्ध उम्मीदवार धनराशि में उस उम्मीदवार के समर्थन में किए गए स्वतंत्र व्यय को जोड़कर और उस उम्मीदवार के विरोध में किए गए स्वतंत्र व्यय को घटाने के बाद प्राप्त कुल राशि है।

(6) “सार्वजनिक धनराशियाँ” का अर्थ निर्वाचित पद प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी उम्मीदवार को राज्य या स्थानीय सरकारी संस्था द्वारा प्रदान की गई कोई भी धनराशि है।

(7) (A) “सख्त मापदंड” का अर्थ कानून, अध्यादेश या चार्टर द्वारा निर्धारित उन आवश्यकताओं से है, जिसे सार्वजनिक निधियाँ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को पूरा करना आवश्यक है। इन मानदंडों के तहत उम्मीदवारों को अपने जिले में व्यापक समर्थन प्रदर्शित करना आवश्यक होगा, जैसे कि उम्मीदवारों से मतदान-आयु वाले निवासियों की एक निर्दिष्ट संख्या से छोटी राशि के योगदान या वाउचर प्राप्त करने की अपेक्षा करना।

(B) (i) यदि कोई कानून, अध्यादेश या चार्टर उप-अनुच्छेद (A) के अनुसार छोटी राशि के योगदान करने वाले व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या की आवश्यकता निर्धारित करता है, तो किसी योगदानकर्ता को गिनती में शामिल करने के लिए कानून, अध्यादेश या चार्टर द्वारा आवश्यक किया जा सकने वाला अधिकतम योगदान दस डॉलर (\$10) होगा।

(ii) इस उप-अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, कोई कानून, अध्यादेश या चार्टर उप-अनुच्छेद (A) के अनुसार आवश्यक छोटी राशि के योगदान से अधिक राशि के योगदान को, उप-अनुच्छेद (A) के अनुसार आवश्यक छोटी राशि के योगदान के बराबर योगदान के रूप में गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

(C) “सख्त मानदंड” में ऐसी आवश्यकताएँ शामिल नहीं होंगी जिनके तहत उम्मीदवारों को एक निर्दिष्ट संख्या में हस्ताक्षर प्राप्त करने हों या प्रति योगदानकर्ता दस डॉलर (\$10) से अधिक की निर्दिष्ट कुल डॉलर राशि जुटानी हो।

(f) (1) कोई कानून, अध्यादेश या चार्टर प्रत्येक योग्य और स्वेच्छा से भाग लेने वाले उम्मीदवार के लिए व्यय सीमा बढ़ा सकता है।

(2) इस उपखंड के अनुसार बढ़ाई गई सीमा, उसी पद के लिए किसी अन्य उम्मीदवार की शुद्ध समर्थक धनराशि की सर्वाधिक डॉलर राशि, उसमें योग्य और स्वेच्छा से भाग लेने वाले उम्मीदवार के विरोध में किए गए स्वतंत्र व्यय की डॉलर राशि जोड़कर, और उस उम्मीदवार के समर्थन में किए गए स्वतंत्र व्यय की डॉलर राशि घटाकर प्राप्त राशि से अधिक नहीं होगी।

(g) सार्वजनिक वित्तपोषण से संबंधित कानून, चार्टर, अध्यादेश और प्रस्ताव राजनीतिक दल के आधार पर, या इस आधार पर कि कोई उम्मीदवार चुनौती देने वाला उम्मीदवार है या मौजूदा पदाधिकारी, भेदभाव नहीं करेंगे।

(h) किसी स्थानीय सरकारी एजेंसी द्वारा स्थापित उम्मीदवारों के सार्वजनिक वित्तपोषण की प्रणाली के प्रशासन या प्रवर्तन के लिए आयोग ज़िम्मेदार नहीं है।

(i) इस अनुभाग के उपखंड (e), (f) और (h) को अनुभाग 81012 के उपखंड (a) के अनुसार कानून द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इस अनुभाग के शेष उपखंडों को केवल ऐसे कानून द्वारा संशोधित किया जा सकता है जो अनुभाग 81012 के उपखंड (b) का अनुपालन करता हो।

अनुभाग 4.1. सरकारी संहिता के अनुभाग 85320 को इस तरह पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

85320. (a) कोई विदेशी सरकार, विदेशी प्रधान या विदेशी नागरिक, प्रत्यक्ष रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से, किसी राज्य या स्थानीय मतपत्र विधेयक को मतपत्र के लिए योग्य बनाने, उसका समर्थन करने या उसका विरोध करने के संबंध में, या राज्य या स्थानीय पद के लिए किसी उम्मीदवार के चुनाव के संबंध में कोई योगदान, व्यय या स्वतंत्र व्यय नहीं करेगा।

(b) कोई व्यक्ति या समिति किसी राज्य या स्थानीय मतपत्र विधेयक को मतपत्र के लिए योग्य बनाने, उसका समर्थन करने या उसका विरोध करने के संबंध में, या राज्य या स्थानीय पद के लिए किसी उम्मीदवार के चुनाव के संबंध में किसी विदेशी सरकार, विदेशी प्रधान या विदेशी नागरिक से योगदान की मांग या उसे स्वीकार नहीं करेगी।

(c) इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित शब्दों के निम्नलिखित अर्थ होंगे:

(1) (A) “विदेशी नागरिक” का अर्थ ऐसा व्यक्ति है जो संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक नहीं है और जिसे वैध रूप से स्थायी निवासी के रूप में प्रवेश नहीं दिया गया है।

(B) “विदेशी नागरिक” में ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं है जिसे संघीय बचपन में आने वालों के लिए आस्थगित कार्रवाई (DACA) प्रोग्राम के तहत स्थगित कार्रवाई प्रदान की गई है और जिसकी स्थगित कार्रवाई की अवधि समाप्त नहीं हुई है, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों में वर्णित है।

(2) “विदेशी प्रधान” में निम्नलिखित में से कोई भी शामिल है:

(A) एक विदेशी राजनीतिक दल।

(B) संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर का कोई व्यक्ति, जब तक कि निम्नलिखित में से कोई एक बात स्थापित न हो:

(i) वह व्यक्ति एक व्यक्ति विशेष है और संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक है।

(ii) वह व्यक्ति कोई व्यक्ति विशेष नहीं है और संयुक्त राज्य अमेरिका या किसी राज्य या संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार क्षेत्र के अधीन किसी अन्य स्थान के कानूनों के तहत संगठित या निर्मित है एवं उसका प्रमुख व्यवसाय स्थल संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर है।

(C) कोई साझेदारी, संघ, निगम, संगठन या व्यक्तियों का अन्य समूह, जो किसी विदेशी देश के कानूनों के तहत संगठित हो या जिसका प्रमुख व्यवसाय स्थल किसी विदेशी देश में हो।

(D) किसी विदेशी निगम की घरेलू सहायक कंपनी, यदि धनराशि का योगदान करने या खर्च करने का निर्णय विदेशी निगम के ऐसे अधिकारी, निदेशक या प्रबंधन कर्मचारी द्वारा लिया जाता है जो न तो संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक है और न ही संयुक्त राज्य अमेरिका में कानूनी रूप से प्रवेश प्राप्त स्थायी निवासी है।

(d) यह अनुभाग कानूनी रूप से प्रवेश प्राप्त स्थायी निवासी द्वारा किए गए किसी योगदान, व्यय या स्वतंत्र व्यय को प्रतिबंधित नहीं करेगी।

(e) (1) इस अनुभाग का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति दुष्कर्म का दोषी होगा और उस पर योगदान या खर्च की गई राशि के बराबर जुर्माना लगाया जाएगा। दुष्कर्म का दोषी होगा।

(2) अन्य दंडों के अतिरिक्त, इस अनुभाग का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर कम से कम योगदान या खर्च की गई राशि के बराबर, लेकिन योगदान या खर्च की गई राशि के तीन गुने से अधिक नहीं, जुर्माना लगाया जाएगा।

4

5

37

प्रस्ताव 5

2023-2024 के नियमित सत्र के सीनेट संवैधानिक संशोधन 1 (संकल्प अध्याय 204, 2024 के कानून) द्वारा प्रस्तावित यह संशोधन California के संविधान के अनुभागों में संशोधन करके उसमें स्पष्ट रूप से संशोधन करता है; इसलिए हटाए जाने के लिए प्रस्तावित मौजूदा प्रावधानों को स्ट्राइकआउट टाइप में और जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित नए प्रावधानों को इटैलिक टाइप में प्रिंट किया गया है, ताकि यह दर्शाया जा सके कि वे नए हैं।

धारा II और V में प्रस्तावित संशोधन

पहला—इसकी धारा II के अनुभाग 15 को इस तरह पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

अनुभाग 15. (a) किसी अधिकारी को पद से रिक्त होने के संबंध में निर्णय लेने और, यदि उपयुक्त हो, उसका उत्तराधिकारी चुनने के लिए चुनाव, पर्याप्त हस्ताक्षरों के प्रमाणीकरण की तारीख से कम से कम 60 दिन और अधिकतम 80 दिन के भीतर राज्यपाल द्वारा बुलाया और आयोजित किया जाएगा।

(b) पर्याप्त हस्ताक्षरों के प्रमाणित होने की तारीख से 180 दिनों के भीतर रिक्त चुनाव आयोजित किया जा सकता है, ताकि उस चुनाव को उसी अधिकार क्षेत्र में पूर्णतः या आंशिक रूप से होने वाले अगले नियमित रूप से निर्धारित चुनाव के साथ जोड़ा जा सके, बशर्ते कि उस अगले नियमित रूप से निर्धारित चुनाव में मतदान करने के योग्य मतदाताओं की संख्या, रिक्त होने वाले चुनाव में मतदान करने के योग्य सभी मतदाताओं की संख्या के कम से कम 50 प्रतिशत के बराबर हो।

(c) यदि रिक्त होने वाले पद पर बहुमत का मत रिक्त होने के पक्ष में है, तो अधिकारी को पद से हटा दिया जाएगा, और यदि कोई उम्मीदवार है, तो सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार उसका उत्तराधिकारी होगा। अधिकारी उम्मीदवार नहीं हो सकता, और धारा VI के अनुभाग 16 के उपखंड (d) के अनुसार भरे जाने वाले किसी पद के लिए कोई उम्मीदवारी नहीं होगी, एवं वह पद खाली रहेगा। खाली पद को इस संविधान और कानून के अनुसार भरा जाएगा, बशर्ते कि जो अधिकारी रिक्त होने वाले चुनाव का विषय था, उसे उस पद के खाली स्थान को भरने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा।

दूसरा—धारा II के उस अनुभाग 17 को इस तरह पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

अनुभाग 17. यदि राज्यपाल या राज्य सचिव को रिक्त होने की प्रक्रिया शुरू की जाती है, तो उस पद से संबंधित रिक्त होने के कर्तव्यों का निर्वहन क्रमशः उप-राज्यपाल राज्य सचिव या नियंत्रक द्वारा किया जाएगा। यदि राज्यपाल और राज्य सचिव दोनों को रिक्त होने की प्रक्रियाएँ एक ही समय पर शुरू की जाती हैं, तो दोनों पदों से संबंधित रिक्त होने के कर्तव्यों का निर्वहन नियंत्रक द्वारा किया जाएगा।

तीसरा—धारा V के उस अनुभाग 10 को इस तरह पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

अनुभाग 10. (a) राज्यपाल का पद खाली होने पर उप-राज्यपाल ही राज्यपाल बन जाएगा।

(b) धारा II के अनुभाग 15 के उपखंड (c) के बावजूद, यदि राज्यपाल को रिक्त करके पद से हटा दिया जाता है, तो उप-राज्यपाल शेष कार्यकाल के लिए राज्यपाल बन जाएगा। यदि राज्यपाल के कार्यकाल के पहले दो वर्षों के दौरान अगले राज्यव्यापी चुनाव के लिए नामांकन अवधि समाप्त होने से पहले राज्यपाल को रिक्त करके पद से हटा दिया जाता है, तो राज्यपाल के स्थान पर किसी अन्य को चुनने के लिए एक विशेष चुनाव बुलाया जाएगा और उसे राज्यव्यापी प्राथमिक चुनाव के साथ एवं, यदि आवश्यक हो, उसके बाद होने वाले राज्यव्यापी आम चुनाव के साथ आयोजित किया जाएगा। यदि राज्यव्यापी प्राथमिक चुनाव के साथ आयोजित विशेष चुनाव में किसी उम्मीदवार को बहुमत के मत प्राप्त होते हैं, तो वह उम्मीदवार शेष कार्यकाल के लिए राज्यपाल बन जाएगा। यदि किसी भी उम्मीदवार को बहुमत के मत प्राप्त नहीं होते हैं, तो सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले दो उम्मीदवार उसके बाद होने वाले राज्यव्यापी आम चुनाव के साथ आयोजित विशेष चुनाव में प्रतिस्पर्धा करेंगे, और उस चुनाव का विजेता शेष कार्यकाल के लिए राज्यपाल बन जाएगा।

(c) राज्यपाल पर महाभियोग की कार्यवाही के दौरान, राज्यपाल के राज्य से अनुपस्थित रहने के दौरान, या राज्यपाल या पद ग्रहण करने में विफल रहने वाले निर्वाचित राज्यपाल की किसी अन्य अस्थायी अक्षमता के दौरान, उप-राज्यपाल कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य करेगा।

(d) विधान मंडल राज्यपाल के पद के उत्तराधिकार और राज्यपाल के कार्यों के अस्थायी निर्वहन के लिए उप-राज्यपाल के बाद की वरीयता का क्रम निर्धारित करेगा।

(e) इस अनुभाग के तहत उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्नों का निर्धारण करने का अनन्य अधिकार क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय के पास होगा।

(f) पद खाली होने या अस्थायी अक्षमता से संबंधित प्रश्न उठाने का अधिकार विशेष रूप से कानून द्वारा निर्धारित निकाय में निहित होगा।

प्रस्ताव 37

यह पहल विधेयक California के संविधान की धारा II के अनुभाग 8 के प्रावधानों के अनुसार जनता के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

यह पहल विधेयक स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता में अनुभाग जोड़ता है; इसलिए जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित नए प्रावधानों को इटैलिक टाइप में प्रिंट किया गया है, ताकि यह दर्शाया जा सके कि वे नए हैं।

प्रस्तावित कानून

अनुभाग 1. शीर्षक।

इस विधेयक को “California मध्यम-वर्गीय गृहस्वामित्व और पारिवारिक आवास निर्माण अधिनियम, 2026” के नाम से जाना जाएगा।

अनुभाग 2. स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता के प्रभाग 31 के भाग 3 में अध्याय 11.5 (अनुभाग 51515 से शुरू करते हुए) को इस तरह पढ़े जाने के लिए जोड़ा जाता है:

अध्याय 11.5. CALIFORNIA मध्यम-वर्गीय गृहस्वामित्व और पारिवारिक आवास निर्माण अधिनियम, 2026

51515. (a) California आवास वित्त एजेंसी, मध्यम-वर्गीय गृहस्वामित्व और पारिवारिक आवास निर्माण अधिनियम, 2026 का प्रशासन और कार्यान्वयन निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए करेगी:

(1) नवनिर्मित एकल-परिवार वाले आवास की खरीद के लिए गृह वित्तपोषण को अधिक किरायाती बनाने हेतु मध्यम-वर्गीय परिवारों के लिए घर खरीदने हेतु ऋण स्थापित करना, जिसमें करदाताओं पर कोई लागत न आए।

(2) मध्यम-वर्गीय परिवारों के लिए घर के स्वामित्व के अवसर पैदा करने और California में एकल-परिवार वाले आवास की कमी को दूर करने के लिए नए एकल-परिवार आवासों के निर्माण में तेजी लाना और उसे प्रोत्साहित करना।

(3) उपभोक्ताओं को अनुचित ऋण प्रथाओं से सुरक्षित रखना।

(4) बाजार से कम ब्याज दर वाले मध्यम-वर्गीय वाले गृह ऋणों को समर्थन देने के लिए कम ब्याज वाले बॉन्ड्स की खरीद को बढ़ावा देकर सामाजिक प्रभाव निवेश के अवसर प्रदान करना, ताकि California में घर के स्वामित्व के लक्ष्य को आगे बढ़ाया जा सके; साथ ही ऐसे ऋण और सामुदायिक निवेश को प्रोत्साहित करना जो सामुदायिक पुनर्निवेश अधिनियम के तहत क्रेडिट के लिए योग्य हों।

(b) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए:

(1) “अधिनियम” का अर्थ California मध्यम-वर्गीय गृहस्वामित्व और पारिवारिक आवास निर्माण अधिनियम, 2026 है।

(2) “एजेंसी” का अर्थ California आवास वित्त एजेंसी है।

(3) “आवेदक” का अर्थ ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति हैं जो मध्यम-वर्गीय परिवारों के लिए घर खरीदने हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन करते हैं।

(4) “बॉन्ड” का अर्थ राजस्व बॉन्ड, नोट्स—जिनमें बॉन्ड प्रत्याशा नोट्स और निर्माण ऋण नोट्स शामिल हैं—डिबेंचर, अंतरिम या अन्य प्रमाणपत्र, या वित्तीय ऋणग्रस्तता का कोई अन्य प्रमाण है, जिसे एजेंसी द्वारा अनुभाग 51515.06 के अनुसार जारी किया गया हो।

(5) “उधारकर्ता” का अर्थ ऐसा आवेदक है जो अनुभाग 51515.01 के उपखंड (a) में निर्धारित आवश्यकताओं और एजेंसी द्वारा निर्धारित किसी अन्य योग्यता आवश्यकता को पूरा करता है एवं जिसने मध्यम-वर्गीय परिवारों के लिए घर खरीदने हेतु ऋण प्राप्त किया है।

(6) “बिल्डर” का अर्थ ऐसा आवास डेवलपर है जो अनुभाग 51515.02 में स्थापित योग्य बिल्डर विकल्प में भाग लेता है।

(7) “ऋणदाता” का अर्थ कोई बैंक, क्रेडिट यूनियन, ट्रस्ट कंपनी, बचत बैंक, राष्ट्रीय बैंकिंग संघ, बचत और ऋण संघ, भवन और ऋण संघ, गृह ऋण बैंकर, या अन्य वित्तीय संस्था या सरकारी एजेंसी है, जो प्रायः गृह ऋणों के वित्तपोषण के लिए सेवाएँ प्रदान करती है या अन्यथा उसमें सहायता करती है, या उपर्युक्त में से किसी की होल्डिंग कंपनी है, जो अनुभाग

51515.03 में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करती है और जिसके साथ एजेंसी ने इस अध्याय द्वारा अधिकृत मध्यम-वर्गीय परिवारों के लिए घर खरीदने हेतु ऋणों की शुरुआत या उनकी सेवा के लिए अनुबंध किया है।

(8) “मध्यम-वर्गीय परिवारों के लिए घर खरीदने हेतु ऋण” का अर्थ इस अध्याय के अनुसार आरंभ किया गया ऋण है।

(9) “विकल्प” का अर्थ अनुभाग 51515.02 में स्थापित, नए एकल-परिवार वाले आवास निर्माण को प्रोत्साहित करने वाला योग्य बिल्डर विकल्प है।

(10) “प्रोग्राम” का अर्थ मध्यम-वर्गीय परिवारों के लिए घर खरीदने हेतु ऋण प्रोग्राम है।

(11) “योग्य नया घर” का अर्थ ऐसा एकल-परिवार वाला आवास है जो अनुभाग 51515.01 के उपखंड (b) में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करता है, जिसमें अनुभाग 51515.02 में स्थापित योग्य बिल्डर विकल्प के तहत बनाए गए घर शामिल हैं, लेकिन यह केवल उन्हीं तक सीमित नहीं है।

(12) “द्वितीयक बंधक” का अर्थ योग्य नए घर पर ऐसा गृह ऋण, ट्रस्ट विलेख या अन्य प्रतिभूति साधन है, जो मध्यम-वर्गीय परिवारों के लिए घर खरीदने हेतु ऋण को सुरक्षित करता है।

(13) “एकल-परिवार वाले आवास” का अर्थ एक स्वतंत्र घर, टाउनहोम या रो हाउस है, जिसमें वह ज़मीन भी शामिल है जिस पर वह स्थित है, या कोई कॉन्डोमिनियम, निर्मित घर या अन्य आवासीय यूनिट, जिसे एक परिवार के निवास के लिए बनाया गया हो।

51515.01. उधारकर्ता और योग्य नए घर के लिए पात्रता

(a) मध्यम-वर्गीय घर खरीदार उधारकर्ता के लिए पात्रता।

(1) प्रोग्राम के तहत मध्यम-वर्गीय परिवारों के लिए घर खरीदने हेतु ऋण के लिए योग्य होने हेतु आवेदक को निम्नलिखित सभी योग्यता आवश्यकताओं को पूरा करना होगा:

(A) California निवासी होने की आवश्यकता। आवेदन के समय से पहले कम से कम एक वर्ष तक आवेदक California राज्य का निवासी रहा हो।

(B) मालिक द्वारा निवास किया जाने वाला मुख्य आवास। आवेदक इस बात से सहमत होगा कि समापन के 60 दिनों के भीतर वह योग्य नए घर को अपने मुख्य निवास के रूप में उपयोग करेगा।

(C) आय संबंधी आवश्यकताएँ। आवेदक की पारिवारिक आय उस काउंटी या महानगरीय सांख्यिकीय क्षेत्र में, जहाँ योग्य नया घर स्थित है, समान आकार के परिवार की क्षेत्रीय मध्य आय के 200 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसे एजेंसी द्वारा परिवार के आकार के अनुसार समायोजित किया जाएगा।

(D) डाउन पेमेंट की आवश्यकता। आवेदक इस बात से सहमत होगा कि वह योग्य नए घर के खरीद मूल्य का कम से कम 3 प्रतिशत ऐसी राशि से चुकाएगा जो अनुदान या उधार लिए गए धन से प्राप्त न हो।

(2) आवेदक एजेंसी को, एजेंसी द्वारा निर्धारित प्रारूप में, ऐसी कोई भी जानकारी प्रदान करेगा जिससे एजेंसी इस अध्याय के तहत आवेदक की पात्रता निर्धारित कर सके।

(b) योग्य नए घर के लिए पात्रता।

(1) योग्य नया घर निम्नलिखित में से कोई एक होगा:

(A) नया निर्मित घर, टाउनहोम, रो हाउस, कॉन्डोमिनियम या निर्मित घर, जिसमें उधारकर्ता पहला खरीदार हो।

(B) किसी ऐसे भवन में कॉन्डोमिनियम या अन्य आवासीय यूनिट, जो पहले गैर-आवासीय संरचना थी और जिसे आवासीय उपयोग के लिए पुनर्निर्मित या नए उद्देश्य के लिए अनुकूलित किया गया हो, एवं जिसमें उधारकर्ता पहला खरीदार हो।

(2) योग्य नए घर का अधिकतम बिक्री मूल्य उस काउंटी में एक-यूनिट वाली संपत्ति के लिए अनुरूप ऋण सीमा के 125 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, जहाँ योग्य नया घर स्थित है, जैसा कि संयुक्त राज्य संहिता के शीर्षक 12 के अनुभाग 4542 के अनुसार संघीय आवास वित्त एजेंसी या उसकी उत्तराधिकारी एजेंसी द्वारा प्रकाशित वार्षिक अनुरूप ऋण सीमा रिपोर्ट में निर्धारित किया गया है।

(3) इस अनुभाग का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि योग्य नए घरों की बिक्री उन घर खरीदारों को प्रतिबंधित है जो प्रोग्राम में भाग नहीं ले रहे हैं।

(4) श्रम संहिता के प्रभाग 2 के भाग 7 के अध्याय 1 (अनुभाग 1720 से शुरू करते हुए) के प्रयोजनों के लिए योग्य नए घर को “सार्वजनिक निर्माण कार्य” नहीं माना जाएगा।

51515.02. योग्य बिल्डर विकल्प

(a) कोई आवास डेवलपर एजेंसी को यह प्रमाणित करके स्वेच्छा से इस विकल्प को चुन सकता है कि नए घर या घरों का निर्माण अनुभाग 51515.01 के उपखंड (b) में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इस उपखंड के अनुसार प्रस्तुत प्रमाणन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर एजेंसी भागीदारी की स्थिति की पुष्टि करने वाला एक पत्र जारी करेगी। इस अध्याय की आवश्यकताओं के अधीन, किसी भी योग्य नए घर के विपणन और वित्तपोषण के प्रयोजनों के लिए बिल्डर, संभावित खरीदार और निर्माण ऋणदाता इस पत्र पर भरोसा कर सकते हैं।

(b) भाग लेने वाले बिल्डर निम्नलिखित करेंगे:

(1) सार्वजनिक संसाधन संहिता के अनुभाग 21080.66 के उपखंड (d) के अनुच्छेद (2), अनुच्छेद (3), यदि उस अनुच्छेद में निर्दिष्ट परियोजना और निर्माण व्यवसाय संबंधी शर्तें पूरी होती हैं, और अनुच्छेद (4) एवं (5) में दिए गए श्रम और प्रवर्तन संबंधी प्रावधानों के अधीन होंगे।

(2) बिल्डर के ठेकेदारों और उप-ठेकेदारों द्वारा उपखंड (c) के अनुच्छेद (1) के किए गए सभी उल्लंघनों के लिए उत्तरदायी होंगे। संघीय श्रम-प्रबंधन सहयोग अधिनियम, 1978 (29 U.S.C. अनुभाग 175a) के अनुसार स्थापित संयुक्त श्रम-प्रबंधन सहयोग समिति इस अनुच्छेद के उल्लंघन के लिए सक्षम अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय में कार्रवाई कर सकती है।

(c) संघीय श्रम-प्रबंधन सहयोग अधिनियम, 1978 (29 U.S.C. अनुभाग 175a) के अनुसार स्थापित संयुक्त श्रम-प्रबंधन सहयोग समिति, किसी भी स्तर पर बिल्डर के ठेकेदार या उप-ठेकेदार द्वारा नियोजित निर्माण श्रमिकों की ओर से, निम्नलिखित में से किसी को लागू कराने के लिए उस ठेकेदार या उप-ठेकेदार के विरुद्ध सक्षम अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय में कार्रवाई कर सकती है:

(1) बेरोज़गारी बीमा संहिता के प्रभाग 1 (अनुभाग 100 से शुरू करते हुए) और प्रभाग 6 (अनुभाग 13000 से शुरू करते हुए) के तहत नियोक्ता के दायित्व।

(2) श्रम संहिता के प्रभाग 4 के भाग 1 के अध्याय 4 (अनुभाग 3700 से शुरू करते हुए) के अनुसार आवश्यक श्रमिक क्षतिपूर्ति बीमा के भुगतान को सुनिश्चित करने में विफलता।

(3) व्यवसाय और व्यवसायिक संहिता के प्रभाग 3 के अध्याय 9 (अनुभाग 7000 से शुरू करते हुए) के अनुसार आवश्यक वैध राज्य ठेकेदार लाइसेंस बनाए रखने में विफलता।

(d) इस अनुभाग के तहत श्रम कानून के उल्लंघनों के लिए उपचार और दंड का निर्धारण एवं वितरण श्रम संहिता के अनुभाग 2699 के उपखंड (m) के अनुसार किया जाएगा।

(e) इस अनुभाग का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि इस विकल्प के तहत बनाए गए योग्य नए घर की खरीद उन घर खरीदारों के लिए प्रतिबंधित है जो प्रोग्राम में भाग नहीं ले रहे हैं।

(f) यदि कोई बिल्डर इस अनुभाग के अनुसार बनाए गए योग्य नए घर को अनुभाग 51515.01 के उपखंड (b) के अनुच्छेद (2) में निर्धारित अधिकतम बिक्री मूल्य से 25 प्रतिशत से अधिक कीमत पर बेचता है, तो अनुभाग 51515.04 के उपखंड (e) के अनुच्छेद (1) का उप-अनुच्छेद (B) और अनुच्छेद (2) उस घर पर लागू नहीं होंगे।

51515.03. ऋणदाता की योग्यता

(a) एजेंसी इस अध्याय द्वारा अधिकृत मध्यम-वर्गीय परिवारों के लिए घर खरीदने हेतु ऋणों की शुरुआत या उनकी सेवा के लिए एक या अधिक ऋणदाताओं के साथ अनुबंध कर सकती है।

(b) एजेंसी यह मूल्यांकन करेगी कि क्या प्रोग्राम को उसके उद्देश्यों के अनुरूप ऐसे तरीके से लागू किया जा सकता है जो संघीय सामुदायिक पुनर्निवेश अधिनियम (12 U.S.C. अनुभाग 2901 आदि) के अधीन ऋणदाताओं द्वारा विचार किए जाने योग्य गतिविधियों के मानदंडों को पूरा करता हो, और यदि ऐसा है, तो एजेंसी प्रोग्राम को उसी तरीके से लागू करेगी।

51515.04. उपभोक्ता संरक्षण, जवाबदेही और पारदर्शिता मानक

(a) उपभोक्ता संरक्षण। एजेंसी उन ऋणदाताओं पर लागू होने वाली उपभोक्ता संरक्षण संबंधी आवश्यकताएँ निर्धारित करेगी जिनके साथ उसने मध्यम-वर्गीय परिवारों के लिए घर खरीदने हेतु ऋणों की शुरुआत के लिए अनुबंध किया है, इन आवश्यकताओं में निम्नलिखित सभी शामिल होंगे, लेकिन वे केवल इन्हीं तक सीमित नहीं होंगी:

(1) मध्यम-वर्गीय परिवारों के लिए घर खरीदने हेतु ऋणों की शुरुआत से संबंधित ऋणदाताओं के शुल्क पर सीमाएँ।

(2) समय से पहले भुगतान करने पर दंड का निषेध।

(3) यह आवश्यकता कि मध्यम-वर्गीय परिवारों के लिए घर खरीदने हेतु ऋण निश्चित ब्याज दर वाले गृह ऋण हों।

(b) अतिरिक्त ऋण-योग्यता सत्यापन। यदि किसी कारण से आवेदक का क्रेडिट स्कोर उसे इस प्रोग्राम के तहत ऋण या उपलब्ध सबसे अनुकूल शर्तों के लिए योग्य नहीं बनाता है, तो ऋणदाता आवेदक को स्वेच्छा से वित्तीय रिकॉर्ड प्रस्तुत करने की अनुमति देगा, जिनमें बैंक विवरण, वेतन पर्चियाँ, सत्यापन योग्य व्यक्तिगत परिसंपत्तियाँ और किराया भुगतान का इतिहास शामिल हैं, और ऋणदाता नकदी प्रवाह आधारित ऋण मूल्यांकन का उपयोग करके इन रिकॉर्डों का उपयोग और मूल्यांकन करेगा, ताकि आवेदक को प्रोग्राम के तहत ऋण या अधिक अनुकूल शर्तों के लिए योग्य बनाने का प्रयास किया जा सके। वित्तीय रिकॉर्ड स्वेच्छा से प्रस्तुत करके आवेदक प्रोग्राम के प्रयोजनों के लिए उन रिकॉर्डों का नकदी प्रवाह आधारित ऋण मूल्यांकन में उपयोग किए जाने की सहमति देता है।

(c) घर खरीदार का प्रतिनिधित्व और संरक्षण। आवेदक अपने द्वारा चुने गए California के लाइसेंस प्राप्त रियल एस्टेट एजेंट या ब्रोकर की सेवाएँ लेगा, जैसा कि व्यवसाय और व्यवसायिक संहिता के अनुभाग 10018.06 में परिभाषित है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि घर खरीदने की पूरी प्रक्रिया के दौरान घर खरीदार को पर्याप्त प्रतिनिधित्व और उपभोक्ता संरक्षण मिले।

(d) कठिनाई की स्थिति में स्थगन। उधारकर्ता एजेंसी द्वारा निर्धारित मानदंडों और शर्तों के अनुसार अपने मध्यम-वर्गीय परिवारों के लिए घर खरीदने हेतु ऋण पर मासिक ब्याज भुगतान के अस्थायी स्थगन का अनुरोध कर सकता है।

(e) निर्माण संबंधी जवाबदेही मानक।

(1) उपभोक्ताओं की रक्षा करने और घर के मालिकों के लिए विवादों के समाधान में तेजी लाने के लिए:

(A) सिविल संहिता के प्रभाग 2 के भाग 2 के शीर्षक 7 (अनुभाग 895 से शुरू करते हुए) के प्रावधान योग्य नए घरों पर लागू होंगे, सिवाय उस स्थिति के जब अनुभाग 51515.02 के तहत किसी बिल्डर द्वारा बनाए गए योग्य नए घरों के लिए उप-अनुच्छेद (B) में इसमें कोई बदलाव किया गया हो।

(B) अनुभाग 51515.02 के अनुसार किसी बिल्डर द्वारा बनाए गए योग्य नए घर निम्नलिखित मरम्मत-अधिकार प्रक्रियाओं के अधीन होंगे:

(i) सूचना संबंधी आवश्यकताएँ। यदि कोई दावेदार, चाहे वह कोई घर का मालिक हो, घर के मालिकों का समूह हो या कोई संघ हो, सिविल संहिता के अनुभाग 910 के उपखंड (a) में वर्णित मुकदमा-पूर्व प्रक्रियाएँ शुरू करता है, तो उस उपखंड की सभी आवश्यकताओं का पालन करने के अतिरिक्त, आवश्यक लिखित सूचना में प्रत्येक घर के मालिक की पहचान पते या ऐसे अन्य विवरण से की जाएगी जो बिल्डर को प्रत्येक आवास के स्थान के बारे में पर्याप्त जानकारी दे; प्रत्येक आवास में कथित उल्लंघन की प्रकृति और स्थान की पहचान की जाएगी; और उस पर उल्लंघन का आरोप लगाने वाले प्रत्येक घर के मालिक के हस्ताक्षर होंगे।

(ii) खुले संचार और पारदर्शिता की अनुमति। सिविल संहिता के अनुभाग 913 के बावजूद, कोई बिल्डर सिविल संहिता के प्रभाग 2 के भाग 2 के शीर्षक 7 के अध्याय 4 (अनुभाग 910 से शुरू करते हुए) में वर्णित मुकदमा-पूर्व प्रक्रियाओं के किसी भी चरण के दौरान घर के मालिक या दावेदार से सीधे संवाद कर सकता है। हालांकि, इस प्रावधान का उद्देश्य California के स्टेट बार California पेशेवर आचरण नियमों में संशोधन करना नहीं है, जिसमें नियम 4.2 भी शामिल है, जो वकीलों को किसी ऐसे व्यक्ति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संवाद करने से रोकता है जिसके बारे में वे जानते हैं कि उस मामले में उसका प्रतिनिधित्व किसी अन्य वकील द्वारा किया जा रहा है।

(iii) घर के मालिक द्वारा दावों से मुक्ति की अनुमति। सिविल संहिता के अनुभाग 926 के बावजूद, बिल्डर सिविल संहिता के प्रभाग 2 के भाग 2 के शीर्षक 7 के अध्याय 4 (अनुभाग 910 से शुरू करते हुए) द्वारा अनिवार्य मरम्मत कार्य के संबंध में घर के मालिक से दावों से मुक्ति या अधिकार-त्याग प्राप्त कर सकता है, बशर्ते कि बिल्डर ने अत्यधिक तत्परता से मरम्मत पूरी की हो और घर का मालिक उन मरम्मतों से संतुष्ट हो। घर का मालिक केवल मरम्मत की गई कमियों से संबंधित दावों से स्वेच्छा से मुक्ति प्रदान कर सकता है। ऐसी मुक्ति लिखित रूप में होगी, उसे पूरी जानकारी के साथ और स्वेच्छा से निष्पादित किया जाएगा, और वह उन किसी भी दोषों या दावों पर लागू नहीं होगी जिन्हें मरम्मत द्वारा ठीक नहीं किया गया है।

(iv) मुकदमे के शीघ्र समाधान को प्रोत्साहित करना। यदि कोई न्यायालय सिविल संहिता के अनुभाग 930 के उपखंड (b) के अनुसार कार्यवाही स्थगित करने का अनुरोध मंजूर करता है और उसके 120 दिनों बाद भी दावेदार ने सिविल संहिता के प्रभाग 2 के भाग 2 के शीर्षक 7 के अध्याय 4 (अनुभाग 910 से शुरू करते हुए) की आवश्यकताओं का पालन करने

के लिए अपने नियंत्रण में कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की है, तो बिल्डर कार्रवाई को खारिज किए जाने के लिए आवेदन कर सकता है। न्यायालय अपने विवेक से, उस आवेदन पर सफल पक्ष को आवेदन प्रस्तुत करने या उसका विरोध करने में हुए वकील के शुल्क और लागतें प्रदान कर सकता है।

(v) घर के खरीदार को खुलासा। योग्य नए घर का बिल्डर एस्क्रो के समापन से पहले, एजेंसी द्वारा अनुमोदित प्रारूप में, प्रत्येक घर खरीदार को लिखित रूप से यह खुलासा करेगा कि योग्य नया घर इस उप-अनुच्छेद के अधीन है।

(C) उप-अनुच्छेद (B) अनुभाग 51515.02 के उपखंड (f) के अंतर्गत आने वाले योग्य नए घरों पर लागू नहीं होगा।

(2) किसी अन्य कानून के बावजूद, किसी योग्य नए घर से संबंधित ऐसे किसी मामले में, जो किसी घर के मालिक या घर के मालिकों के समूह द्वारा लाया गया हो और जिसमें सिविल संहिता के प्रभाग 2 के भाग 2 के शीर्षक 7 के अध्याय 4 (अनुभाग 910 से शुरू करते हुए) और अध्याय 5 (अनुभाग 941 से शुरू करते हुए) में निर्धारित प्रक्रियाओं या इस उपखंड के अनुच्छेद (1) के उप-अनुच्छेद (B) में निर्धारित प्रक्रियाओं के अधीन दावे किए गए हों, वकील का अधिकतम स्वीकार्य आकस्मिक शुल्क समझौते, मध्यस्थता, पंचाट, न्यायिक संदर्भ या निर्णय के माध्यम से प्राप्त कुल राशि के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, जब तक कि न्यायालय प्राप्त परिणामों, वकील द्वारा उठाए गए जोखिम, वकील और मुवक्किल के बीच किसी समझौते, मामले की जटिलता और वकील द्वारा प्रदर्शित कौशल को ध्यान में रखते हुए अधिक शुल्क को मंजूरी न दे। वकील का आकस्मिक शुल्क केवल समझौते, पंच-निर्णय, मध्यस्थता, न्यायिक संदर्भ या निर्णय से प्राप्त राशि में से ही चुकाया जाएगा।

(f) मध्यम-वर्गीय परिवारों के लिए घर खरीदने हेतु ऋण जारी करने वाला ऋणदाता अधिकतम 0.5 प्रतिशत या दो सौ नब्बे डॉलर (\$290), जो भी अधिक हो, का ऋण उत्पत्ति शुल्क ले सकता है। एजेंसी दो सौ नब्बे डॉलर (\$290) की राशि को प्रत्येक दो वर्ष में अधिकतम एक बार समायोजित कर सकती है। एजेंसी द्वारा अधिकृत किए जाने के अलावा ऋणदाता कोई अन्य ऋण शुल्क नहीं लेगा।

(g) सिविल संहिता के अनुभाग 2924.13 इस अध्याय के तहत दिए गए किसी भी मध्यम-वर्गीय परिवारों के लिए घर खरीदने हेतु ऋण पर लागू नहीं होगी।

51515.05. प्रोग्राम की आवश्यकताएँ

(a) एजेंसी इस अधिनियम के प्रभावी होने की तारीख से अधिकतम एक वर्ष के भीतर प्रोग्राम को लागू करेगी। इस अध्याय के अनुसार प्रोग्राम को लागू और प्रशासित करने के लिए एजेंसी के पास इस भाग द्वारा उसे प्रदान की गई सभी शक्तियाँ होंगी। इस अध्याय को लागू करते समय एजेंसी ऐसे नियम और विनियम अपनाएगी जिन्हें एजेंसी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया हो और जो इस अध्याय के अनुरूप हों। इस भाग के अनुसार अपनाई गई नीतियाँ, नियम और विनियम सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के प्रभाग 3 के भाग 1 के अध्याय 3.5 (अनुभाग 11340 से शुरू करते हुए) के अधीन नहीं होंगे।

(b) प्रत्येक मध्यम-वर्गीय परिवारों के लिए घर खरीदने हेतु ऋण द्वितीयक बंधक द्वारा सुरक्षित होगा, उसका उपयोग केवल योग्य नए घर के खरीद मूल्य के एक हिस्से के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा, और वह योग्य नए घर के खरीद मूल्य के उस हिस्से के अधिकतम 17 प्रतिशत का वित्तपोषण करेगा जिसे सामान्यतः घर के मालिक के डाउन पेमेंट से पूरा किया जाता

है, बशर्ते कि आवेदक योग्य नए घर के खरीद मूल्य का कम से कम 3 प्रतिशत स्वयं योगदान करे। द्वितीयक बंधक द्वारा सुरक्षित प्रत्येक मध्यम-वर्गीय परिवारों के लिए घर खरीदने हेतु ऋण, योग्य नए घर की खरीद का वित्तपोषण करने वाले प्राथमिक गृह ऋण के अधीनस्थ होगा। एजेंसी समापन लागतों से संबंधित नियम अपनाएगी, जिनमें उधारकर्ता को योग्य नए घर की पूरी खरीद से संबंधित समापन लागतों का भुगतान करने के लिए मध्यम-वर्गीय परिवारों के लिए घर खरीदने हेतु ऋण का उपयोग करने की अनुमति देना शामिल है, लेकिन यह केवल इसी तक सीमित नहीं है, बशर्ते कि एजेंसी यह निर्धारित करे कि ऐसा नियम उधारकर्ताओं और बॉन्ड निवेशकों के हितों के बीच संतुलन बनाता है।

(c) एजेंसी उधारकर्ताओं के लिए निवास की अवधि संबंधी आवश्यकताएँ एवं मध्यम-वर्गीय परिवारों के लिए घर खरीदने हेतु ऋणों पर ब्याज दरें, परिशोधन अनुसूचियाँ, मूलधन की अदायगी, पूर्वभुगतान संबंधी प्रावधान और अन्य भुगतान की शर्तें ऐसी शर्तों पर निर्धारित करेगी जिन्हें एजेंसी आवेदकों के लिए व्यावहारिक और अनुकूल माने एवं ऐसे स्तर पर निर्धारित करेगी जो, यथासंभव अधिकतम सीमा तक, इस अध्याय के अनुसार जारी बॉन्ड्स से संबंधित देय मूलधन, ब्याज और अन्य राशियों का भुगतान करने के लिए आवश्यक हों, जिसमें इस अध्याय के अनुसार एजेंसी द्वारा वहन की गई सभी प्रशासनिक लागतों को पूरा करने के लिए आवश्यक राशियाँ भी शामिल हैं।

(d) एजेंसी उन उधारकर्ताओं के लिए गृहस्वामी शिक्षा संबंधी आवश्यकता निर्धारित करेगी जिनके बारे में एजेंसी यह तय करती है कि उन्हें गृहस्वामी की शिक्षा से लाभ होगा, जिनमें पहली बार घर खरीदने वाले लोग भी शामिल हैं, और एजेंसी इसे यथासंभव सबसे किफायती तरीके से लागू करेगी, बशर्ते कि यह आवश्यकता समापन के लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी की जा सके।

(e) एजेंसी मध्यम-वर्गीय परिवारों के लिए घर खरीदने हेतु ऋणों के लिए ऋण मूल्यांकन मानदंड निर्धारित करेगी और Fannie Mae, Freddie Mac या संघीय आवास प्रशासन द्वारा निर्धारित संघीय मानकों और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मध्यम-वर्गीय परिवारों के लिए घर खरीदने हेतु ऋणों की शर्तों और योग्यता को समायोजित कर सकती है, इनमें ऋण पर सीमाएँ, न्यूनतम क्रेडिट स्कोर या अनुभाग 51515.04 के उपखंड (b) द्वारा अनुमत अतिरिक्त ऋण-योग्यता सत्यापन और ऋण-से-आय अनुपात शामिल हैं, लेकिन ये केवल इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, बशर्ते कि ये मानदंड इस अध्याय की शर्तों और उद्देश्यों के अनुरूप हों।

(f) एजेंसी को बॉन्ड की बिक्री का तरीका, समय और भौगोलिक वितरण निर्धारित करने का विवेकाधिकार होगा, जिसमें यह निर्धारित करना भी शामिल है कि बॉन्ड्स का विपणन क्षेत्रीय स्तर पर किया जाए या पूरे राज्य में, और एजेंसी ऐसा इस प्रकार करेगी जिससे ब्याज लागत न्यूनतम हो और निवेशकों की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहन मिले।

(g) एजेंसी प्रोग्राम का स्वतंत्र वार्षिक लेखा-परीक्षण कराएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बॉन्ड से प्राप्त धनराशि का उपयोग इस अध्याय की आवश्यकताओं और किसी अन्य लागू कानून के अनुरूप किया जा रहा है।

51515.06. राजस्व बॉन्ड्स

(a) केवल इस अध्याय की सीमाओं के अधीन, एजेंसी इस भाग द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य शक्ति के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य कर सकती है:

(1) प्रोग्राम के तहत मध्यम-वर्गीय परिवारों के लिए घर खरीदने हेतु ऋणों के वित्तपोषण या अधिग्रहण, इन बॉन्ड्स पर ब्याज के भुगतान, बॉन्ड्स को सुरक्षित करने के लिए आरक्षित निधियाँ स्थापित करने एवं बॉन्ड्स जारी

करने से संबंधित और उसके लिए आवश्यक या सुविधाजनक एजेंसी के अन्य व्ययों के भुगतान के उद्देश्य से, एजेंसी द्वारा आवश्यक निर्धारित मूलधन राशि में अपने बॉन्ड्स जारी और बेच सकती है, जिसमें ऋण या तरलता संवर्धन की लागतें भी शामिल हैं; बशर्ते कि इस अध्याय के अनुसार जारी और बेचे गए किसी भी बॉन्ड्स की मूलधन राशि पच्चीस बिलियन डॉलर (\$25,000,000,000) से अधिक नहीं होगी, जिसमें अनुच्छेद (2) के अनुसार जारी किए गए किसी पुनर्वित्त बॉन्ड्स की राशि शामिल नहीं है।

(2) भाग 3 (अनुभाग 50900 से शुरू करते हुए) के अनुसार, इस अध्याय के तहत पहले जारी किए गए बॉन्ड्स को भुनाने, पुनर्वित्त करने, समाप्त करने, पुनर्गठित करने या खरीदने के लिए अपने बॉन्ड जारी और बेच सकती है।

(3) न्यासियों के साथ बॉन्ड्स को नियंत्रित करने वाले किसी भी संकल्प, अनुबंध-पत्र या अन्य दस्तावेज़ में प्रवेश कर सकती है।

(4) क्रेडिट संवर्धन या नकदी सहायता के लिए कोई भी समझौता कर सकती है।

(5) बॉन्ड्स को संचालित करने वाले किसी संकल्प, अनुबंध-पत्र या अन्य दस्तावेज़ एवं ऋण संवर्धन या तरलता सहायता संबंधी समझौतों के तहत एजेंसी के दायित्वों को सुरक्षित करने के लिए संपार्श्विक को गिरवी रख सकती है और उस पर ग्रहणाधिकार एवं प्रतिभूति हित प्रदान कर सकती है, इसमें मध्यम-वर्गीय परिवारों के लिए घर खरीदने हेतु ऋण और उनके तहत एजेंसी के अधिकार शामिल हैं, लेकिन यह केवल इन्हीं तक सीमित नहीं है। यह गिरवी, ग्रहणाधिकार और प्रतिभूति हित सरकारी संहिता के शीर्षक 1 के प्रभाग 6 के अध्याय 5.5 (अनुभाग 5450 से शुरू करते हुए) द्वारा नियंत्रित होगा।

(6) मध्यम-वर्गीय परिवारों के लिए घर खरीदने हेतु ऋण प्रदान या अधिग्रहित कर सकती है।

(7) मध्यम-वर्गीय परिवारों के लिए घर खरीदने हेतु ऋण के तहत उधारकर्ताओं से देय होने पर ऋण के भुगतान और अन्य राशियाँ एकत्र कर सकती है या उन्हें एकत्र करवा सकती है।

(8) उधारकर्ताओं के विरुद्ध मध्यम-वर्गीय परिवारों के लिए घर खरीदने हेतु ऋणों और द्वितीयक बंधक की शर्तों को लागू कर सकती है या लागू करवा सकती है।

(9) प्रोग्राम के लाभ के लिए कोई भी अनुदान या दान स्वीकार कर सकती है।

(10) अनुबंध और अन्य दस्तावेज़ तैयार एवं निष्पादित कर सकती है और बॉन्ड्स, मध्यम-वर्गीय परिवारों के लिए घर खरीदने हेतु ऋणों, द्वितीयक गृह ऋणों से संबंधित या इस अध्याय के प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यक, सुविधाजनक या वांछनीय सभी कार्य कर सकती है।

(b) अनुभाग 51374 द्वारा आवश्यक विवरण के अतिरिक्त, इस अनुभाग के अनुसार जारी किए गए सभी बॉन्ड्स के मुखपृष्ठ पर निम्नलिखित विवरण होगा: “इस बॉन्ड को एजेंसी के अलावा California राज्य का ऋण या देनदारी या राज्य की पूर्ण आस्था और ऋण-क्षमता की प्रतिज्ञा नहीं माना जाएगा, बल्कि इसका भुगतान केवल इसके लिए उपलब्ध कराई गई धनराशि से किया जाएगा।”

अनुभाग 3. संशोधन।

इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसकी व्यापक व्याख्या की जाएगी। इस अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते कि वे संशोधन California में मध्यम-वर्गीय आवासों का

अधिक निर्माण करने, इस प्रोग्राम के तहत गृह ऋण लेने वालों की रक्षा करने और मध्यम-वर्गीय California वासियों के लिए घर के स्वामित्व के अवसरों का विस्तार करने के उद्देश्यों के अनुरूप हों और उन्हें आगे बढ़ाएँ, ऐसा संशोधन ऐसे कानून द्वारा किया जा सकता है जिसे विधान मंडल के प्रत्येक सदन के 60 प्रतिशत से अधिक सदस्यों के मत से पारित किया गया हो और राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो।

अनुभाग 4. पृथक्करणीयता।

इस अधिनियम के प्रावधान पृथक्करणीय हैं। यदि इस अधिनियम के किसी भाग, अनुभाग, उपखंड, अनुच्छेद, खंड, वाक्य, वाक्यांश, शब्द या अनुप्रयोग को किसी भी कारण से सक्षम अधिकार क्षेत्र वाले किसी न्यायालय के निर्णय द्वारा अमान्य ठहराया जाता है, तो उस निर्णय से इस अधिनियम के शेष भागों की वैधता प्रभावित नहीं होगी। California राज्य की जनता इसके द्वारा घोषित करती है कि उसने इस अधिनियम एवं इसके प्रत्येक ऐसे भाग, अनुभाग, उपखंड, अनुच्छेद, खंड, वाक्य, वाक्यांश, शब्द और अनुप्रयोग को, जिसे अमान्य या असंवैधानिक घोषित नहीं किया गया है, इस बात की परवाह किए बिना अपनाया होता कि इस अधिनियम के किसी भाग या उसके अनुप्रयोग को बाद में अमान्य घोषित किया जाता है या नहीं।

अनुभाग 5. उदार व्याख्या।

इस पहल की व्याख्या इसके उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए उदारतापूर्वक की जाएगी।

अनुभाग 6. परस्पर विरोधी मतपत्र विधेयक।

(a) यदि यह विधेयक और मध्यम-वर्गीय आवास ऋणों के वित्तपोषण के लिए राजस्व बॉन्ड को अधिकृत करने वाला कोई अन्य विधेयक एक ही राज्यव्यापी चुनाव के मतपत्र पर आते हैं, तो उस अन्य विधेयक के प्रावधानों को इस विधेयक के साथ विरोधाभासी माना जाएगा। यदि इस विधेयक को इसके साथ विरोधाभासी माने गए विधेयक की तुलना में अधिक हाँ के मत प्राप्त होते हैं, तो इस विधेयक के सभी प्रावधान पूर्ण रूप से प्रभावी होंगे और दूसरे विधेयक के प्रावधान अमान्य और निष्प्रभावी होंगे।

(b) यदि इस विधेयक को मतदाताओं द्वारा अनुमोदित किया जाता है, लेकिन उसी चुनाव में मतदाताओं द्वारा अनुमोदित किसी विरोधाभासी विधेयक के कारण इसे पूर्णतः या आंशिक रूप से अधिक्रमित कर दिया जाता है, और बाद में उस विरोधाभासी विधेयक को अमान्य ठहराया जाता है, तो यह विधेयक स्वतः लागू होगा और इसे पूर्ण प्रभाव दिया जाएगा।

प्रस्ताव 38

यह पहल विधेयक California के संविधान की धारा II के अनुभाग 8 के प्रावधानों के अनुसार लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

यह पहल विधेयक स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता में अनुभाग जोड़ता है; इसलिए जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित नए प्रावधानों को *ड्रैफ्टिंग टाइप* में प्रिंट किया गया है, ताकि यह दर्शाया जा सके कि वे नए हैं।

प्रस्तावित कानून

California प्रतिरक्षा विज्ञान अनुसंधान और इलाज पहल

अनुभाग 1. शीर्षक।

इस अधिनियम को “California प्रतिरक्षा विज्ञान अनुसंधान और इलाज पहल” के नाम से जाना जाएगा, और इस नाम से उद्धृत किया जा सकता है।

अनुभाग 2. निष्कर्ष और घोषणाएँ।

California राज्य के लोग निम्नलिखित सभी बातों को पाते और घोषित करते हैं:

(a) चिकित्सा अनुसंधान कुछ सबसे घातक और दुर्बल करने वाली बीमारियों एवं अन्य स्वास्थ्य विकारों की रोकथाम, उपचार और इलाज में परिवर्तनकारी सफलताएँ हासिल करने के कगार पर है, जो हर दिन अनेक लोगों और उनके प्रियजनों को प्रभावित करते हैं।

(b) प्रतिरक्षा विज्ञान और इम्यूनोथेरेपी के उभरते हुए चिकित्सा अनुसंधान क्षेत्र स्वास्थ्य विज्ञान में अभूतपूर्व प्रगति की संभावना प्रदान करते हैं, यदि इन्हें पर्याप्त वित्तपोषण मिलता है, तो इससे उन अनेक सबसे सामान्य चिकित्सीय स्थितियों के उपचार और रोकथाम में वैज्ञानिक प्रगति तेजी से बढ़ेगी, जो वर्ष-दर-वर्ष अमेरिकियों की मृत्यु और विकलांगता का कारण बनती हैं।

(c) प्रतिरक्षा विज्ञान और इम्यूनोथेरेपी शरीर की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली का उपयोग बीमारियों को पहचानने और रोकने के लिए करते हैं। हाल के वर्षों में, इम्यूनोथेरेपी मेलैनोमा, फेफड़ों के कैंसर, कुछ प्रकार के ल्यूकीमिया और लिम्फोमा एवं अन्य कैंसर से लड़ने में एक प्रभावी उपचार साबित हुई है।

(d) अनेक डॉक्टरों और अनुसंधान वैज्ञानिकों का मानना है कि इम्यूनोथेरेपी में हमारे जीवनकाल में अनेक प्रकार की बीमारियों और अन्य स्वास्थ्य स्थितियों की रोकथाम और इलाज करने की क्षमता है, जिनमें कैंसर, हृदय रोग, Alzheimer's और Parkinson's जैसी तंत्रिका संबंधी स्थितियाँ, मधुमेह, मोटापा, उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल, ALS (Lou Gehrig's रोग), HIV/AIDS, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और रुमेटॉइड आर्थराइटिस, ल्यूपस एवं मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी ऑटोइम्यून बीमारियाँ शामिल हैं।

(e) चूँकि प्रतिरक्षा विज्ञान में सफलताएँ बीमारियों को रोक सकती हैं और जीवन बचा सकती हैं, इसलिए प्रतिरक्षा विज्ञान और इम्यूनोथेरेपी से संबंधित चिकित्सा अनुसंधान का समर्थन करना सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने एवं लोगों के जीवन को बचाने और बेहतर बनाने के राज्य के समग्र दृष्टिकोण की एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है।

(f) इन उभरती हुई प्रौद्योगिकियों को पूरी तरह विकसित करने और उनका लाभ उठाने के लिए वित्तपोषण का एक स्थिर और विश्वसनीय स्रोत बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि निरंतर अनुसंधान वित्तपोषण की कमी के कारण बाधित हुए बिना जारी रह सके, क्योंकि ऐसी कमी अन्यथा प्रगति को बाधित कर सकती है और वैज्ञानिक सफलताओं की गति को रोक सकती है।

(g) चिकित्सा अनुसंधान का सार्वजनिक वित्तपोषण आधुनिक चिकित्सा में प्रगति का हमेशा से एक प्रमुख घटक रहा है। 2010 से 2019 के बीच FDA द्वारा अनुमोदित सभी नई दवाओं में से विशाल बहुमत—99.4 प्रतिशत—सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित अनुसंधान का परिणाम थीं।

(h) California हमेशा से तकनीकी विकास और सफलताओं में अग्रणीय रहा है। विशेष रूप से, California लंबे समय से स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणीय रहा है, क्योंकि यहाँ दुनिया के कई सबसे नवाचारी और प्रतिष्ठित चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित हैं, और साथ ही, यहाँ देश की प्रमुख उच्च शिक्षा प्रणाली—California विश्वविद्यालय—भी है, जिसके अंतर्गत कई विश्वस्तरीय मेडिकल स्कूल और स्वास्थ्य विज्ञान अनुसंधान केंद्र हैं।

(i) California का दायित्व है कि वह ऐसी इम्यूनोथेरेपी के विकास में अग्रणीय भूमिका निभाए, जो अनेक ऐसी लगातार बनी रहने वाली और दुर्बल करने वाली बीमारियों के उपचार और रोकथाम में अत्यधिक लाभ प्रदान करेगी, जो अब तक अतीत की अधिक पारंपरिक उपचार पद्धतियों के प्रति प्रतिरोधी साबित हुई हैं।

37

38

(j) जीवन बचाने के अतिरिक्त, इम्यूनोथेरेपी के विकास का वित्तपोषण अनेक दुर्बल करने वाली बीमारियों और रोगों की रोकथाम और इलाज करके राज्य एवं California के परिवारों के स्वास्थ्य देखभाल खर्च में कई बिलियन डॉलर की बचत भी करेगा।

(k) प्रतिरक्षा विज्ञान और इम्यूनोथेरेपी California के जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग का विस्तार करने, अच्छे वेतन वाली नौकरियाँ पैदा करने, आर्थिक उत्पादन बढ़ाने और अनुदान वित्तपोषण, बौद्धिक संपदा लाइसेंसिंग एवं निजी क्षेत्र के निवेश के माध्यम से राजस्व के नए स्रोत उत्पन्न करने में मदद करेंगे। California में जैव-प्रौद्योगिकी में भविष्य में आर्थिक रूप से उतना ही महत्वपूर्ण बनने की क्षमता है जितनी आज सूचना प्रौद्योगिकी की है।

(l) हर वर्ष कई मिलियन परिवारों को तब नुकसान उठाना पड़ता है जब कैंसर, हृदय रोग, Alzheimer's, Parkinson's और मधुमेह जैसी विनाशकारी बीमारियाँ हमारे प्रियजनों के जीवन को बर्बाद कर देती हैं या उनकी जान ले लेती हैं। हमारा यह दायित्व है कि हम ऐसे आशाजनक इम्यूनोथेरेपी अनुसंधान में निवेश करें जो सभी परिवारों को प्रभावित करने वाली बीमारियों की रोकथाम और इलाज कर सके।

(m) यह चिकित्सा विज्ञान के इतिहास का एक निर्णायक समय है, और California को एक बार फिर नवाचार में देश का नेतृत्व करने के अवसर का लाभ उठाना चाहिए, जैसा कि उसने अतीत में कई बार किया है।

अनुभाग 3. उद्देश्य और आशय।

इस अधिनियम को लागू करने में California राज्य की जनता का आशय निम्नलिखित सभी उद्देश्यों को प्राप्त करना है:

(a) California विश्वविद्यालय से संबद्ध एक विश्वस्तरीय और नवाचारी प्रतिरक्षा विज्ञान एवं इम्यूनोथेरेपी अनुसंधान संस्थान को वित्तपोषित करना, ताकि मानव प्रतिरक्षा प्रणाली की शक्ति, अत्याधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकियों एवं उन्नत कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके दीर्घकालिक बीमारियों की रोकथाम और इलाज के लिए वैज्ञानिक खोजें और अगली पीढ़ी की उपचार पद्धतियाँ विकसित की जा सकें, जिससे California वासी अधिक लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकें।

(b) प्रतिरक्षा विज्ञान और इम्यूनोथेरेपी अनुसंधान के लिए केवल California स्थित सार्वजनिक और गैर-लाभार्थी विश्वविद्यालयों एवं गैर-लाभार्थी चिकित्सा अनुसंधान संस्थानों को अनुदान देना और सभी California वासियों के लिए जीवनरक्षक उपचारों और इलाज तक पहुँच का विस्तार करना, साथ ही यह सुनिश्चित करना कि लाभकारी संगठनों या दवा कंपनियों को कोई धनराशि न दी जाए।

(c) सार्वजनिक और गैर-लाभार्थी विश्वविद्यालयों एवं अन्य गैर-लाभार्थी चिकित्सा अनुसंधान सुविधाओं में, जिनका सफल अनुसंधान और नैदानिक परीक्षण करने का प्रमाणित रिकॉर्ड है, प्रतिरक्षा विज्ञान-आधारित तरीकों का उपयोग करके विभिन्न चिकित्सीय स्थितियों के लिए अनुसंधान, शिक्षा एवं उपचार और चिकित्सा पद्धतियों के विकास का वित्तपोषण करना, ताकि हमारे जीवनकाल में कैंसर, हृदय रोग, Alzheimer's, Parkinson's, मधुमेह, मोटापा, उच्च रक्तचाप और उच्च कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों और अन्य रोगों को समाप्त करने में मदद मिल सके।

(d) कैंसर, हृदय रोग और Alzheimer's रोग की रोकथाम, उपचार और इलाज से संबंधित अनुसंधान के लिए विशेष रूप से चार बिलियन डॉलर (\$4,000,000,000) से अधिक की धनराशि निर्धारित करना।

(e) दुनिया भर के जैव-चिकित्सा वैज्ञानिकों, रोग मॉडलिंग विशेषज्ञों, जीनोमिक प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों, डेटा वैज्ञानिकों, कंप्यूटेशनल विशेषज्ञों,

उपचार पद्धतियों के आविष्कारकों और नैदानिक परीक्षण नवप्रवर्तकों को एक साथ लाना, ताकि इन बीमारियों से सुरक्षा के लिए निवारक टीके विकसित किए जा सकें और दुनिया की कुछ सबसे दीर्घकालिक और गंभीर चिकित्सीय स्थितियों के लिए उपचार और इलाज विकसित किए जा सकें।

(f) वित्तपोषण के लिए ऐसे गैर-लाभार्थी अनुसंधान संस्थान का चयन करना जो स्वतंत्र, सहयोगात्मक और नवाचारी हों, साथ ही California विश्वविद्यालय से संबद्ध भी रहे, ताकि राज्य की निगरानी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सके, नौकरशाही और अनावश्यक प्रक्रियागत बाधाओं को कम किया जा सके एवं केंद्रित और परिणाम-आधारित अनुसंधान सुनिश्चित किया जा सके।

(g) ऐसे गैर-लाभार्थी चिकित्सा अनुसंधान केंद्र को वित्तपोषित करना जो सफल उपचार विकास से प्राप्त आर्थिक लाभ को अनुसंधान के नए क्षेत्रों में पुनर्निवेश करके अंततः आत्मनिर्भर बन जाएगा, जिससे ऐसी वित्तीय रूप से स्वतंत्र अनुसंधान सुविधा तैयार होगी जिसे अंततः किसी सार्वजनिक वित्तपोषण की आवश्यकता नहीं होगी।

(h) यह आवश्यक करना कि इस अधिनियम के परिणामस्वरूप विकसित इम्यूनोथेरेपी से प्राप्त सभी आय का 10 प्रतिशत इस अधिनियम की लागतों की भरपाई के लिए राज्य को दिया जाए, जिससे यह प्रभावी रूप से एक ऋण प्रोग्राम बन जाए और यह सुनिश्चित हो कि कर्दाताओं को इस महत्वपूर्ण अनुसंधान में किए गए अपने निवेश की पूरी राशि वापस प्राप्त हो।

(i) यह आवश्यक करना कि इस अधिनियम की धनराशि से विकसित किसी प्रौद्योगिकी या दवा का लाइसेंस देने वाला कोई भी प्राप्तकर्ता उस प्रौद्योगिकी या दवा को California के मरीजों के लिए राष्ट्रीय औसत से कम से कम 20 प्रतिशत कम कीमत पर उपलब्ध कराए, ताकि यह सुनिश्चित हो कि California वासियों को उनके सार्वजनिक निवेश का प्रत्यक्ष लाभ मिले।

(j) यह सुनिश्चित करना कि इस अधिनियम के तहत वितरित सभी अनुसंधान वित्तपोषण सख्त जवाबदेही और पारदर्शिता संबंधी आवश्यकताओं के अधीन हों, जिनमें यह आवश्यकता शामिल है कि समस्त धनराशि का 98 प्रतिशत चिकित्सा अनुसंधान और इलाज के विकास से संबंधित लागतों पर खर्च किया जाए; राज्य सरकार के प्रशासनिक खर्च को अधिकतम 2 प्रतिशत तक सीमित रखा जाए; हितों के टकराव से संबंधित सख्त नियम लागू हों; सभी खर्चों का सार्वजनिक खुलासा किया जाए; और स्वतंत्र वित्तीय लेखा-परीक्षण कराए जाएँ।

(k) ऐसे अनुसंधान का वित्तपोषण करके राज्य के बजट की रक्षा करना और उसे लाभ पहुँचाना, जो भविष्य में स्वास्थ्य देखभाल की लागतों को उल्लेखनीय रूप से कम करेगा, एवं प्रतिरक्षा विज्ञान की सफलताओं से उत्पन्न पेटेंट और लाइसेंस शुल्क से प्राप्त राजस्व का लाभ राज्य को मिलने के अवसर प्रदान करना।

(l) अच्छे वेतन वाली नौकरियाँ, जैव-चिकित्सा औद्योगिक परियोजनाएँ और संभावित उपचार पद्धतियाँ विकसित करके California की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुँचाना, जो हमारे राज्य में नया टैक्स से होने वाले राजस्व उत्पन्न करेंगी।

(m) California के जैव-प्रौद्योगिकी और जीवन विज्ञान उद्योगों को इम्यूनोथेरेपी अनुसंधान और उपचार के उभरते हुए क्षेत्र में विश्व नेतृत्व के स्तर तक पहुँचाना, जिससे स्वास्थ्य नवाचार और आर्थिक विकास के वैश्विक केंद्र के रूप में राज्य की स्थिति मजबूत हो।

अनुभाग 4. स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता में प्रभाग 110.5 (अनुभाग 130350 से शुरू करते हुए) को इस तरह पढ़े जाने के लिए जोड़ा जाता है:

प्रभाग 110.5. CALIFORNIA प्रतिरक्षा विज्ञान अनुसंधान और इलाज पहल

अध्याय 1. CALIFORNIA प्रतिरक्षा विज्ञान और इम्यूनोथेरेपी चिकित्सा अनुसंधान अधिनियम

130350. इस अध्याय को “California प्रतिरक्षा विज्ञान और इम्यूनोथेरेपी चिकित्सा अनुसंधान अधिनियम” के नाम से जाना जाएगा और इसी नाम से इसका उल्लेख किया जा सकता है।

130351. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित शब्दों के निम्नलिखित अर्थ हैं:

(a) “समिति” का अर्थ अनुभाग 130362 के अनुसार स्थापित नागरिक वित्तीय जवाबदेही निरीक्षण समिति है।

(b) “परिषद्” का अर्थ अनुभाग 130355 के अनुसार स्थापित सलाहकार और जवाबदेही अनुसंधान परिषद् है।

(c) “विभाग” का अर्थ राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग या उसकी उत्तराधिकारी एजेंसी है।

(d) “कोष” का अर्थ अनुभाग 130377 के अनुसार स्थापित California प्रतिरक्षा विज्ञान और इम्यूनोथेरेपी चिकित्सा अनुसंधान कोष है।

(e) “संस्थान” का अर्थ अनुभाग 130353 के अनुसार विभाग द्वारा चयनित गैर-लाभार्थी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है।

(f) “बौद्धिक संपदा अधिकार” का अर्थ तकनीकी जानकारी या आविष्कारों से संबंधित सभी स्वामित्व संबंधी कानूनी अधिकार हैं, जिनमें सभी व्यापार रहस्य, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, मास्क वर्क, सॉफ्टवेयर और पेटेंट एवं दुनिया भर में उनके लिए किए गए आवेदन शामिल हैं, जिनमें आविष्कारक प्रमाणपत्र भी शामिल हैं, और ऐसा कोई भी अधिकार जिसके द्वारा कोई पक्ष किसी अन्य पक्ष को इस परिभाषा में निर्दिष्ट किसी कार्य को करने से प्रभावी रूप से रोक सकता है, जिसमें संविदात्मक अधिकार भी शामिल हैं; बशर्ते, हालांकि, ऐसे बौद्धिक संपदा अधिकारों के मामले में जिनके तहत अनुभाग 130352 के उपखंड (b) के अनुसार वित्तपोषण प्राप्त करने वाला संस्थान, सार्वजनिक या गैर-लाभार्थी विश्वविद्यालय या गैर-लाभार्थी अनुसंधान संस्थान लाइसेंसधारी या अन्यथा अनुमत उपयोगकर्ता है, वे अधिकार इस परिभाषा के अंतर्गत केवल तभी आएंगे जब उस संस्थान, सार्वजनिक या गैर-लाभार्थी विश्वविद्यालय या गैर-लाभार्थी अनुसंधान संस्थान को उप-लाइसेंस या अन्य समकक्ष अधिकार प्रदान करने का अधिकार हो।

(g) “आविष्कार” का अर्थ कोई नया और उपयोगी उपकरण, तरीका, प्रक्रिया, मशीन, निर्मित वस्तु, डिजाइन या पदार्थ की संरचना, या कोई नया और उपयोगी सुधार या पौधे की कोई ऐसी किस्म है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पेटेंट कानूनों और विनियमों के तहत पेटेंट योग्य है या हो सकती है।

(h) “तकनीकी जानकारी” का अर्थ अवधारणाएँ, विचार, नवाचार, खोजें, आविष्कार, ज्ञान, प्रक्रियाएँ, मशीनें, निर्मित वस्तुएँ, रासायनिक सूत्रीकरण, उत्पाद नमूने, परीक्षण, पदार्थों की संरचनाएँ, सुधार, संवर्धन, संशोधन, तकनीकी विकास, प्रौद्योगिकी, विधियाँ, प्रथाएँ, तकनीकें, प्रणालियाँ, डिजाइन, कलाकृतियाँ, रेखाचित्र, योजनाएँ, विनिर्देश, जीन अनुक्रमण, औषधियाँ, औषधीय सूत्रीकरण, मास्क वर्क, सॉफ्टवेयर,

दस्तावेज़ीकरण, डेटा और जानकारी, चाहे वे मानव या मशीन द्वारा पढ़े जाने योग्य रूप में हों, लेखकीय कृतियाँ, उत्पाद, व्यापार रहस्य, कौशल, अनुभव, अनुभव और आवश्यकता पर आधारित प्रेरणा, दस्तावेज़, उपकरण, नैदानिक और विनियामक रणनीतियाँ, परीक्षण डेटा, जिसमें औषधीय, विष विज्ञान संबंधी और नैदानिक परीक्षण डेटा शामिल हैं, विश्लेषणात्मक और गुणवत्ता नियंत्रण डेटा एवं पेटेंट डेटा या विवरण हैं, चाहे उपर्युक्त में से कोई भी पेटेंट योग्य, कॉपीराइट योग्य या किसी अन्य प्रकार के कानूनी संरक्षण के योग्य हो या नहीं, बशर्ते कि उपर्युक्त निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करते हों:

(1) उनकी परिकल्पना की गई हो, उन्हें बनाया गया हो, व्यवहार में लाया गया हो या वे अन्यथा अनुभाग 130353 या 130357 के तहत किए गए अनुदान समझौते की समाप्ति या निरस्तीकरण से पहले अस्तित्व में हों।

(2) उन्हें किसी आविष्कारक द्वारा, अकेले या अन्य लोगों के साथ मिलकर, संस्थान, सार्वजनिक या गैर-लाभार्थी विश्वविद्यालय या गैर-लाभार्थी अनुसंधान संस्थान को सौंपा गया हो।

(3) वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुदान समझौते की विषय-वस्तु और उससे संबंधित वित्तपोषण से संबंधित हों।

(i) “पेटेंट” का अर्थ संयुक्त राज्य अमेरिका या किसी विदेशी क्षेत्राधिकार का कोई पेटेंट आवेदन या संबंधित पेटेंट दस्तावेज़ है, जिसमें कोई अस्थायी आवेदन, विभाजित आवेदन, निरंतरता आवेदन, आंशिक निरंतरता आवेदन, प्रतिस्थापन, नवीनीकरण, पुनः जारी करना, विस्तार, पुष्टि, पुनः परीक्षण या पंजीकरण एवं उनमें से किसी के आधार पर जारी कोई पेटेंट शामिल है, जिसमें उसका कोई प्रतिस्थापन, नवीनीकरण, पुनः जारी करना, विस्तार, पुष्टि, पुनः परीक्षण या पंजीकरण भी शामिल है।

(j) “सॉफ्टवेयर” का अर्थ किसी मूर्त माध्यम पर संग्रहीत ऐसा कोई कोड है जिसे मशीन द्वारा पढ़ा या निष्पादित किया जा सकता है।

130352. (a) अध्याय 2 (अनुभाग 130370 से शुरू करते हुए) के अनुसार जारी और बेचे गए बॉन्ड से प्राप्त आय, अनुभाग 130383 के अनुसार जारी पुनर्वित्त बॉन्ड को छोड़कर, अनुभाग 130377 के अनुसार स्थापित California प्रतिरक्षा विज्ञान और इम्यूनोथेरेपी चिकित्सा अनुसंधान कोष में जमा की जाएगी।

(b) इस अधिनियम और राज्य सामान्य दायित्व बॉन्ड कानून (सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के प्रभाग 4 के भाग 3 का अध्याय 4, अनुभाग 16720 से शुरू करते हुए) के तहत अधिकृत किसी अन्य राशि के भुगतान के बाद, कोष में उपलब्ध धनराशि निम्नलिखित तरीके से वितरण के लिए विभाग को आबंटित की जाएगी:

(1) धनराशियों का पचास प्रतिशत प्रतिरक्षा विज्ञान और इम्यूनोथेरेपी के क्षेत्रों में स्वास्थ्य विज्ञान अनुसंधान करने या उसका निर्देशन करने के उद्देश्य से एक ही गैर-लाभार्थी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान को वितरित किया जाएगा।

(2) धनराशियों का पचास प्रतिशत प्रतिरक्षा विज्ञान और इम्यूनोथेरेपी के क्षेत्रों में स्वास्थ्य विज्ञान अनुसंधान करने के उद्देश्य से परिषद् में प्रतिनिधित्व करने वाले सार्वजनिक और गैर-लाभार्थी विश्वविद्यालयों एवं अन्य गैर-लाभार्थी अनुसंधान संस्थानों को वितरित किया जाएगा। इस अनुच्छेद के तहत वितरित धनराशियाँ आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से विशिष्ट अनुसंधान परियोजनाओं के लिए अलग-अलग अनुदानों के रूप में प्रदान की जाएगी, जिनके आवेदनों की समीक्षा अनुभाग 130356 के अनुसार की जाएगी, और ये समान रूप से दिए जाने वाले ब्लॉक अनुदानों के रूप में नहीं होंगे।

130353. (a) विभाग, अनुभाग 130352 के उपखंड (b) के अनुच्छेद (1) के अनुसार धनराशि का वितरण विभाग और विभाग द्वारा चयनित एक गैर-लाभार्थी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के बीच किए गए वित्तपोषण समझौते के अनुसार करेगा, जो निम्नलिखित सभी मानदंडों को पूरा करता हो:

(1) संस्थान एक ऐसा चिकित्सा अनुसंधान संस्थान हो जो आंतरिक राजस्व संहिता के अनुभाग 501(c)(3) के अनुसार संपीय आयकर से मुक्त हो, जो 1 जनवरी, 2025 को अस्तित्व में था और जिसकी स्थापना मुख्य रूप से प्रतिरक्षा विज्ञान और इम्यूनोथेरेपी के क्षेत्रों में अनुसंधान करने के उद्देश्य से की गई थी एवं जो विशेष रूप से इन्हीं क्षेत्रों में अनुसंधान करने में विशेषज्ञता रखता हो।

(2) संस्थान ने 1 जनवरी, 2025 से बाद नहीं, ऐसा संबद्धता समझौता किया हो जो California विश्वविद्यालय के किसी परिसर के साथ संबद्धता संबंध स्थापित करता हो और निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करता हो:

(A) परिसर में प्रतिरक्षा विज्ञान और इम्यूनोथेरेपी का स्नातकोत्तर प्रशिक्षण प्रोग्राम हो।

(B) परिसर में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली हो जिसमें एक या अधिक अस्पताल शामिल हों और जो नई प्रायोगिक दवाओं और उपचार पद्धतियों के अपने नैदानिक परीक्षण संचालित करती हो।

(C) परिसर की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में अस्पताल और क्लीनिकों में प्रत्येक वर्ष 35,000 से अधिक मरीजों को भर्ती करने और 3,500,000 से अधिक बाह्य-मरीज मुलाकातों की माता हो।

(3) संस्थान का संचालन एक निदेशक मंडल द्वारा किया जाता हो, जिसमें संस्थान के उपनियमों, जो 1 जनवरी, 2025 से बाद नहीं अपनाए गए हों, और अनुच्छेद (2) में वर्णित संबद्धता समझौते के अनुसार, उस California विश्वविद्यालय परिसर या परिसर की सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के वरिष्ठ स्तर के कई प्रतिनिधियों को शामिल करना आवश्यक हो, जो संबद्धता समझौते का पक्ष है।

(4) 1 जनवरी, 2026 तक संस्थान के स्वामित्व या पट्टे पर कम से कम 200,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाला ऐसा स्थान हो, जिसका निर्धारित उद्देश्य संस्थान की अनुसंधान गतिविधियों के लिए अनुसंधान सुविधा के रूप में कार्य करना हो।

(5) संस्थान अन्य योग्य गैर-लाभार्थी California चिकित्सा अनुसंधान केंद्रों के साथ प्रतिरक्षा विज्ञान और इम्यूनोथेरेपी में सहयोगात्मक चिकित्सा अनुसंधान करने के लिए सहमत हो, जिसमें बहु-संस्थागत नैदानिक परीक्षण करना भी शामिल है।

(6) संस्थान ने अनुच्छेद (2) में वर्णित संबद्धता समझौते में परोपकारी दान या धन जुटाने की प्रतिबद्धताओं के रूप में कम से कम दो सौ पचास मिलियन डॉलर (\$250,000,000) के वित्तपोषण स्रोतों की पहचान की हो।

(7) संस्थान ने तीव्र टीका विकास प्रोग्राम के समर्थन के लिए कम से कम पचास मिलियन डॉलर (\$50,000,000) और माइक्रोबायाम अनुसंधान प्रोग्राम के समर्थन के लिए कम से कम पचास मिलियन डॉलर (\$50,000,000) की वित्तीय प्रतिबद्धताएँ सुनिश्चित की हों।

(b) (1) अनुच्छेद (2) में दिए गए प्रावधान को छोड़कर, विभाग इस अध्याय के प्रभावी होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर उपखंड (a) के अनुसार संस्थान का चयन करेगा और उसके साथ वित्तपोषण समझौता करेगा।

(2) (A) यदि विभाग ऐसे गैर-लाभार्थी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की पहचान करने में असमर्थ है जो उपखंड (a) में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा

करता हो और इस अनुभाग के अनुसार वित्तपोषण समझौता करने के लिए इच्छुक भी हो, तो विभाग उपखंड (a) में निर्दिष्ट मानदंडों में संशोधन करेगा, ताकि ऐसे गैर-लाभार्थी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की पहचान की जा सके जो इस अध्याय के तहत वित्तपोषण के लिए योग्य हो और इस अनुभाग के अनुसार वित्तपोषण समझौता करने के लिए इच्छुक हो।

(B) उप-अनुच्छेद (A) के अनुसार विभाग द्वारा मानदंडों में किया गया कोई भी संशोधन योग्य गैर-लाभार्थी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की पहचान करने के लिए आवश्यक न्यूनतम सीमा तक ही होगा और इस अध्याय के उद्देश्यों को आगे बढ़ाएगा।

(C) यदि विभाग इस अनुच्छेद के अनुसार उपखंड (a) में निर्दिष्ट मानदंडों में संशोधन करता है, तो विभाग संशोधित मानदंड अपनाए जाने की तारीख से 90 दिनों के भीतर संस्थान का चयन करेगा और उसके साथ वित्तपोषण समझौता करेगा।

(c) (1) विभाग उपखंड (b) के अनुसार किए गए समझौते की प्रत्येक पाँच वर्ष में समीक्षा करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संस्थान समझौते की शर्तों और इस अध्याय के प्रावधानों का अनुपालन कर रहा है।

(2) यदि संस्थान समझौते की शर्तों या इस अध्याय के प्रावधानों का पर्याप्त रूप से अनुपालन करने में विफल रहता है, तो यह समझौते को समाप्त करने का आधार हो सकता है, यदि विभाग अनुच्छेद (1) के अनुसार की गई पाँच-वर्षीय समीक्षा के दौरान यह निर्धारित करता है कि ऐसी विफलता इस अध्याय के उद्देश्यों को महत्वपूर्ण और वास्तविक रूप से बाधित करती है; बशर्ते कि इस अनुच्छेद के तहत विभाग द्वारा किए गए किसी भी निर्धारण की सूचना संस्थान को दी जाएगी और पहचानी गई अनुपालन की कमी को दूर करने का उचित अवसर प्रदान किया जाएगा।

(d) इस अनुभाग के अनुसार किए गए वित्तपोषण समझौते में यह आवश्यक होगा कि समझौते के तहत वित्तपोषित सभी अनुसंधान और विकास खुले वैज्ञानिक आदान-प्रदान, सहकर्म समीक्षा और सार्वजनिक निगरानी के स्थापित मानकों के अनुसार किए जाएँ।

(e) (1) इस अध्याय के प्रभावी होने की तारीख के बाद, संस्थान को प्रारंभिक ऋण या ऋणों के स्रोत के रूप में सामान्य कोष से एक सौ मिलियन डॉलर (\$100,000,000) इसके द्वारा विनियोजित किए जाते हैं, जिनका उपयोग इस अध्याय में वर्णित संस्थान के अनुसंधान प्रोग्राम के प्रारंभिक कार्यान्वयन और समर्थन की लागतों के लिए किया जाएगा। विभाग संस्थान को दिए जाने वाले उन ऋणों का समय और राशि निर्धारित करेगा, बशर्ते कि उनकी कुल राशि उपर्युक्त विनियोजन की राशि से अधिक न हो।

(2) अनुच्छेद (1) के अनुसार संस्थान को दिया गया कोई भी ऋण संबंधित ऋण निकासी की तारीख से 12 महीनों के भीतर सामान्य कोष में वापस चुकाया जाएगा; या यदि 12 महीनों के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो कोषाध्यक्ष द्वारा व्यावहारिक रूप से यथाशीघ्र निर्धारित समय पर, अध्याय 2 (अनुभाग 130370 से शुरू करते हुए) के अनुसार बेचे गए बॉन्ड्स से प्राप्त आय से उसका भुगतान किया जाएगा।

130354. (a) अनुभाग 130352 के अनुसार वितरित धनराशि निम्नलिखित तरीके से खर्च की जाएगी:

(1) (A) संस्थान अनुभाग 130352 के उपखंड (b) के अनुच्छेद (1) के अनुसार उसे वितरित धनराशि का उपयोग प्रतिरक्षा विज्ञान और इम्यूनोथेरेपी अनुसंधान करने के लिए करेगा, ऐसा अनुसंधान या तो संस्थान के भीतर संस्थान द्वारा सीधे नियुक्त या अनुबंधित शोधकर्ताओं और कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा या अन्यथा संस्थान के निर्देशन में किया जाएगा।

(B) अनुभाग 130352 के उपखंड (b) के अनुच्छेद (1) के अनुसार वितरित धनराशि में से कम से कम दो बिलियन एक सौ मिलियन डॉलर (\$2,100,000,000) कैंसर, हृदय रोग और Alzheimer's रोग की रोकथाम, उपचार और इलाज से संबंधित प्रतिरक्षा विज्ञान और इम्यूनोथेरेपी अनुसंधान करने के लिए खर्च किए जाएंगे।

(2) (A) अनुभाग 130352 के उपखंड (b) के अनुच्छेद (2) के अनुसार वितरित धनराशि परिषद में प्रतिनिधित्व करने वाले सार्वजनिक और गैर-लाभार्थी विश्वविद्यालयों एवं अन्य गैर-लाभार्थी अनुसंधान संस्थानों द्वारा प्रतिरक्षा विज्ञान और इम्यूनोथेरेपी अनुसंधान करने के लिए खर्च की जाएगी। इस अनुच्छेद के तहत वित्तपोषित अनुसंधान परियोजनाओं का चयन अनुभाग 130356 में निर्धारित तरीके से किया जाएगा।

(B) अनुभाग 130352 के उपखंड (b) के अनुच्छेद (2) के अनुसार वितरित धनराशि में से कम से कम दो बिलियन एक सौ मिलियन डॉलर (\$2,100,000,000) कैंसर, हृदय रोग और Alzheimer's रोग की रोकथाम, उपचार और इलाज से संबंधित प्रतिरक्षा विज्ञान और इम्यूनोथेरेपी अनुसंधान करने के लिए खर्च किए जाएंगे।

(3) वास्तविक लागतों के बराबर राशि, राज्य सामान्य दायित्व बॉन्ड कानून (सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के प्रभाग 4 के भाग 3 का अध्याय 4, अनुभाग 16720 से शुरू करते हुए) के तहत अधिकृत किसी भी लागत को छोड़कर, जो अनुभाग 130352 के अनुसार वितरित कुल धनराशि के 2 प्रतिशत से अधिक न हो, इस अध्याय के तहत विभाग, परिषद, समिति और नियंत्रक की संबंधित ज़िम्मेदारियों को पूरा करने की प्रशासनिक लागतों के लिए खर्च की जा सकती है।

(b) इस अध्याय के तहत वित्तपोषित की जा सकने वाली अनुसंधान गतिविधियों में निम्नलिखित सभी शामिल होंगी, लेकिन वे केवल इन्हीं तक सीमित नहीं होंगी:

(1) बीमारी के विकास की कार्यप्रणालियों और बीमारी की प्रगति में हस्तक्षेप करने के संभावित तरीकों की जाँच करने वाला बुनियादी अनुसंधान करना, जिसमें कैंसर, Alzheimer's रोग, Parkinson's रोग, हृदय संबंधी रोग और मधुमेह की रोकथाम से संबंधित अनुसंधान शामिल है, लेकिन यह केवल इन्हीं तक सीमित नहीं है।

(2) बीमारी का पहले पता लगाने में सक्षम बनाने के लिए रक्त बायोमार्कर और इमेजिंग सहित नैदानिक उपकरणों का विकास और सुधार करना।

(3) बीमारी के बनने की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने और बीमारी की प्रगति के विभिन्न चरणों में हस्तक्षेपों का परीक्षण करने के लिए प्रतिनिधि मरीज़ आबादी से उक्त नमूने और ट्यूमर मॉडल एकल करना, उनका अध्ययन करना और उनके संग्रह तैयार करना।

(4) बीमारी के विकास में आनुवंशिकी, पर्यावरणीय संपर्क और जीवनशैली संबंधी कारकों के संयुक्त योगदान को बेहतर ढंग से समझने के लिए उनका अध्ययन करना।

(5) अलग-अलग मरीज़ों के लिए सबसे प्रभावी उपचार विकसित करने हेतु कैंसर और अन्य बीमारियों को उप-प्रकारों में वर्गीकृत करना और बीमारी के उप-प्रकारों का संग्रह तैयार करना।

(6) कोशिकाओं, ट्यूमर और ऑर्गेनॉइड पर दवाओं और उपचार पद्धतियों का परीक्षण करना एवं प्रत्येक अध्ययनाधीन स्थिति के लिए सर्वोत्तम संभावित उपचारों की पहचान करने हेतु कोशिका रेखाओं पर अनेक उपचार पद्धतियों का मूल्यांकन करना।

(7) नई कोशिकीय और जीन उपचार पद्धतियों के निर्माण और मूल्यांकन को सुगम बनाने के लिए अच्छी विनिर्माण प्रथाओं (GMP) वाली सुविधा का उपयोग करना।

(8) विविध मरीज़ आबादी में नए उपचारों की सुरक्षा और प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए नैदानिक परीक्षणों का समन्वय, संचालन और निरीक्षण करना।

(9) ऐसे उपचार विकसित करना जो California के मरीज़ों के लिए उपलब्ध और किफायती हों।

130355. (a) विभाग एक सलाहकार और जवाबदेही अनुसंधान परिषद की स्थापना का समन्वय और समर्थन करेगा।

(b) (1) परिषद में सात सदस्यों वाली एक कार्यकारी समिति शामिल होगी, जिसके सदस्य परिषद के सामान्य सदस्यों के रूप में भी कार्य करेंगे। California विश्वविद्यालय के Berkeley, Davis, Irvine, Los Angeles, Riverside, San Diego, और San Francisco परिसरों के कुलपति अपने-अपने परिसर से एक प्रतिनिधि को कार्यकारी समिति में सेवा देने के लिए नियुक्त करेंगे।

(2) कार्यकारी समिति बहुमत के मत से परिषद में कम से कम 10 और अधिकतम 15 अतिरिक्त सदस्यों को नियुक्त करेगी, जिन्हें उप-अनुच्छेद (A) और (B) में वर्णित श्रेणियों से चुना जाएगा।

(A) California विश्वविद्यालय को छोड़कर, California के ऐसे गैर-लाभार्थी विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि जिन्होंने प्रतिरक्षा विज्ञान और इम्यूनोथेरेपी अनुसंधान में प्रमाणित सफलता और नेतृत्व प्रदर्शित किया हो।

(B) California के ऐसे गैर-लाभार्थी शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के प्रतिनिधि जो California विश्वविद्यालय का हिस्सा नहीं हैं और जिन्होंने प्रतिरक्षा विज्ञान और इम्यूनोथेरेपी अनुसंधान में प्रमाणित सफलता और नेतृत्व प्रदर्शित किया हो।

(3) परिषद का प्रत्येक सदस्य ऐसा चिकित्सक, वैज्ञानिक या शोधकर्ता होगा जिसके पास प्रतिरक्षा विज्ञान और इम्यूनोथेरेपी के क्षेत्रों में प्रमाणित अनुभव हो, और वह कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित किए जा सकने वाले अतिरिक्त मानदंडों को भी पूरा करेगा।

(c) (1) परिषद के सदस्य चार वर्ष के कार्यकाल के लिए सेवा देंगे।

(2) (A) यदि कार्यकारी समिति के किसी सदस्य के कार्यकाल के दौरान कोई पद खाली हो जाता है, तो उस सदस्य की नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी शेष कार्यकाल के लिए सेवा करने हेतु 45 दिनों के भीतर एक प्रतिस्थापन सदस्य नियुक्त करेगा।

(B) यदि कार्यकारी समिति में शामिल न होने वाले किसी सदस्य के कार्यकाल के दौरान कोई पद खाली हो जाता है, तो कार्यकारी समिति बहुमत के मत से, पद छोड़ने वाले सदस्य द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए उसी संगठन या संस्था का प्रतिनिधित्व करने वाले एक प्रतिस्थापन सदस्य को शेष कार्यकाल के लिए सेवा करने हेतु 45 दिनों के भीतर नियुक्त करेगी।

(3) (A) जब कार्यकारी समिति के किसी सदस्य का कार्यकाल समाप्त होता है, तो उस सदस्य की नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी 30 दिनों के भीतर उस सदस्य को पुनः नियुक्त करेगा या नए कार्यकाल के लिए किसी नए सदस्य को नियुक्त करेगा।

(B) जब कार्यकारी समिति में शामिल न होने वाले किसी सदस्य का कार्यकाल समाप्त होता है, तो कार्यकारी समिति बहुमत के मत से 30 दिनों के भीतर उस सदस्य को पुनः नियुक्त करेगी या नए कार्यकाल के लिए किसी नए सदस्य को नियुक्त करेगी। जिस सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो गया है, वह प्रतिस्थापन सदस्य की नियुक्ति होने तक सेवा करता रहेगा।

(d) (1) परिषद का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, दोनों कार्यकारी समिति के सदस्य होंगे, प्रत्येक का कार्यकाल दो वर्ष का होगा और, अनुच्छेद (2) में दिए गए प्रावधान को छोड़कर, दोनों का चयन पूरी परिषद के बहुमत के मत से किया जाएगा।

(2) California विश्वविद्यालय, Los Angeles से नियुक्त प्रतिनिधि परिषद के प्रथम अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

(e) परिषद के लिए गणपूर्ति उस समय सेवा कर रहे सदस्यों के बहुमत से होगी।

(f) परिषद के सदस्य बिना किसी पारिश्रमिक के सेवा करेंगे, लेकिन अपने कर्तव्यों के निर्वहन में वास्तव में किए गए यात्रा और आवश्यक खर्चों की प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं।

130356. (a) परिषद, उपखंड (e) में निर्धारित तरीके से, यह निर्धारित करेगी कि परिषद में प्रतिनिधित्व करने वाले सार्वजनिक और गैर-लाभार्थी विश्वविद्यालयों एवं अन्य गैर-लाभार्थी अनुसंधान संस्थानों द्वारा प्रस्तावित किन अनुसंधान परियोजनाओं को अनुभाग 130352 के उपखंड (b) के अनुच्छेद (2) के अनुसार वित्तपोषित किया जाएगा, यह निर्धारण इस अध्याय के तहत स्थापित चयन मानदंडों और अनुसंधान की प्राथमिकताओं एवं इस अनुभाग के अनुसार मूल्यांकित प्रस्तावों की तकनीकी गुणवत्ता के आधार पर किया जाएगा।

(b) (1) परिषद इस अनुभाग के तहत अनुदान प्रदान करने के लिए निम्नलिखित सभी के आधार पर चयन मानदंड और अनुसंधान की प्राथमिकताएँ स्थापित करेगी:

(A) प्रस्थापना की वैज्ञानिक गुणवत्ता।

(B) पद्धतिगत रूप से ठोस चिकित्सा अनुसंधान करने में आवेदक का अनुभव।

(C) जनसंख्या के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए संभावित लाभ।

(D) परिषद द्वारा निर्धारित अन्य मानदंड।

(2) अनुच्छेद (1) के अनुसार अनुसंधान की प्राथमिकताएँ स्थापित करते समय, परिषद उन अनुसंधान परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी जिनमें सबसे शीघ्र, सुलभ और किफायती उपचार उपलब्ध कराने की सर्वाधिक संभावना हो और जिनका उद्देश्य मरीजों की इम्यूनोथेरेपी उपचारों तक पहुँच बढ़ाना हो।

(c) (1) परिषद उपखंड (b) के अनुसार परिषद द्वारा विकसित चयन मानदंडों और अनुसंधान की प्राथमिकताओं के आधार पर प्रस्थापनाओं की समीक्षा करने और उन्हें प्राथमिकता देने के लिए प्रतिरक्षा विज्ञान और इम्यूनोथेरेपी विशेषज्ञों से बने एक या अधिक वैज्ञानिक सहकर्म समीक्षा पैनल स्थापित कर सकती है।

(2) वैज्ञानिक सहकर्म समीक्षा पैनल का कोई विशेषज्ञ वित्तपोषण की प्रस्थापना की समीक्षा में भाग लेने के लिए अयोग्य होगा, यदि उस विशेषज्ञ का आवेदक के साथ सहयोगात्मक या व्यावसायिक संबंध हो।

(d) इस अनुभाग के तहत प्रदान किए जाने वाले सभी अनुदान मुख्य रूप से इस राज्य में स्थित शोधकर्ताओं या परियोजनाओं को दिए जाएँगे; हालाँकि, California स्थित शोधकर्ताओं और राज्य से बाहर के शोधकर्ताओं के बीच अनुसंधान सहयोग के लिए वित्तपोषण की अनुमति होगी।

(e) (1) परिषद बहुमत के मत से, परिषद में प्रतिनिधित्व करने वाले सार्वजनिक और गैर-लाभार्थी विश्वविद्यालयों एवं अन्य गैर-लाभार्थी अनुसंधान संस्थानों से प्राप्त वित्तपोषण आवेदनों को स्वीकार या अस्वीकार करेगी।

(2) इस उपखंड के अनुसार अनुदान की प्रस्थापनाओं के वित्तपोषण के संबंध में अंतिम निर्णय लेते समय परिषद अनुभाग 130353 के अनुसार विभाग द्वारा चयनित संस्थान से परामर्श करेगी।

(f) परिषद अनुसंधान वित्तपोषण प्रदान करने में हितों के टकराव को रोकने के लिए नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा स्थापित सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर वित्तपोषण की प्रस्थापनाओं पर विचार करने हेतु हितों के टकराव संबंधी मानक विकसित करेगी और कम से कम प्रत्येक चार वर्ष में उन मानकों को अद्यतित करेगी, ताकि वे सामान्यतः नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा अपनाए गए मानकों के अनुरूप बने रहें।

130357. (a) विभाग, विशेष रूप से प्रतिरक्षा विज्ञान और इम्यूनोथेरेपी के क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान, विकास और नैदानिक परीक्षणों के वित्तपोषण के लिए अनुभाग 130356 के अनुसार परिषद द्वारा चयनित प्राप्तकर्ताओं के साथ अनुदान समझौते करेगा।

(b) प्रत्येक अनुदान समझौते में यह आवश्यक होगा कि समझौते के तहत वित्तपोषित सभी अनुसंधान और विकास खुले वैज्ञानिक आदान-प्रदान, सहकर्म समीक्षा और सार्वजनिक निगरानी के स्थापित मानकों के तहत किए जाएँ।

(c) प्रत्येक अनुदान समझौते में यह आवश्यक होगा कि अनुदान प्राप्तकर्ता यथासंभव उचित सीमा तक California के आपूर्तिकर्ताओं से वस्तुएँ और सेवाएँ खरीदे और सद्भावपूर्वक यह लक्ष्य हासिल करने का प्रयास करे कि ऐसी खरीद का 50 प्रतिशत से अधिक California के आपूर्तिकर्ताओं से हो।

(d) प्रत्येक अनुदान समझौते में यह आवश्यक होगा कि अनुदान प्राप्तकर्ता अनुभाग 130353 के अनुसार विभाग द्वारा चयनित संस्थान को वित्तपोषित अनुसंधान में पर्याप्त रूप से भाग लेने और सहयोग करने का अवसर प्रदान करे।

(e) प्रत्येक अनुदान समझौते में यह आवश्यक होगा कि अनुदान प्राप्तकर्ता California विश्वविद्यालय, Los Angeles को वित्तपोषित अनुसंधान के हिस्से के रूप में किए जाने वाले किसी भी नैदानिक परीक्षण में पर्याप्त रूप से भाग लेने और सहयोग करने का अवसर प्रदान करे।

(f) प्रत्येक अनुदान समझौते में यह आवश्यक होगा कि अनुदान प्राप्तकर्ता अनुभाग 130361 के उपखंड (b) के अनुसार किए जाने वाले लेखा-परीक्षण के अधीन हो और उनमें सहयोग करे।

(g) इस अनुभाग के तहत किए गए सभी अनुदान समझौतों में अप्रत्यक्ष लागतों को अनुसंधान अनुदान के 20 प्रतिशत तक सीमित रखा जाएगा; हालाँकि, अप्रत्यक्ष लागत की इस सीमा को उस राशि के बराबर बढ़ाया जा सकता है, जितनी राशि अनुदान प्राप्तकर्ता अनुदान राशि के 20 प्रतिशत से अधिक समतुल्य धनराशि के रूप में प्रदान करता है।

130358. (a) (1) (A) इस अध्याय के तहत अनुसंधान धनराशि प्राप्त करने वाला कोई भी प्राप्तकर्ता, इस अध्याय के तहत वित्तपोषित अनुसंधान से उत्पन्न किसी भी बौद्धिक संपदा अधिकार की बिक्री, लाइसेंसिंग या किसी अन्य प्रकार के व्यावसायीकरण या मुद्रीकरण से अनुसंधान धनराशि के प्राप्तकर्ता द्वारा अर्जित समस्त राजस्व के 10 प्रतिशत के बराबर राशि California राज्य को भुगतान करेगा।

(B) उप-अनुच्छेद (A) के तहत किए जाने वाले भुगतानों की गणना इस बात पर ध्यान दिए बिना की जाएगी कि जिन अनुसंधानों से बौद्धिक संपदा अधिकार उत्पन्न हुए, उन्हें इस अध्याय के तहत प्रदान की गई अनुसंधान धनराशि से पूर्ण रूप से वित्तपोषित किया गया था या केवल आंशिक रूप से।

(C) इस अनुच्छेद के तहत किए जाने वाले सभी भुगतान, किसी भी संबंधित राजस्व की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अनुसंधान धनराशि के प्राप्तकर्ता द्वारा राज्य को किए जाएंगे।

(2) अनुच्छेद (1) के अनुसार किए गए भुगतान सामान्य कोष में तब तक जमा किए जाएंगे, जब तक उन भुगतानों की संचयी राशि अध्याय 2 (अनुभाग 130370 से शुरू करते हुए) के अनुसार जारी किए गए बॉन्ड्स की राज्य के लिए कुल लागत के बराबर न हो जाए, जिसमें बॉन्ड्स पर भुगतान किया गया ब्याज भी शामिल है, जैसा कि अनुभाग 130375 के उपखंड (a) के अनुच्छेद (1) के अनुसार गठित California प्रतिरक्षा विज्ञान और इम्यूनोथेरेपी वित्त समिति द्वारा निर्धारित किया गया हो।

(3) अनुच्छेद (2) में वर्णित संचयी कुल राशि का सामान्य कोष में भुगतान किए जाने के बाद, अनुच्छेद (1) के अनुसार प्राप्त कोई भी अतिरिक्त राजस्व California प्रतिरक्षा विज्ञान और इम्यूनोथेरेपी चिकित्सा अनुसंधान कोष में जमा किया जाएगा और इस अध्याय के उद्देश्यों के अनुरूप खर्च किया जाएगा।

(b) इस अध्याय के तहत अनुसंधान धनराशि प्राप्त करने की शर्त के रूप में, इस अध्याय के अनुसार वित्तपोषित अनुसंधान के माध्यम से विकसित किसी प्रौद्योगिकी या दवा को लाइसेंस देने या बेचने वाला कोई भी प्राप्तकर्ता इस बात से सहमत होगा कि उस प्रौद्योगिकी या दवा को California के मरीजों, अस्पतालों या बीमा कंपनियों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उसका लाइसेंस या बिक्री, जिसमें सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वास्थ्य देखभाल प्रोग्राम के माध्यम से उपलब्ध कराना भी शामिल है, इस शर्त के अधीन होगी कि वह प्रौद्योगिकी या दवा California के मरीजों, अस्पतालों और बीमा कंपनियों को उसी प्रौद्योगिकी या दवा के लिए California को छोड़कर गणना किए गए राष्ट्रीय औसत मूल्य से कम से कम 20 प्रतिशत कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाए, जिसका निर्धारण निम्नलिखित प्रकार से किया जाएगा:

(1) प्रौद्योगिकी या दवा की व्यावसायिक बिक्री के पहले 12 महीनों के दौरान, California में उस प्रौद्योगिकी या दवा को खरीदने वाले मरीजों, अस्पतालों और बीमा कंपनियों से उस कीमत से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा, जिस कीमत पर वह प्रौद्योगिकी या दवा California के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी भी हिस्से में मरीजों, अस्पतालों और बीमा कंपनियों को बेची जाती है।

(2) प्रौद्योगिकी या दवा की पहली व्यावसायिक बिक्री के एक वर्ष बाद की तारीख तक, बिक्री के पहले नौ महीनों के आँकड़ों का उपयोग राष्ट्रीय औसत लागत की गणना करने के लिए किया जाएगा। इसके बाद, प्रौद्योगिकी या दवा California के मरीजों, अस्पतालों और बीमा कंपनियों को ऐसी कीमत पर उपलब्ध कराई जाएगी जो California को छोड़कर गणना किए गए राष्ट्रीय औसत मूल्य से कम से कम 20 प्रतिशत कम हो।

(3) California को छोड़कर राष्ट्रीय औसत मूल्य की गणना हर वर्ष की जाएगी और California में प्रौद्योगिकी या दवा की कीमत को

आवश्यकतानुसार समायोजित किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि California के खरीदारों को गणना किए गए राष्ट्रीय औसत मूल्य की तुलना में कम से कम 20 प्रतिशत की बचत प्राप्त हो।

(c) इस अध्याय के तहत अनुसंधान धनराशि प्राप्त करने वाला कोई भी प्राप्तकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी वित्तपोषित अनुसंधान से उत्पन्न किसी भी बौद्धिक संपदा अधिकार का स्वामित्व उस संस्थान, सार्वजनिक या गैर-लाभार्थी विश्वविद्यालय, या गैर-लाभार्थी अनुसंधान संस्था में निहित हो जिसने अनुभाग 130352 के उपखंड (b) के अनुसार वित्तपोषण प्राप्त किया है। किसी भी बौद्धिक संपदा अधिकार का स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम इस प्रकार उठाए जाएंगे कि इस अध्याय के तहत प्राप्त धनराशि से अनुदान, अनुबंध या अन्य किसी माध्यम से वित्तपोषण प्राप्त करने वाले सभी कर्मचारी, वैज्ञानिक, शोधकर्ता, स्वतंत्र ठेकेदार या अन्य व्यक्ति पेटेंट और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों को उस संस्थान, सार्वजनिक या गैर-लाभार्थी विश्वविद्यालय, या गैर-लाभार्थी अनुसंधान संस्था को सौंपने के लिए बाध्य होंगे और वास्तव में उन अधिकारों का हस्तांतरण करेंगे।

(d) अनुभाग 130352 के उपखंड (b) के अनुसार वितरित धनराशि के आधार पर या उसके परिणामस्वरूप विकसित या व्यवहार में लाए गए किसी भी बौद्धिक संपदा अधिकार के संबंध में, चाहे वे पेटेंट योग्य हों या नहीं, यदि वित्तपोषण प्राप्तकर्ता के पास पेटेंट और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों सहित ऐसी अंतर्निहित प्रौद्योगिकी के स्वामित्व वाले या लाइसेंस प्राप्त अधिकार हैं जो नए बौद्धिक संपदा अधिकारों के उपयोग में बाधा डाल सकते हैं या अन्यथा नए बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यावसायिक उपयोग को रोक सकते हैं, तो वह वित्तपोषण प्राप्तकर्ता उस अंतर्निहित प्रौद्योगिकी के लिए विश्वव्यापी, रॉयल्टी-मुक्त लाइसेंस प्रदान करेगा, बशर्ते कि उस लाइसेंसधारी या अनुमत उपयोगकर्ता को उप-लाइसेंस देने का अधिकार हो या समकक्ष अधिकारों की अनुमति हो। ऐसा लाइसेंस विशेष रूप से इस अध्याय के तहत वित्तपोषित अनुसंधान से उत्पन्न नए बौद्धिक संपदा अधिकारों की किसी बिक्री, लाइसेंसिंग या किसी अन्य व्यावसायीकरण या मुद्रीकरण के संबंध में उन नए बौद्धिक संपदा अधिकारों के उपयोग तक सीमित होगा।

(e) (1) संस्थान, विभाग के परामर्श से, एक लाइसेंसिंग प्रोग्राम विकसित करेगा जो निम्नलिखित सभी उद्देश्यों को पूरा करेगा:

(A) इस अध्याय के तहत वित्तपोषित अनुसंधान से उत्पन्न किसी भी बौद्धिक संपदा अधिकार की बिक्री, लाइसेंसिंग या किसी अन्य व्यावसायीकरण या मुद्रीकरण से प्राप्त राजस्व को अधिकतम करना।

(B) इस अध्याय के तहत वित्तपोषित अनुसंधान से उत्पन्न बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यावसायीकरण या मुद्रीकरण के सभी प्रयासों में अधिक एकरूपता लाने के लिए मानकीकृत लाइसेंसिंग शर्तें और बातचीत संबंधी अनुमतियाँ विकसित करना।

(C) उपखंड (a) के अनुच्छेद (1) के अनुसार California राज्य को धनराशियों की वापसी को सुगम बनाना और इस अध्याय के तहत वित्तपोषित अनुसंधान से उत्पन्न सभी लाइसेंसों के आधार पर California राज्य को भविष्य में किए जाने वाले भुगतानों का अनुमान लगाना।

(2) (A) संस्थान, विभाग के परामर्श से, इस अध्याय के तहत वित्तपोषित अनुसंधान से उत्पन्न बौद्धिक संपदा अधिकारों को बेचने, लाइसेंस देने या अन्यथा उनका व्यावसायीकरण या मुद्रीकरण करने संबंधी सभी समझौतों के लिए समन्वय केंद्र और अनुमोदन केंद्र के रूप में कार्य करेगा, ताकि महत्वपूर्ण शर्तों में एकरूपता सुनिश्चित की जा सके और उन व्यावसायीकरण या मुद्रीकरण प्रयासों से प्राप्त राजस्व को अधिकतम किया जा सके।

(B) इस अध्याय के तहत वित्तपोषित अनुसंधान से उत्पन्न बौद्धिक संपदा अधिकारों को बेचने, लाइसेंस देने या अन्यथा उनका व्यावसायीकरण या मुद्रीकरण करने संबंधी सभी समझौते, उनके निष्पादन से पहले, समीक्षा के लिए संस्थान को उपलब्ध कराए जाएंगे और संस्थान को प्रस्तावित समझौते की शर्तों में संशोधन के संबंध में सिफारिशें करने का अवसर दिया जाएगा।

(C) उन सभी मामलों में जिनमें संस्थान अनुभाग 130357 के उपखंड (d) के अनुसार अनुसंधान में भाग लेने और सहयोग करने के अपने विकल्प का इस्तेमाल करता है, उस अनुसंधान से उत्पन्न बौद्धिक संपदा अधिकारों की बिक्री, लाइसेंसिंग या अन्य व्यावसायीकरण या मुद्रीकरण संबंधी किसी भी समझौते पर बातचीत करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संस्थान की होगी।

(f) (1) (A) इस अध्याय के तहत अनुसंधान धनराशि प्राप्त करने वाले किसी प्राप्तकर्ता द्वारा, इस अध्याय के तहत वित्तपोषित अनुसंधान से उत्पन्न बौद्धिक संपदा अधिकारों के लाइसेंस के लिए किए गए किसी भी लाइसेंसिंग समझौते में यह आवश्यक होगा कि अनुसंधान धनराशि का प्राप्तकर्ता, उस समझौते के अधीन बौद्धिक संपदा अधिकारों की बिक्री या अन्य व्यावसायीकरण या मुद्रीकरण से प्राप्त सकल राजस्व के कम से कम 10 प्रतिशत के बराबर रॉयल्टी प्राप्त करे।

(B) उप-अनुच्छेद (A) के बावजूद, इस अध्याय के तहत अनुसंधान धनराशि प्राप्त करने वाले किसी प्राप्तकर्ता द्वारा, इस अध्याय के तहत वित्तपोषित अनुसंधान से उत्पन्न बौद्धिक संपदा अधिकारों के लाइसेंस के लिए किया गया लाइसेंसिंग समझौता सकल राजस्व के 10 प्रतिशत से कम रॉयल्टी का प्रावधान कर सकता है, यदि विभाग, संस्थान के परामर्श से, यह निर्धारित करता है कि किसी विशेष लाइसेंसिंग समझौते के मामले में 10 प्रतिशत से कम की रॉयल्टी दर इस अध्याय के उद्देश्यों को आगे बढ़ाएगी। इस उप-अनुच्छेद के तहत निर्धारण प्रत्येक मामले के आधार पर अलग-अलग किया जाएगा और किसी भी स्थिति में विभाग 5 प्रतिशत से कम की रॉयल्टी दर को मंजूरी नहीं देगा।

(2) इस अध्याय के तहत अनुसंधान धनराशि प्राप्त करने वाले किसी प्राप्तकर्ता द्वारा, इस अध्याय के तहत वित्तपोषित अनुसंधान से उत्पन्न बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यावसायीकरण या मुद्रीकरण के लिए संयुक्त उद्यम या अन्य व्यावसायिक व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से किए गए किसी भी समझौते में यह आवश्यक होगा कि अनुसंधान धनराशि का प्राप्तकर्ता उस संयुक्त उद्यम या अन्य व्यावसायिक व्यवस्था से प्राप्त सकल लाभ एवं उस संयुक्त उद्यम या अन्य व्यावसायिक व्यवस्था की बाद में होने वाली किसी भी बिक्री से प्राप्त सकल लाभ का कम से कम 25 प्रतिशत प्राप्त करे।

(g) कोई भी संस्थान, सार्वजनिक या गैर-लाभार्थी विश्वविद्यालय, या गैर-लाभार्थी अनुसंधान संस्था, जो अनुभाग 130352 के उपखंड (b) के अनुसार वित्तपोषण प्राप्त करती है, इस अध्याय के तहत प्राप्त धनराशि से अनुदान, अनुबंध या अन्य किसी माध्यम से वित्तपोषण प्राप्त करने वाले उन सभी कर्मचारियों, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, स्वतंत्र ठेकेदारों या अन्य व्यक्तियों से, जो उस वित्तपोषण से किए गए अनुसंधान के परिणाम प्रकाशित करना चाहते हैं, यह अपेक्षा करेगी कि वे किसी भी प्रकाशन या प्रस्तुति से कम से कम 30 दिन पहले प्रस्तावित लिखित प्रकाशन की एक प्रति या मौखिक प्रकटीकरण की रूपरेखा समीक्षा के लिए उस संस्थान, सार्वजनिक या गैर-लाभार्थी विश्वविद्यालय, या गैर-लाभार्थी अनुसंधान संस्था को प्रदान करें। समीक्षा करने वाले संस्थान, सार्वजनिक या गैर-लाभार्थी विश्वविद्यालय, या गैर-लाभार्थी अनुसंधान संस्था को निम्नलिखित दोनों कार्य करने का अधिकार होगा:

(1) पेटेंट संबंधी कारणों या ऐसे अन्य कारणों से, जिन्हें उस समय उचित विशिष्टता के साथ बताया जाएगा, प्रकाशन या प्रस्तुति में संशोधन प्रस्तावित करना।

(2) पेटेंट योग्य जानकारी की रक्षा करने और बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करने वाले पेटेंट आवेदन दाखिल करने की अनुमति देने के लिए प्रकाशन या प्रस्तुति में उचित अवधि की देरी का अनुरोध करना, जैसा कि समीक्षा करने वाले संस्थान, सार्वजनिक या गैर-लाभार्थी विश्वविद्यालय, या गैर-लाभार्थी अनुसंधान संस्था द्वारा निर्धारित किया जाए।

130359. (a) संस्थान जनता के लिए एक वार्षिक रिपोर्ट जारी करेगा, जिसमें संस्थान की गतिविधियों, अनुसंधान संबंधी उपलब्धियों और संस्थान के समग्र प्रोग्राम की भविष्य की दिशा का विवरण दिया जाएगा।

(b) प्रत्येक वार्षिक रिपोर्ट में निम्नलिखित सभी जानकारी शामिल होगी, लेकिन वह इन्हीं तक सीमित नहीं होगी:

(1) अनुसंधान निष्कर्षों का सारांश, जिसमें अनुसंधान के आशाजनक नए क्षेत्र भी शामिल होंगे।

(2) परियोजना के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति और प्रमुख वैज्ञानिक निष्कर्षों या उपलब्धि-चरणों का विवरण।

(3) सहकर्म-समीक्षित प्रकाशनों, दाखिल किए गए पेटेंट आवेदनों, या शुरू किए गए नैदानिक परीक्षणों की संख्या और प्रकार।

(4) संस्थान के प्रशासनिक खर्चों का सारांश।

(5) संस्थान की रणनीतिक अनुसंधान और वित्तीय योजनाओं की रिपोर्ट।

(c) वार्षिक रिपोर्ट संस्थान की इंटरनेट वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।

130360. (a) परिषद जनता के लिए एक वार्षिक रिपोर्ट जारी करेगी, जिसमें प्रदान किए गए अनुदानों, प्रगति पर चल रहे अनुदानों, अनुसंधान संबंधी उपलब्धियों और परिषद के समग्र अनुदान वित्तपोषण प्रोग्राम की भविष्य की दिशा का विवरण दिया जाएगा।

(b) प्रत्येक वार्षिक रिपोर्ट में निम्नलिखित सभी जानकारी शामिल होगी, लेकिन वह इन्हीं तक सीमित नहीं होगी:

(1) पहले अनुदान पाने वालों द्वारा अनुसंधान निष्कर्षों का सारांश, जिसमें अनुसंधान के आशाजनक नए क्षेत्र भी शामिल होंगे।

(2) उस वर्ष आबंटित अनुसंधान अनुदानों की संख्या और उनकी डॉलर राशि।

(3) पिछले वर्ष के अनुदान प्राप्तकर्ताओं की सूची एवं अब तक उनके अनुसंधान की प्रगति और उपलब्धियों की रिपोर्ट।

(4) परिषद के अनुदानों और उसके अनुसंधान प्रोग्राम की समग्र रणनीति के बीच संबंध का आकलन।

(5) परिषद की रणनीतिक अनुसंधान और वित्तीय योजनाओं की रिपोर्ट।

(6) परिषद के प्रशासनिक खर्चों का सारांश।

(c) वार्षिक रिपोर्ट विभाग की इंटरनेट वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।

130361. (a) संस्थान प्रत्येक वर्ष किसी प्रमाणित सार्वजनिक लेखा फर्म से अपनी गतिविधियों का स्वतंत्र वित्तीय लेखा-परीक्षण करवाएगा, जिसे नियंत्रक को उपलब्ध कराया जाएगा। नियंत्रक लेखा-परीक्षण की समीक्षा करेगा और प्रत्येक वर्ष उस समीक्षा की एक सार्वजनिक रिपोर्ट जारी करेगा। नियंत्रक उचित सूचना देकर एक सार्वजनिक बैठक आयोजित

करेगा और सार्वजनिक टिप्पणी के लिए औपचारिक अवधि प्रदान करेगा। नियंत्रक सार्वजनिक टिप्पणियों का मूल्यांकन करेगा और वार्षिक रिपोर्ट में उनके उपयुक्त सारांश शामिल करेगा।

(b) परिषद प्रत्येक वर्ष एक या अधिक प्रमाणित सार्वजनिक लेखा फर्मों से अपनी गतिविधियों और यादृच्छिक रूप से चुने गए उन 10 प्रतिशत अनुदान प्राप्तकर्ताओं की गतिविधियों का स्वतंत्र वित्तीय लेखा-परीक्षण करवाएगी, जिन्होंने लेखा-परीक्षण अवधि के दौरान इस अध्याय के तहत अनुदान वित्तपोषण से व्यय किए हैं। वे स्वतंत्र वित्तीय लेखा-परीक्षण नियंत्रक को उपलब्ध कराए जाएंगे, जो उनकी समीक्षा करेगा और प्रत्येक वर्ष उस समीक्षा की एक सार्वजनिक रिपोर्ट जारी करेगा। नियंत्रक उचित सूचना देकर एक सार्वजनिक बैठक आयोजित करेगा और सार्वजनिक टिप्पणी के लिए औपचारिक अवधि प्रदान करेगा। नियंत्रक सार्वजनिक टिप्पणियों का मूल्यांकन करेगा और वार्षिक रिपोर्ट में उनके उपयुक्त सारांश शामिल करेगा।

130362. (a) (1) छह सदस्यों वाली नागरिक वित्तीय जवाबदेही निरीक्षण समिति होगी।

(2) California राज्य लेखा-परीक्षक, कोषाध्यक्ष, सीनेट के अस्थायी अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष और परिषद के अध्यक्ष, प्रत्येक समिति के एक सार्वजनिक सदस्य की नियुक्ति करेंगे।

(3) नियंत्रक, या नियंत्रक द्वारा नामित व्यक्ति, समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

(b) समिति निम्नलिखित सभी कार्य करेगी:

(1) अनुभाग 130361 के अनुसार तैयार किए गए वार्षिक वित्तीय लेखा-परीक्षण, उन लेखा-परीक्षणों पर नियंत्रक की रिपोर्टें और संस्थान एवं परिषद की वित्तीय प्रथाओं की समीक्षा करना।

(2) एक वार्षिक रिपोर्ट जारी करना, जिसमें संस्थान और परिषद की वित्तीय प्रथाओं एवं कार्य-निष्पादन के संबंध में सिफारिशें शामिल हों।

(3) सार्वजनिक टिप्पणियों का मूल्यांकन करना और अपनी वार्षिक रिपोर्ट में उनके उपयुक्त सारांश शामिल करना।

(c) समिति उचित सूचना देकर सार्वजनिक बैठकें आयोजित करेगी और सार्वजनिक टिप्पणी के लिए औपचारिक अवधि प्रदान करेगी।

(d) नियंत्रक समिति को कर्मचारियों का सहयोग उपलब्ध कराएगा।

130363. (a) कानून के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद, संस्थान को राज्य कानून के तहत किसी भी उद्देश्य के लिए सार्वजनिक एजेंसी नहीं माना जाएगा, जिसमें सरकारी संहिता के शीर्षक 1 का प्रभाग 10 (अनुभाग 7920.000 से शुरू करते हुए), शीर्षक 2 के प्रभाग 3 के भाग 1 के अध्याय 1 की धारा 9 (अनुभाग 11120 से शुरू करते हुए), और शीर्षक 9 (अनुभाग 81000 से शुरू करते हुए) शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

(b) 1974 का राजनीतिक सुधार अधिनियम (सरकारी संहिता का शीर्षक 9 (अनुभाग 81000 से शुरू करते हुए)) परिषद पर लागू होगा, सिवाय इसके कि इस अनुभाग में अन्यथा प्रावधान किया गया हो।

(1) परिषद का कोई सदस्य अपने नियोक्ता को अनुदान या अनुबंध मंजूर करने या प्रदान करने के निर्णय को लेने, उस निर्णय में भाग लेने, या उस निर्णय को प्रभावित करने के लिए किसी भी प्रकार से अपने आधिकारिक पद का उपयोग करने का प्रयास नहीं करेगा; हालांकि, कोई सदस्य अपने नियोक्ता के समान क्षेत्र में कार्यरत किसी संस्था को अनुदान या अनुबंध मंजूर करने या प्रदान करने के निर्णय में भाग ले सकता है।

(2) परिषद का कोई सदस्य ऐसी संस्था को अनुदान या अनुबंध मंजूर करने या प्रदान करने के निर्णय में भाग ले सकता है, जिसका उद्देश्य ऐसी बीमारी से संबंधित अनुसंधान करना हो जिससे वह सदस्य या उसके परिवार का कोई व्यक्ति पीड़ित हो।

(3) चयन मानदंडों और अनुसंधान की प्राथमिकताओं से संबंधित सामान्य मानकों को अपनाने के निर्णय हितों के टकराव संबंधी प्रतिबंधों के अधीन नहीं होंगे।

(c) (1) California विश्वविद्यालय की किसी भी प्रणाली के संकाय या प्रशासन के किसी सदस्य द्वारा परिषद के सदस्य के रूप में सेवा करना, अपने आप में, California विश्वविद्यालय की किसी भी प्रणाली के संकाय या प्रशासन के सदस्य के रूप में परिषद सदस्य के कर्तव्यों के साथ असंगत, असंगतिपूर्ण, परस्पर विरोधी या प्रतिकूल नहीं माना जाएगा और इसके परिणामस्वरूप दोनों में से कोई भी पद स्वतः खाली नहीं होगा।

(2) किसी गैर-लाभार्थी शैक्षणिक या अनुसंधान संस्था के प्रतिनिधि या कर्मचारी द्वारा परिषद के सदस्य के रूप में सेवा करना, उस संगठन या संस्था के प्रतिनिधि या कर्मचारी के रूप में परिषद सदस्य के कर्तव्यों के साथ असंगत, असंगतिपूर्ण, परस्पर विरोधी या प्रतिकूल नहीं माना जाएगा।

(d) सरकारी संहिता के अनुभाग 1090 परिषद द्वारा दिए गए किसी अनुदान या किए गए किसी अनुबंध पर लागू नहीं होगी, सिवाय उन मामलों के जहाँ निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हों:

(1) अनुदान या अनुबंध का सीधा संबंध परिषद के किसी सदस्य या उस सदस्य द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली संस्था द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से हो, या उससे उस सदस्य या उसके द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली संस्था को वित्तीय लाभ मिलता हो।

(2) सदस्य अनुदान या अनुबंध से संबंधित निर्णय लेने, उस निर्णय में भाग लेने, या उस निर्णय को प्रभावित करने के लिए किसी भी प्रकार से अपने आधिकारिक पद का उपयोग करने के प्रयास से स्वयं को अलग करने में असफल रहता हो।

130364. विभाग इस अध्याय के उद्देश्यों और प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम और विनियम अपना सकता है, उनमें संशोधन कर सकता है और उन्हें निरस्त कर सकता है।

अध्याय 2. CALIFORNIA प्रतिरक्षा विज्ञान और इम्यूनोथेरेपी बॉन्ड अधिनियम, 2026

130370. इस अध्याय को “California प्रतिरक्षा विज्ञान और इम्यूनोथेरेपी बॉन्ड अधिनियम, 2026” के नाम से जाना जाएगा और इसी नाम से इसका उल्लेख किया जा सकता है।

130371. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित शब्दों के निम्नलिखित अर्थ होंगे:

(a) “बोर्ड” का अर्थ अनुभाग 130375 के उपखंड (b) के अनुसार नामित राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग है।

(b) “समिति” का अर्थ अनुभाग 130375 के उपखंड (a) के अनुसार गठित California प्रतिरक्षा विज्ञान और इम्यूनोथेरेपी वित्त समिति है।

(c) “कोष” का अर्थ अनुभाग 130377 के अनुसार स्थापित California प्रतिरक्षा विज्ञान और इम्यूनोथेरेपी चिकित्सा अनुसंधान कोष है।

(d) “राज्य सामान्य दायित्व बॉन्ड कानून” का अर्थ सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के प्रभाग 4 के भाग 3 के अध्याय 4 (अनुभाग 16720 से शुरू करते हुए) में संहिताबद्ध राज्य सामान्य दायित्व बॉन्ड कानून है, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है।

130372. (a) कुल आठ बिलियन चार सौ मिलियन डॉलर (\$8,400,000,000) की राशि के बॉन्ड, जिसमें अनुभाग 130383 के अनुसार जारी किए गए किन्हीं भी पुनर्वित्त बॉन्ड्स की राशि शामिल नहीं है, या उसमें से जितनी राशि आवश्यक हो, इस प्रभाग में व्यक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वित्तपोषण उपलब्ध कराने और सरकारी संहिता के अनुभाग 16724.5 के अनुसार सामान्य दायित्व बॉन्ड व्यय परिक्रामी कोष की प्रतिपूर्ति करने के लिए जारी और बेचे जा सकते हैं।

(b) बॉन्ड बेचे, जारी और सुपुर्द किए जाने पर California राज्य का वैध और बाध्यकारी दायित्व होंगे और बॉन्ड के मूलधन एवं ब्याज के देय और भुगतान योग्य होने पर उनका समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए राज्य की पूर्ण आस्था और साख इसके द्वारा गिरवी रखी जाती है।

(c) कोषाध्यक्ष उपखंड (a) द्वारा अधिकृत बॉन्ड्स को उस राशि में जारी और बेचेगा, जिसे समिति अनुभाग 130376 के अनुसार आवश्यक या वांछनीय निर्धारित करती है। बॉन्ड्स उन नियमों और शर्तों के अनुसार जारी और बेचे जाएंगे जो अनुभाग 130376 के अनुसार समिति द्वारा अपनाए जाने वाले संकल्प में निर्दिष्ट होंगे।

130373. सरकारी संहिता के अनुभाग 13340 या कानून के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद, कोष में मौजूद धनराशि निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए वित्तीय वर्षों की परवाह किए बिना विनियोजित की जाती है:

(a) अध्याय 1 (अनुभाग 130350 से शुरू करते हुए) में वर्णित अनुसार प्रतिरक्षा विज्ञान और इम्यूनोथेरेपी के क्षेत्रों में चिकित्सा अनुसंधान करना, जिसमें उस अनुसंधान को सहायता देने और उसका प्रशासन करने में होने वाली कोई भी लागत शामिल है।

(b) बॉन्ड्स जारी करने की लागतों का भुगतान करना।

(c) इस प्रभाग और राज्य सामान्य दायित्व बॉन्ड कानून में वर्णित किन्हीं भी अन्य लागतों का भुगतान करना।

130374. इस अध्याय द्वारा अधिकृत बॉन्ड्स राज्य सामान्य दायित्व बॉन्ड कानून में निर्धारित अनुसार तैयार, निष्पादित, जारी, बेचे, भुगतान और भुनाए जाएंगे, और उस कानून के सभी प्रावधान इन बॉन्ड्स और इस अध्याय पर लागू होंगे और इसके द्वारा इस अध्याय में इस प्रकार सम्मिलित किए जाते हैं मानो उन्हें इस अध्याय में पूर्ण रूप से निर्धारित किया गया हो; हालांकि, सरकारी संहिता के अनुभाग 16727 के उपखंड (a) और (b) लागू नहीं होंगे।

130375. (a) (1) केवल इस अध्याय द्वारा अधिकृत बॉन्ड्स को राज्य सामान्य दायित्व बॉन्ड कानून के अनुसार जारी करने और बेचने को अधिकृत करने के उद्देश्य से, California प्रतिरक्षा विज्ञान और इम्यूनोथेरेपी वित्त समिति इसके द्वारा गठित की जाती है। इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, California प्रतिरक्षा विज्ञान और इम्यूनोथेरेपी वित्त समिति वही "समिति" है, जिस अर्थ में इस शब्द का उपयोग राज्य सामान्य दायित्व बॉन्ड कानून में किया गया है।

(2) समिति में कोषाध्यक्ष, नियंत्रक और वित्त निदेशक शामिल होंगे।

(3) कोषाध्यक्ष समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

(4) समिति का बहुमत समिति के लिए कार्रवाई कर सकता है।

(5) किसी भी अन्य कानून के बावजूद, समिति का कोई सदस्य सभी उद्देश्यों के लिए सदस्य के स्थान पर उस सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए एक प्रतिनिधि को नामित कर सकता है, मानो सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित था।

(b) राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग को राज्य सामान्य दायित्व बॉन्ड कानून के प्रयोजनों के लिए "बोर्ड" के रूप में नामित किया जाता है।

130376. (a) राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनुभाग 130353 के अनुसार चयनित अनुसंधान संस्थान से यह बताते हुए लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर कि अध्याय 1 (अनुभाग 130350 से शुरू करते हुए) के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए धनराशि की आवश्यकता है, बोर्ड समिति से इस अध्याय के अनुसार बॉन्ड्स जारी करने का अनुरोध करेगा। बोर्ड से ऐसा अनुरोध प्राप्त होने पर, समिति संकल्प द्वारा यह निर्धारित करेगी कि इस अध्याय में निर्दिष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए इस अध्याय के अनुसार अधिकृत बॉन्ड्स को जारी करना और बेचना आवश्यक या वांछनीय है या नहीं और, यदि ऐसा है, तो जारी और बेचे जाने वाले बॉन्ड्स की राशि कितनी होगी।

(b) अध्याय 1 (अनुभाग 130350 से शुरू करते हुए) के उद्देश्यों को क्रमिक रूप से पूरा करने के लिए बॉन्ड्स की लगातार अलग-अलग खेपों को अधिकृत और बेचा जा सकता है और सभी बॉन्ड्स को एक ही समय पर जारी या बेचना आवश्यक नहीं है।

(c) बॉन्ड्स पर ऐसा ब्याज दिया जा सकता है जो संधीय आयकर के प्रयोजनों के लिए सकल आय में शामिल किया जाता है, यदि समिति यह निर्धारित करती है कि अध्याय 1 (अनुभाग 130350 से शुरू करते हुए) के उद्देश्यों के लिए धनराशि उपलब्ध कराने हेतु ऐसा व्यवहार आवश्यक या वांछनीय है।

130377. इस अध्याय के अनुसार जारी और बेचे गए बॉन्ड्स से प्राप्त आय राज्य कोषागार में California प्रतिरक्षा विज्ञान और इम्यूनोथेरेपी चिकित्सा अनुसंधान कोष के खाते में जमा की जाएगी, जिसे इसके द्वारा राज्य कोषागार में स्थापित किया जाता है।

130378. राज्य के सामान्य राजस्व के अतिरिक्त, प्रत्येक वर्ष उस राशि के बराबर धनराशि उसी तरीके और उसी समय एकत्र की जाएगी जिस तरीके और समय पर राज्य का अन्य राजस्व एकत्र किया जाता है, जितनी उस वर्ष देय होने वाले बॉन्ड्स के मूलधन और ब्याज का भुगतान करने के लिए आवश्यक हो। राजस्व के संग्रह के संबंध में कानून द्वारा किसी भी कर्तव्य का दायित्व सौंपे गए सभी अधिकारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे उस अतिरिक्त राशि को एकत्र करने के लिए आवश्यक प्रत्येक कार्य करें और उसका निष्पादन करें।

130379. सरकारी संहिता के अनुभाग 13340 के बावजूद, इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए और वित्तीय वर्षों की परवाह किए बिना, राज्य कोषागार के सामान्य कोष से निम्नलिखित के कुल योग के बराबर राशि इसके द्वारा निरंतर विनियोजित की जाती है:

(a) इस अध्याय के अनुसार जारी किए गए और बेचे गए बॉन्ड्स के मूलधन और ब्याज का भुगतान करने के लिए वार्षिक आवश्यक राशि, जैसे ही मूलधन और ब्याज देय और भुगतान-योग्य हो जाते हैं।

(b) अनुभाग 130380 को क्रियान्वित करने के लिए ज़रूरी राशि।

130380. इस अध्याय को लागू करने के प्रयोजनों के लिए, वित्त निदेशक सामान्य कोष से ऐसी राशि निकालने को अधिकृत कर सकता है जो इस अध्याय को लागू करने के उद्देश्य से समिति द्वारा बिक्री के लिए अधिकृत किए गए उन बॉन्ड्स की राशि से अधिक न हो जो अभी तक बेचे नहीं गए हैं, इसमें अनुभाग 130383 के अनुसार अधिकृत किन्हीं भी पुनर्वित्त बॉन्ड्स की राशि शामिल नहीं होगी और इसमें से अनुभाग 130381 के अनुसार ऋण के रूप में दी गई और अभी तक चुकाई नहीं

गई कोई भी राशि एवं इस अनुभाग के अनुसार सामान्य कोष से निकाली गई और अभी तक सामान्य कोष में वापस नहीं की गई कोई भी राशि घटाई जाएगी। निकाली गई कोई भी राशि कोष में जमा की जाएगी। इस अनुभाग के तहत उपलब्ध कराई गई कोई भी धनराशि, उस ब्याज के बराबर राशि सहित जो उस धनराशि ने पूलड मनी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में अर्जित की होती, इस अध्याय को लागू करने के उद्देश्य से बॉन्ड्स की बिक्री से प्राप्त धनराशि में से सामान्य कोष में वापस की जाएगी।

130381. बोर्ड इस अध्याय को लागू करने के उद्देश्य से सरकारी संहिता के अनुभाग 16312 के अनुसार पूलड मनी इन्वेस्टमेंट बोर्ड से पूलड मनी इन्वेस्टमेंट अकाउंट से ऋण देने का अनुरोध कर सकता है। अनुरोध की राशि उन बिना बिके बॉन्ड्स की राशि से अधिक नहीं होगी जिन्हें समिति ने प्रस्ताव द्वारा इस अध्याय को लागू करने के उद्देश्य से बिक्री के लिए अधिकृत किया है, इसमें अनुभाग 130383 के अनुसार अधिकृत किन्हीं भी पुनर्वित्त बॉन्ड्स की राशि शामिल नहीं होगी और इसमें से इस अनुभाग के अनुसार ऋण के रूप में दी गई और अभी तक चुकाई नहीं गई कोई भी राशि एवं अनुभाग 130380 के अनुसार सामान्य कोष से निकाली गई और अभी तक सामान्य कोष में वापस नहीं की गई कोई भी राशि घटाई जाएगी। बोर्ड ऋण प्राप्त करने और उसे चुकाने के लिए पूलड मनी इन्वेस्टमेंट बोर्ड द्वारा आवश्यक किसी भी दस्तावेज़ को निष्पादित करेगा। ऋण के रूप में प्राप्त कोई भी राशि कोष में जमा की जाएगी और बोर्ड द्वारा इस अध्याय के अनुसार आबंटित की जाएगी।

130382. इस अध्याय के अनुसार बेचे गए बॉन्ड्स के प्रीमियम और अर्जित ब्याज से प्राप्त एवं कोष में जमा की गई समस्त धनराशि कोष में आरक्षित रखी जाएगी और बॉन्ड के ब्याज पर किए गए व्ययों के लिए क्रेडिट के रूप में सामान्य कोष में हस्तांतरण हेतु उपलब्ध होगी; हालांकि, प्रीमियम से प्राप्त राशियों को सामान्य कोष में किसी भी हस्तांतरण से पहले आरक्षित रखा जा सकता है और बॉन्ड जारी करने की लागतों का भुगतान करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

130383. (a) इस अध्याय के अनुसार जारी और बेचे गए बॉन्ड्स का पुनर्वित्त सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के प्रभाग 4 के भाग 3 के अध्याय 4 की धारा 6 (अनुभाग 16780 से शुरू करते हुए) के अनुसार किया जा सकता है।

(b) इस अध्याय में वर्णित बॉन्ड्स को जारी करने के लिए राज्य के मतदाताओं की मंजूरी में, इस अध्याय के तहत मूल रूप से जारी किए गए किन्हीं भी बॉन्ड्स या पहले जारी किए गए किन्हीं भी पुनर्वित्त बॉन्ड्स का पुनर्वित्त करने के लिए जारी किए जाने वाले किन्हीं भी बॉन्ड्स की मंजूरी भी शामिल है।

(c) इस अनुभाग द्वारा अधिकृत किसी पुनर्वित्त बॉन्ड्स से प्राप्त आय द्वारा पुनर्वित्त किए गए किन्हीं भी बॉन्ड्स को, कानून द्वारा अनुमत सीमा तक, उस पुनर्वित्त किए गए बॉन्ड्स को अधिकृत करने वाले समय-समय पर संशोधित संकल्प में निर्धारित तरीके और सीमा के अनुसार कानूनी रूप से दायित्व-मुक्त किया जा सकता है।

130384. इस अध्याय या राज्य सामान्य दायित्व बॉन्ड कानून के किसी भी प्रावधान के बावजूद, यदि कोषाध्यक्ष इस अध्याय के अनुसार ऐसे बॉन्ड्स बेचता है जिनके साथ बॉन्ड संबंधी कानूनी सलाहकार की यह राय शामिल हो कि निर्दिष्ट शर्तों के तहत बॉन्ड्स पर मिलने वाला ब्याज संप्रतीय टैक्स प्रयोजनों के लिए सकल आय से बाहर रखा गया है, या वह अन्यथा किसी संप्रतीय टैक्स लाभ का योग्य है, तो कोषाध्यक्ष बॉन्ड से प्राप्त आय के निवेश और उस आय से होने वाली कमाई के निवेश के लिए अलग-अलग खाते रख सकता है। कोषाध्यक्ष संप्रतीय कानून के अंतर्गत आवश्यक रियायत, जुर्माना, या अन्य भुगतान को चुकाने के लिए या उन बॉन्ड्स की

बिक्री से मिले धन के निवेश और इस्तेमाल के संबंध में कोई अन्य कार्यवाई करने के लिए या उन बॉन्ड्स की टैक्स मुक्त स्थिति को बरकरार रखने और इस राज्य की निधियों की ओर से संप्रतीय कानून के अंतर्गत कोई अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए उन बॉन्ड्स की बिक्री से मिले धन का इस्तेमाल कर सकता या उसके लिए निर्देश दे सकता है, जो संप्रतीय कानून के अंतर्गत आवश्यक या वांछनीय है।

130385. इस अध्याय के द्वारा अधिकृत बॉन्ड्स की बिक्री से प्राप्त आय "टैक्स से प्राप्त आय" नहीं है, जैसे कि यह शब्द *California* के संविधान की धारा XIII B में उपयोग किया जाता है, और इन आयों का संवितरण उस धारा के द्वारा लगाई गई सीमाओं के अधीन नहीं आता है।

अनुभाग 5. पृथक्करणीयता।

जनता का आशय है कि इस अधिनियम के प्रावधान पृथक्करणीय हैं और यदि इस अधिनियम का कोई प्रावधान, या उसका कोई भाग, अमान्य ठहराया जाता है, तो ऐसी अमान्यता इस अधिनियम के किसी अन्य ऐसे प्रावधान को प्रभावित नहीं करेगी जिसे अमान्य प्रावधान के बिना प्रभावी किया जा सकता है।

अनुभाग 6. उदार व्याख्या।

इस अधिनियम की उदारतापूर्वक व्याख्या और अनुप्रयोग किया जाएगा, ताकि इसके अंतर्निहित उद्देश्यों को पूरी तरह आगे बढ़ाया जा सके।

अनुभाग 7. संशोधन।

इस अधिनियम के प्रावधानों में ऐसे कानून द्वारा संशोधन किया जा सकता है जिसे विधान मंडल के प्रत्येक सदन के दो-तिहाई सदस्यों के मत से पारित किया गया हो और राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो, बशर्ते कि ऐसे संशोधन इस अधिनियम के उद्देश्यों को आगे बढ़ाएँ; हालांकि, ऐसा कोई कानून बॉन्ड से प्राप्त आय के आबंटन और वितरण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधानों या उन उद्देश्यों में संशोधन नहीं करेगा जिनके लिए बॉन्ड से प्राप्त आय खर्च की जा सकती है।

प्रस्ताव 39

यह पहल विधेयक *California* के संविधान की धारा II के अनुभाग 8 के प्रावधानों के अनुसार लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

यह पहल विधेयक *California* के संविधान में एक अनुभाग जोड़ता है; इसलिए, जो नए प्रावधान जोड़े जाने का प्रस्ताव है, उन्हें *इटैलिक टाइप* में प्रिंट किया गया है, ताकि यह दर्शाया जा सके कि वे नए हैं।

प्रस्तावित कानून

अनुभाग 1. निष्कर्ष और उद्देश्य।

California के संविधान द्वारा स्थापित मौजूदा मतदाता योग्यताओं, जिनमें अमेरिकी नागरिकता भी शामिल है, को लागू करने के लिए जनता इसके द्वारा *California* के संविधान में संशोधन करती है: (A) चुनावी प्रक्रिया में जनता के विश्वास और भरोसे को बढ़ावा देने के लिए, जिससे नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहन मिलता है और स्वस्थ लोकतंत्र को समर्थन मिलता है; (B) सटीक मतदाता पंजीकरण रिकॉर्ड बनाए रखकर और मतदान की योग्यता की पुष्टि करके मतदाता धोखाधड़ी को रोकने और उसका पता लगाने के लिए; और (C) मतदान के लिए पहचान का प्रमाण आवश्यक बनाकर किसी अन्य मतदाता के रूप में मतदान किए जाने के जोखिम को कम करने के लिए।

अनुभाग 2. *California* मतदाता पहचान सुधार।

अनुभाग 2.1. California के संविधान की धारा II में अनुभाग 3.1 को इस तरह पढ़े जाने के लिए जोड़ा जाता है:

अनुभाग 3.1. (a) राज्य सचिव और काउंटी चुनाव अधिकारियों, प्रत्येक का यह कर्तव्य होगा कि वे सटीक मतदाता पंजीकरण सूचियाँ बनाए रखें, सरकारी डेटा का उपयोग करके नागरिकता संबंधी घोषणाओं को सत्यापित करने के लिए हर संभव प्रयास करें और हर वर्ष यह रिपोर्ट करें कि प्रत्येक काउंटी की मतदाता सूची के कितने प्रतिशत मतदाताओं की नागरिकता सत्यापित की गई है।

(b) जब भी कोई मतदाता राज्य में किसी भी चुनाव में व्यक्तिगत रूप से मतपत्र पर मतदान करता है, तो मतदाता को सरकार द्वारा जारी पहचान-पत्र प्रस्तुत करना होगा; या यदि वह डाक द्वारा मतदान करता है, तो मतदाता को सरकार द्वारा जारी पहचान-पत्र की किसी विशिष्ट पहचान संख्या के अंतिम चार अंक देने होंगे, जो मतदाता द्वारा अपने मतदाता पंजीकरण के लिए निर्दिष्ट पहचान संख्या से मेल खाते हों। प्रत्येक मतदाता द्वारा निर्दिष्ट पहचान-पत्र की किस्म उसके मतदाता पंजीकरण रिकॉर्ड में दर्ज होना ज़रूरी है, उसे प्रदान किए गए डाक मतपत्र के लिफाफे पर अंकित होना और अनुरोध करने पर फोन या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उसे उपलब्ध कराया जाना ज़रूरी है। चुनाव अधिकारी किसी नियमित या अंतिम मतपत्र की गणना तभी करेंगे जब इस अनुभाग की आवश्यकताओं के अनुसार मतदान करने वाले व्यक्ति की पहचान सत्यापित कर ली गई हो और यह भी सत्यापित कर लिया गया हो कि उस व्यक्ति ने चुनाव में केवल एक ही मतपत्र डाला है। सरकार द्वारा जारी पहचान-पत्र का अर्थ ऐसा दस्तावेज़ है जो मतदाता की पहचान का निर्णायक सत्यापन करने में सक्षम हो। किसी योग्य मतदाता के अनुरोध पर, राज्य मतदान में उपयोग के लिए उसे बिना किसी शुल्क के मतदाता पहचान-पत्र प्रदान करेगा।

(c) यह अनुभाग स्वतः प्रभावी होगा। विधान मंडल इस अनुभाग को लागू करने के लिए शीघ्र ही कानून भी अधिनियमित करेगा, संघीय कानून के अनुरूप सैन्य और विदेश में रहने वाले मतदाताओं के मतदान की व्यवस्था करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सभी राज्य और स्थानीय अधिकारी इस अनुभाग का अनुपालन करें और इसके अनुपालन में सहयोग दें। नागरिक इस अनुभाग के राज्य या किसी काउंटी द्वारा किए जा रहे अनुपालन की न्यायिक समीक्षा और उसके लिए समाधान की मांग कर सकते हैं। प्रत्येक विषम संख्या वाले वर्ष में, California राज्य लेखा-परीक्षक इस अनुभाग के संबंध में राज्य और प्रत्येक काउंटी के अनुपालन का लेखा-परीक्षण करेगा एवं चुनावों की सत्यनिष्ठा में सुधार के लिए अपने निष्कर्ष और सिफारिशें जनता के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

अनुभाग 3. पृथक्करणीयता।

इस अधिनियम के प्रावधान पृथक्करणीय हैं। यदि इस अधिनियम के किसी भाग, अनुभाग, उपखंड, अनुच्छेद, खंड, वाक्य, वाक्यांश, शब्द या अनुप्रयोग को किसी सक्षम अधिकार-क्षेत्र वाले न्यायालय के निर्णय द्वारा किसी भी कारण से अमान्य ठहराया जाता है, तो वह निर्णय इस अधिनियम के शेष भागों की वैधता को प्रभावित नहीं करेगा और उन शेष भागों को अमान्य भाग या अनुप्रयोग के बिना प्रभावी किया जाएगा।

प्रस्ताव 40

यह पहल विधेयक California के संविधान की धारा II के अनुभाग 8 के प्रावधानों के अनुसार लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

यह पहल विधेयक California के संविधान में एक अनुभाग जोड़ता है और सरकारी संहिता और राजस्व एवं कराधान संहिता में संशोधन करता है और अनुभाग जोड़ता है; इसलिए, जो नए प्रावधान जोड़े जाने का प्रस्ताव है, उन्हें इटैलिक टाइप में प्रिंट किया गया है, ताकि यह दर्शाया जा सके कि वे नए हैं।

प्रस्तावित कानून

2026 अरबपति टैक्स अधिनियम

California की जनता निम्नलिखित कानून अधिनियमित करती है:

अनुभाग 1. शीर्षक।

इस अधिनियम को 2026 अरबपति टैक्स अधिनियम के नाम से जाना जाएगा और इसी नाम से इसका उल्लेख किया जा सकता है।

अनुभाग 2. निष्कर्ष।

(a) जनता यह मानती है कि पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल, गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक शिक्षा और पौष्टिक भोजन तक पहुँच मानव गरिमा एवं पूरे राज्य की समृद्धि और सुदृढ़ता के लिए आवश्यक है। स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और खाद्य प्रोग्रामों के लिए संघीय वित्तपोषण में होने वाली आसन्न कटौतियों के क्रमिक प्रभाव अब इन आधारभूत व्यवस्थाओं के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं और सभी California वासियों के कल्याण को जोखिम में डाल रहे हैं।

(b) California का स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सुरक्षा-जाल असाधारण खतरे में है, क्योंकि Medi-Cal—जो लगभग 15 मिलियन कम आय वाले California वासियों के कवरेज का आधार है, जिनमें राज्य के आधे से अधिक बच्चे, 2.2 मिलियन वरिष्ठ नागरिक और विकलांग लोग एवं सभी कामकाजी वयस्कों में से प्रत्येक पाँच में से एक व्यक्ति शामिल है—को संघीय वित्तपोषण में कई बिलियन डॉलर की कटौती का सामना करना पड़ रहा है, जिससे मौजूदा चुनौतियाँ और गंभीर होंगी।

(c) Medi-Cal के लिए यह अनुमान है कि नवीनतम संघीय बजट कानून और प्रशासनिक कार्रवाई के कार्यान्वयन के कारण उसे वार्षिक संघीय वित्तपोषण में \$19 बिलियन डॉलर तक की कमी का सामना करना पड़ेगा, जिससे लागतों का बोझ राज्य के सामान्य कोष और स्थानीय सरकारों पर स्थानांतरित हो जाएगा या आवश्यक सेवाओं में कटौती करनी पड़ेगी। अगले दस वर्षों में अकेले Medi-Cal के संघीय वित्तपोषण में होने वाली कटौती का कुल अनुमान लगभग \$190 बिलियन डॉलर है।

(d) संघीय वित्तपोषण में कई बिलियन डॉलर की कमी California के पहले से ही अपर्याप्त वित्तपोषण वाले स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सुरक्षा-जाल पर और अधिक दबाव डालती है। 2025–26 के राज्य बजट में कई नए प्रतिबंध शामिल थे, जिनमें सेवा प्रदाताओं के लिए कटौतियाँ एवं Medi-Cal में नामांकित लोगों के लाभों और सेवाओं में महत्वपूर्ण कमियाँ किया जाना शामिल है। Medi-Cal में राज्य की कटौतियाँ 2027–28 में \$7 बिलियन डॉलर तक पहुँचने, और 2028–29 से आगे प्रति वर्ष बढ़कर \$8.6 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है।

(e) इन संघीय और राज्य कटौतियों से पहले भी, Medi-Cal का वित्तपोषण कई स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदाताओं के लिए सेवाओं के मौजूदा स्तर को बनाए रखने हेतु बहुत कम था, क्योंकि Medi-Cal आम तौर पर अस्पतालों और क्लीनिकों को ऐसी दरों पर प्रतिपूर्ति करता है जो देखभाल प्रदान करने की वास्तविक लागत से काफी कम होती हैं।

(f) अस्पतालों और प्राथमिक देखभाल क्लीनिकों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, इन लगातार कम भुगतानों के कारण अत्यधिक वित्तीय दबाव, परिचालन घाटे और कर्मचारियों की संख्या में कटौतियों का सामना करना पड़ा है। राज्य भर में होने वाले सभी प्रसवों में से आधे के लिए Medi-Cal स्वास्थ्य कवरेज का स्रोत है। हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण प्रसूति वार्ड और आपातकालीन विभाग बंद हुए हैं, जिसका मुख्य कारण काफी हद तक Medi-Cal की कम प्रतिपूर्ति दरों को माना गया है।

(g) Medi-Cal में निवेश प्रत्येक परिवार की स्वास्थ्य सुरक्षा में निवेश है। यह पूरे राज्य के कस्बों और शहरों में प्राथमिक देखभाल क्लीनिकों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को खुला रखने में मदद करता है, जिससे लोग दीर्घकालिक स्वास्थ्य स्थितियों का प्रबंधन कर सकते हैं, मंहगी जटिलताओं को रोक सकते हैं और अधिक लंबा एवं स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इन

प्रोग्रामों से काटे गए प्रत्येक डॉलर का व्यापक प्रभाव पड़ता है: क्लिनिक बंद होते हैं, परिवार अपने डॉक्टरों से वंचित हो जाते हैं और मरीज़ ऐसी स्वास्थ्य स्थितियों से अनावश्यक रूप से पीड़ित होते हैं जिन्हें रोका या प्रबंधित किया जा सकता था।

(h) किफायती, उच्च-गुणवत्ता वाली देखभाल तक पहुँच जीवन बचाती है, परिवारों को भारी चिकित्सा ऋण से बचाती है और समुदायों को मजबूत बनाती है। जब स्वास्थ्य कवरेज समाप्त हो जाता है या कम कर दिया जाता है, तो अस्पतालों और क्लिनिकों को अत्यंत कठिन विकल्प चुनने के लिए मजबूर होना पड़ता है—कर्मचारियों की संख्या कम करना, सेवाओं को सीमित करना या पूरी इकाइयों को बंद करना—जिससे पूरी आबादी स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सुरक्षा-जाल से वंचित हो जाती है और सभी California वासियों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है।

(i) जहाँ संधीय वित्तपोषण और राज्य विनियोग में कमी से Medi-Cal का वित्तपोषण खतरे में है, वहीं California वासियों को निजी स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में भारी वृद्धि का भी सामना करना पड़ रहा है। इन दोनों दबावों से बिना बीमा और अपर्याप्त बीमा वाले लोगों की संख्या और बढ़ती है, क्योंकि नियोजक लाभों में कटौती करते हैं और आश्रितों के कवरेज को प्रभावित करते हैं, जबकि व्यक्ति अत्यधिक महँगी हो चुकी स्वास्थ्य कवरेज को छोड़ देते हैं।

(j) California के प्रत्येक बच्चे को उच्च-गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुँच मिलनी चाहिए। आज California के सार्वजनिक स्कूलों को अभूतपूर्व अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है, जिसका एक कारण Medi-Cal और पूरक पोषण सहायता प्रोग्राम (SNAP) में की गई कटौतियाँ हैं।

(k) इसके अतिरिक्त, 2026 के लिए मौजूदा संधीय बजट प्रस्थापनाएँ सार्वजनिक स्कूलों के समग्र वित्तपोषण में भारी कटौती करेंगे, विशेष रूप से अधिक आवश्यकता वाले विद्यार्थियों, ग्रामीण स्कूलों और वंचित समुदायों के लिए।

(l) ये संधीय व्यवधान ऐसे समय में हो रहे हैं जब California के स्कूल राज्य के बजट में अभी हाल ही में हुई कमी और भुगतान में होने वाली आसन्न देरी के प्रभावों से जूझ रहे हैं। इसके अतिरिक्त, घटता हुआ नामांकन और उससे संबंधित वित्तपोषण में कमी, बढ़ती हुई लागतें और विद्यार्थियों की बढ़ती हुई आवश्यकताएँ स्कूल ज़िलों पर लगातार बढ़ता हुआ बजटीय दबाव डाल रही हैं।

(m) 5 मिलियन से अधिक California वासी—जिनमें बच्चे, परिवार, वरिष्ठ नागरिक और विकलांग लोग शामिल हैं—भोजन उपलब्ध कराने के लिए CalFresh, यानी California के पूरक पोषण सहायता प्रोग्राम (SNAP), की जीवन्तरेखा पर निर्भर हैं; ऐसे राज्य में जहाँ खाद्य असुरक्षा के कारण हर पाँच में से एक व्यक्ति भूख का सामना करता है।

(n) हाल ही के संधीय बजट कानून में SNAP में की गई ऐतिहासिक संधीय कटौतियाँ हमारे अतिसेवेदनशील पड़ोसियों से कई बिलियन डॉलर की महत्वपूर्ण खाद्य सहायता छीन लेगी, जिसके परिणामस्वरूप कई मिलियन मीलस (भोजन) उपलब्ध नहीं हो पाएँगे और पहले से ही गुज़ारा करने के लिए संघर्ष कर रहे समुदायों में भूख और बढ़ेगी।

(o) ठोस प्रमाण दर्शाते हैं कि SNAP और CalFresh न केवल भूख को कम करते हैं, बल्कि California के बच्चों के स्वास्थ्य और शैक्षिक परिणामों में भी उल्लेखनीय सुधार करते हैं, गरीबी के चक्र को तोड़ते हैं और पूरे परिवारों के लिए अधिक मजबूत भविष्य का निर्माण करते हैं।

(p) ये कटौतियाँ पहले से ही दबाव में चल रहे राज्य के प्रयासों एवं खाद्य बैंकों और CalFood एवं California खाद्य सहायता प्रोग्राम जैसी स्थानीय एजेंसियों के सीमित संसाधनों पर और भी अधिक दबाव डालेंगी।

(q) सामूहिक रूप से, संधीय वित्तपोषण और राज्य विनियोग में ये कटौतियाँ आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और पोषण तक पहुँच प्राप्त करने का प्रयास कर रहे कम और मध्यम आय वाले California वासियों के लिए लगातार बढ़ते जोखिम पैदा करती हैं। ये कटौतियाँ California

की अपने भविष्य के लिए योजना बनाने की क्षमता को भी खतरे में डालती हैं, जिसके लिए राज्य के महत्वपूर्ण प्रोग्रामों में निरंतर निवेश किया जाना आवश्यक है।

(r) California में लगभग 200 अरबपति हैं, जिनके पास सामूहिक रूप से लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति है। प्रमुख आर्थिक अनुमानों के अनुसार, ये अरबपति संधीय, राज्य और स्थानीय टैक्सों सहित वार्षिक टैक्सों में अपनी कुल संपत्ति का 1.5 प्रतिशत से भी कम भुगतान करते हैं—जो सामान्य California वासियों द्वारा भुगतान किए जाने वाले हिस्से का केवल एक छोटा सा अंश मात्र है।

(s) California में 19 मिलियन से अधिक ऐसे करदाता हैं जो अरबपति नहीं हैं। इनमें नर्सों, शिक्षकों और अग्रिशामकों जैसे कामकाजी वर्ग के लोग शामिल हैं, साथ ही अधिक आय वाले करदाता भी शामिल हैं, जैसे अत्यधिक वेतन पाने वाले पेशेवर, उद्यमी और प्रौद्योगिकी उद्योग के कर्मचारी। ये सभी California वासी अपनी वास्तविक आर्थिक आय के कहीं बड़े हिस्से पर टैक्स चुकाते हैं, जबकि राज्य के अरबपति अपेक्षाकृत छोटे हिस्से पर टैक्स चुकाते हैं। आर्थिक विश्लेषण के अनुसार, और सरकार के सभी स्तरों पर लगाए गए सभी टैक्सों को शामिल करते हुए, अरबपति अपनी आय का 24 प्रतिशत टैक्सों में चुकाते हैं, जबकि औसत करदाता 30 प्रतिशत चुकाता है। इसका अर्थ है कि सभी राज्य और संधीय टैक्सों को ध्यान में रखते हुए, औसत करदाता अपनी आर्थिक आय का औसत अरबपति की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक हिस्सा टैक्सों के रूप में चुकाता है। देखें: Akcan Balkir, Emmanuel Saez, Danny Yagan, और Gabriel Zucman, अमेरिकी अरबपति कितना टैक्स चुकाते हैं? प्रशासनिक डेटा से प्राप्त साक्ष्य, नेशनल ब्यूरो ऑफ़ इकोनॉमिक रिसर्च बर्किंग पेपर नंबर 34170 (2025)।

(t) California कानून के तहत संपत्ति टैक्स कोई नई अवधारणा नहीं है; अधिक सीमित और कम प्रगतिशील संपत्ति टैक्स पहले से ही धनी और कम आय वाले California वासियों, दोनों द्वारा चुकाए जाते हैं। इन टैक्सों में वार्षिक वाहन लाइसेंस शुल्क शामिल है, जो वाहन के मूल्य के 0.65 प्रतिशत पर आधारित टैक्स है, एवं आवास पर वार्षिक संपत्ति टैक्स शामिल है, जो किसी घर के आकलित मूल्य का लगभग 1 प्रतिशत होता है।

(u) अरबपतियों की विशाल और बढ़ती हुई संपत्ति उन्हें ऐसे विशेषाधिकार प्रदान करती है जो अधिकांश लोगों की पहुँच से बाहर हैं। जहाँ नर्स, शिक्षक, अग्रिशामक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के कर्मचारी अपनी अर्जित आय के लगभग पूरे हिस्से पर टैक्स चुकाते हैं, वहीं अरबपति बहुत बड़ी धनराशियों को कराधान से बचा सकते हैं। उनकी प्रमुख परिसंपत्तियाँ—शेयर, व्यवसाय और अचल संपत्ति—साल-दर-साल मूल्य में बढ़ती हैं, लेकिन चूँकि इस वृद्धि पर टैक्स केवल बिक्री के समय लगाया जाता है और अरबपतियों को अक्सर इन्हें बेचने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए वे अपनी बढ़ती हुई संपत्ति पर कोई टैक्स नहीं चुकाते। इसके अतिरिक्त, जब इस प्रकार की परिसंपत्तियाँ उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित की जाती हैं, तो मौजूदा कानून कई बिलियन डॉलर की ऐसी संपत्ति को विरासत में प्राप्त करना संभव बनाते हैं जिस पर कभी टैक्स नहीं लगाया गया, और इस प्रक्रिया में कभी भी आयकर देयता उत्पन्न नहीं होती। कई अरबपति जटिल वित्तीय रणनीतियों का भी उपयोग करते हैं ताकि अपनी संपत्ति को केवल “कागज़ों पर” किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित दिखा सकें, जबकि वास्तव में वे California की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढाँचे से लाभ प्राप्त करना जारी रखते हैं।

(v) विद्वानों ने दिखाया है कि अरबपतियों के लिए उपलब्ध इन खामियों को बंद करना संभव, व्यावहारिक और उचित है। वे दर्शाते हैं कि सावधानीपूर्वक तैयार की गई नीति उद्यमशीलता की सफलता को बनाए रख सकती है, साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था की रक्षा कर सकती है और प्रशासकों या व्यापक करदाता आधार पर अनुचित बोझ डालने से बच सकती है। देखें: Brian Galle, David Gamage, और Darien Shanske, Money Moves: राज्य स्तर पर धनी लोगों पर कराधान, 113 California लॉ रिव्यू 635 (2025)।

(w) 1980 के दशक से अरबपतियों की संपत्ति में हर वर्ष औसतन 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो सामान्य California वासियों के वेतन और बचत में हुई वृद्धि से बहुत अधिक है। California के अरबपतियों की सामूहिक संपत्ति 2011 में \$300 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2019 में \$700 बिलियन डॉलर और 2025 में \$2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो गई है। इस अधिनियम द्वारा लगाया गया संपत्ति टैक्स इस तीव्र वृद्धि को केवल मामूली रूप से धीमा करेगा और उससे इतनी राशि एकत्र होगी जो अरबपति आम तौर पर केवल एक वर्ष में अर्जित होने वाली संपत्ति में वृद्धि से भी कम है। California के अरबपति, टैक्स चुकाने के बाद भी, लगातार बढ़ती संपत्ति अर्जित करना जारी रखेंगे।

(x) प्रमुख अर्थशास्त्रियों के अनुसार, समग्र रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में California में अरबपतियों की संपत्ति अधिक केंद्रित है। इसके परिणामस्वरूप, राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका में संपत्ति की असमानता के व्यापक रूप से दर्ज संकट और स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा एवं भूख से राहत संबंधी प्रोग्रामों के संबंध में राज्य के सामने उभर रहे और परस्पर जुड़े संकटों—दोनों से निपटने के लिए विशिष्ट स्थिति में है।

(y) अरबपतियों ने California के संसाधनों की सहायता से अपनी असाधारण संपत्ति बनाई है और वे उस संघीय कानून के सबसे बड़े लाभार्थी थे जिसने मौजूदा राज्य बजट संकट में योगदान दिया। इसलिए, यह आवश्यक और न्यायसंगत दोनों है कि California के संसाधनों से सबसे अधिक लाभ प्राप्त करने वाले लोगों से कहा जाए कि वे अरबपतियों की संपत्ति पर एकमुश्त 5% टैक्स देने के जरिए California में स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और पोषण का समर्थन करने के लिए आनुपातिक योगदान दें।

(z) वित्तपोषण की आपातकालीन स्थिति को देखते हुए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि एकत्रित राजस्व को अनावश्यक देरी के बिना खर्च किया जा सके और किसी भी कानूनी चुनौती से उत्पन्न अनिश्चितता को दूर करने के लिए, जनता ने इस अधिनियम की त्वरित न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किया है।

अनुभाग 3. उद्देश्य और आशय।

(a) 2026 अरबपति टैक्स अधिनियम, जिसे यहाँ “अधिनियम” के तौर पर संदर्भित किया गया है, का उद्देश्य अरबपतियों की संपत्ति पर एकमुश्त टैक्स से राजस्व जुटाकर उच्च-गुणवत्ता वाली, समान स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच की रक्षा करना एवं किंडरगार्टन से कक्षा चौदह तक की सार्वजनिक शिक्षा और खाद्य सहायता प्रोग्रामों के वित्तपोषण का समर्थन करना है।

(b) इस अधिनियम से प्राप्त राजस्व का उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और पोषण की तत्काल मौजूदा आवश्यकताओं को पूरा करना है, जो संघीय और राज्य वित्तपोषण में कटौती एवं राज्य के सामने मौजूद व्यापक राजकोषीय अनिश्चितता के कारण और गंभीर हो रही हैं।

(c) इस महत्वपूर्ण राजस्व के स्रोत के रूप में अरबपतियों की संपत्ति को निर्धारित करके, यह अधिनियम उस बुनियादी अनुचितता का समाधान करता है जो इस कारण उत्पन्न होती है कि अरबपतियों द्वारा चुकाए जाने वाले आयकर के समय, स्थान और राशि को नियंत्रित करने की उनकी विशिष्ट क्षमता के कारण उनकी संपत्ति के एक बड़े हिस्से पर राज्य द्वारा कभी टैक्स नहीं लगाया जाता।

(d) यह अधिनियम सीमित रूप से लागू होने वाला एकमुश्त टैक्स लगाकर स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और खाद्य सहायता के लिए वित्तपोषण जुटाता है, जिसे प्रशासनिक रूप से लागू करना व्यावहारिक है और राज्य के सभी अरबपतियों पर प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है।

(e) इस अधिनियम का आशय समान परिस्थितियों वाले करदाताओं और परिसंपत्तियों के साथ समान व्यवहार करना है, सिवाय उस सीमा तक जहाँ मजबूत टैक्स नीति के लिए अन्यथा करना आवश्यक हो।

अनुभाग 4. California के संविधान की धारा XIII में अनुभाग 37 को इस तरह पढ़े जाने के लिए जोड़ा जाता है:

अनुभाग 37. (a) यह अनुभाग California के अरबपतियों की संचित संपत्ति पर एकमुश्त टैक्स लगाने को अधिकृत और सक्षम बनाती है, यह टैक्स उन व्यक्तियों पर लगाया जाएगा जो 2026 अरबपति टैक्स अधिनियम में परिभाषित टैक्स दायित्व की तारीख को राजस्व और करधान संहिता के अनुभागों 17014 और 17015.5 के अर्थ के अंतर्गत California के निवासी हैं।

(b) इस अनुभाग पर निम्नलिखित परिभाषाएँ लागू होंगी:

(1) “अधिनियम” से आशय 2026 अरबपति टैक्स अधिनियम से है।

(2) “आरक्षित कोष” से आशय इस अधिनियम द्वारा स्थापित 2026 अरबपति टैक्स आरक्षित कोष से है।

(c) संविधान के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद, यह अधिनियम व्यक्तिगत संपत्ति और संपदा के सभी रूपों पर, चाहे वे मूर्त हों या अमूर्त, करधान का प्रावधान करता है और California के अरबपतियों की संपत्ति पर एकमुश्त टैक्स लगाने के उद्देश्य से व्यक्तिगत संपत्ति और संपदा को अलग-अलग करधान या टैक्स से मुक्ति के लिए वर्गीकृत करने की अनुमति देता है। इस प्रकार करधान के अधीन व्यक्तिगत संपत्ति और संपदा में, बिना किसी सीमा के, पूंजीगत स्टॉक के शेयर, बॉन्ड्स या ऋण के अन्य प्रमाण एवं उनमें कोई भी कानूनी या न्यायसंगत हित शामिल हैं।

(d) 2026 अरबपति टैक्स आरक्षित कोष इसके द्वारा राज्य कोषागार में स्थापित किया जाता है। अधिनियम से प्राप्त समस्त राजस्व, जिसमें टैक्स, ब्याज और जुर्माने शामिल हैं, धनवापसियाँ घटाने के बाद, नियंत्रक द्वारा राज्य कोषागार में आरक्षित कोष के खाते में जमा किया जाएगा। कानून द्वारा निर्धारित प्रशासनिक खर्चों का हिसाब करने के बाद, नियंत्रक आरक्षित कोष में शेष धनराशि को निम्नलिखित उपखातों में आबंटित और हस्तांतरित करेगा, जिन्हें इसके द्वारा स्थापित किया जाता है: 90% अरबपति टैक्स स्वास्थ्य खाते में और 10% अरबपति टैक्स शिक्षा और खाद्य सहायता खाते में। अरबपति टैक्स स्वास्थ्य खाते और अरबपति टैक्स शिक्षा और खाद्य सहायता खाते की धनराशि कानून द्वारा निर्धारित अनुसार आबंटित की जाएगी।

(e) किसी अन्य कानून के बावजूद, आरक्षित कोष एक विशेष कोष है, जो सामान्य कोष या किसी अन्य राज्य कोष या खाते से स्थायी रूप से अलग और पृथक् रहेगा। इस अधिनियम से उत्पन्न टैक्स और धनराशियों को सामान्य कोष का हिस्सा नहीं माना जाएगा, जिस अर्थ में यह शब्द सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के प्रभाग 4 के भाग 2 के अध्याय 1 (अनुभाग 16300 से शुरू करते हुए) में प्रयुक्त है; और धारा XIII B के किसी भी अनुभाग के प्रयोजनों के लिए, या धारा XVI के अनुभाग 8 या 8.5 के प्रयोजनों के लिए, इन्हें धारा XIII B के अनुभाग 8 के तहत “सामान्य कोष का राजस्व,” “राज्य का राजस्व,” “धनराशि,” या “टैक्सों से प्राप्त आय” नहीं माना जाएगा। इस अधिनियम के माध्यम से जुटाए गए किसी भी राजस्व को धारा XVI के अनुभाग 20 के प्रयोजनों के लिए “शुद्ध पूंजीगत लाभ पर चुकाए गए व्यक्तिगत आयकर” भी नहीं माना जाएगा। इस अधिनियम द्वारा लगाए गए टैक्स, धारा XIII A के अनुभाग 1 के प्रयोजनों के लिए “अचल संपत्ति पर मूल्य-आधारित टैक्स” नहीं हैं। जिस सीमा तक धारा XIII A के किसी प्रावधान की अन्यथा ऐसी व्याख्या की जा सकती हो कि वह इस अनुभाग द्वारा अधिकृत टैक्स की दर, आधार, मूल्यांकन या अधिरोपण को सीमित या प्रतिबंधित करता है या उस पर लागू होता है, वह प्रावधान इस टैक्स पर लागू नहीं होगा और इस अनुभाग द्वारा प्रतिस्थापित माना जाएगा। सरकारी संहिता के अनुभाग 16305.7 के बावजूद, आरक्षित कोष की धनराशि पर अर्जित कोई भी ब्याज या लाभांश आरक्षित कोष में ही रखा जाएगा और केवल इस उपखंड में निर्धारित विशिष्ट उद्देश्यों एवं अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अनुसार उपयोग किया जाएगा।

(f) “धारा XIII B के तहत प्रत्येक सरकारी संस्था और राज्य के “सीमा के अधीन विनियोजन” में आरक्षित कोष से प्राप्त राजस्व के विनियोजन शामिल नहीं होंगे। आरक्षित कोष में राजस्व जमा किए जाने या उससे राजस्व का विनियोजन किए जाने के परिणामस्वरूप धारा XIII B के अनुभाग 3 के अनुसार किसी भी सरकारी संस्था की विनियोजन सीमा में किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी।

(g) सरकारी संहिता के अनुभागों 16310 और 16381 में, जैसा कि वे अनुभाग 1 जनवरी, 2025 को प्रभावी थे, दिए गए प्रावधानों को छोड़कर और इस अधिनियम में अन्यथा निर्धारित प्रावधानों को छोड़कर, आरक्षित कोष की धनराशि को उधार नहीं लिया जाएगा, ऋण के रूप में नहीं दिया जाएगा और न ही अन्यथा सामान्य कोष या किसी अन्य राज्य या स्थानीय कोष या खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। आरक्षित कोष में जमा की गई धनराशि का उपयोग केवल कानून द्वारा निर्धारित विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जो आरक्षित कोष की स्थिति को स्थायी या अस्थायी रूप से बदलती हो, या आरक्षित कोष की धनराशि को इस उपखंड के साथ असंगत तरीके से उधार लेती हो, अन्यत्र उपयोग के लिए मोड़ती हो या विनियोजित करती हो।

(h) अनुभाग 32 या कानून के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद, 2026 अरबपति टैक्स अधिनियम को उसके स्वरूप के आधार पर दी गई चुनौती का निर्णय राजस्व और करधान संहिता के अनुभाग 50314 के तहत वैधता संबंधी कार्रवाई के माध्यम से करने की अनुमति होगी, और इसके लिए उस टैक्स का भुगतान करना आवश्यक नहीं होगा जिसके स्वरूप के आधार पर अमान्य होने का दावा किया गया है। इस उपखंड को मौजूदा प्राधिकार या इस अधिनियम के अलावा कानून के विकास के संबंध में कोई निहितार्थ उत्पन्न किए बिना अपनाया गया है। इस उपखंड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी करदाता के इस अधिकार को सीमित करता हो कि वह इस अधिनियम के तहत लगाया गया टैक्स चुकाए और धनवापसी या न्यायिक समीक्षा की मांग करे, या ऐसी कोई अन्य कार्रवाई करे जो अन्यथा कानून द्वारा अधिकृत हो और इस उपखंड के साथ असंगत न हो।

अनुभाग 5. धारा 1.1 (अनुभाग 16355 से शुरू होते हुए) को इस प्रकार से पढ़े जाने के लिए सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के प्रभाग 4 के भाग 2 के अध्याय 2 में जोड़ा जाता है:

धारा 1.1. 2026 अरबपति टैक्स आरक्षित कोष

16355. (a) California के संविधान की धारा XIII के अनुभाग 37 में 2026 अरबपति टैक्स आरक्षित कोष की स्थापना का प्रावधान है, जिसमें 2026 अरबपति टैक्स अधिनियम से प्राप्त समस्त राजस्व जमा किया जाएगा।

(b) उपखंड (e) में निर्धारित प्रशासनिक खर्चों का हिसाब करने के बाद, नियंत्रक आरक्षित कोष में शेष धनराशि को निम्नलिखित प्रकार से आबंटित और हस्तांतरित करेगा:

(1) नब्बे प्रतिशत अरबपति टैक्स स्वास्थ्य खाते में स्वास्थ्य देखभाल के वित्तपोषण के लिए आबंटित किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं: संधीय वित्तपोषण या राज्य विनियोजन में किसी भी कटौती को बहाल करने या उसका समाधान करने के लिए व्यय; कम और मध्यम आय वाले व्यक्तियों के लिए Medi-Cal और अन्य स्वास्थ्य कवरेज प्रोग्रामों की रक्षा या उनमें सुधार के लिए निवेश; कमजोर आबादी को सेवाएँ प्रदान करने वाले सुरक्षा-जाल वाले स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के लिए सहायता; स्वास्थ्य सुविधा-स्थलों को बंद होने या सेवाओं के स्तर में कटौती को रोकना या उनके प्रभाव को कम करना; एवं स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच, कवरेज, लाभ, वित्तपोषण, सेवाओं और प्रदाताओं को किए जाने वाले भुगतानों का समर्थन करने के लिए अन्य निवेश।

(2) दस प्रतिशत अरबपति टैक्स शिक्षा और खाद्य सहायता खाते में शिक्षा संबंधी और खाद्य सहायता व्ययों के लिए आबंटित किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित दोनों शामिल हैं:

(A) संधीय वित्तपोषण या राज्य विनियोजन में किसी भी कटौती को बहाल करने या उसका समाधान करने के लिए शिक्षा संबंधी व्यय, या किंडरगार्टन से कक्षा 14 तक की सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली की रक्षा या उसे बेहतर बनाने के लिए निवेश।

(B) संधीय वित्तपोषण या राज्य विनियोजन में किसी भी कटौती को बहाल करने या उसका समाधान करने के लिए खाद्य सहायता संबंधी व्यय, या CalFresh, CFAP, CalFood या स्कूल भोजन के लिए California के सार्वभौमिक भोजन प्रोग्रामों सहित प्रोग्रामों में अतिरिक्त निवेश।

(c) विधान मंडल को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अरबपति टैक्स स्वास्थ्य खाते से अधिकतम बाईस बिलियन पाँच सौ मिलियन डॉलर (\$22,500,000,000) और प्रत्येक वर्ष अरबपति टैक्स शिक्षा और खाद्य सहायता खाते से अधिकतम दो बिलियन पाँच सौ मिलियन डॉलर (\$2,500,000,000) विनियोजित करने का अधिकार होगा। यदि विधान मंडल यह निर्धारित करता है कि इस विधेयक के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए धनराशियों को आरक्षित रखना आवश्यक है, तो वह कम राशि विनियोजित कर सकता है।

(d) आरक्षित कोष से धनराशि का विनियोजन, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा या खाद्य सहायता प्रोग्रामों के लिए राज्य के अन्य विनियोजनों को कम करने, समाप्त करने या बढ़ाने में विफल रहने के औचित्य के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा। इस विधेयक से प्राप्त निधिकरण के विनियोजन का उपयोग स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा या खाद्य सहायता प्रोग्रामों के लिए मौजूदा राज्य निधिकरण का स्थान लेने के लिए नहीं किया जाएगा।

(e) वित्त निदेशक, इस अधिनियम के पारित होने के बाद पहले वर्ष के लिए, इस अधिनियम के तहत फ्रैंचाइज़ टैक्स बोर्ड के कर्तव्यों के प्रशासन एवं उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने से संबंधित वास्तविक और आवश्यक लागतों के लिए, आरक्षित कोष या सामान्य कोष से प्रारंभिक ऋण के रूप में अधिकतम पचास मिलियन डॉलर (\$50,000,000) फ्रैंचाइज़ टैक्स बोर्ड को हस्तांतरित करेगा। इस उपखंड के अनुसार दिया गया कोई भी ऋण 2026 अरबपति टैक्स अधिनियम के अनुसार एकत्र किए गए टैक्स से चुकाया जाएगा और यह भुगतान आरक्षित कोष से कोई व्यय या विनियोजन किए जाने से पहले किया जाएगा। बाद के वर्षों में, इस अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों के प्रशासन और उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने से संबंधित वास्तविक और आवश्यक लागतों के लिए फ्रैंचाइज़ टैक्स बोर्ड को आरक्षित कोष से हर वर्ष प्रतिपूर्ति की जाएगी। इस अधिनियम के प्रशासन के लिए फ्रैंचाइज़ टैक्स बोर्ड द्वारा किए गए किसी भी अंतर-एजेंसी समझौते की लागत इस उपखंड में उपलब्ध कराई गई धनराशियों से पूरी की जाएगी।

(f) 2026 अरबपति टैक्स अधिनियम के अधिनियमन पर और उसके बाद प्रत्येक ऐसे वित्तीय वर्ष में जब तक आरक्षित कोष अस्तित्व में है, वित्त विभाग संबंधित राज्य एजेंसियों के परामर्श से विधान मंडल को निम्नलिखित सभी जानकारी प्रदान करेगा:

(1) रिपोर्टिंग की तारीख तक आरक्षित कोष में वर्तमान शेष राशि।

(2) चालू वित्तीय वर्ष के लिए आरक्षित कोष हेतु उत्पन्न होने वाले अनुमानित राजस्व की राशि, और उस अवधि के लिए अनुमानित राजस्व की राशि जिसके दौरान 2026 अरबपति टैक्स अधिनियम से आरक्षित कोष के लिए राजस्व उत्पन्न होने की संभावना है।

(3) संघीय वित्तपोषण और राज्य विनियोगों में कटौती की भरपाई के लिए आवश्यक अनुमानित और, जहाँ उचित रूप से निर्धारित किया जा सके, वास्तविक राशियाँ, जैसा कि उपखंड (h) में परिभाषित है।

(4) आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आरक्षित कोष से प्रस्तावित व्यय, जिनका उद्देश्य उपखंड (h) में परिभाषित संघीय वित्तपोषण और राज्य विनियोगों में कटौती की भरपाई करना है।

(5) आरक्षित कोष से पूर्व में किए गए व्यय, यदि कोई हों, और उनका आबंटन।

(6) संघीय वित्तपोषण और राज्य विनियोगों में भविष्य में होने वाली संभावित कटौतियों के आधार पर बाद के वित्तीय वर्षों के लिए आरक्षित रखने की अनुशंसित राशि, यदि कोई हो।

(7) यह प्रमाणन कि आरक्षित कोष की धनराशि का उपयोग ऐसे राज्य वित्तपोषण का स्थान लेने या उसे प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं किया जा रहा है, जिसे अन्यथा विनियोजित किया जाता।

(g) वित्त विभाग के निदेशक द्वारा यह निर्धारित किए जाने पर कि 2026 अरबपति टैक्स अधिनियम से प्राप्त सभी राजस्व एकल और खर्च किए जा चुके हैं, विधान मंडल को आरक्षित कोष समाप्त करने का अधिकार होगा।

(h) इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए:

(1) “संघीय वित्तपोषण में कटौती” और संघीय वित्तपोषण में कमी या कटौती के अन्य संदर्भों से आशय स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा या खाद्य सहायता प्रोग्रामों के लिए California को प्रदान की जाने वाली संघीय वित्तीय भागीदारी, अनुदान, भुगतान, प्रतिपूर्ति या अन्य संघीय वित्तपोषण में किसी भी कमी से है, जिसकी तुलना राज्य वित्तीय वर्ष 2024-25 के स्तरों से की जाएगी और जिसे मुद्रास्फीति एवं जनसंख्या वृद्धि के अनुसार समायोजित किया जाएगा, इसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है: (A) Medicaid के संघीय चिकित्सा सहायता प्रतिशतों में कटौती; (B) संघीय पात्रता नियमों में ऐसे बदलाव जो कवरेज प्राप्त आबादी को कम करते हैं; (C) संघीय विवेकाधीन विनियोगों में कटौती; (D) संघीय प्रदाता टैक्स या निर्देशित भुगतानों पर अधिकतम सीमाएँ या प्रतिबंध; (E) कार्य संबंधी आवश्यकताएँ या अन्य प्रशासनिक शर्तें जो नामांकन को कम करती हैं; (F) पूर्वव्यापी कवरेज अवधियों में कटौती; (G) सार्वजनिक कानून 119-21 का कार्यान्वयन; या (H) संघीय वित्तपोषण में अन्य कटौतियाँ, जो कम और मध्यम आय वाले व्यक्तियों को प्रभावित करने वाले Medi-Cal या अन्य स्वास्थ्य देखभाल कवरेज, पहुँच, लाभों, वित्तपोषण, प्रोग्रामों, सेवाओं और प्रदाताओं को भुगतानों में कटौती का खतरा उत्पन्न करती हैं या ऐसी कटौतियों का कारण बनती हैं; या राज्यव्यापी शिक्षा या खाद्य सहायता वित्तपोषण, या अधिक व्यापक रूप से स्वास्थ्य देखभाल सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित करती हैं।

(2) “राज्य विनियोगों में कटौती” या राज्य विनियोगों में कमी या कटौती के अन्य संदर्भों से आशय किसी भी और सभी राज्यव्यापी स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा या खाद्य सहायता प्रोग्रामों के लिए विनियोगों में राज्य वित्तीय वर्ष 2024-25 के स्तर से नीचे की ऐसी कमी से है, जिसके परिणामस्वरूप कम और मध्यम आय वाले व्यक्तियों को प्रभावित करने वाले Medi-Cal या अन्य स्वास्थ्य देखभाल कवरेज, पहुँच, लाभों, वित्तपोषण, प्रोग्रामों, सेवाओं और प्रदाताओं को किए जाने वाले भुगतानों में कटौती होती है, जब तक कि ये कटौतियाँ संघीय वित्तपोषण में कटौती से स्वतंत्र, दस्तावेजीकृत मामलों की संख्या, नामांकन या जनसंख्या में गिरावट के कारण न हुई हों; या सार्वजनिक किंडरगार्टन से कक्षा 14 तक के शिक्षा प्रोग्रामों या खाद्य सहायता प्रोग्रामों के लिए राज्य विनियोगों में कटौती से है।

(3) “आरक्षित कोष” से आशय 2026 अरबपति टैक्स आरक्षित कोष से है।

अनुभाग 6. राजस्व और कराधान संहिता के अनुभाग 17220 को इस तरह पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

17220. (a) राज्य, स्थानीय और विदेशी आय, युद्ध लाभ और अतिरिक्त लाभ टैक्स की कटौती-योग्यता से संबंधित आंतरिक राजस्व संहिता का अनुभाग 164(a)(3) लागू नहीं होगा।

(b) सामान्य बिक्री टैक्स से संबंधित आंतरिक राजस्व संहिता का अनुभाग 164(b)(5) लागू नहीं होगा।

(c) टैक्स-योग्य वर्ष 2018 से 2025 के लिए व्यक्तिगत कटौतियों की सीमा से संबंधित आंतरिक राजस्व संहिता का अनुभाग 164(b)(6) लागू नहीं होगा।

(d) कुछ टैक्स संबंधी मामलों में कटौती की अनुमति न दिए जाने से संबंधित आंतरिक राजस्व संहिता के अनुभाग 164(c) के प्रावधानों के अतिरिक्त, इस भाग के अध्याय 10.5 (अनुभाग 17935 से शुरू होते हुए), अध्याय 10.6 (अनुभाग 17941 से शुरू होते हुए), या अध्याय 10.7 (अनुभाग 17948 से शुरू होते हुए), या भाग 11 (अनुभाग 23001 से शुरू होते हुए) के तहत लगाए गए किसी भी टैक्स के लिए कोई कटौती अनुमत नहीं होगी।

(e) व्यक्तिगत संपत्ति पर टैक्स की कटौती-योग्यता से संबंधित आंतरिक राजस्व संहिता के अनुभाग 164(a)(2) सहित कानून के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद, राज्य द्वारा निवल संपत्ति पर लगाए गए किसी भी टैक्स, जिसमें 2026 अरबपति टैक्स अधिनियम (भाग 27 (अनुभाग 50300 से शुरू होते हुए)) शामिल है, के लिए कोई कटौती अनुमत नहीं होगी।

अनुभाग 7. राजस्व और कराधान संहिता के प्रभाग 2 में भाग 27 (अनुभाग 50300 से शुरू होते हुए) को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए जोड़ा जाता है:

भाग 27. 2026 अरबपति टैक्स अधिनियम

अध्याय 1. \$1 बिलियन डॉलर से अधिक निवल संपत्ति वाली व्यक्तिगत संपदा पर टैक्स लगाना

50300. इस भाग को 2026 अरबपति टैक्स अधिनियम के नाम से जाना जाएगा और इसी नाम से इसका उल्लेख किया जा सकता है।

50301. (a) टैक्स वर्ष 2026 के लिए, एक बिलियन डॉलर (\$1,000,000,000) या उससे अधिक निवल संपत्ति वाले लागू होने वाले व्यक्तियों द्वारा संपदा के अत्यधिक संचय को बनाए रखने की गतिविधि पर, और लागू होने वाले ट्रस्टों पर, उत्पाद शुल्क टैक्स लगाया जाता है। इस भाग के प्रयोजनों के लिए, कोई व्यक्ति या ट्रस्ट लागू होने वाले व्यक्ति या लागू होने वाला ट्रस्ट है या नहीं, यह टैक्स दायित्व की तारीख के अनुसार निर्धारित किया जाएगा, और टैक्स के अधीन निवल संपत्ति की राशि का आकलन मूल्यांकन की तारीख के अनुसार किया जाएगा। रिटर्न दाखिल करने से संबंधित इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए, विवाहित दंपति को एक ही व्यक्ति माना जाएगा।

(b) जिन व्यक्तियों और ट्रस्टों पर उपखंड (a) के तहत टैक्स लगाया जाता है, उन पर लगाया गया टैक्स ऐसे व्यक्ति या ट्रस्ट की निवल संपत्ति का 5 प्रतिशत होगा। ट्रस्ट के अलावा किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसकी निवल संपत्ति एक बिलियन दस करोड़ डॉलर (\$1,100,000,000) से कम है, इस अनुभाग द्वारा लगाया गया टैक्स उस प्रत्येक दो मिलियन डॉलर (\$2,000,000) के लिए 0.1 प्रतिशत अंक कम किया जाएगा, जितनी

राशि से उस व्यक्ति की निवल संपत्ति एक बिलियन दस करोड़ डॉलर (\$1,100,000,000) से कम है; लेकिन टैक्स को शून्य से नीचे कम नहीं किया जाएगा। ट्रस्ट के अलावा किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जो अनुभाग 50304 के अनुसार वैकल्पिक स्थगन खाता (ODA) शुरू करने का विकल्प चुनता है, ODA से संबद्ध परिसंपत्तियाँ तब तक इस अनुभाग के तहत टैक्स के अधीन नहीं होंगी, जब तक कि अनुभाग 50304 में निर्दिष्ट न किया गया हो।

(c) उपखंड (b) में दिए गए प्रावधान को छोड़कर, किसी भी टैक्स वर्ष के लिए इस अनुभाग या अनुभाग 50304 के परिणामस्वरूप देय कोई भी अतिरिक्त टैक्स, भाग 10 (अनुभाग 17001 से शुरू होते हुए) के तहत करदाता के वार्षिक आय टैक्स के साथ रिपोर्ट किया जाएगा और उसी समय देय होगा। इस अनुभाग के तहत लगाए गए किसी अतिरिक्त टैक्स का भुगतान करने वाले करदाता के पास यह विकल्प होगा कि वह या तो (1) इस भाग के तहत देय किसी भी टैक्स का भुगतान टैक्स वर्ष 2026 के लिए देय किसी भी आय टैक्स के साथ करे; या (2) जिस वर्ष टैक्स देय हो, उस वर्ष से शुरू करके पाँच समान वार्षिक किस्तों में भुगतान करे, जिसमें प्रत्येक बाद की वार्षिक किस्त पर शेष बकाया राशि का 7.5 प्रतिशत वार्षिक गैर-कटौती योग्य स्थगन शुल्क भी लागू होगा।

(d) टैक्स वर्ष 2026 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने से संबंधित अनुभाग 18501 के अनुसार रिटर्न दाखिल करते समय, रिटर्न दाखिल करने के लिए आवश्यक प्रत्येक California निवासी व्यक्ति निम्नलिखित में से कोई एक कार्य करेगा:

(1) यह घोषणा करेगा कि मूल्यांकन की तारीख को व्यक्ति की निवल परिसंपत्तियों का मूल्य एक बिलियन डॉलर (\$1,000,000,000) या उससे कम था।

(2) इस भाग के तहत देय किसी भी अतिरिक्त टैक्स की राशि की घोषणा, इस भाग के तहत देय किसी अतिरिक्त टैक्स की गणना के लिए बोर्ड द्वारा तैयार किए गए किसी भी फॉर्म के साथ, एवं किसी भी आवश्यक मूल्यांकन या उचित बाजार मूल्य के अन्य प्रमाण सहित जमा करेगा। ऐसे लागू होने वाले व्यक्ति के मामले में जिसे अनुभाग 18501 के तहत रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है, वह व्यक्ति आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए अन्यथा आवश्यक समय और तरीके से इस अनुच्छेद में वर्णित घोषणा, फॉर्म, मूल्यांकन या प्रमाण जमा करेगा।

(e) बोर्ड की लेखा-परीक्षण संबंधी ज़िम्मेदारी।

(1) बोर्ड इस भाग के अनुसार जमा किए गए सभी रिटर्न की जाँच करेगा और इस भाग के तहत टैक्स की सही राशि निर्धारित करेगा। जब बोर्ड को उचित रूप से यह विश्वास हो कि करदाताओं को इस भाग द्वारा लगाया गया टैक्स चुकाना चाहिए था, तो बोर्ड उन करदाताओं के सभी प्रमाणपत्रों या रिटर्न की भी जाँच करेगा। बोर्ड की किसी अन्य शक्ति को सीमित किए बिना, करदाताओं द्वारा दाखिल रिटर्न की जाँच करने और यह जाँच करने में कि क्या करदाताओं को रिटर्न दाखिल करना चाहिए था लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बोर्ड के पास अनुभाग 19504 में प्रदान की गई सभी शक्तियाँ होंगी।

(2) पिछले अनुच्छेद के बावजूद, परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त जाँच की अवधि और प्रकृति निर्धारित करने में बोर्ड अपने विवेकपूर्ण निर्णय का प्रयोग करने का अधिकार बनाए रखेगा।

अध्याय 2. निवल संपत्ति की गणना

50302. करदाता की निवल संपत्ति निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए करदाता द्वारा देय वास्तविक ऋणों और अन्य देनदारियों को ध्यान में रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त, ऋणों और देनदारियों को निम्नलिखित सीमाओं के अधीन ध्यान में रखा जाएगा:

(a) ऐसे पूर्ण-दायित्व ऋण, जिनके लिए करदाता पूरी तरह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है और जिन पर दिवालियापन कानून से उत्पन्न सीमाओं के अलावा कोई अन्य सीमा नहीं है, पूरी तरह ध्यान में रखे जाएँगे।

(b) उपखंड (a) में वर्णित पूर्ण-दायित्व वाले ऋणों के अलावा अन्य ऋणों के मामले में, प्रत्येक ऋण या देनदारी के लिए ध्यान में रखी जाने वाली राशि, उस ऋण या देनदारी के लिए संपार्श्विक के रूप में काम करने वाली परिसंपत्तियों के कारण करदाता की निवल संपत्ति में शामिल राशि से अधिक नहीं होगी।

(c) करदाता के एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय के ऋण और अन्य देनदारियाँ निवल संपत्ति को उसी प्रकार कम करेंगी जैसे कि वे करदाता के स्वयं के ऋण या अन्य देनदारियाँ हों। करदाता की शुद्ध संपत्ति को किसी साझेदारी, सीमित देयता कंपनी या किसी अन्य व्यावसायिक संस्था, एकल स्वामित्व को छोड़कर, के उन ऋणों या अन्य देनदारियों की राशि से कम नहीं किया जाएगा, जिन्हें टैक्स की गणना के प्रयोजनों के लिए करदाता को आबंटित किया गया हो, सिवाय उस सीमा तक जहाँ करदाता उस ऋण या अन्य देनदारी के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हो।

(d) किसी अन्य व्यक्ति के ऋणों या अन्य देनदारियों की करदाता द्वारा दी गई गारंटी के आधार पर करदाता की शुद्ध संपत्ति कम नहीं की जाएगी।

(e) कोई भी ऋण या देनदारी, जिसमें उपखंड (a) में वर्णित पूर्ण-दायित्व ऋण (वापसी की शर्त वाले ऋण) भी शामिल हैं, शुद्ध संपत्ति को कम नहीं करेगा यदि वह ऋण या देनदारी किसी संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों को देय हो; यदि उस देनदारी का अस्तित्व या उसकी राशि ऐसी भावी घटनाओं पर निर्भर हो जिनके घटित होने की पर्याप्त अनिश्चितता हो, या जिनके अगले पाँच वर्षों के भीतर घटित होने की पर्याप्त अनिश्चितता हो; या यदि उस ऋण या देनदारी पर स्वतंत्र पक्षों के बीच सामान्य व्यावसायिक शर्तों पर बातचीत नहीं की गई हो। इसके अतिरिक्त, किसी भी ऋण या देनदारी के लिए कोई राशि तब तक ध्यान में नहीं ली जाएगी जब तक करदाता से बाजार दर के अनुसार ब्याज नहीं लिया जा रहा हो।

(f) किसी धर्मार्थ या परोपकारी संगठन को भविष्य में योगदान देने की कोई प्रतिज्ञा शुद्ध संपत्ति को तब तक कम नहीं करेगी जब तक वह वचन उस संगठन द्वारा कानूनी रूप से प्रवर्तनीय न हो जिसे वह योगदान देने का वचन दिया गया है; और किसी भी स्थिति में, यदि ऐसा वचन 15 अक्टूबर, 2025 के बाद किया गया हो, तो वह शुद्ध संपत्ति को कम नहीं कर सकता।

(g) किसी करदाता के वे ऋण या देनदारियाँ, जिनके बदले करदाता भविष्य में लाभ या भविष्य के स्वामित्व अधिकार प्राप्त करने का हकदार हो, जिसमें किसी संस्था में भविष्य की तारीख को योगदान करने का संविदात्मक दायित्व भी शामिल है, शुद्ध संपत्ति को केवल उस सीमा तक कम करेंगे जहाँ:

(1) उन भावी लाभों या स्वामित्व अधिकारों का मूल्य करदाता की शुद्ध परिसंपत्तियों में शामिल किया गया हो।

(2) करदाता स्पष्ट और ठोस साक्ष्य के माध्यम से यह प्रदर्शित कर सकता है कि ऋण या देनदारी के तहत देय राशि ऐसे किसी भी भावी लाभ या स्वामित्व अधिकारों के मूल्य से अधिक है, जो करदाता की शुद्ध परिसंपत्तियों में शामिल नहीं हैं।

(3) किसी धर्मार्थ या परोपकारी संगठन को भविष्य में योगदान देने के कानूनी रूप से प्रवर्तनीय वचन के मामले में, उसके बदले प्राप्त होने वाले किसी भी भावी लाभ का मूल्य शून्य माना जाएगा, सिवाय उस सीमा तक जहाँ ऐसे लाभ योगदानकर्ता का धर्मार्थ योगदान कटौती निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त लाभ माने जाएँगे।

50303. (a) जब तक बोर्ड द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो, और इस अनुभाग में अन्यथा निर्धारित प्रावधानों को छोड़कर, करदाता के स्वामित्व वाली प्रत्येक परिसंपत्ति का उचित बाजार मूल्य वह कीमत होगी जिस पर वह परिसंपत्ति एक इच्छुक खरीदार और एक इच्छुक विक्रेता के बीच हस्तांतरित होगी, जहाँ न तो खरीदार खरीदने के लिए और न ही विक्रेता बेचने के लिए किसी बाध्यता के अधीन हो, और दोनों को संबंधित तथ्यों की उचित जानकारी हो। जहाँ उपयुक्त हो, परिसंपत्ति के स्थान को ध्यान में रखा जाएगा। ऐसी परिसंपत्ति के लिए जिसे आम तौर पर जनता खुदरा बाजार में प्राप्त करती है, परिसंपत्ति का उचित बाजार मूल्य वह कीमत होगी जिस पर वह वस्तु या उसकी तुलनीय वस्तु खुदरा में बेची जाएगी। किसी परिसंपत्ति का उचित बाजार मूल्य निम्नलिखित में से कोई नहीं होगा:

(1) वह कीमत जो संपत्ति की जबरन बिक्री से प्राप्त होगी।

(2) उस बाजार के अलावा किसी अन्य बाजार में बिक्री मूल्य, जिसमें संपत्ति आम तौर पर जनता को सबसे अधिक बेची जाती है, यदि उस बाजार की कीमत के परिणामस्वरूप उचित बाजार मूल्य कम हो जाता हो; हालांकि, प्रतिबंधित खुले स्थान की भूमि के मूल्यांकन से संबंधित अनुभाग 423 के अधीन संपत्ति के मामले में यह अपवाद लागू नहीं होगा।

(b) किसी परिसंपत्ति की कोई विशेषता, जिसमें शेयरधारक अधिकार योजना भी शामिल है, को परिसंपत्ति का मूल्य निर्धारित करते समय ध्यान में नहीं रखा जाएगा, यदि उस विशेषता को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य और प्रभाव परिसंपत्ति के मूल्यांकित मूल्य को कम करना हो। किसी भी मूल्यांकन संबंधी या अन्य छूट को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, यदि उस छूट का प्रभाव किसी परिसंपत्ति में आंशिक हित के मूल्य को संपूर्ण परिसंपत्ति के मूल्य में करदाता के आनुपातिक हिस्से से कम करना हो।

(c) निम्नलिखित विशिष्ट प्रकार की परिसंपत्तियों पर निम्नलिखित मूल्यांकन के तरीके, अपवर्जन और रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ लागू होंगी:

(1) सार्वजनिक रूप से कारोबार की जाने वाली सभी परिसंपत्तियों के लिए, परिसंपत्ति का उचित बाजार मूल्य, अनुभाग 50308 के उपखंड (o) में परिभाषित मूल्यांकन तिथि पर उसका बाजार कारोबार मूल्य माना जाएगा।

(2) सभी एकल स्वामित्व व्यवसायों के लिए, एकल स्वामित्व व्यवसाय के स्वामित्व वाली या उसके माध्यम से धारित सभी परिसंपत्तियों की रिपोर्टिंग और उनका मूल्यांकन इस प्रकार किया जाएगा मानो वे एकल स्वामित्व व्यवसाय के माध्यम से नहीं, बल्कि सीधे करदाता के स्वामित्व और धारण में हों।

(3) अनुच्छेद (1) और (2) द्वारा शासित परिसंपत्तियों और संस्थाओं को छोड़कर, किसी भी व्यावसायिक संस्था में सभी हितों के लिए, जिसमें सभी इक्विटी और स्वामित्व हित, सभी ऋण हित एवं अन्य सभी संविदात्मक या गैर-संविदात्मक हित शामिल हैं, का मूल्यांकन निम्नलिखित प्रकार से किया जाएगा:

(A) करदाता इस अध्याय के अनुसार फॉर्म दाखिल करते समय निम्नलिखित की रिपोर्ट करेगा:

(i) करदाता के स्वामित्व में व्यावसायिक संस्था का प्रतिशत।

(ii) टैक्स वर्ष के अंत तक व्यावसायिक संस्था का बही मूल्य, जो सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित किया गया हो।

(iii) सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार टैक्स वर्ष में व्यावसायिक संस्था का बही लाभ। इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, व्यावसायिक संस्था के “टैक्स वर्ष” से आशय व्यावसायिक संस्था के उस

नवीनतम टैक्स वर्ष से है जो करदाता के टैक्स वर्ष के भीतर या उसके साथ समाप्त होता है।

(B) यदि उप-अनुच्छेद (A) के तहत आवश्यक रिपोर्टिंग करना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि करदाता के पास व्यावसायिक संस्था के बही मूल्य या बही लाभ की जानकारी नहीं है और उसे वह जानकारी प्राप्त करने का अधिकार भी नहीं है, तो करदाता को व्यावसायिक संस्था में अपने सभी हितों का प्रमाणित मूल्यांकन प्रस्तुत करना होगा।

(C) ऐसे किसी भी हित के लिए जो मतदान या अन्य प्रत्यक्ष नियंत्रण अधिकार प्रदान करते हैं, करदाता के स्वामित्व में व्यावसायिक संस्था का प्रतिशत, समग्र मतदान या अन्य प्रत्यक्ष नियंत्रण अधिकारों में करदाता के प्रतिशत से कम नहीं माना जाएगा।

(D) किसी व्यावसायिक संस्था में किसी भी लाभ हित के लिए, करदाता के स्वामित्व में संस्था का प्रतिशत, संस्था के लाभ में उस अधिकतम प्रतिशत हित से कम नहीं माना जाएगा जिसे करदाता अर्जित कर सकता है, भले ही वह लाभ हित ऐसी पूर्व शर्त के अधीन हो जो अभी तक पूरी नहीं हुई है।

(E) अनुच्छेद (1) और (2) द्वारा शासित परिसंपत्तियों और संस्थाओं को छोड़कर, किसी भी व्यावसायिक संस्था में अन्य सभी हितों के लिए—जिसमें सभी इक्विटी और अन्य स्वामित्व हित, सभी ऋण हित एवं अन्य सभी संविदात्मक या गैर-संविदात्मक हित शामिल हैं—किसी भी टैक्स वर्ष के अंत में उन हितों का उचित बाजार मूल्य निम्नलिखित राशि माना जाएगा: सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार टैक्स वर्ष के अंत में व्यावसायिक संस्था का बही मूल्य, उसमें सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वर्तमान टैक्स वर्ष और, यदि उपलब्ध हों, उससे पहले के दो टैक्स वर्षों के औसत वार्षिक बही लाभ का 7.5 गुना वर्तमान-मूल्य गुणक जोड़कर प्राप्त कुल राशि; और फिर इस संपूर्ण राशि को टैक्स वर्ष के अंत में करदाता के स्वामित्व में व्यावसायिक संस्था के प्रतिशत से गुणा किया जाएगा। किसी निजी इक्विटी संस्था के मामले में, यह मूल्य इस उपखंड के अनुसार निर्धारित उस निजी इक्विटी संस्था के स्वामित्व वाली प्रत्येक संस्था के मूल्य के कुल योग में से, लाभ हितों को छोड़कर, निजी इक्विटी संस्था की देनदारियाँ घटाने पर प्राप्त राशि से कम नहीं होगा। इस उप-अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, यदि संबंधित अवधि के दौरान औसत बही लाभ शून्य से कम है, तो उसे शून्य माना जाएगा। यदि मूल्यांकन किए जाने वाले व्यवसाय द्वारा अपनी बहियों और रिकॉर्डों को लगातार किसी अन्य लेखांकन पद्धति के अनुसार रखा जाता है और उसी पद्धति का उपयोग करके आय और व्ययों की रिपोर्ट की जाती है, तो बोर्ड करदाता को सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अलावा उस अन्य लेखांकन पद्धति का उपयोग करके बही मूल्य और बही लाभ की गणना करने की अनुमति दे सकता है।

(F) यदि करदाता या बोर्ड स्पष्ट और ठोस साक्ष्य से यह प्रदर्शित कर सकता है कि उप-अनुच्छेद (C), (D) या (E) के तहत अनुमानित मूल्य, करदाता के स्वामित्व वाली व्यावसायिक संस्था के वास्तविक मूल्य या करदाता के स्वामित्व वाले प्रतिशत को काफी अधिक या कम दर्शाएगा, तो करदाता या बोर्ड इसके बजाय करदाता के स्वामित्व में व्यावसायिक संस्था के प्रतिशत का प्रमाणित मूल्यांकन प्रस्तुत कर सकता है और फिर अनुमानित प्रतिशत पद्धति के स्थान पर प्रमाणित मूल्यांकन का उपयोग कर सकता है।

(4) करदाता द्वारा सीधे धारित या प्रतिसंहरणीय ट्रस्ट के माध्यम से धारित किसी भी अचल संपत्ति में सभी हितों को शुद्ध संपत्ति में शामिल नहीं किया जाएगा। जिस सीमा तक अचल संपत्ति का मूल्यांकन आवश्यक हो, अनुभाग 25129 के तहत कॉर्पोरेट आयकर के संपत्ति कारक की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले मूल्य का उपयोग किया जाएगा।

(5) California के बाहर स्थित मूल व्यक्तिगत संपत्ति को बाहर रखा जाएगा यदि वह 2026 के दौरान कम से कम 270 दिनों तक California के बाहर स्थित रही हो; हालांकि, यदि किसी परिसंपत्ति को टैक्स से बचने के महत्वपूर्ण उद्देश्य से अस्थायी रूप से स्थानांतरित किया गया हो, तो उसे इस प्रकार बाहर नहीं रखा जाएगा।

(6) ट्रस्टों में सभी हितों के लिए शुद्ध संपत्ति निम्नलिखित प्रकार से निर्धारित की जाएगी:

(A) किसी व्यक्ति की शुद्ध संपत्ति में उस व्यक्ति के किसी भी अनुदानकर्ता ट्रस्ट की शुद्ध संपत्ति शामिल होगी।

(B) अनुभाग 50301 के उपखंड (a) के तहत यह निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए कि किसी व्यक्ति की शुद्ध संपत्ति एक बिलियन डॉलर (\$1,000,000,000) या एक बिलियन एक सौ मिलियन डॉलर (\$1,100,000,000) से अधिक है या नहीं, शुद्ध संपत्ति में किसी भी ऐसे ट्रस्ट द्वारा धारित संपत्ति का मूल्य शामिल होगा—अनुदानकर्ता ट्रस्ट या टैक्स-मुक्त ट्रस्ट को छोड़कर—जिसमें उस व्यक्ति ने संपत्ति हस्तांतरित की है या करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और California के संविधानों के अनुरूप सीमा तक, सभी प्रयोजनों के लिए अनुदानकर्ता ट्रस्ट या टैक्स-मुक्त ट्रस्ट को छोड़कर, शुद्ध संपत्ति में किसी भी ऐसे ट्रस्ट द्वारा धारित संपत्ति का मूल्य शामिल होगा, जिसमें व्यक्ति 2026 में संपत्ति हस्तांतरित करता है, एवं 2025 में हस्तांतरित ऐसी संपत्ति के मूल्य का 75 प्रतिशत शामिल होगा। यदि एक से अधिक व्यक्तियों ने ऐसे किसी ट्रस्ट में संपत्ति हस्तांतरित की है, तो योगदान करने वाले व्यक्ति की शुद्ध संपत्ति, जिस भी प्रयोजन के लिए उस पर विचार किया जाए, ट्रस्ट की संपत्ति के मूल्य के उस अनुपात से बढ़ाई जाएगी जो उस व्यक्ति द्वारा ट्रस्ट में हस्तांतरित की गई संपत्ति के मूल्य के हिस्से के बराबर हो, जिसकी तुलना ट्रस्ट में हस्तांतरित समस्त संपत्ति के मूल्य से की गई हो।

(C) किसी ट्रस्ट के लाभार्थी के मामले में, चाहे वह ट्रस्ट California में निवासी हो या नहीं, लाभार्थी को ट्रस्ट की परिसंपत्तियों का स्वामी उस सीमा तक माना जाएगा जिस सीमा तक वे परिसंपत्तियाँ लाभार्थी को वितरित की जा सकती हैं, चाहे वास्तव में उनका वितरण किया गया हो या नहीं। हालांकि, यदि ट्रस्ट एक लागू होने वाला ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट के लाभार्थी को ट्रस्ट की किसी भी परिसंपत्ति का स्वामी नहीं माना जाएगा।

(7) परिसंपत्तियों की निम्नलिखित श्रेणियाँ इस भाग के तहत सभी कराधान से और इस अनुभाग की रिपोर्टिंग आवश्यकताओं से भी मुक्त होंगी:

(A) उप-अनुच्छेद (B) में वर्णित प्रावधानों को छोड़कर, योग्य पेंशन और व्यक्तिगत रिटायरमेंट व्यवस्थाएँ, जिनमें आंतरिक राजस्व संहिता के अनुभाग 219(g)(5) में वर्णित व्यवस्थाएँ शामिल हैं, या उस अनुभाग में वर्णित व्यवस्थाओं के समान प्रकृति वाली ऐसी विदेशी पेंशन व्यवस्थाएँ जिन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका की किसी संधि संबंधी बाध्यता के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका में कराधान से छूट प्राप्त है।

(B) Roth IRA या अन्य Roth-जैसी रिटायरमेंट व्यवस्थाओं या किसी अन्य पर्याप्त रूप से समान खाते में रखी गई राशियाँ; हालांकि, उस सीमा तक यह छूट लागू नहीं होगी जहाँ ऐसे सभी खातों का कुल वर्तमान मूल्य, जिनमें करदाता का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभकारी हित है, दस मिलियन डॉलर (\$10,000,000) से अधिक हो।

(C) आकस्मिक लाभ हित को छोड़कर, गैर-योग्य आस्थगित मुआवजा और बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट भविष्य के भुगतानों के अन्य वादे; हालांकि, उप-

अनुच्छेद (A) और (B) में वर्णित नहीं की गई कोई पेंशन, आस्थगित मुआवजा राशि, या वस्तुओं या सेवाओं के लिए कोई अन्य भुगतान, करदाता की टैक्स योग्य परिसंपत्ति माना जाएगा यदि:

(i) भुगतान का प्रावधान करने वाली किसी मुआवजा व्यवस्था, योजना, अनुबंध या अन्य व्यवस्था की शर्तों के तहत, टैक्स वर्ष के अंत तक करदाता को उस भुगतान का कानूनी रूप से बाध्यकारी अधिकार प्राप्त हो।

(ii) मुआवजा वर्ष की समाप्ति तक या उससे पहले वास्तव में या रचनात्मक रूप से प्राप्त न किया गया हो।

(iii) मुआवजा व्यवस्था के अनुसार, भुगतान वर्ष की समाप्ति पर या उसके बाद करदाता को या उसकी ओर से देय हो।

(D) छूट प्राप्त या अपवर्जित परिसंपत्तियों को छोड़कर, करदाता को इस अनुच्छेद में वर्णित परिसंपत्तियों को इस प्रकार मानना होगा मानो वे सीधे उसके द्वारा धारित हों, न कि किसी टैक्स अनुकूलित खाते में।

(E) ऐसी परिभाषित लाभ योजना के मामले में जिसे इस अनुभाग के तहत अन्यथा छूट प्राप्त नहीं है, टैक्स वर्ष के अंतिम दिन करदाता के अर्जित लाभ के वर्तमान मूल्य के बराबर राशि को करदाता की शुद्ध संपत्ति में शामिल माना जाएगा।

(8) बोर्ड इस भाग के तहत प्राप्य राशियों और इसी प्रकार की परिसंपत्तियों की टैक्स योग्यता के संबंध में विनियम अपनाएगा। इस उपखंड की आवश्यकताओं के अधीन, बोर्ड कुछ प्राप्य राशियों और इसी प्रकार की परिसंपत्तियों को इस भाग के तहत सभी कराधान और इस अनुभाग की रिपोर्टिंग आवश्यकताओं से छूट दे सकता है। इन विनियमों को अपनाते समय, बोर्ड इस बात पर विचार करेगा कि क्या किसी विशेष प्रकार की प्राप्य राशि से करदाता को भुगतान प्राप्त होने की उचित संभावना है। जब तक बोर्ड विनियम नहीं अपना लेता, तब तक सभी प्राप्य राशियों को इस भाग के तहत शुद्ध संपत्ति में शामिल किया जाएगा।

(9) अन्य सभी परिसंपत्तियों के लिए—जिनमें कला और संग्रहणीय वस्तुएँ, सार्वजनिक रूप से कारोबार की जाने वाली परिसंपत्तियों के अलावा अन्य वित्तीय साधन, बौद्धिक संपदा अधिकार, करदाता को देय ऋण और अन्य देनदारियाँ जो सार्वजनिक रूप से कारोबार की जाने वाली नहीं हैं, एवं वाहन और अन्य व्यक्तिगत संपत्ति शामिल हैं—करदाता इन संयुक्त परिसंपत्तियों के कुल मूल्य में से, उनके प्रकार की परवाह किए बिना, अधिकतम पाँच मिलियन डॉलर (\$5,000,000) को शुद्ध संपत्ति और इस अनुभाग की रिपोर्टिंग आवश्यकताओं से बाहर रख सकता है। इस प्रकार बाहर रखी गई परिसंपत्तियों को छोड़कर, करदाता को उन परिसंपत्तियों के उचित बाजार मूल्य की रिपोर्ट करनी होगी; और एक मिलियन डॉलर (\$1,000,000) से अधिक मूल्य वाली प्रत्येक परिसंपत्ति या पर्याप्त रूप से परस्पर विनिमेय परिसंपत्तियों के प्रत्येक समूह के लिए, जिसमें एक ही अंतर्निहित प्रतिभूति से संबंधित डेरिवेटिव अनुबंध शामिल हैं, करदाता को प्रमाणित मूल्यांकन प्रस्तुत करना होगा।

(10) किसी भी स्थिति में किसी परिसंपत्ति का मूल्य उस राशि से कम निर्धारित नहीं किया जाएगा जिसके लिए उस परिसंपत्ति का बीमा किया गया है। किसी व्यावसायिक संस्था के मामले में, किसी भी स्थिति में उस संस्था का मूल्य, मूल्यांकन की तारीख से दो वर्ष के भीतर हुई किसी वित्तपोषण प्रक्रिया या इक्विटी की अन्य बिक्री में दर्शाए गए मूल्यांकन से कम नहीं होगा, जब तक कि करदाता स्पष्ट और ठोस साक्ष्य से यह प्रदर्शित न कर सके कि वह मूल्यांकन संस्था के मूल्य को काफी अधिक दर्शाएगा।

(11) शुद्ध संपत्ति में ऐसी किसी भी संपत्ति का मूल्य शामिल होगा जिसे व्यक्ति ने 15 अक्टूबर, 2025 के बाद उचित बाजार मूल्य से कम मूल्य पर हस्तांतरित किया हो—ऊपर वर्णित किसी ट्रस्ट को हस्तांतरित संपत्ति को छोड़कर—यदि उस संपत्ति का, अकेले या हस्तांतरित की गई अन्य पर्याप्त रूप से परस्पर विनिमय वस्तुओं के साथ मिलाकर, उचित बाजार मूल्य एक मिलियन डॉलर (\$1,000,000) से अधिक हो। इस अनुच्छेद के परिणामस्वरूप हस्तांतरणकर्ता की शुद्ध संपत्ति में शामिल की गई परिसंपत्ति को हस्तांतरित की शुद्ध संपत्ति में शामिल नहीं किया जाएगा।

(12) ऐसे व्यक्ति की परिसंपत्तियाँ, जिसे आश्रित के रूप में दावा किया जा सकता है, यदि कुल मिलाकर पचास हजार डॉलर (\$50,000) से अधिक हों, तो उन्हें उस करदाता की परिसंपत्तियाँ माना जाएगा जो उस व्यक्ति को आश्रित के रूप में दावा कर सकता है।

अध्याय 3. पात्र तरलता-बाधित करदाताओं के लिए वैकल्पिक स्थगन खाते

50304. (a) बोर्ड एक वैकल्पिक स्थगन खाते के लिए वैकल्पिक स्थगन खाता अनुबंध और संबंधित फॉर्म तैयार करेगा, जिसे यहाँ “ODA” भी कहा गया है, ताकि करदाता और राज्य के बीच कानूनी रूप से बाध्यकारी संविदात्मक समझौता स्थापित किया जा सके। कोई अर्हता प्राप्त करदाता इस भाग के तहत ODA शुरू करने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का विकल्प चुन सकता है। अर्हता प्राप्त करदाता होने के लिए, किसी व्यक्ति को यह घोषणा दाखिल करनी होगी कि ODA का उपयोग किए बिना इस भाग के परिणामस्वरूप देय अतिरिक्त टैक्स की राशि, करदाता की उन सभी परिसंपत्तियों के संयुक्त मूल्य से अधिक होगी जो अनुभाग 50303 के उपखंड (c) के अनुच्छेद (1) के मूल्यांकन नियमों के अधीन हैं; अर्थात् केवल वे व्यक्ति अर्हता प्राप्त करदाता होंगे जिन पर इस भाग के परिणामस्वरूप देय अतिरिक्त टैक्स, उस व्यक्ति की सार्वजनिक रूप से कारोबार की जाने वाली सभी परिसंपत्तियों के संयुक्त कुल मूल्य से अधिक होगा। इस अनुबंध के भाग के रूप में, ODA शुरू करने का विकल्प चुनने वाला अर्हता प्राप्त करदाता निम्नलिखित सभी बातों से सहमत होगा:

(1) इस अनुभाग में वर्णित और निर्दिष्ट सभी वार्षिक सूचनात्मक विवरणियाँ और फॉर्म दाखिल करना।

(2) ODA के परिणामस्वरूप उत्पन्न हो सकने वाली सभी टैक्स देनदारियों का मिलान करना और उनका भुगतान करना।

(3) ODA के संबंध में, इस भाग द्वारा लगाए गए किसी भी टैक्स की वसूली और इस भाग द्वारा लगाई गई किसी भी रिपोर्टिंग आवश्यकता को पूरा करने के प्रयोजनों के लिए, एवं इस राज्य द्वारा करदाता पर लगाए गए किसी भी संबंधित ब्याज या जुर्माने सहित, इस राज्य के व्यक्तिगत क्षेत्राधिकार के अधीन रहना।

(b) यह अनुबंध करदाता एवं करदाता की संपदा और उसके अधिकार-उत्तराधिकारियों पर तब तक कानूनी रूप से बाध्यकारी रहेगा, जब तक करदाता या उसकी संपदा या अधिकार-उत्तराधिकारी संचित टैक्स के दावों का पूर्ण परिसमापन करके और फिर उन परिसमाप्त टैक्स के दावों पर देय समस्त टैक्स का भुगतान करके ODA का मिलान कर उसे उचित रूप से बंद नहीं कर देते।

(c) कोई करदाता केवल एक ODA बनाए रख सकता है। करदाता परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूहों को ODA से केवल उस सीमा तक संबद्ध कर सकता है जहाँ ODA का उपयोग किए बिना अनुभाग 50301 के परिणामस्वरूप देय अतिरिक्त टैक्स की राशि, करदाता की उन सभी परिसंपत्तियों के संयुक्त मूल्य से अधिक होगी जो अनुभाग 50303 के उपखंड (c) के अनुच्छेद (1) के मूल्यांकन नियमों के अधीन हैं। किसी

परिसंपत्ति या परिसंपत्तियों के समूह को ODA से संबद्ध करने के लिए, करदाता निम्नलिखित दोनों की रिपोर्ट करेगा:

(1) वह वर्ष जिसमें ODA शुरू किया गया था।

(2) उन सभी परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूहों की सूची जिन्हें वर्तमान वर्ष के लिए ODA से संबद्ध किया जाना है।

(d) यदि किसी करदाता ने ODA शुरू किया है, तो उस ODA का मिलान और समापन होने तक करदाता ODA के संबंध में किए गए किसी भी महत्वपूर्ण वितरण लेनदेन की हर वर्ष रिपोर्ट करेगा और इस उद्देश्य के लिए बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी फॉर्मों को पूरा करके दाखिल करेगा। करदाता इन वार्षिक रिपोर्टों को तब तक प्रस्तुत करता रहेगा, जब तक वह संचित टैक्स के दावों का पूर्ण परिसमापन करके और फिर उन परिसमाप्त टैक्स के दावों पर देय समस्त टैक्स का भुगतान करके ODA का मिलान नहीं कर लेता। ODA शुरू करते समय करदाता द्वारा हस्ताक्षरित कानूनी अनुबंध के एक घटक के रूप में, ये रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ तब भी जारी रहेंगी जब करदाता अनुभाग 17014 और 17015.5 के अर्थ में California का निवासी नहीं रह जाता है, और उसके बाद इन्हें राज्य के साथ कानूनी रूप से बाध्यकारी अनुबंध के रूप में लागू किया जाएगा। वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने और आवश्यक फॉर्म दाखिल करने में विफलता को अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा और इसके लिए वही दंड लागू होंगे जो आयकर फॉर्म दाखिल करने के लिए बाध्य California निवासियों द्वारा आयकर फॉर्म दाखिल न करने पर लागू होते हैं। ऐसे किसी करदाता की मृत्यु होने पर जिसने ऐसा ODA शुरू किया हो जिसका पूर्ण मिलान और समापन नहीं हुआ है, उस करदाता की संपदा और अधिकार-उत्तराधिकारियों को संचित टैक्स के दावों का पूर्ण परिसमापन करने के लिए ODA का मिलान करना होगा और उसके बाद उन परिसमाप्त टैक्स के दावों पर देय समस्त टैक्स का भुगतान करना होगा; इन दावों को राज्य को देय करदाता की बकाया कर देनदारी माना जाएगा।

(e) करदाता का जमा हुआ बिना चुकाया गया टैक्स विदहोल्डिंग (रोक) का प्रतिशत 5 प्रतिशत के बराबर होगा।

(f) निम्नलिखित निकासी और लेनदेन ऐसे महत्वपूर्ण वितरण लेनदेन माने जाएँगे जिनकी करदाता को हर वर्ष रिपोर्ट करनी होगी:

(1) ODA से संबद्ध किसी भी परिसंपत्ति से धन, संपत्ति या अन्य मूल्य की निकासी।

(2) करदाता या करदाता से संबंधित किसी व्यक्ति के साथ ऐसा लेनदेन, जिसका प्रभाव ODA से संबद्ध किसी परिसंपत्ति या परिसंपत्तियों के मूल्य को, ODA से संबंधित दायित्वों को साथ में हस्तांतरित किए बिना, हस्तांतरित करना हो।

(g) उपखंड (f) के बावजूद, किसी महत्वपूर्ण वितरण लेनदेन में ODA से संबद्ध परिसंपत्तियों के मूल्य को बनाए रखने या बढ़ाने के लिए किए गए सामान्य और आवश्यक लेनदेन शामिल नहीं होंगे, यदि ऐसे लेनदेन का प्रभाव पूंजी के उपयोग के लिए मालिकों को कोई लाभ, लाभांश या अन्य भुगतान, या इसी प्रकार के हस्तांतरण वितरित करना न हो।

(h) बोर्ड यह निर्दिष्ट करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा कि किस प्रकार के लेनदेन को महत्वपूर्ण वितरण लेनदेन माना जाएगा, और यह भी निर्दिष्ट करेगा कि किसी व्यापार या व्यवसाय के सामान्य क्रम में किए गए हस्तांतरण एवं आसानी से कारोबार न की जा सकने वाली परिसंपत्तियों के विनिमय को महत्वपूर्ण वितरण लेनदेन नहीं माना जाएगा। किसी भी महत्वपूर्ण वितरण लेनदेन के लिए, करदाता ODA से संबद्ध परिसंपत्तियों से निकाले गए, या अन्यथा करदाता या उससे संबंधित किसी व्यक्ति के

लाभ के लिए हस्तांतरित या उपयोग किए गए उचित बाजार मूल्य की रिपोर्ट करेगा।

(i) करदाता अपने संचित अपरिसमाप्त टैक्स रोक प्रतिशत को, अनुभाग 50303 के तहत निर्धारित, टैक्स वर्ष के सभी महत्वपूर्ण वितरण लेनदेन के उचित बाजार मूल्य से गुणा करेगा। इस प्रकार प्राप्त गुणनफल की राशि के बराबर टैक्स करदाता पर लगाया जाएगा। किसी भी टैक्स वर्ष के लिए इस अनुभाग के परिणामस्वरूप देय कोई भी अतिरिक्त टैक्स, उस टैक्स वर्ष के लिए देय किसी भी आयकर के साथ चुकाया जाएगा।

(j) ODA बनाए रखने वाला ऐसा कोई भी करदाता, जिसने वर्तमान वर्ष या किसी पूर्व वर्ष में कोई महत्वपूर्ण वितरण लेनदेन किया हो, प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित सभी की रिपोर्ट करेगा:

(1) वह वर्ष जिसमें ODA शुरू किया गया था।

(2) उन सभी परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूहों की सूची जिनसे ODA वर्तमान में संबद्ध है या कभी भी संबद्ध रहा है।

(3) ODA के संबंध में किए गए सभी महत्वपूर्ण वितरण लेनदेन के कुल उचित बाजार मूल्य का करदाता द्वारा रखा गया संचयी योग।

(k) यदि किसी वर्ष में ऐसा करदाता, जिसने पहले ODA शुरू किया था, ODA और उससे संबद्ध सभी परिसंपत्तियों में अपने सभी हितों को बेचना है, उनका निपटान करता है या अन्यथा समाप्त कर देता है, तो उपखंड (f) में निर्दिष्ट महत्वपूर्ण वितरण लेनदेन के रूप में माने जाने वाले उन लेनदेन के परिणामस्वरूप देय किसी भी टैक्स का भुगतान करने के बाद ODA को पूर्ण रूप से परिसमाप्त माना जाएगा। किसी भी टैक्स वर्ष के अंत में, ऐसा करदाता जिसने पहले ODA शुरू किया था, बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराया गया फॉर्म दाखिल करके उस ODA को बंद करने का विकल्प चुन सकता है। इसके बाद करदाता उपखंड (l) के अनुसार ODA का मिलान करेगा।

(l) ODA को बंद करने से पहले, करदाता ODA से संबद्ध सभी परिसंपत्तियों को निकालेगा और उन निकालियों (पैसा निकालना) को इस अनुभाग के अनुसार महत्वपूर्ण वितरण लेनदेन मानेगा। ODA से निकाली गई किसी भी परिसंपत्ति के उचित बाजार मूल्य का निर्धारण अनुभाग 50303 के अनुसार किया जाएगा। इस अनुभाग में प्रयुक्त “करदाता” शब्द में करदाता की ऐसी संपदा या अधिकार-उत्तराधिकारी भी शामिल होंगे जिन्हें इस प्रावधान के तहत करदाता के ODA से संबंधित दायित्वों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया हो।

अध्याय 4. प्रमाणित मूल्यांकन

50305. (a) इस भाग के प्रयोजनों के लिए प्रमाणित मूल्यांकन करने वाला कोई भी मूल्यांकनकर्ता उस प्रमाणित मूल्यांकन की एक प्रति बोर्ड को भेजेगा, साथ ही उस करदाता की पहचान करने के लिए पर्याप्त जानकारी भी देगा जिसके लिए प्रमाणित मूल्यांकन तैयार किया गया था, और बोर्ड द्वारा अपनाए गए किसी भी लागू होने वाले नियम या अन्य संबंधित निर्देशों का पालन करेगा।

(b) बोर्ड ऐसे विनियम अपनाएगा या मार्गदर्शन प्रकाशित करेगा जिनमें प्रमाणित मूल्यांकन की आवश्यकताओं और इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए प्रमाणित मूल्यांकन करने के योग्य मूल्यांकनकर्ताओं की आवश्यकताओं का अधिक विस्तार से वर्णन किया गया हो। नियम और मार्गदर्शन संघीय विनियम संहिता के शीर्षक 26 के अनुभाग 1.170A-17 में निर्धारित योग्य मूल्यांकन और योग्य मूल्यांकनकर्ता संबंधी नियमों पर आधारित होंगे।

(c) प्रमाणित मूल्यांकन में मूल्य के पर्याप्त या अत्यधिक अधिक या कम आकलन के कारण टैक्स का कम भुगतान होने के किसी भी मामले में, बोर्ड

अपने विवेक से मूल्यांकनकर्ता पर इस प्रकार जुर्माना लगा सकता है, मानो अनुभाग 50312 के प्रयोजनों के लिए वह मूल्यांकनकर्ता “करदाता” हो; हालांकि, मूल्य के पर्याप्त अधिक या कम आकलन के मामले में ऐसा कोई जुर्माना कम दर्शाए गए टैक्स की राशि के 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, और मूल्य के अत्यधिक अधिक या कम आकलन के मामले में कम दर्शाए गए टैक्स की राशि के 4 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

अध्याय 5. प्रभाजन (बंटवारा) और टैक्स क्रेडिट

50306. (a) मानक प्रभाजन। इस भाग द्वारा लगाए गए टैक्स को विभिन्न अधिकार-क्षेत्रों के बीच प्रभाजित करने के लिए इस अनुभाग के नियम लागू होंगे। इस अध्याय के नियम अन्य नियमों का स्थान लेंगे, जिनमें वर्ष के किसी हिस्से के लिए निवास के प्रयोजनों हेतु आय के विभाजन से संबंधित नियम भी शामिल हैं। अनुभाग 50301 और 50304 के तहत लगाए गए किसी भी टैक्स का एक सौ प्रतिशत सभी लागू होने वाले व्यक्तियों और लागू होने वाले ट्रस्टों के लिए California को प्रभाजित किया जाएगा, और निवास के इतिहास के आधार पर इसमें कोई कमी या गुणक लागू नहीं होगा; इसमें यह बात भी शामिल है कि कोई व्यक्ति अनुभाग 50308 के उपखंड (n) में वर्णित टैक्स दायित्व की तारीख से पहले California का निवासी था या नहीं। इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए, निवास की स्थिति टैक्स दायित्व की तारीख पर अनुभाग 17014 और 17015.5 के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

(b) वैकल्पिक प्रभाजन।

(1) मानक पद्धति। इस अनुभाग के तहत मानक प्रभाजन पद्धति उपखंड (a) में निर्दिष्ट पद्धति होगी।

(2) वैकल्पिक प्रभाजन का उपयोग कब किया जा सकता है। यदि मानक प्रभाजन पद्धति इस बात को उचित रूप से प्रदर्शित नहीं करती कि करदाता की अत्यधिक संपत्ति किस सीमा तक California में संचित हुई थी या California द्वारा पर्याप्त रूप से बनाए रखने में सहायता मिली थी, तो करदाता अपनी पूरी संपत्ति या उसके किसी हिस्से के लिए वैकल्पिक प्रभाजन पद्धति के उपयोग हेतु याचिका दायर कर सकता है, या बोर्ड प्रस्तावित आकलन की सूचना में ऐसी वैकल्पिक प्रभाजन पद्धति के उपयोग की आवश्यकता निर्धारित कर सकता है। इस उपखंड के तहत अपनाई गई किसी भी वैकल्पिक पद्धति को अनुभाग 50307 के तहत किसी भी टैक्स क्रेडिट की गणना से पहले लागू किया जाएगा।

(3) याचिकाएँ; आवश्यक प्रमाण। याचिका केवल तभी स्वीकार की जाएगी जब याचिका दायर करने वाला पक्ष स्पष्ट और ठोस साक्ष्य से यह सिद्ध करे कि निम्नलिखित दोनों बातें सत्य हैं:

(A) अत्यधिक संपत्ति का पर्याप्त हिस्सा California में संचित नहीं हुआ था।

(B) अनुभाग 50308 के उपखंड (o) में परिभाषित मूल्यांकन तिथि पर समाप्त होने वाली 48 महीने की अवधि के दौरान, अत्यधिक संपत्ति को कुल मिलाकर कम से कम 365 दिनों तक California में पर्याप्त रूप से बनाए रखने में सहायता नहीं मिली थी।

(4) संवैधानिक विकल्प। वैकल्पिक रूप से, याचिका दायर करने वाला पक्ष यह स्थापित करके सफल हो सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, California का संविधान या संघीय कानून करदाता की पूरी संपत्ति या उसके किसी हिस्से पर मानक पद्धति लागू करने को प्रतिबंधित करता है।

(5) प्रमाण का भार और प्रस्तावित पद्धति। याचिका दायर करने वाले पक्ष पर यह प्रदर्शित करने का भार होगा कि मानक पद्धति अनुचित या

अमान्य है, और उसे ऐसी अधिक उचित और तर्कसंगत पद्धति प्रस्तावित करनी होगी जिसका प्रशासन व्यावहारिक रूप से किया जा सके। जब बोर्ड प्रस्तावित आकलन की सूचना में किसी वैकल्पिक पद्धति के उपयोग की आवश्यकता निर्धारित करता है, तो टैक्स अपील कार्यालय के समक्ष बोर्ड ही कार्यवाई करने वाला पक्ष होगा और वैकल्पिक पद्धति के संबंध में प्रमाण का यह भार बोर्ड पर होगा, और सूचना में उन कारणों को स्पष्ट और विशिष्ट रूप से बताया जाएगा जिनके कारण मानक पद्धति अनुचित है, और प्रस्तावित वैकल्पिक पद्धति का वर्णन किया जाएगा।

(6) न्यूनतम प्रतिशत; संवैधानिक सुरक्षा प्रावधान। इस उपखंड के तहत दी गई राहत प्रभाजन प्रतिशत को 25 प्रतिशत से कम नहीं करेगी, जब तक कि टैक्स अपील कार्यालय या समीक्षा करने वाला कोई न्यायालय रिकॉर्ड के आधार पर यह न पाए कि संयुक्त राज्य अमेरिका या California के संविधान या लागू संघीय कानून का उल्लंघन करने वाले अत्यधिक असंगत कराने से बचने के लिए इससे कम प्रतिशत आवश्यक है। यह निर्धारित करते समय कि कोई टैक्स अत्यधिक असंगत है या नहीं, टैक्स अपील कार्यालय और न्यायालय इस बात पर विचार करेंगे कि करदाता की शुद्ध संपत्ति का California से कोई सार्थक संबंध है या नहीं, और मनमाने कराने या ऐसे कराने से बचने के लिए, जो इस राज्य के साथ करदाता के संबंधों की तुलना में किसी भी उचित अनुपात से पूरी तरह बाहर हो, प्रभाजन प्रतिशत को आवश्यक सीमा तक कम करेंगे—जिसमें उसे 25 प्रतिशत से कम और, जहाँ उपयुक्त हो, शून्य तक कम करना भी शामिल है।

(7) विनियम। बोर्ड अनुच्छेद (2) के अनुरूप स्वीकार्य वैकल्पिक तरीकों और साक्ष्य प्रस्तुत करने के स्वीकार्य तरीकों के गैर-अनन्य उदाहरण प्रदान करने वाले विनियम अपना सकता है।

(8) जिस सीमा तक इस अनुभाग का कोई प्रावधान या अनुप्रयोग, जो निवास के संदर्भ में अनुपात निर्धारित करता है, अमान्य, असंवैधानिक या अन्यथा अप्रवर्तनीय ठहराया जाता है, उस प्रावधान या अनुप्रयोग के संबंध में निवास का निर्धारण तब भाग 10 (अनुभाग 17001 से शुरू होते हुए), जिसमें अनुभाग 17014 और 17015.5 शामिल हैं, में व्यक्तिगत आयकर को नियंत्रित करने वाले नियमों के अनुसार किया जाएगा।

50307. (a) इस भाग द्वारा लगाए गए टैक्स के विरुद्ध, उस शुद्ध संपत्ति टैक्स पर चुकाए गए किसी भी टैक्स में करदाता के आनुपातिक हिस्से के बराबर राशि का टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा, जहाँ उस शुद्ध संपत्ति पर इस भाग के तहत भी टैक्स लगाया गया हो, जहाँ आनुपातिक हिस्सा उस अनुपात के आधार पर निर्धारित किया जाएगा जिसमें अंश 2026 टैक्स वर्ष के दौरान करदाता द्वारा अन्य टैक्स लगाने वाले राज्य या अधिकार-क्षेत्र में निवास किए गए दिनों की कुल संख्या होगी और हर 365 होगा। संदेह दूर करने के लिए, चूँकि सीधे धारित अचल संपत्ति पर इस भाग के तहत टैक्स नहीं लगाया जाता, इसलिए सीधे धारित अचल संपत्ति पर लगाए गए टैक्स के लिए इस उपखंड के तहत कोई टैक्स क्रेडिट नहीं दिया जाएगा।

(b) संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान द्वारा आवश्यक सीमा तक, अन्य अधिकार-क्षेत्रों में चुकाए गए टैक्स के विरुद्ध भी टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा।

अध्याय 6. सामान्य प्रावधान और परिभाषाएँ

50308. इस भाग के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित परिभाषाएँ लागू होंगी:

(a) “लागू होने वाले व्यक्ति” से आशय 2026 टैक्स वर्ष के लिए ऐसे किसी व्यक्ति से है जो उपखंड (n) में निर्दिष्ट टैक्स दायित्व की तारीख को अनुभागों 17014 और 17015.5 के अर्थ के अंतर्गत इस राज्य का निवासी हो।

(b) “लागू होने वाले ट्रस्ट” से आशय किसी ग्रांटर ट्रस्ट या टैक्स-मुक्त ट्रस्ट के अलावा किसी भी ट्रस्ट से है, चाहे वह ट्रस्ट California का निवासी हो या नहीं, यदि एक बिलियन डॉलर (\$1,000,000,000) या उससे अधिक की निवल संपत्ति वाला कोई जीवित लागू होने वाले व्यक्ति, या कोई ऐसी संस्था जिसे उस व्यक्ति के संबंध में संबंधित व्यक्ति माना जाएगा, उस ट्रस्ट को संपत्ति हस्तांतरित कर चुकी हो। यदि एक से अधिक व्यक्तियों ने ट्रस्ट को संपत्ति हस्तांतरित की है, तो ट्रस्ट के एक हिस्से को लागू होने वाला ट्रस्ट माना जाएगा, इस प्रकार माना जाने वाला हिस्सा उसी अनुपात में होगा, जिस अनुपात में लागू होने वाले व्यक्ति या उस व्यक्ति के संबंध में संबंधित व्यक्ति मानी जाने वाली किसी संस्था द्वारा ट्रस्ट को हस्तांतरित परिसंपत्तियों का मूल्य, ट्रस्ट को हस्तांतरित परिसंपत्तियों के कुल मूल्य के मुकाबले है। इसके अतिरिक्त, कोई भी ट्रस्ट बोर्ड द्वारा निर्धारित किसी भी तरीके से अपने इस चुनाव की सूचना बोर्ड को देकर लागू होने वाला ट्रस्ट माने जाने का चुनाव कर सकता है। एक बिलियन डॉलर (\$1,000,000,000) या उससे अधिक की निवल संपत्ति वाला कोई व्यक्ति, जिसने किसी लागू होने वाले ट्रस्ट को संपत्ति हस्तांतरित की है, बोर्ड द्वारा निर्धारित किसी भी तरीके से इस चुनाव की सूचना बोर्ड को देकर उस ट्रस्ट को उस व्यक्ति की निवल संपत्ति का हिस्सा माने जाने का चुनाव कर सकता है। उस चुनाव की स्थिति में, ट्रस्ट पर अनुभाग 50301 के तहत अलग से टैक्स नहीं लगाया जाएगा।

(c) “बोर्ड” से आशय फ्रैंचाइज़ टैक्स बोर्ड से है।

(d) “आश्रित” का वही अर्थ होगा जो आंतरिक राजस्व संहिता के अनुभाग 152 में इस शब्द के लिए परिभाषित है।

(e) “ग्रांटर ट्रस्ट” से आशय ऐसे किसी ट्रस्ट से है जिसे आयकर के प्रयोजनों के लिए ग्रांटर ट्रस्ट माना जाएगा, और ऐसे किसी ट्रस्ट से भी है जिसकी परिसंपत्तियाँ संघीय हस्तांतरण टैक्स के प्रयोजनों के लिए ग्रांटर की संपदा में शामिल की जाएंगी।

(f) “निवल संपत्ति” का अर्थ उपखंड (o) में निर्दिष्ट मूल्यांकन की तारीख के अनुसार, इस भाग के अनुभाग 50303 और अन्य लागू प्रावधानों के तहत करदाता और उनके जीवनसाथी के लिए दुनिया भर में ध्यान में रखी गई सभी परिसंपत्तियों और संपत्ति संबंधी हितों का कुल मूल्य है, चाहे वह जीवनसाथी कहीं भी निवास करता हो, जिसमें से सभी ऋणों और अन्य देनदारियों का कुल मूल्य घटाया जाता है, उस सीमा तक जहाँ ऐसी कटौतियाँ अनुभाग 50302 के तहत अनुमत हैं। संदेह दूर करने के लिए, मूल्यांकन की तारीख को अनुभाग 50303 के तहत ध्यान में रखी गई परिसंपत्तियाँ निवल संपत्ति में शामिल होंगी, भले ही उन्हें टैक्स दायित्व की तारीख के बाद अर्जित किया गया हो; और मूल्यांकन की तारीख से पहले हस्तांतरित किए जा चुके हित निवल संपत्ति से बाहर रखे जाएँगे, सिवाय उस सीमा तक जहाँ यह भाग, जिसमें अनुभाग 50303 और 50312 शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, हस्तांतरित, पुनर्वर्गीकृत या ट्रस्ट में रखी गई परिसंपत्तियों या अन्य संपत्ति हितों को करदाता की निवल संपत्ति में शामिल करने की आवश्यकता निर्धारित करता है।

(g) “वैकल्पिक स्थगन खाता” या “ODA” से आशय अनुभाग 50304 द्वारा नियंत्रित ऐसे टैक्स आरक्षित खाते से है जिसका परिसमापन नहीं किया गया है।

(h) “व्यक्ति” का वही अर्थ होगा जो अनुभाग 17007 में इस शब्द के लिए परिभाषित है।

(i) “निजी इक्विटी संस्था” से आशय सार्वजनिक रूप से कारोबार की जाने वाली संस्था, म्यूचुअल फंड या एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड के अलावा ऐसी व्यावसायिक संस्था से है, जिसका मुख्य व्यवसाय अन्य व्यवसायों में निवेश करना है।

(j) “सार्वजनिक रूप से कारोबार की जाने वाली परिसंपत्ति” से आशय ऐसी परिसंपत्ति से है जिसका किसी एक्सचेंज पर कारोबार होता है; जिसका ऐसे द्वितीयक बाजार में कारोबार होता है जहाँ उस परिसंपत्ति के बिक्री मूल्य बार-बार अद्यतित किए जाते हैं; जो ऐसे ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है जो नियमित रूप से खरीदारों और विक्रेताओं का मिलान करता है; या ऐसी किसी अन्य परिसंपत्ति से है जिसके बारे में बोर्ड यह निर्धारित करता है कि उसका मूल्य इसी प्रकार के साधनों से आसानी से निर्धारित किया जा सकता है।

(k) “संबंधित व्यक्ति” से आशय ऐसे किसी व्यक्ति से है जो 1 जनवरी, 2026 की स्थिति के अनुसार आंतरिक राजस्व संहिता के अनुभाग 267 या 318 के तहत करदाता से संबंधित हो, और ऐसे किसी अन्य व्यक्ति से भी है जिसे बोर्ड द्वारा अपनाए गए विनियमों में इस प्रकार निर्दिष्ट किया गया हो।

(l) “महत्वपूर्ण लाभ” का वही अर्थ है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम अमेरिकन बार एंडाउमेंट (1986) 477 U.S. 105 मामले में इस शब्द को दिया है।

(m) “टैक्स-मुक्त ट्रस्ट” से आशय ऐसे ट्रस्ट से है जिसे आंतरिक राजस्व संहिता के अनुभाग 501 के तहत संघीय आयकर से छूट प्राप्त है।

(n) “टैक्स दायित्व की तारीख” से आशय 1 जनवरी, 2026 से है।

(o) “मूल्यांकन की तारीख” से आशय 31 दिसंबर, 2026 से है।

50309. (a) इस भाग में वर्णित टैक्स का संग्रह और प्रशासन भाग 10.2 (अनुभाग 18401 से शुरू होते हुए) द्वारा नियंत्रित होगा, जब तक कि इस भाग द्वारा उसे स्पष्ट रूप से प्रतिस्थापित न किया गया हो।

(b) बोर्ड इस भाग के किसी भी प्रावधान को लागू करने, उसकी व्याख्या करने, उसे विशिष्ट रूप देने या अन्यथा प्रभावी करने के लिए विनियम अपना सकता है।

(1) इन विनियमों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

(A) ऐसे दुरुपयोगपूर्ण लेन-देन की पहचान करना जिनका उद्देश्य किसी परिसंपत्ति की प्रकृति को सार्वजनिक से गैर-सार्वजनिक या इसके विपरीत बदलना हो।

(B) ऐसे दुरुपयोगपूर्ण लेन-देन की पहचान करना जिनका उद्देश्य करदाता की परिसंपत्तियों के निर्धारित मूल्य को कृत्रिम रूप से कम करना हो।

(2) 1 जनवरी, 2028 तक, प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम (सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के प्रभाग 3 के भाग 1 का अध्याय 3.5 (अनुभाग 11340 से शुरू होते हुए)) के नियम-निर्माण संबंधी प्रावधान इस भाग के अनुसार बोर्ड द्वारा स्थापित या जारी किए गए किसी भी विनियम, मानक, मानदंड, प्रक्रिया, निर्धारण, नियम, सूचना, दिशानिर्देश या किसी अन्य मार्गदर्शन पर लागू नहीं होंगे।

(3) अनुभाग 19057 या किसी अन्य कानून के बावजूद, 1 जनवरी, 2026 को या उसके बाद और 1 जनवरी, 2027 से पहले शुरू होने वाले टैक्स योग्य वर्षों के संबंध में इस भाग के तहत प्रस्तावित टैक्स में कमी के निर्धारण की प्रत्येक सूचना, रिटर्न दाखिल किए जाने के 10 वर्षों के भीतर करदाता को डाक से भेजी जाएगी।

(c) इस अधिनियम के पारित होने के छह महीने के भीतर, बोर्ड इस भाग द्वारा लगाए गए टैक्स का भुगतान करने के लिए करदाताओं हेतु आवश्यक फॉर्म जारी करेगा। इन फॉर्मों में अनुपालन प्रदर्शित करने वाले दस्तावेज़ संलग्न करने का प्रावधान किया जा सकता है। बोर्ड व्यक्तिगत आयकर फॉर्मों में संशोधन करेगा और परिसंपत्तियों या इस भाग के कार्यान्वयन के लिए उपयोगी अन्य जानकारी की रिपोर्टिंग हेतु आवश्यकतानुसार अन्य फॉर्मों में संशोधन करेगा या नए फॉर्म तैयार करेगा।

(d) जिस सीमा तक यह इस अध्याय के साथ असंगत न हो, आयकर के प्रशासन, निर्धारण, संग्रह, प्रवर्तन और अपील से संबंधित प्रावधान इस भाग द्वारा लगाए गए निवल संपत्ति टैक्स पर लागू होंगे।

50310. विधायी प्राधिकार

विधान मंडल 2026 अरबपति टैक्स अधिनियम में ऐसे कानून द्वारा संशोधन कर सकता है जिसे विधान मंडल के प्रत्येक सदन में जर्नल में दर्ज उपस्थिति के मतदान द्वारा पारित किया गया हो और जिसके पक्ष में कुल सदस्यों के दो-तिहाई सदस्यों की सहमति हो, बशर्ते कि वह कानून 2026 अरबपति टैक्स अधिनियम के उद्देश्यों के अनुरूप हो और उन्हें आगे बढ़ाता हो।

50311. पृथक्करणीयता

(a) 2026 अरबपति टैक्स अधिनियम, जिसे “अधिनियम” भी कहा गया है, के प्रावधान पृथक्करणीय हैं। यद्यपि अधिनियम को मौजूदा कानून का अनुपालन करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है, यदि अधिनियम का कोई प्रावधान या उसका अनुप्रयोग अमान्य, असंवैधानिक या अन्यथा अप्रवर्तनीय ठहराया जाता है, तो ऐसा निर्धारण अन्य प्रावधानों या अनुप्रयोगों की प्रवर्तनीयता को प्रभावित नहीं करेगा।

(b) अधिनियम को लागू करते समय, कोई न्यायालय संयुक्त राज्य अमेरिका और California के संविधानों के अनुरूप अधिकतम संभव सीमा तक अधिकृत टैक्स लगाए जाने को बनाए रखेगा, जिसमें निर्दिष्ट तारीखों या अवधियों में संशोधन करके किसी संवैधानिक या अन्य कानूनी दोष को दूर करने के लिए यथासंभव न्यूनतम समायोजन करना शामिल है, साथ ही शेष प्रावधानों को प्रभावी रहने दिया जाएगा। यदि कोई न्यायालय यह निर्धारित करता है कि अनुभाग 50308 के उपखंड (n) में निर्दिष्ट टैक्स दायित्व की तारीख या अनुभाग 50308 के उपखंड (o) में निर्दिष्ट मूल्यांकन की तारीख के संदर्भ में इस अधिनियम के तहत पूर्ण या आंशिक रूप से दायित्व लगाना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान, California के संविधान या अन्य लागू संघीय कानून के विपरीत है, तो उस निर्धारण की सीमा तक, अधिनियम और California के संविधान की धारा XIII के अनुभाग 37 में “टैक्स दायित्व की तारीख” और “मूल्यांकन की तारीख” के सभी संदर्भों की व्याख्या इसके बजाय, जैसा लागू हो, टैक्स दायित्व की तारीख या मूल्यांकन की तारीख के बाद की उस सबसे पहली तारीख या उन सबसे पहली तारीखों के संदर्भ के रूप में की जाएगी जिन पर उस कानून के अनुरूप दायित्व लगाया जा सकता है। अधिनियम में निर्दिष्ट किसी तारीख या अवधि में संशोधन करते समय, न्यायालय कानून द्वारा अनुमत अधिकतम सीमा तक 2026 टैक्स वर्ष के लिए टैक्स लगाए जाने को बनाए रखेगा; या यदि इसकी अनुमति न हो, तो 2027 या उसके बाद के सबसे पहले अनुमत वर्ष के लिए टैक्स लगाए जाने को बनाए रखेगा, साथ ही अन्य सभी मामलों में इस अधिनियम की समग्र संरचना और उद्देश्यों को बनाए रखेगा।

50312. प्रवर्तन और दंड

(a) इस भाग के तहत लगाए गए टैक्स के अधीन ऐसा करदाता, जिसके किसी टैक्स योग्य वर्ष के टैक्स में महत्वपूर्ण या अत्यधिक कम विवरण हो, इस अनुभाग के तहत लगाए गए दंड के अधीन होगा। कम विवरण को महत्वपूर्ण माना जाएगा यदि वह निम्नलिखित में से अधिक राशि से अधिक हो:

(1) एक मिलियन डॉलर (\$1,000,000).

(2) मूल रिटर्न में दर्शाए गए टैक्स का, या टैक्स योग्य वर्ष के रिटर्न की मूल या बढ़ाई गई नियत तारीख को या उससे पहले दाखिल किए गए संशोधित रिटर्न में दर्शाए गए टैक्स का बीस प्रतिशत।

(b) कम विवरण को अत्यधिक कम विवरण माना जाएगा यदि वह निम्नलिखित में से अधिक राशि से अधिक हो:

(1) दस मिलियन डॉलर (\$10,000,000).

(2) मूल रिटर्न में दर्शाए गए टैक्स का, या टैक्स योग्य वर्ष के रिटर्न की मूल या बढ़ाई गई नियत तारीख को या उससे पहले दाखिल किए गए संशोधित रिटर्न में दर्शाए गए टैक्स का चालीस प्रतिशत।

(c) दंड निम्नलिखित होंगे:

(1) इस अनुभाग के तहत टैक्स की महत्वपूर्ण कम विवरणी के लिए दंड, टैक्स की कम विवरणी की राशि के 20 प्रतिशत के बराबर होगा। इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए, “टैक्स की कम विवरणी” से आशय उस राशि से है, जितना इस भाग द्वारा लगाया गया टैक्स, मूल रिटर्न में दर्शाए गए टैक्स या टैक्स योग्य वर्ष के रिटर्न की मूल या बढ़ाई गई नियत तारीख को या उससे पहले दाखिल किए गए संशोधित रिटर्न में दर्शाए गए टैक्स से अधिक हो।

(2) इस अनुभाग के तहत टैक्स की अत्यधिक कम विवरणी के लिए दंड, टैक्स की कम विवरणी की राशि के 40 प्रतिशत के बराबर होगा।

(d) इस अनुभाग द्वारा लगाया गया दंड, भाग 10.2 (अनुभाग 18401 से शुरू होते हुए) या किसी अन्य कानून के तहत लगाए गए किसी अन्य दंड के अतिरिक्त होगा।

(e) इस अनुभाग के तहत लगाए गए दंड को चुकाने के लिए भुगतान की गई किसी भी राशि की धनवापसी या टैक्स क्रेडिट केवल इस आधार पर दिया जा सकता है कि बोर्ड ने दंड की राशि की सही गणना नहीं की है।

(f) इस अनुभाग के तहत किसी कम विवरणी पर उस सीमा तक कोई दंड नहीं लगाया जाएगा, जिस सीमा तक वह कम विवरणी निम्नलिखित में से किसी कारण से उत्पन्न हुई हो:

(1) कानून में ऐसा परिवर्तन जो निम्नलिखित दोनों तारीखों में से पहले वाली तारीख के बाद अधिनियमित, अपनाया या जारी किया गया हो या अंतिम हो गया हो:

(A) वह तारीख जिस दिन करदाता उस टैक्स योग्य वर्ष के लिए रिटर्न दाखिल करता है, जिसके लिए वह परिवर्तन प्रभावी है।

(B) उस टैक्स योग्य वर्ष के लिए करदाता के रिटर्न की बढ़ाई गई नियत तारीख, जिसके लिए वह परिवर्तन प्रभावी है।

(2) इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, “कानून में परिवर्तन” से आशय किसी वैधानिक परिवर्तन या सरकारी संहिता के अनुभाग 11340.9 के उपखंड (b) के अर्थ के अंतर्गत किसी विनियम या विधिक परामर्श संबंधी निर्णय द्वारा कानून की व्याख्या या कानून के नियम से, या किसी प्रकाशित संघीय या California न्यायालय के निर्णय से है।

(3) बोर्ड इस उपखंड को व्यक्तिगत तरीके से लागू करेगा।

(g) इस अनुभाग के तहत उस सीमा तक कोई दंड नहीं लगाया जाएगा, जिस सीमा तक करदाता की कम विवरणी बोर्ड की लिखित सलाह पर करदाता द्वारा व्यक्तिगत रूप से भरोसा करने के कारण हुई हो; लेकिन केवल तभी, जब वह लिखित सलाह अनुभाग 21012 के उपखंड (a) के अनुच्छेद (1) के अर्थ के अंतर्गत मुख्य विधिक परामर्शदाता का विधिक निर्णय हो।

(h) उपखंड (a) के तहत कम विवरणी की राशि को उस हिस्से से कम किया जाएगा जो निम्नलिखित में से किसी के कारण हो:

(1) करदाता द्वारा किसी मद का टैक्स संबंधी व्यवहार, यदि उस व्यवहार के लिए पर्याप्त विधिक आधार मौजूद है या मौजूद था।

(2) कोई भी मद, यदि निम्नलिखित लागू हों:

(A) उस मद के टैक्स संबंधी व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रासंगिक तथ्यों का रिटर्न में या रिटर्न के साथ संलग्न किसी विवरण में पर्याप्त रूप से खुलासा किया गया हो।

(B) करदाता द्वारा उस मद के टैक्स संबंधी व्यवहार के लिए व्यक्तिगत आधार हो।

(i) अनुभाग 18567 के उपखंड (a) के बावजूद, बोर्ड केवल 2026 टैक्स वर्ष के लिए टैक्स दाखिल करने हेतु छह महीने का समय-विस्तार प्रदान करेगा। अनुभाग 18567 के उपखंड (b) के बावजूद, इस अनुभाग द्वारा लगाए गए दंड अप्रैल 2027 तक किए जाने वाले आवश्यक अनुमानित भुगतानों पर लागू नहीं होंगे। इस अनुभाग के तहत लगाए गए दंड अक्टूबर 2027 में किए गए 2026 टैक्स वर्ष के अंतिम भुगतानों पर लागू होंगे। 2027 के बाद के सभी वर्षों के लिए इस अधिनियम द्वारा लगाए गए टैक्स पर अनुभाग 18567 लागू होगी।

(j) कानून के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद, बोर्ड इस भाग द्वारा अधिकृत टैक्स का पूर्ण रूप से प्रशासन और संग्रह करने में सहायता के लिए, जैसा उपयुक्त हो, बाहरी विशेषज्ञों या बाहरी विधिक परामर्शदाताओं को नियुक्त कर सकता है और उन्हें व्यक्तिगत शुल्क का भुगतान कर सकता है। यद्यपि इन शुल्कों का भुगतान सरकारी संहिता के अनुभाग 16355 के उपखंड (e) में निर्धारित राशि से किया जा सकता है, यदि आवश्यक हो तो बोर्ड प्रतिपूर्ति के लिए अतिरिक्त वित्तपोषण की मांग कर सकता है।

(k) सामान्य बचाव-रोधी नियम।

(1) यदि बोर्ड यह निर्धारित करता है कि किसी लेन-देन या लेन-देन की श्रृंखला में आर्थिक सार का अभाव है, या किसी लेन-देन या लेन-देन की श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य इस भाग के संबंध में ऐसा टैक्स लाभ प्राप्त करना था जिसका आशय मतदाताओं या विधान मंडल द्वारा नहीं था, तो बोर्ड उस लाभ को अस्वीकार करने के लिए सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत तरीके से किसी भी व्यक्ति के लिए टैक्स संबंधी परिणाम निर्धारित कर सकता है।

(2) इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, किसी लेन-देन या लेन-देन की श्रृंखला को आर्थिक सार से रहित माना जाएगा यदि उस व्यक्ति के पास उस लेन-देन या लेन-देन की श्रृंखला में प्रवेश करने के लिए कोई वैध और महत्वपूर्ण गैर-कर व्यावसायिक उद्देश्य न हो, जिसमें राज्य और संघीय टैक्स प्रभावों से अलग उस लेन-देन या लेन-देन की श्रृंखला के समग्र आर्थिक प्रभाव को ध्यान में रखा जाएगा।

(l) नियंत्रित समूह आबंटन; रूप के बजाय वास्तविक स्वरूप को प्राथमिकता।

(1) यदि दो या अधिक संगठन, व्यापार, व्यवसाय, संस्थाएँ या व्यवस्थाएँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समान हितों के स्वामित्व या नियंत्रण में हों, तो बोर्ड इस भाग के तहत निवल संपत्ति के निर्धारण से संबंधित परिसंपत्तियों, देनदारियों या किसी अन्य मद को उन व्यक्तियों के बीच वितरित, अनुपातिक या आबंटित कर सकता है, यदि बोर्ड यह निर्धारित करता है कि इस भाग द्वारा लगाए गए टैक्स से बचने को रोकने या उन टैक्स मदों के वास्तविक आर्थिक स्वामित्व और लाभ को स्पष्ट रूप से दर्शाने के लिए ऐसा वितरण, अनुपात या आबंटन आवश्यक है।

(2) अनुच्छेद (1) के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करते समय, बोर्ड ऐसी किसी संस्था, व्यवस्था या लेन-देन की उपेक्षा कर सकता है जिसमें आर्थिक सार का अभाव हो, संबंधित लेन-देन को चरणबद्ध लेन-देन सिद्धांत के तहत एक ही लेन-देन मान सकता है, या अन्यथा लेन-देन के रूप के बजाय उसके वास्तविक स्वरूप को प्रभावी कर सकता है।

(m) आयकर सिद्धांतों का उपयोग; कोई निहित छूट नहीं।

(1) इस भाग को लागू करते समय, बोर्ड राज्य और संघीय आयटैक्स की व्याख्या और अनुप्रयोग के संबंध में विकसित विधिक सिद्धांतों पर भरोसा कर सकता है, और न्यायालय उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं, जिनमें बिना किसी सीमा के आर्थिक सार, व्यावसायिक उद्देश्य, दिखावटी लेन-देन, चरणबद्ध लेन-देन और रूप के बजाय वास्तविक स्वरूप से संबंधित सिद्धांत शामिल हैं।

(2) इस भाग द्वारा लगाए गए टैक्स से कोई छूट, अपवर्जन या कटौती नहीं होगी, सिवाय उन छूटों, अपवर्जनों या कटौतियों के जिन्हें इस भाग या California के संविधान की धारा XIII के अनुभाग 37 में स्पष्ट रूप से अधिकृत किया गया है।

(n) बोर्ड की शक्ति। किसी अन्य टैक्स के संबंध में बोर्ड की शक्तियों के बारे में कोई निहितार्थ उत्पन्न किए बिना, यदि बोर्ड टैक्स अपील कार्यालय के किसी निर्णय से असहमत है, तो वह नए सिरे से सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय में कार्रवाई दायर कर सकता है।

50313. व्याख्या

इस भाग के प्रावधानों की उदारतापूर्वक व्याख्या की जाएगी ताकि इसके उद्देश्यों को प्रभावी किया जा सके।

50314. त्वरित समीक्षा

(a) इस अनुभाग का उद्देश्य वैधता संबंधी कार्रवाई के माध्यम से इस अधिनियम की उसके स्वरूप के आधार पर वैधता का त्वरित और निर्णायक समाधान उपलब्ध कराना है।

(b) यह निर्धारित करने के लिए कि इस अधिनियम द्वारा लगाया गया टैक्स, या उससे संबंधित सभी कार्यवाहियाँ, संवैधानिक हैं या अन्यथा अपने स्वरूप के आधार पर अमान्य हैं, और केवल इस अधिनियम या उसके किसी भाग की वैधता निर्धारित करने के लिए दायर कोई कार्रवाई या कार्यवाही, सिविल प्रक्रिया संहिता के भाग 2 के शीर्षक 10 के अध्याय 9 (अनुभाग 860 से शुरू होते हुए) के अनुसार शुरू की जाएगी।

(c) मतदाताओं द्वारा अधिनियम की स्वीकृति के 60 दिनों से अधिक समय बाद कोई वैधता संबंधी कार्रवाई दायर नहीं की जाएगी। यदि उस अवधि के भीतर कोई कार्रवाई दायर नहीं की जाती है, तो टैक्स और उससे संबंधित सभी कार्यवाहियाँ, जिनमें अधिनियम को अपनाना और अनुमोदित करना शामिल है, अपने स्वरूप के आधार पर वैध एवं हर दृष्टि से कानूनी और निर्विवाद मानी जाएँगी।

(d) सिविल प्रक्रिया संहिता के भाग 2 के शीर्षक 10 का अध्याय 9 (अनुभाग 860 से शुरू होते हुए) इस अनुभाग के तहत सभी वैधता संबंधी कार्रवाइयों को नियंत्रित करेगा; हालांकि, किसी अन्य कानून के बावजूद:

(1) किसी भी वैधता संबंधी कार्रवाई के लिए एकमात्र न्याय-स्थान Sacramento काउंटी उच्च न्यायालय होगा, जहाँ सभी कार्रवाइयों को कम-से-कम मुकदमे की सुनवाई के लिए, या न्यायालय द्वारा निर्धारित सीमा तक, एकीकृत किया जाएगा।

(2) Sacramento काउंटी उच्च न्यायालय के प्रतिकूल निर्णय के विरुद्ध कोई भी अपील, किसी मध्यवर्ती अपीलीय समीक्षा के बिना, सीधे California सर्वोच्च न्यायालय में की जाएगी।

(3) यदि सर्वोच्च न्यायालय समीक्षा याचिका स्वीकार करता है, तो वह इस अधिनियम की वैधता से संबंधित किसी भी अपील या रिट पर त्वरित आधार पर सुनवाई करेगा।

(4) त्वरित और सुविचारित न्यायिक निर्णय प्रक्रिया को संभव बनाने के लिए संबंधित न्यायालय द्वारा आवश्यकतानुसार किए जाने वाले समायोजन के अधीन, Sacramento उच्च न्यायालय किसी भी वैधता संबंधी

कार्रवाई का 1 अप्रैल, 2027 तक समाधान करने का हर संभव प्रयास करेगा, और California सर्वोच्च न्यायालय किसी भी समीक्षा कार्यवाही का 1 नवंबर, 2027 तक, या उसके बाद यथाशीघ्र, समाधान करने का हर संभव प्रयास करेगा। इन तारीखों को पूरा करने के लिए आवश्यकतानुसार लिखित दलीलें प्रस्तुत करने और सुनवाई की समय-सारणी निर्धारित की जाएगी।

(5) सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुभाग 868 इस अनुभाग के तहत दायर की गई कार्रवाइयों पर लागू नहीं होगी।

(e) राज्य, कोई सरकारी एजेंसी, उसका कोई अधिकारी, कोई अन्य सरकारी नियोक्ता, प्रस्तावक, या प्रस्तावक की अनुपस्थिति में इस राज्य का कोई भी नागरिक, सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुभाग 863 के तहत “हितधारक व्यक्ति” है।

अनुभाग 8. संघर्ष।

यह अधिनियम अरबपतियों की आय पर नहीं, बल्कि उनकी निवल संपत्ति पर टैक्स लगाने का प्रावधान करता है। यदि यह विधेयक और कोई अन्य ऐसा विधेयक, जो अरबपतियों की आय पर नहीं बल्कि उनकी निवल संपत्ति पर टैक्स लगाता है या उस पर लागू टैक्स की दरों को प्रभावित करता है, या अरबपतियों की निवल संपत्ति पर लगाए गए टैक्स से प्राप्त धनराशि के उपयोग का प्रावधान करता है, एक ही राज्यव्यापी मतपत्र पर प्रस्तुत होते हैं, तो अन्य विधेयक या विधेयकों के प्रावधानों को इस विधेयक के साथ परस्पर विरोधी माना जाएगा। यदि इस विधेयक को इसके साथ परस्पर विरोधी माने गए किसी विधेयक की तुलना में अधिक हाँ के मत प्राप्त होते हैं, तो इस विधेयक के प्रावधान पूर्ण रूप से प्रभावी होंगे और अन्य विधेयक या विधेयकों के कोई भी परस्पर विरोधी प्रावधान अमान्य और निष्प्रभावी होंगे।

अनुभाग 9. प्रस्तावक का पक्षकार बनने का अधिकार।

इस अनुभाग का उद्देश्य इस अधिनियम का पूर्ण और व्यापक बचाव सुनिश्चित करना, जनता के पहल के अधिकार की रक्षा करना और यह चुनने के जनता के अधिकार की रक्षा करना है कि न्यायालय में इस अधिनियम का बचाव कौन करेगा। कानून के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद, राज्य, कोई सरकारी एजेंसी, उसका कोई अधिकारी, कोई अन्य सरकारी नियोक्ता, प्रस्तावक, या प्रस्तावक की अनुपस्थिति में इस राज्य का कोई भी नागरिक, इस अधिनियम में निर्धारित अनुसार वैधता संबंधी कार्रवाई के माध्यम से या अन्यथा उपलब्ध किसी माध्यम से इस अधिनियम की वैधता का बचाव कर सकता है और इस अधिनियम का बचाव करने के उद्देश्य से सीधे मुकदमा दायर करने या किसी कार्रवाई में हस्तक्षेप करने के लिए अधिकृत है, चाहे वह निचली अदालत में हो, अपील पर हो, California सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा में या उसके मूल अधिकार-क्षेत्र के प्रयोग में हो, या संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हो। यदि अटॉर्नी जनरल इस अधिनियम का बचाव नहीं करता है, तो अधिनियम का बचाव करने और उसकी वैधता के पक्ष में पैरवी करने में लगने वाली युक्तिसंगत फीस और लागत अटॉर्नी जनरल को विनियोजित धनराशि पर प्रभार होगी, जिसका भुगतान शीघ्र किया जाएगा।

प्रस्ताव 41

यह पहल विधेयक California के संविधान की धारा II के अनुभाग 8 के प्रावधानों के अनुसार जनता के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

यह पहल विधेयक California के संविधान में अनुभाग जोड़ता है; इसलिए, जो नए प्रावधान जोड़े जाने का प्रस्ताव है, उन्हें इटैलिक टाइप में प्रिंट किया गया है, ताकि यह दर्शाया जा सके कि वे नए हैं।

प्रस्तावित कानून

अनुभाग 1. शीर्षक।

इस अधिनियम को California सरकार में पारदर्शिता, प्रभावशीलता और दक्षता सुधार अधिनियम, 2026 के नाम से जाना जाएगा और इसी नाम से इसका उल्लेख किया जा सकता है।

अनुभाग 2. निष्कर्ष और घोषणाएँ।

California राज्य के लोग निम्नलिखित सभी बातों को पाते और घोषित करते हैं:

(a) हर दिन, California के लोग वहीनीयता के संकट का सामना कर रहे हैं। आवास, भोजन, बिजली, स्वास्थ्य देखभाल, घर और वाहन बीमा एवं जीवन की कई अन्य आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की लागत लगातार बढ़ रही है।

(b) California के लोग पहले से ही संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक टैक्स चुकाने वाले लोगों में शामिल हैं। एक गैर-दलीय अनुसंधान संस्थान के हालिया विश्लेषण ने निष्कर्ष निकाला कि व्यक्तिगत आय टैक्स, बिक्री टैक्स, संपत्ति टैक्स और टैक्स लगाने के अन्य रूपों को ध्यान में रखते हुए, अपनी आबादी पर टैक्स लगाने के मामले में California देश में 48वें स्थान पर है। अन्य संकेतकों के साथ-साथ, California में देश का सबसे अधिक राज्य बिक्री टैक्स, आय पर टैक्स की सबसे ऊँची शीर्ष दर और गैसोलीन पर सबसे अधिक टैक्स है।

(c) सार्वजनिक प्रोग्राम अत्यंत आवश्यक सेवाएँ प्रदान करते हैं, जिनमें बच्चों, परिवारों और हमारे राज्य के अतिसंवेदनशील लोगों के लिए सेवाएँ शामिल हैं। लेकिन हमारे टैक्स के कई बिलियन डॉलर आवासहीनता से निपटने के प्रयासों जैसे प्रोग्रामों में लगाए गए हैं, जबकि उसके मुकाबले परिणाम बहुत कम दिखाई दिए हैं।

(d) करदाताओं से अप्रभावी प्रोग्रामों को समर्थन देने के लिए उनकी मेहनत की कमाई में से और अधिक भुगतान करने को कहने से पहले, हमारा अधिक पारदर्शिता स्थापित करना और प्रोग्रामों में सुधार की प्रगति को मापने योग्य तरीके से दर्ज करना ज़रूरी है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम विफलता का वित्तपोषण बंद करें और सफल परिणामों का वित्तपोषण शुरू करें। सरकार को हमारे टैक्स के डॉलर का अधिक समझदारी से उपयोग करना ज़रूरी है।

(e) इनमें से कुछ प्रयास पहले से ही चल रहे हैं। उदाहरण के लिए, Newsom प्रशासन ने प्रौद्योगिकी और स्वचालन का अधिक उपयोग करके, डेटा नवाचार कार्यालय की स्थापना करके और मोटर वाहन विभाग का आधुनिकीकरण करके सरकार में दक्षता बढ़ाने का प्रयास किया है। यह संघीय स्तर पर राष्ट्रपति Obama द्वारा पहले किए गए उन प्रयासों के अनुरूप है, जिनका उद्देश्य सरकार में बर्बादी को कम करना और खराब प्रदर्शन करने वाले प्रोग्रामों में कटौती करना था।

(f) हालांकि ये मौजूदा प्रयास एक अच्छी शुरुआत हैं, फिर भी अक्षमता को कम करने और सरकारी बर्बादी में कटौती करने के लिए और अधिक किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, हाल के अध्ययनों में पाया गया है कि कुछ प्रोग्रामों में प्रत्येक डॉलर के 25 सेंट तक अक्षमता या बर्बादी के कारण नष्ट हो जाते हैं।

(g) इसके बावजूद, विधान मंडल और विशेष हित समूह अपनी पसंदीदा परियोजनाओं के लिए नए और अधिक टैक्स का प्रस्ताव देना जारी रखते हैं, जबकि यह सुनिश्चित करने का कठिन कार्य नहीं करते कि सरकारी प्रोग्राम पहले से उपलब्ध अपने राजस्व का यथासंभव प्रभावी और कुशल तरीके से उपयोग कर रहे हैं। California के लोगों को यह अपेक्षा करने का अधिकार है कि राज्य सरकार प्रोग्रामों की प्रभावशीलता और दक्षता में सुधार करे एवं बर्बादी में कटौती करे, इससे पहले कि हमसे और अधिक टैक्स चुकाने को कहा जाए—जो हमारे जीवन-यापन की लागत के संकट को और भी बदतर बनाते हैं।

(h) 1979 में, California के मतदाताओं ने फिजूलखर्ची पर अंकुश लगाने, अधिक प्रभावी सरकार को प्रोत्साहित करने और सीमा से अधिक किसी भी अतिरिक्त राजस्व को करदाताओं को वापस करने में मदद के लिए राज्य की खर्च सीमा को मंजूरी दी थी। हालांकि, उसके बाद के वर्षों में विशेष हितों वाले समूहों ने बार-बार ऐसे नए टैक्स पारित कराए हैं जिन्हें राज्य की खर्च सीमा से छूट दी गई। इससे टैक्स और अधिक बढ़ते हैं और इस बात की संभावना कम हो जाती है कि राज्य के अतिरिक्त राजस्व को करदाताओं को वापस किया जाएगा।

(i) यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस अधिनियम की नई दक्षता और पारदर्शिता संबंधी आवश्यकताओं का अपेक्षित प्रभाव पड़ने से पहले राज्य का खर्च और अधिक नियंत्रण से बाहर न हो जाए, हमें किसी भी नए टैक्स को राज्य की खर्च सीमा से छूट दिए जाने से रोकना होगा। मतदाताओं द्वारा अनुमोदित इस राज्य खर्च सीमा की रक्षा करना इस अधिनियम के उद्देश्य के अनुसार राज्य सरकार को California के लोगों के टैक्स डॉलर का बेहतर प्रबंधन बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब सरकार को राज्य की खर्च सीमा के तहत अपने उपलब्ध साधनों के भीतर रहकर काम करना पड़ता है, तो सरकार द्वारा करदाताओं के धन को प्रभावी और कुशल तरीके से खर्च किए जाने की संभावना अधिक होती है।

अनुभाग 3. आशय का कथन।

इस अधिनियम को लागू करने में, California राज्य की जनता का उद्देश्य और आशय California राज्य लेखा-परीक्षक से उन सभी राज्य प्रोग्रामों का प्रारंभिक और निरंतर लेखा-परीक्षण कराना है, जिन्हें नए या बड़े हुए विशेष टैक्स से प्राप्त राजस्व दिए जाने के लिए लक्षित किया गया है। लेखा-परीक्षण में संभावित बचत और सुधार के क्षेत्रों की पहचान की जानी और उनके परिणाम जनता के साथ साझा किए जाने ज़रूरी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अतिरिक्त वित्तपोषण वास्तव में आवश्यक है, सार्वजनिक प्रोग्राम परिणाम दे रहे हैं और करदाताओं का धन अक्षमता, बर्बादी या दुरुपयोग के कारण नष्ट नहीं हो रहा है—साथ ही राज्य की खर्च सीमा से छूट दिए जाने पर भी रोक लगाई जाए, जो राज्य सरकार पर दक्षता और अनुशासन लागू करती है।

अनुभाग 4. California के संविधान में धारा XXIV को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए जोड़ा जाता है:

धारा XXIV

करदाताओं के धन की रक्षा

अनुभाग 1. विशेष टैक्स पहलों के लिए चुनाव-पूर्व लेखा-परीक्षण

(a) जब प्रस्तावित विशेष टैक्स पहल के लिए प्रमाणीकरण, चुनाव संहिता के अनुभाग 9034 के उपखंड (a) के अनुसार राज्य सचिव को प्रस्तुत किया जाता है, तो California राज्य लेखा-परीक्षक उस प्रत्येक प्रोग्राम का चुनाव-पूर्व वित्तीय और कार्य-निष्पादन लेखा-परीक्षण तैयार करना शुरू करेगा, जिसे विशेष टैक्स से धनराशि प्राप्त होगी।

(b) चुनाव-पूर्व वित्तीय और कार्य-निष्पादन लेखा-परीक्षण में कम-से-कम निम्नलिखित सभी विषयों को शामिल किया जाएगा:

(1) क्या प्रोग्राम वर्तमान में कर्मचारियों, उपकरणों, प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं सुविधा-स्थलों सहित संसाधनों को आवश्यक गुणवत्ता के लिए न्यूनतम लागत पर प्राप्त कर रहा है।

(2) क्या प्रोग्राम खर्च किए गए प्रत्येक डॉलर से अधिकतम परिणाम प्राप्त कर रहा है।

(3) प्रोग्राम वास्तव में अपने निर्धारित लक्ष्यों और परिणामों को किस सीमा तक प्राप्त कर रहा है।

(4) प्रोग्राम में वास्तविक और संभावित धोखाधड़ी, बर्बादी और दुरुपयोग की मात्रा एवं धोखाधड़ी, बर्बादी और दुरुपयोग को रोकने के लिए मौजूदा प्रणालियों की पर्याप्तता।

(5) इस बात का आकलन कि क्या प्रोग्राम संबंधित कानूनों, विनियमों और आंतरिक नीतियों का पालन कर रहा है।

(6) इस बात का आकलन कि क्या प्रोग्राम ने अपने सबसे बड़े खतरों की पहचान की है और उन्हें कम करने की कोई योजना बनाई है।

(7) प्रोग्राम द्वारा निर्णय लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले या जिन पर भरोसा किया जाता है, उन आँकड़ों की सटीकता और विश्वसनीयता की सीमा।

(8) क्या प्रोग्राम में जवाबदेही और निगरानी की पर्याप्त व्यवस्था मौजूद है।

(9) प्रोग्राम की लागतों की तुलना गैर-सरकारी क्षेत्र के किसी समान प्रोग्राम की लागतों से कैसे होती है।

(10) प्रोग्राम प्रत्येक वर्ष कम-से-कम 10 प्रतिशत की बजटीय बचत कैसे प्राप्त कर सकता है, इस संबंध में सिफारिशें।

(c) इस अनुभाग द्वारा आवश्यक चुनाव-पूर्व वित्तीय और कार्य-निष्पादन लेखा-परीक्षण तैयार करते समय, California राज्य लेखा-परीक्षक विधायी विश्लेषक कार्यालय (LAO) से सुझाव आमंत्रित करेगा और कार्यालय की रिपोर्टों, विश्लेषणों और सिफारिशों में निहित जानकारी पर भरोसा कर सकता है।

(d) California राज्य लेखा-परीक्षक चुनाव-पूर्व वित्तीय और कार्य-निष्पादन लेखा-परीक्षण में एक कार्यकारी सारांश शामिल करेगा, जिसमें उपखंड (b) में वर्णित विषयों से संबंधित सभी निष्कर्षों और सिफारिशों का सारांश होगा।

(e) (1) चुनाव-पूर्व वित्तीय और कार्य-निष्पादन लेखा-परीक्षण की प्रतियाँ राज्यपाल, विधान मंडल और राज्य सचिव को दी जाएँगी एवं उन्हें California राज्य लेखा-परीक्षक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा और जनता के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

(2) यदि विशेष टैक्स पहल धारा II में निर्धारित अनुसार मतपत्र के लिए पात्र हो जाती है, तो चुनाव-पूर्व वित्तीय और कार्य-निष्पादन लेखा-परीक्षण का कार्यकारी सारांश राज्य मतदाता सूचना गाइड में विधायी विश्लेषक द्वारा तैयार किए गए निष्पक्ष विश्लेषण के ठीक बाद प्रकाशित किया जाएगा। California राज्य लेखा-परीक्षक चुनाव-पूर्व वित्तीय और कार्य-निष्पादन लेखा-परीक्षण, जिसमें कार्यकारी सारांश भी शामिल है, ऐसी तारीख तक पूरा करेगा जिससे राज्य मतदाता सूचना गाइड को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने की समय-सीमा पूरी की जा सके।

(f) यदि विशेष टैक्स पहल को मतदाताओं द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो नियंत्रक द्वारा निर्धारित अनुसार चुनाव-पूर्व वित्तीय और कार्य-निष्पादन लेखा-परीक्षण तैयार करने में हुई युक्तिसंगत लागतों के लिए California राज्य लेखा-परीक्षक को विशेष टैक्स पहल से उत्पन्न राजस्व से प्रतिपूर्ति की जाएगी।

अनुभाग 2. सभी नए या बढ़े हुए विशेष टैक्स के लिए निरंतर लेखा-परीक्षण

(a) (1) 1 जनवरी, 2026 को या उसके बाद विधान मंडल या राज्यव्यापी पहल विधेयक द्वारा अधिनियमित सभी विशेष टैक्स के लिए, California राज्य लेखा-परीक्षक उस प्रत्येक प्रोग्राम का निरंतर वित्तीय और कार्य-निष्पादन लेखा-परीक्षण करेगा, जिसे विशेष टैक्स से धनराशि प्राप्त होती है।

(2) विशेष टैक्स की प्रभावी तारीख से शुरू होकर, प्रत्येक चार वर्ष में एक निरंतर वित्तीय और कार्य-निष्पादन लेखा-परीक्षण पूरा किया जाएगा।

(b) इस अनुभाग द्वारा आवश्यक निरंतर वित्तीय और कार्य-निष्पादन लेखा-परीक्षण में निम्नलिखित विषय शामिल होंगे:

(1) इस धारा के अनुभाग 1 के उपखंड (b) में वर्णित सभी विषय।

(2) प्रोग्राम अपनी प्रभावशीलता कैसे बढ़ा सकता है और लागतों में कैसे कटौती कर सकता है, या अन्यथा करदाताओं और राज्य के राजस्व पर प्रोग्राम द्वारा डाले गए बोझ को कैसे कम कर सकता है, इस संबंध में सिफारिशें।

(c) (1) इस अनुभाग द्वारा आवश्यक निरंतर वित्तीय और कार्य-निष्पादन लेखा-परीक्षण तैयार करते समय, California राज्य लेखा-परीक्षक विधायी विश्लेषक कार्यालय (LAO) से सुझाव आमंत्रित करेगा और कार्यालय की रिपोर्टों, विश्लेषणों और सिफारिशों में निहित जानकारी पर भरोसा कर सकता है।

(2) California राज्य लेखा-परीक्षक प्रोग्रामों की प्रभावशीलता को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानकों और टैक्स डॉलर को अधिक प्रभावी ढंग से कैसे खर्च किया जा सकता है, इस संबंध में अपने निर्धारणों को सूचित करने के लिए जनता से भी सुझाव आमंत्रित करेगा।

(d) नियंत्रक द्वारा निर्धारित अनुसार, निरंतर वित्तीय और कार्य-निष्पादन लेखा-परीक्षण तैयार करने में हुई युक्तिसंगत लागतों के लिए California राज्य लेखा-परीक्षक को विशेष टैक्स से उत्पन्न राजस्व से प्रतिपूर्ति की जाएगी।

अनुभाग 3. राज्य की खर्च सीमा से छूट पर प्रतिबंध

(a) 1 जनवरी, 2026 को या उसके बाद अधिनियमित या प्रभावी होने वाले किसी भी राज्य टैक्स को सरकारी खर्च सीमा से छूट नहीं दी जाएगी और न ही उससे बाहर रखा जाएगा।

(b) California राज्य 1 जनवरी, 2026 को या उसके बाद अधिनियमित या प्रभावी होने वाले किसी भी ऐसे राज्य टैक्स को लागू, एकत्र या प्रवर्तित नहीं करेगा, जिसे सरकारी खर्च सीमा से छूट दी गई हो या उससे बाहर रखा गया हो।

अनुभाग 4. इस धारा के प्रयोजनों के लिए:

(a) “California राज्य लेखा-परीक्षक” का अर्थ सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के प्रभाग 1 के अध्याय 6.5 (अनुभाग 8543 से शुरू होते हुए) में वर्णित California राज्य लेखा-परीक्षक है।

(b) “सरकारी खर्च सीमा से छूट दी गई या बाहर रखा गया” का अर्थ निम्नलिखित में से कोई एक है:

(1) राज्य टैक्स से प्राप्त राजस्व को, पूर्णतः या आंशिक रूप से, सामान्य कोष के बाहर किसी विशेष कोष या खाते में जमा किया जाता है, और उस विशेष कोष या खाते से किए गए विनियोग धारा XIII B के तहत सरकार की प्रत्येक संस्था और California राज्य के सीमा के अधीन विनियोगों में शामिल नहीं किए जाते हैं।

(2) California राज्य की विनियोग सीमा को धारा XIII B के अनुभाग 4 के अनुसार कानून द्वारा बढ़ाया जाता है।

(c) “सरकारी खर्च सीमा” का अर्थ धारा XIII B है।

(d) “विशेष टैक्स” का अर्थ ऐसा टैक्स है जिसका उपयोग असीमित उद्देश्यों के बजाय केवल विशिष्ट उद्देश्यों के वित्तपोषण के लिए किया जा सकता है।

(e) “विशेष टैक्स पहल” का अर्थ धारा II के अनुभाग 8 या धारा XVIII के अनुभाग 3 के अनुसार प्रस्तावित ऐसा पहल विधेयक है, जिसमें विशेष टैक्स शामिल हो।

अनुभाग 5. यह धारा उन सभी राज्यव्यापी पहल विधेयकों पर लागू होती है जिन्हें 1 जनवरी, 2026 को या उसके बाद मतदाताओं के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिनमें वे विधेयक भी शामिल हैं जो उसी चुनाव के मतपत्र पर आते हैं जिसमें इस धारा को जोड़ने वाले विधेयक को मतदाताओं द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

अनुभाग 5. परस्पर विरोधी विधेयक।

(a) (1) यदि यह पहल विधेयक उसी राज्यव्यापी चुनाव के मतपत्र पर किसी अन्य ऐसे पहल विधेयक के साथ आता है जो (A) विशेष टैक्स पर अलग लेखा-परीक्षण नियम लागू करता है; या (B) ऐसा राज्य टैक्स शामिल करता है जिसे सरकारी खर्च सीमा से छूट दी गई है या उससे बाहर रखा गया है, तो उस अन्य पहल विधेयक को इस विधेयक के साथ परस्पर विरोधी माना जाएगा। यदि इस पहल विधेयक को अधिक संख्या में हाँ के मत प्राप्त होते हैं, तो इस विधेयक के प्रावधान पूर्ण रूप से प्रभावी होंगे और अन्य विधेयक के सभी प्रावधान अमान्य और निष्प्रभावी होंगे।

(2) इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए, “विशेष टैक्स” का वही अर्थ होगा जो इस अधिनियम के अनुभाग 4 में निर्धारित किया गया है।

(b) यदि इस पहल विधेयक को मतदाताओं द्वारा अनुमोदित किया जाता है, लेकिन उसी चुनाव में मतदाताओं द्वारा अनुमोदित किसी अन्य परस्पर विरोधी पहल विधेयक द्वारा इसे पूर्णतः या आंशिक रूप से अधिक्रमित कर दिया जाता है, और बाद में उस परस्पर विरोधी विधेयक को अमान्य ठहराया जाता है, तो यह विधेयक स्वतः लागू होगा और इसे पूर्ण बल और प्रभाव दिया जाएगा।

अनुभाग 6. पृथक्करणीयता।

इस अधिनियम के प्रावधान पृथक्करणीय हैं। यदि इस अधिनियम के किसी भाग, अनुभाग, उपखंड, अनुच्छेद, खंड, उपखंड, वाक्य, वाक्यांश, शब्द या अनुप्रयोग को किसी भी कारण से सक्षम अधिकार-क्षेत्र वाले किसी न्यायालय के निर्णय द्वारा अमान्य ठहराया जाता है, तो उस निर्णय से इस अधिनियम के शेष भागों की वैधता प्रभावित नहीं होगी। California राज्य की जनता एतद्वारा घोषित करती है कि उसने इस अधिनियम एवं इसके प्रत्येक ऐसे भाग, अनुभाग, उपखंड, अनुच्छेद, खंड, उपखंड, वाक्य, वाक्यांश, शब्द और अनुप्रयोग को, जिसे अमान्य या असंवैधानिक घोषित नहीं किया गया है, इस बात की परवाह किए बिना अपनाया होता कि इस अधिनियम के किसी भाग या उसके अनुप्रयोग को बाद में अमान्य घोषित किया जाएगा।

अनुभाग 7. प्रभावी तिथि।

यह अधिनियम California के संविधान की धारा II के अनुभाग 10 के अनुसार यथाशीघ्र संभव तारीख से प्रभावी होगा। यह अधिनियम उसी दिन क्रियाशील होगा जिस दिन यह प्रभावी होगा।

अनुभाग 8. उदार व्याख्या।

इस अधिनियम के आशय और उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए इसकी उदारतापूर्वक व्याख्या की जाएगी।

अनुभाग 9. कानूनी बचाव।

इस अनुभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोगों के पहल के बहुमूल्य अधिकार को राज्य के राजनेताओं द्वारा अनुचित रूप से निरस्त नहीं किया जा सके, जो मतदाताओं की इच्छा का संरक्षण करने से इनकार करते हैं। इसलिए, यदि इस अधिनियम को California राज्य के

मतदाताओं द्वारा अनुमोदित किया जाता है और उसके बाद इसे कानूनी चुनौती दी जाती है जो किसी भी तरह से इस अधिनियम के दायरे या कार्यान्वयन को सीमित करने का प्रयास करती है, या आरोप लगाती है कि यह अधिनियम किसी राज्य या संघीय कानून का पूर्णतः या आंशिक रूप से उल्लंघन करता है, और राज्यपाल और अटॉर्नी जनरल दोनों California राज्य की ओर से इस अधिनियम का यथासंभव पूर्णतः बचाव करने से इनकार करते हैं, तो निम्नलिखित कार्यवाई की जाएगी:

(a) सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के प्रभाग 3 के भाग 2 के अध्याय 6 (अनुभाग 12500 से शुरू होते हुए) या किसी अन्य कानून में इसके विपरीत किसी भी प्रावधान के बावजूद, अटॉर्नी-जनरल California राज्य की ओर से इस अधिनियम का यथासंभव पूर्ण सीमा तक निष्ठापूर्वक और दृढ़ता से बचाव करने के लिए स्वतंत्र कानूनी सलाहकार नियुक्त करेगा।

(b) स्वतंत्र कानूनी सलाहकार को नियुक्त करने या उसके बाद उसे बदलने से पहले, अटॉर्नी-जनरल स्वतंत्र कानूनी सलाहकार की योग्यताओं का निर्धारण करने में समुचित सावधानी बरतेगा और उससे लिखित पुष्टि प्राप्त करेगा कि वह इस अधिनियम का यथासंभव पूर्ण सीमा तक निष्ठापूर्वक और दृढ़ता से बचाव करेगा। अनुरोध किए जाने पर लिखित पुष्टि तत्काल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी।

(c) ऐसे मामलों में इस अधिनियम के बचाव में सहायता करने के लिए, जहाँ राज्यपाल और अटॉर्नी-जनरल मतदाताओं की इच्छा के बावजूद ऐसा करने में विफल रहते हैं, नियंत्रक को सामान्य कोष से, वित्तीय वर्षों की परवाह किए बिना, स्वतंत्र कानूनी सलाहकार को नियुक्त रखने की लागतों को पूरा करने के लिए आवश्यक राशि का निरंतर विनियोग एतद्वारा किया जाता है, ताकि California राज्य की ओर से इस अधिनियम का यथासंभव पूर्ण सीमा तक निष्ठापूर्वक और दृढ़ता से बचाव किया जा सके।

प्रस्ताव 42

यह पहल विधेयक California के संविधान की धारा II के अनुभाग 8 के प्रावधानों के अनुसार जनता के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

यह पहल विधेयक California के संविधान में अनुभाग जोड़ता है; इसलिए, जो नए प्रावधान जोड़े जाने का प्रस्ताव है, उन्हें इटैलिक टाइप में प्रिंट किया गया है, ताकि यह दर्शाया जा सके कि वे नए हैं।

प्रस्तावित कानून

अनुभाग 1. शीर्षक।

इस अधिनियम को रिटायरमेंट और व्यक्तिगत बचत संरक्षण अधिनियम, 2026 के नाम से जाना जाएगा और इसी नाम से इसका उल्लेख किया जा सकता है।

अनुभाग 2. निष्कर्ष और घोषणाएँ।

(a) California के परिवार हर चीज़ के लिए अधिक भुगतान कर रहे हैं और हम पहले से ही देश में सबसे अधिक टैक्स चुकाने वालों में शामिल हैं। एक गैर-दलीय अनुसंधान संस्थान के हालिया विश्लेषण ने निष्कर्ष निकाला कि व्यक्तिगत आय टैक्स, बिक्री टैक्स, संपत्ति टैक्स और टैक्स के अन्य रूपों को ध्यान में रखते हुए, अपनी आबादी पर टैक्स का बोझ डालने के मामले में California देश में तीसरे सबसे खराब स्थान पर है। इस मामले में California केवल New Jersey और District of Columbia से पीछे है। अन्य संकेतकों के अलावा, California में देश का सबसे अधिक राज्य बिक्री टैक्स, आय टैक्स की सबसे ऊँची शीर्ष दर और गैसोलीन पर सबसे अधिक टैक्स भी है।

(b) हर दिन, California के लोग वहीनीयता के संकट का भी सामना कर रहे हैं। आवास, भोजन, बिजली, स्वास्थ्य देखभाल, घर और वाहन बीमा एवं जीवन की कई अन्य आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की लागत लगातार बढ़ रही है। California के लोग रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। रिटायरमेंट या मुश्किल समय के लिए बचत करना और भी कठिन है। राज्य में जीवन-यापन की असाधारण रूप से ऊँची लागत को देखते हुए, एक हालिया विश्लेषण से पता चलता है कि यदि California के लोग 20 वर्षों तक आराम से सेवानिवृत्त जीवन बिताना चाहते हैं, तो उन्हें \$2.3 मिलियन डॉलर की बचत की आवश्यकता होगी। California के कई लोगों के लिए इतनी बड़ी राशि जुटाना असंभव है।

(c) स्थिति को और बदतर बनाते हुए, राजनेता और विशेष हित समूह रिटायरमेंट संबंधी परिसंपत्तियों, व्यक्तिगत स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों और व्यक्तिगत बचत के अन्य रूपों पर टैक्स लगाना शुरू करना चाहते हैं—भले ही “California ड्रीम” हममें से कई लोगों की पहुँच से और दूर होता जा रहा है और California के कई लोग रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त धन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जो कुछ जोखिम में पड़ सकता है, उसके कुछ उदाहरण ये हैं:

(1) शिक्षक, पुलिस अधिकारी, अग्निशामक और अन्य समर्पित कर्मचारी निर्धारित-लाभ पेंशन लाभ अर्जित करते हैं। उनके पेंशन लाभों के भविष्य के मूल्य पर टैक्स लगाया जा सकता है और उन्हें पेंशन के रूप में एक पैसा भी मिलने से पहले सरकार को भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा सकता है।

(2) 401(k) रिटायरमेंट योजनाओं और व्यक्तिगत रिटायरमेंट खातों (IRAs) में योगदान करने वाले एवं स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और अन्य निवेशों में निवेश करने वाले California के लोगों की रिटायरमेंट के लिए जमा की गई बचत के मूल्य पर टैक्स लगाया जा सकता है। इससे कर्मचारियों को अपनी मेहनत से अर्जित बचत का कुछ हिस्सा गंवाना पड़ सकता है, जिसके कारण उन्हें रिटायरमेंट टालनी पड़ सकती है और जीवन के बाद के वर्षों में वे आर्थिक रूप से अधिक असुरक्षित हो सकते हैं।

(d) California पहले से ही अपने निवासियों पर आय टैक्स, पूंजीगत लाभ टैक्स, अचल संपत्ति टैक्स, व्यक्तिगत संपत्ति टैक्स, निगम टैक्स, बिक्री और उपयोग टैक्स, अचल संपत्ति लेनदेन टैक्स एवं कई अन्य टैक्स लगाता है। इसके अतिरिक्त, जब California के लोग अपनी रिटायरमेंट संबंधी परिसंपत्तियों से धन प्राप्त करना शुरू करते हैं, अपनी व्यक्तिगत स्वामित्व वाली परिसंपत्तियाँ बेचते हैं या अन्य व्यक्तिगत बचत में हुई वृद्धि से लाभ प्राप्त करते हैं, तो वे पहले से ही राज्य के आय, पूंजीगत लाभ और संपत्ति टैक्स के अधीन होते हैं। लेकिन राजनेताओं और विशेष हितों वाले समूहों को केवल ऐसी व्यक्तिगत संपत्ति के स्वामित्व या नियंत्रण पर टैक्स लगाने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, जैसे रिटायरमेंट संबंधी परिसंपत्तियाँ, व्यक्तिगत स्वामित्व वाली परिसंपत्तियाँ और व्यक्तिगत बचत के अन्य रूप, जिन्हें बचाने के लिए California के लोग कड़ी मेहनत करते हैं।

(e) पूर्वव्यापी टैक्स का भी California के लोगों की रिटायरमेंट योजना और व्यक्तिगत बचत पर उतना ही विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। एक लोकतांत्रिक समाज में निष्पक्षता के मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार यह आवश्यक है कि व्यक्ति, परिवार और व्यवसाय अपनी वित्तीय योजना को नियंत्रित करने वाले टैक्स कानूनों को समझ सकें और उन पर भरोसा कर सकें, ताकि वे नियमों की अग्रिम जानकारी के आधार पर निर्णय ले सकें।

(f) California के लोगों की अपनी वित्तीय और रिटायरमेंट संबंधी योजनाएँ बनाने और लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि उन्हें अपने ऊपर लागू होने वाले टैक्स दायित्वों की अग्रिम जानकारी हो। टैक्स कानूनों में पूर्वव्यापी बदलाव मूल रूप से अनुचित हैं और सरकार में विश्वास को कमजोर करते हैं, रिटायरमेंट और वित्तीय

योजना को बाधित करते हैं एवं निवासियों और व्यवसायों को भविष्य के लिए तैयारी करने से रोकते हैं।

(g) Sacramento के राजनेताओं और विशेष हितों वाले समूहों ने अकुशल और अप्रभावी प्रोग्रामों पर हमारे टैक्स के कई बिलियन डॉलर बर्बाद किए हैं। लेकिन वे और अधिक टैक्स प्रस्तावों के साथ हमारे और अधिक पैसे के लिए बार-बार वापस आते रहते हैं। उन्हें हमारी रिटायरमेंट संबंधी परिसंपत्तियों पर टैक्स लगाने या पिछले आचरण, गतिविधियों या स्थिति के आधार पर हम पर पूर्वव्यापी रूप से टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं है—उन्हें उस धन से बेहतर परिणाम देने की आवश्यकता है जिसे करदाताओं ने खर्च करने के लिए उन्हें पहले ही दे दिया है।

अनुभाग 3. आशय का कथन।

इस अधिनियम को लागू करने में, California राज्य की जनता का उद्देश्य और आशय हमारी व्यक्तिगत संपत्ति पर नए टैक्स लगाए जाने पर रोक लगाकर California के लोगों की अपने भविष्य के लिए बचत करने की क्षमता की रक्षा करना है, जिसमें रिटायरमेंट संबंधी परिसंपत्तियों, व्यक्तिगत स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों और व्यक्तिगत बचत के अन्य रूपों का स्वामित्व या नियंत्रण शामिल है, साथ ही यह आवश्यक करना है कि सभी नए टैक्स केवल भविष्य के लिए लागू हों।

अनुभाग 4. California के संविधान में धारा VIII को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए जोड़ा जाता है:

धारा VIII

अनुभाग 1. रिटायरमेंट संबंधी परिसंपत्तियों, व्यक्तिगत स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों और व्यक्तिगत बचत के अन्य रूपों पर टैक्स लगाने का निषेध

(a) 1 जनवरी, 2026 को या उसके बाद अधिनियमित कोई भी राज्य कानून और इस संविधान का कोई भी प्रावधान, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रखी गई रिटायरमेंट संबंधी परिसंपत्तियों, व्यक्तिगत स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों और व्यक्तिगत बचत के अन्य रूपों के स्वामित्व या नियंत्रण पर टैक्स को अधिनियमित, सृजित या लागू नहीं कर सकता और न ही ऐसे टैक्स के संग्रह को अधिकृत कर सकता है।

(b) इस अनुभाग की कोई भी बात ऐसे किसी टैक्स को लगाने या एकत्र करने में बदलाव या उसे सीमित नहीं करेगी जो 31 दिसंबर, 2025 को या उससे पहले प्रभावी था, लगाया गया था और पहली बार एकत्र किया गया था।

(c) इस अनुभाग की कोई भी बात इस संविधान के अन्य प्रावधानों में निर्धारित अचल संपत्ति पर टैक्स लगाने में बदलाव नहीं करेगी या उसे प्रभावित नहीं करेगी।

अनुभाग 2. पूर्वव्यापी टैक्स का निषेध

(a) (1) 1 जनवरी, 2026 को या उसके बाद अधिनियमित कोई भी राज्य कानून और इस संविधान का कोई भी प्रावधान ऐसे टैक्स को अधिनियमित, सृजित या लागू नहीं कर सकता और न ही उसके संग्रह को अधिकृत कर सकता है, जो पूर्वव्यापी रूप से लागू होकर ऐसे आचरण, गतिविधियों या स्थिति के आधार पर टैक्स दायित्व उत्पन्न करता हो जो राज्य कानून या संवैधानिक प्रावधान की प्रभावी तारीख से पहले घटित हुए हों या मौजूद रहे हों।

(2) यह उपखंड ऐसे टैक्स पर भी लागू होता है जो किसी करदाता पर टैक्स की प्रभावी तारीख से पहले की किसी तारीख को उसकी निवास स्थिति के आधार पर लगाया जाता है।

(b) उपखंड (a) की कोई भी बात ऐसे किसी टैक्स को लगाने या एकत्र करने में बदलाव या उसे सीमित नहीं करेगी जो 31 दिसंबर, 2025 को या उससे पहले प्रभावी था, लगाया गया था और पहली बार एकत्र किया गया था।

(c) उपखंड (a) 1 जनवरी, 2026 को या उसके बाद विधान मंडल द्वारा पारित किसी कानून द्वारा लगाए गए टैक्स पर लागू नहीं होगा, यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें लागू होती हैं:

(1) टैक्स, कानून के प्रभावी होने की तारीख से पहले 365 दिनों से अधिक की अवधि के लिए पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं होता है।

(2) निम्नलिखित में से कम-से-कम एक शर्त मौजूद हो:

(A) राज्यपाल आग, बाढ़, तूफान, नागरिक अशांति, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या किसी विदेशी शत्रु द्वारा वास्तविक या आसन्न हमले के परिणामस्वरूप आपातकाल घोषित करता है और टैक्स से प्राप्त राजस्व का उपयोग कानून द्वारा स्पष्ट रूप से उस आपातकाल से निपटने तक सीमित किया गया हो।

(B) राज्यपाल धारा IV के अनुभाग 10 के उपखंड (f) के अनुसार राजकोषीय आपातकाल घोषित करता है और टैक्स से प्राप्त राजस्व का उपयोग कानून द्वारा स्पष्ट रूप से उस राजकोषीय आपातकाल से निपटने तक सीमित किया गया हो।

अनुभाग 3. परिभाषाएँ

इस धारा के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित परिभाषाएँ लागू होंगी:

(a) “रिटायरमेंट संबंधी परिसंपत्तियाँ, व्यक्तिगत स्वामित्व वाली परिसंपत्तियाँ और व्यक्तिगत बचत के अन्य रूप” से आशय पेंशन; रिटायरमेंट खातों, जिनमें 401(k) खाते, 403(b) खाते और अन्य सभी व्यक्तिगत रिटायरमेंट खाते शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं; म्यूचुअल फंड; एवं सभी व्यक्तिगत संपत्ति, चाहे मूर्त हो या अमूर्त, से है, जिनमें वित्तीय परिसंपत्तियाँ, निवेश खाते, व्यावसायिक हित, डिजिटल परिसंपत्तियाँ, बौद्धिक संपदा, व्यक्तिगत सामान एवं आय उत्पन्न करने या रिटायरमेंट या वित्तीय योजना के लिए बचत करने हेतु उपयोग की जाने वाली अन्य परिसंपत्तियाँ शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

(b) “टैक्स” का अर्थ वही है जो धारा XIII A के अनुभाग 3 के उपखंड (b) में परिभाषित किया गया है।

अनुभाग 4. धारा का अनुप्रयोग

यह धारा उन सभी राज्यव्यापी पहल विधेयकों पर लागू होती है जिन्हें 1 जनवरी, 2026 को या उसके बाद मतदाताओं के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिनमें वे विधेयक भी शामिल हैं जो उसी चुनाव के मतपत्र पर आते हैं जिसमें इस धारा को जोड़ने वाले विधेयक को मतदाताओं द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

अनुभाग 5. परस्पर विरोधी विधेयक।

(a) (1) यदि यह पहल विधेयक उसी राज्यव्यापी चुनाव के मतपत्र पर किसी अन्य ऐसे पहल विधेयक के साथ आता है जो रिटायरमेंट संबंधी परिसंपत्तियों, व्यक्तिगत स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों और व्यक्तिगत बचत के अन्य रूपों के स्वामित्व या नियंत्रण पर टैक्स स्थापित, अधिनियमित, सृजित या लागू करेगा या ऐसे टैक्स के संग्रह को अधिकृत करेगा, या ऐसा टैक्स अधिनियमित करेगा जिसके परिणामस्वरूप पहल विधेयक की प्रभावी तारीख से पहले घटित हुए या मौजूद रहे आचरण, गतिविधियों या स्थिति के आधार पर टैक्स दायित्व उत्पन्न होगा, तो उस अन्य पहल विधेयक को इस विधेयक के साथ परस्पर विरोधी माना जाएगा। यदि इस पहल विधेयक को अधिक संख्या में हाँ के मत प्राप्त होते हैं, तो इस विधेयक के प्रावधान पूर्ण रूप से प्रभावी होंगे और अन्य विधेयक के सभी प्रावधान अमान्य और निष्प्रभावी होंगे।

(2) इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए, “रिटायरमेंट संबंधी परिसंपत्तियाँ, व्यक्तिगत स्वामित्व वाली परिसंपत्तियाँ और व्यक्तिगत बचत के अन्य

रूप” का वही अर्थ होगा जो इस अधिनियम के अनुभाग 4 में दिए गए California के संविधान की धारा VIII के अनुभाग 3 में प्रस्तावित है।

(b) यदि इस पहल विधेयक को मतदाताओं द्वारा अनुमोदित किया जाता है, लेकिन उसी चुनाव में मतदाताओं द्वारा अनुमोदित किसी अन्य परस्पर विरोधी पहल विधेयक द्वारा इसे पूर्णतः या आंशिक रूप से अधिक्रमित कर दिया जाता है, और बाद में उस परस्पर विरोधी विधेयक को अमान्य ठहराया जाता है, तो यह विधेयक स्वतः लागू होगा और इसे पूर्ण बल और प्रभाव दिया जाएगा।

अनुभाग 6. पृथक्करणीयता।

इस अधिनियम के प्रावधान पृथक्करणीय हैं। यदि इस अधिनियम के किसी भाग, अनुभाग, उपखंड, अनुच्छेद, खंड, उपखंड, वाक्य, वाक्यांश, शब्द या अनुप्रयोग को किसी भी कारण से सक्षम अधिकार-क्षेत्र वाले किसी न्यायालय के निर्णय द्वारा अमान्य ठहराया जाता है, तो उस निर्णय से इस अधिनियम के शेष भागों की वैधता प्रभावित नहीं होगी। California राज्य की जनता एतद्वारा घोषित करती है कि उसने इस अधिनियम एवं इसके प्रत्येक ऐसे भाग, अनुभाग, उपखंड, अनुच्छेद, खंड, उपखंड, वाक्य, वाक्यांश, शब्द और अनुप्रयोग को, जिसे अमान्य या असंवैधानिक घोषित नहीं किया गया है, इस बात की परवाह किए बिना अपनाया होता कि इस अधिनियम के किसी भाग या उसके अनुप्रयोग को बाद में अमान्य घोषित किया जाएगा।

अनुभाग 7. प्रभावी तिथि।

यह अधिनियम California के संविधान की धारा II के अनुभाग 10 के अनुसार यथाशीघ्र संभव तारीख से प्रभावी होगा। यह अधिनियम उसी दिन से क्रियाशील होगा जिस दिन यह प्रभावी होगा।

अनुभाग 8. उदार व्याख्या।

इस अधिनियम के आशय और उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए इसकी उदारतापूर्वक व्याख्या की जाएगी।

अनुभाग 9. कानूनी बचाव।

इस अनुभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोगों के पहल के बहुमूल्य अधिकार को राज्य के राजनेताओं द्वारा अनुचित रूप से निरस्त नहीं किया जा सके, जो मतदाताओं की इच्छा का संरक्षण करने से इनकार करते हैं। इसलिए, यदि इस अधिनियम को California राज्य के मतदाताओं द्वारा अनुमोदित किया जाता है और उसके बाद इसे कानूनी चुनौती दी जाती है जो किसी भी तरह से इस अधिनियम के दायरे या कार्यान्वयन को सीमित करने का प्रयास करती है, या आरोप लगाती है कि यह अधिनियम किसी राज्य या संघीय कानून का पूर्णतः या आंशिक रूप से उल्लंघन करता है, और राज्यपाल और अटॉर्नी जनरल दोनों California राज्य की ओर से इस अधिनियम का यथासंभव पूर्णतः बचाव करने से इनकार करते हैं, तो निम्नलिखित कार्यवाई की जाएगी:

(a) सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के प्रभाग 3 के भाग 2 के अध्याय 6 (अनुभाग 12500 से शुरू होते हुए) या किसी अन्य कानून में इसके विपरीत किसी भी प्रावधान के बावजूद, अटॉर्नी-जनरल California राज्य की ओर से इस अधिनियम का यथासंभव पूर्ण सीमा तक निष्ठापूर्वक और दृढ़ता से बचाव करने के लिए स्वतंत्र कानूनी सलाहकार नियुक्त करेगा।

(b) स्वतंत्र कानूनी सलाहकार को नियुक्त करने या उसके बाद उसे बदलने से पहले, अटॉर्नी-जनरल स्वतंत्र कानूनी सलाहकार की योग्यताओं का निर्धारण करने में समुचित सावधानी बरतेगा और उससे लिखित पुष्टि प्राप्त करेगा कि वह इस अधिनियम का यथासंभव पूर्ण सीमा तक निष्ठापूर्वक और दृढ़ता से बचाव करेगा। अनुरोध किए जाने पर लिखित पुष्टि तत्काल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी।

(c) ऐसे मामलों में इस अधिनियम के बचाव में सहायता करने के लिए, जहाँ राज्यपाल और अटॉर्नी-जनरल मतदाताओं की इच्छा के बावजूद ऐसा करने में विफल रहते हैं, नियंत्रक को सामान्य कोष से, वित्तीय वर्षों की परवाह किए बिना, स्वतंत्र कानूनी सलाहकार को नियुक्त रखने की लागतों को पूरा करने के लिए आवश्यक राशि का निरंतर विनियोग एतद्वारा किया जाता है, ताकि California राज्य की ओर से इस अधिनियम का यथासंभव पूर्ण सीमा तक निष्ठापूर्वक और दृढ़ता से बचाव किया जा सके।

प्रस्ताव 43

2025-2026 के नियमित सत्र के विधानसभा संवैधानिक संशोधन 22 (संकल्प अध्याय 132, 2026 के विधान) द्वारा प्रस्तावित यह संशोधन, California के संविधान में एक अनुभाग जोड़कर उसमें स्पष्ट रूप से संशोधन करता है; इसलिए, जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित नए प्रावधानों को *इटैलिक टाइप* में लिखा गया है ताकि यह दर्शाया जा सके कि ये नए हैं।

धारा XIII A में प्रस्तावित संशोधन

कि धारा XIII A में अनुभाग 4.5 को इस तरह पढ़े जाने के लिए जोड़ा जाता है:

अनुभाग 4.5. (a) 1 जनवरी, 2027 से, और धारा II एवं धारा XI के बावजूद, कोई भी स्थानीय सरकार, जिसमें पहल की शक्ति का प्रयोग करने वाली स्थानीय सरकार के मतदाता भी शामिल हैं, इस धारा के अनुभाग 4, धारा XIII C के अनुभाग 2 के उपखंड (d), और धारा XIII D के अनुभाग 3 के उपखंड (a) के अनुच्छेद (2) में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, कोई भी विशेष टैक्स तब तक नहीं लगा सकती, उसकी अवधि नहीं बढ़ा सकती या उसमें वृद्धि नहीं कर सकती, जब तक कि उस टैक्स को मतदाताओं के समक्ष प्रस्तुत न किया जाए और दो-तिहाई मतों से अनुमोदित न किया जाए।

(b) धारा II और धारा XI के बावजूद, कोई भी स्थानीय सरकार, जिसमें पहल की शक्ति का प्रयोग करने वाली स्थानीय सरकार के मतदाता भी शामिल हैं, धारा XIII D के अनुभाग 3 के उपखंड (a) के अनुच्छेद (1) में दिए गए प्रावधान को छोड़कर, अचल संपत्ति पर मूल्याधारित टैक्स नहीं लगा सकती।

(c) “स्थानीय सरकार” और “विशेष टैक्स” का वही अर्थ होगा जो धारा XIII C के अनुभाग 1 में दिया गया है।

प्रस्ताव 44

यह पहल विधेयक California के संविधान की धारा II के अनुभाग 8 के प्रावधानों के अनुसार जनता के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

यह पहल विधेयक निगम संहिता, सरकारी संहिता और स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता में अनुभाग जोड़ता है; इसलिए जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित नए प्रावधानों को *इटैलिक टाइप* में प्रिंट किया गया है, ताकि यह दर्शाया जा सके कि वे नए हैं।

प्रस्तावित कानून

अनुभाग 1. शीर्षक।

इस विधेयक को “क्लिनिक वित्तपोषण जवाबदेही और पारदर्शिता अधिनियम” के नाम से जाना जाएगा और इसी नाम से इसका उल्लेख किया जा सकता है।

अनुभाग 2. निष्कर्ष और घोषणाएँ।

California राज्य के लोग निम्नलिखित सभी बातों को पाते और घोषित करते हैं:

(a) संघीय रूप से योग्य स्वास्थ्य केंद्र (FQHCs) सामुदायिक क्लिनिक का एक प्रकार हैं, जो California की स्वास्थ्य देखभाल सुरक्षा व्यवस्था का एक बुनियादी हिस्सा हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य कम आय वाली और पर्याप्त सेवाओं से वंचित आबादी को प्राथमिक और निवारक देखभाल प्रदान करना है।

(b) राज्य में अधिकांश FQHCs का संचालन गैर-लाभकारी संगठनों द्वारा किया जाता है, जिनका प्रशासन एक बोर्ड करता है जिसकी ज़िम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि क्लिनिक, राज्य और संघीय टैक्स छूट के अधीन सुरक्षा-व्यवस्था स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता और गैर-लाभकारी सार्वजनिक लाभ निगम के रूप में अपने उद्देश्यों को पूरा करे।

(c) क्लिनिक बोर्डों की महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी होती है और वे संगठनात्मक संरचना एवं पारिश्रमिक से संबंधित निर्णयों में व्यापक अधिकार का प्रयोग करते हैं, जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य अधिकारियों का पारिश्रमिक भी शामिल है।

(d) यद्यपि मौजूदा राज्य कानून के अनुसार गैर-लाभकारी संस्थाओं के निदेशक मंडलों को मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य वित्तीय अधिकारी के पारिश्रमिक की समीक्षा और अनुमोदन करना आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह उचित और न्यायसंगत है, फिर भी कई क्लिनिक अपने राजस्व का अत्यधिक बड़ा हिस्सा अधिकारियों के पारिश्रमिक पर खर्च करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप मरीजों की मुख्य सेवाओं में अपर्याप्त निवेश होता है।

(e) 2018 से, क्लिनिक सहित सभी गैर-लाभकारी संस्थाओं के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने मिशन से संबंधित, यानि “प्रोग्राम”, खर्चों की डॉलर राशि के साथ-साथ “प्रबंधन और प्रशासनिक” खर्चों की राशि भी हर वर्ष IRS को रिपोर्ट करें। California में कई क्लिनिकों के प्रबंधन और प्रशासनिक खर्च औसत से बहुत अधिक हैं—कभी-कभी कुल राजस्व के 30 से 40 प्रतिशत तक—जबकि अन्य क्लिनिक 10 प्रतिशत से कम खर्च करते हैं।

(f) कई क्लिनिक अत्यधिक लाभ अर्जित करते हैं और कभी-कभी कुल राजस्व के 20 प्रतिशत तक का वार्षिक अधिशेष दर्ज करते हैं, जबकि उस धनराशि को अपने धर्मार्थ उद्देश्य के अनुरूप खर्च नहीं करते।

(g) कर्मचारियों का प्रशिक्षण, भर्ती और उन्हें बनाए रखना California के क्लिनिकों के लिए समस्याएँ हैं। क्लिनिक कर्मचारी लगातार कर्मचारियों की कमी, अत्यधिक कार्यभार और कर्मचारियों के बार-बार बदलने के साथ-साथ मरीजों के लिए लंबे प्रतीक्षा समय की भी रिपोर्ट करते हैं।

(h) इस पहल का उद्देश्य कुल राजस्व के अनुपात के रूप में मिशन-निर्देशित खर्च का एक उचित न्यूनतम मानक स्थापित करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रबंधन और ऊपरी खर्चों की तुलना में क्लिनिक में मरीजों को सेवाएँ प्रदान करने और कार्यबल की स्थिरता को प्राथमिकता दी जाए।

अनुभाग 3. रिपोर्टिंग संबंधी आवश्यकता।

अनुभाग 3.1. सरकारी संहिता में अनुभाग 12586.3 को इस तरह पढ़े जाने के लिए जोड़ा जाता है:

12586.3. (a) इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित परिभाषाएँ लागू होती हैं:

(1) “क्लिनिक” से आशय किसी ऐसे क्लिनिक निगम से है, जैसा कि स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संहिता के अनुभाग 1200 के उपखंड (b) के अनुच्छेद (3) में परिभाषित किया गया है, जो संघीय रूप से योग्य स्वास्थ्य केंद्र (FQHC) हो, जैसा कि यह शब्द संयुक्त राज्य संहिता के शीर्षक 42 के अनुभाग 1396d में परिभाषित है। इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, FQHCs में वे संगठन भी शामिल हैं जिन्हें FQHC पुरस्कार प्राप्त नहीं

42

43

44

होता, लेकिन संघीय स्वास्थ्य संसाधन और सेवा प्रशासन द्वारा उन्हें FQHC प्रोग्राम की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला नामित किया गया है, जैसा कि संयुक्त राज्य संहिता के शीर्षक 42 के अनुभाग 1395x(aa)(4)(B) और 1396d(l)(2)(B) में निर्धारित है; इन्हें “FQHC जैसे दिखने वाले” भी कहा जाता है। “क्लिनिक” में संघीय रूप से मान्यता प्राप्त अमेरिकी इंडियन जनजातियाँ, जनजातीय संगठन या शहरी अमेरिकी इंडियन संगठन, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की संहिता के शीर्षक 25 के अनुभाग 1603 में परिभाषित है, या ऐसी किसी इकाई द्वारा संचालित, बनाए रखी गई या परिचालित कोई बाह्य-मरीज़ व्यवस्था शामिल नहीं होगी।

(2) “मिशन व्यय अनुपात” से आशय उन गतिविधियों पर खर्च की गई कुल राशि को उस क्लिनिक के कुल राजस्व से भाग देने पर प्राप्त अनुपात से है, जो प्रत्येक क्लिनिक के टैक्स से छूट प्राप्त उद्देश्य को पूरा करती हैं, जैसा कि ये आंकड़े उपखंड (b) के अनुच्छेद (1) में वर्णित हैं। मिशन व्यय अनुपात की गणना करते समय, अटॉर्नी-जनरल गतिविधियों पर खर्च की गई कुल राशि और कुल राजस्व—दोनों में से—किसी भी भुगतान किए गए ढंड, राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के साथ सहमत किसी योजना के आधार पर किए गए व्यय, या स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संहिता के अनुभाग 1234.5 के अनुसार प्राप्त प्रतिपूर्ति के बराबर राशि को बाहर रखेगा।

(3) “संबंधित पक्ष” से आशय किसी संबंधित संगठन या ऐसे संगठन से है जो समान स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन हो, जैसा कि संघीय विनियम संहिता के शीर्षक 42 के अनुभाग 413.17(b) में परिभाषित है। संबंधित पक्ष में कोई प्रबंधन संगठन, अचल संपत्ति के मालिक, कर्मचारी उपलब्ध कराने वाली संस्थाएँ, कोई मूल कंपनियाँ, होल्डिंग कंपनियाँ, सहायक कंपनियाँ, सहयोगी संगठन और अन्य शामिल हो सकते हैं।

(b) (1) प्रत्येक क्लिनिक हर वर्ष चैरिटी और अनुदान संचय की रजिस्ट्री में इतना डेटा दाखिल करेगा जो अटॉर्नी-जनरल को यहाँ परिभाषित “मिशन व्यय अनुपात” की गणना करने के लिए पर्याप्त हो। इस डेटा में दो घटक शामिल होंगे:

(A) क्लिनिक के टैक्स से छूट प्राप्त उद्देश्य पर खर्च की गई कुल राशि। यह राशि प्रत्येक क्लिनिक के आंतरिक राजस्व सेवा फ़ॉर्म 990 के भाग III की पंक्ति 4e में दर्ज “कुल प्रोग्राम सेवा व्यय” के आंकड़े पर आधारित होगी, जो कैलेंडर वर्ष 2024 या 2024 में शुरू होने वाले टैक्स वर्ष के अनुसार हो, या क्लिनिक की टैक्स रिपोर्टिंग के उसके उत्तरवर्ती भाग पर आधारित होगी; लेकिन इसे अनुच्छेद (2) के तहत अटॉर्नी-जनरल द्वारा जारी मार्गदर्शन के आधार पर समायोजित किया जाएगा।

(B) संगठन का कुल राजस्व। यह राशि प्रत्येक क्लिनिक के आंतरिक राजस्व सेवा फ़ॉर्म 990 के भाग I की पंक्ति 12 में दर्ज कुल राजस्व के आंकड़े पर आधारित होगी, जो कैलेंडर वर्ष 2024 या 2024 में शुरू होने वाले टैक्स वर्ष के अनुसार हो, या क्लिनिक की टैक्स रिपोर्टिंग के उसके उत्तरवर्ती भाग पर आधारित होगी; लेकिन इसे अनुच्छेद (2) के तहत अटॉर्नी-जनरल द्वारा जारी मार्गदर्शन के आधार पर समायोजित किया जाएगा।

(2) अटॉर्नी-जनरल को इन दोनों आंकड़ों की रिपोर्टिंग के तरीके के संबंध में बाध्यकारी मार्गदर्शन जारी करने का अधिकार है।

(A) अन्य विषयों के अलावा, मार्गदर्शन में निम्नलिखित को शामिल किया जा सकता है:

(i) संबंधित पक्ष के लेनदेन के लिए अतिरिक्त रिपोर्टिंग मानक, जो इस बात को संबोधित करें कि आंतरिक राजस्व सेवा को उस डेटा की रिपोर्टिंग का तरीका किस सीमा तक क्लिनिक के टैक्स से छूट प्राप्त उद्देश्य पर खर्च की गई कुल राशि को कृत्रिम रूप से बढ़ा सकता है—जिसमें संबंधित पक्ष

के साथ किए गए लेनदेन को क्लिनिक के टैक्स से छूट प्राप्त उद्देश्य पर खर्च की गई राशि में शामिल करने की अनुमति देना भी शामिल है, भले ही संबंधित पक्ष द्वारा उसके परिणामस्वरूप किए गए व्यय को उस टैक्स से छूट प्राप्त उद्देश्य से संबंधित न माना जाए—या कुल राजस्व को कृत्रिम रूप से कम कर सकता है, जिसमें राजस्व को किसी संबंधित पक्ष से संबंधित मानने की अनुमति देना भी शामिल है।

(ii) स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संहिता के अनुभाग 1234.5 के तहत भुगतान किए गए ढंडों और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संहिता के अनुभाग 1234.5 के तहत राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के साथ सहमत किसी योजना के अनुसार प्राप्त प्रतिपूर्तियों और किए गए व्ययों की रिपोर्ट किस प्रकार की जाएगी, ताकि उन्हें मिशन व्यय अनुपात की गणना से बाहर रखा जा सके।

(iii) उप-अनुच्छेद (B) के अनुरूप, ऐसे व्ययों के लिए अतिरिक्त रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ जो आंतरिक राजस्व सेवा फ़ॉर्म 990 में प्रोग्राम सेवा व्यय के रूप में योग्य नहीं होते, लेकिन जिन्हें अटॉर्नी-जनरल फिर भी क्लिनिक के टैक्स से छूट प्राप्त उद्देश्य पर खर्च किया गया निर्धारित करता है; या ऐसे व्ययों के लिए जो आंतरिक राजस्व सेवा फ़ॉर्म 990 में प्रोग्राम सेवा व्यय के रूप में योग्य होते हैं, लेकिन जिन्हें अटॉर्नी-जनरल फिर भी क्लिनिक के टैक्स से छूट प्राप्त उद्देश्य पर खर्च नहीं किया गया निर्धारित करता है।

(B) किसी भी मार्गदर्शन को क्लिनिक वित्तपोषण जवाबदेही और पारदर्शिता अधिनियम के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार तैयार किया जाएगा कि कुल राजस्व के अनुपात के रूप में मिशन-निर्देशित खर्च का एक उचित न्यूनतम मानक स्थापित हो, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रबंधन और ऊपरी खर्चों की तुलना में क्लिनिक में मरीज़ों को सेवाएँ प्रदान करने और कार्यबल की स्थिरता को प्राथमिकता दी जाए।

(C) मार्गदर्शन जारी करते समय अटॉर्नी-जनरल अपने निर्धारण के कारण बताते हुए निष्कर्ष जारी करेगा।

(D) सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के प्रभाग 3 के भाग 1 के अध्याय 3.5 (अनुभाग 11340 से शुरू होते हुए) के बावजूद, अटॉर्नी-जनरल आगे कोई विनियामक कार्रवाई किए बिना बुलेटिन, सूचनाओं या इसी प्रकार के अन्य निर्देशों के माध्यम से इस अनुच्छेद को लागू कर सकता है। इस अनुच्छेद के तहत अपनाए गए मानकों पर आधारित उल्लंघनों पर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संहिता का अनुभाग 1229.1 लागू नहीं होगा।

(3) इस अनुभाग की किसी भी बात का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि वह यह निर्धारित करती है कि कोई क्लिनिक आंतरिक राजस्व सेवा को डेटा किस प्रकार रिपोर्ट करता है।

(4) अटॉर्नी-जनरल इस डेटा को प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराएगा।

(5) प्रत्येक क्लिनिक यह डेटा अनुभाग 12586 के तहत चैरिटी और अनुदान संचय की रजिस्ट्री में रिपोर्ट दाखिल करने की तारीख से देर किए बिना दाखिल करेगा।

(c) प्रत्येक क्लिनिक एक अतिरिक्त वार्षिक पंजीकरण शुल्क जमा करेगा, जिसका उपयोग किसी अन्य कानून के बावजूद, इस अनुभाग और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संहिता के अनुभाग 1234.5 में निर्धारित गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा। अटॉर्नी-जनरल, राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के परामर्श से, इन प्रावधानों के प्रशासन की उचित लागतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त शुल्कों की एक अनुसूची अपनाएगा। शुल्कों को वास्तविक रूप से हुई लागतों को दर्शाने के लिए हर वर्ष समायोजित किया जाएगा और वे इन प्रावधानों के प्रशासन की उचित विनियामक लागतों को पूरा करने के लिए आवश्यक राशि से अधिक नहीं होंगे।

(d) इस अनुभाग की रिपोर्टिंग संबंधी आवश्यकताओं का पालन न करने पर अटॉर्नी-जनरल प्रतिबंध लगाएगा, जो पहले उल्लंघन के लिए पाँच हजार डॉलर (\$5,000) के प्रशासनिक जुर्माने और उसके बाद प्रत्येक ऐसे महीने के लिए दस हजार डॉलर (\$10,000) के प्रशासनिक जुर्माने के रूप में होगा, जिसमें कोई क्लिनिक इस अनुभाग द्वारा आवश्यक वार्षिक रिपोर्ट जमा करने में विफल रहता है। अटॉर्नी-जनरल मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर इस जुर्माने को अद्यतित कर सकता है।

(e) प्रत्येक क्लिनिक की प्रस्तुति प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर, अटॉर्नी-जनरल प्रत्येक क्लिनिक के लिए मिशन व्यय अनुपात की गणना करेगा, उस गणना को क्लिनिक और राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग को भेजेगा, और अपनी गणनाएँ अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराएगा।

(f) अटॉर्नी-जनरल, इस अनुभाग के अधीन क्लिनिकों का लेखा-परीक्षण अटॉर्नी-जनरल द्वारा निर्धारित तरीके और स्वरूप में कर सकता है, ताकि रिपोर्ट की गई जानकारी की सटीकता और इस अनुभाग की आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सके। इन लेखा-परीक्षणों में ठेकेदारों या संबंधित पक्षों के लेखा-परीक्षण भी शामिल हो सकते हैं।

(g) निगम संहिता का अनुभाग 9230 और सरकारी संहिता का अनुभाग 12583 इस अनुभाग पर लागू नहीं होंगे।

अनुभाग 4. जुर्माना।

अनुभाग 4.1. अनुभाग 1234.5 को स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता में इस तरह पढ़े जाने के लिए जोड़ा जाता है:

1234.5. (a) (1) सरकारी संहिता के अनुभाग 16370 के अनुसार स्थापित विशेष जमा कोष में इसके द्वारा मिशन व्यय अनुपात दंड खाता बनाया जाता है। इस खाते में उपखंड (b) के अनुसार जमा की गई सभी धनराशियाँ रखी जाएंगी।

(2) विशेष जमा कोष में रखी गई धनराशि पाँच वर्षों की अवधि तक एस्क्रो में रखी जाएगी, जिसके बाद वह नैदानिक कर्मचारियों के प्रशिक्षण, भर्ती और उन्हें बनाए रखने के लिए वित्तपोषण प्रदान करने वाली पहलों पर विधान मंडल द्वारा विनियोग के अधीन होगी।

(3) एस्क्रो में रखे जाने के दौरान, धनराशि उन क्लिनिकों को वापस की जाएगी, जैसा कि सरकारी संहिता के अनुभाग 12586.3 के उपखंड (a) के अनुच्छेद (1) में परिभाषित है, जिन्होंने वह धनराशि चुकाई थी, बशर्ते कि:

(A) क्लिनिक लागू होने वाले 90 प्रतिशत मिशन व्यय अनुपात की आवश्यकता का अनुपालन करने लगे।

(B) क्लिनिक राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के साथ ऐसी योजना पर सहमति बनाए, जिसके तहत वापस की गई पूरी धनराशि मिशन-निर्देशित व्ययों पर खर्च की जाएगी।

(4) पिछले अनुच्छेद के बावजूद, राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग विशेष जमा कोष की धनराशि का उपयोग इस अनुभाग में निर्धारित गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए कर सकता है, जिनमें विशेष जमा कोष का रखरखाव करना और अनुच्छेद (3) के अनुसार प्रतिपूर्ति के लिए किसी क्लिनिक की पात्रता निर्धारित करने हेतु आवश्यक समीक्षाएँ करना शामिल है, लेकिन ये केवल इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। खर्च की गई धनराशि को अनुच्छेद (3) के अनुसार क्लिनिकों को वापस की जाने वाली किसी भी राशि में से घटाया जा सकता है।

(5) राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग को अनुच्छेद (3) के उप-अनुच्छेद (B) के अनुसार सहमत किसी भी योजना के अनुपालन के लिए क्लिनिकों का लेखा-परीक्षण करने और जिस सीमा तक कोई क्लिनिक अनुपालन नहीं करता, उस सीमा तक किसी भी प्रतिपूर्ति की वसूली करने का अधिकार होगा। ऐसी वसूली उपखंड (b) के अनुच्छेद (2) और (3) में निर्धारित समान प्रक्रियाओं के अधीन होगी।

(b) (1) राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग प्रत्येक वर्ष सरकारी संहिता के अनुभाग 12586.3 के अधीन ऐसे प्रत्येक क्लिनिक पर, जिसका मिशन व्यय अनुपात 90 प्रतिशत से कम है, एक प्रशासनिक दंड लगाएगा, जो क्लिनिक द्वारा मिशन-निर्देशित व्ययों पर खर्च की गई राशि और क्लिनिक के कुल राजस्व के 90 प्रतिशत के बीच के अंतर के बराबर होगा। अटॉर्नी-जनरल की मिशन व्यय अनुपात गणना प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर, राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग उल्लंघन में पाए गए किसी भी क्लिनिक को दंड की सूचना जारी करेगा।

(2) यदि क्लिनिक मिशन व्यय अनुपात की गणना या आकलन पर विवाद नहीं करता है, तो दंड की सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर दंड की पूरी राशि राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग को चुकाई जाएगी और मिशन व्यय अनुपात दंड खाते में जमा की जाएगी।

(3) यदि क्लिनिक सरकारी संहिता के अनुभाग 12586.3 के उपखंड (e) के अनुसार किए गए मिशन व्यय अनुपात की गणना या इस उपखंड के अनुसार किए गए आकलन पर विवाद करता है, तो क्लिनिक दंड की सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर अटॉर्नी-जनरल और राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग, दोनों को एक साथ अपील का अनुरोध प्रस्तुत करेगा। कोई सुविधा-स्थल ऐसे निर्धारण के आधार पर भी अपील का अनुरोध कर सकता है जिसके परिणामस्वरूप कोई आकलन नहीं किया गया हो। अनुरोध में अपील का कारण बताने वाला विस्तृत विवरण और वे सभी सहायक दस्तावेज़ शामिल होंगे जिन्हें क्लिनिक सुनवाई में प्रस्तुत करेगा। क्लिनिक द्वारा अनुरोध समय पर प्रस्तुत किए जाने पर, सुनवाई निर्धारित की जाएगी और कार्यवाही प्रभाग 112 के भाग 1 के अध्याय 2 की धारा 1 (अनुभाग 131050 से शुरू होते हुए) के अनुसार संचालित की जाएगी।

(c) (1) कोई क्लिनिक अप्रत्याशित या असाधारण परिस्थितियों या क्लिनिक की आर्थिक स्थिति के आधार पर, 90 प्रतिशत की आवश्यकता को अस्थायी रूप से स्थगित करने वाली छूट या वैकल्पिक मिशन व्यय अनुपात की आवश्यकता के लिए राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग में आवेदन कर सकता है। इस उपखंड के अनुसार छूट जारी करने और उसकी शर्तें निर्धारित करने का अधिकार पूरी तरह और विशेष रूप से राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के पास होगा। इस उपखंड के अनुसार जारी की गई छूट, जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए होगी।

(2) अप्रत्याशित या असाधारण परिस्थितियों के आधार पर छूट प्राप्त करने के लिए, क्लिनिक को अपने द्वारा अनुभव की गई निम्नलिखित परिस्थितियों का विवरण देना होगा:

(A) क्लिनिक को अप्रत्याशित या असाधारण परिस्थितियों के बारे में पहली बार कब पता चला।

(B) क्लिनिक उन परिस्थितियों के उत्पन्न होने का पहले से अनुमान क्यों नहीं लगा सकता था।

(C) उन परिस्थितियों से निपटने के लिए क्लिनिक ने क्या कार्रवाई की।

- (D) उन परिस्थितियों से निपटने के परिणामस्वरूप किए गए व्यय।
- (E) क्लिनिक के अनुसार वे परिस्थितियाँ कब तक समाप्त हो जाएँगी।
- (F) यह सुनिश्चित करने के लिए क्लिनिक कौन-से निवारक कदम उठा रहा है कि भविष्य में वे परिस्थितियाँ अप्रत्याशित रूप से दोबारा उत्पन्न न हों।
- (3) आर्थिक स्थिति के आधार पर छूट प्राप्त करने के लिए, क्लिनिक को यह प्रदर्शित करना होगा कि 90 प्रतिशत मिशन व्यय अनुपात की आवश्यकता का अनुपालन करने से सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के तहत क्लिनिक की निरंतर संचालनशील संस्था के रूप में कार्य जारी रखने की क्षमता के बारे में संदेह उत्पन्न होगा। साक्ष्य में क्लिनिक की वित्तीय स्थिति, किसी भी मूल या संबद्ध इकाई की वित्तीय स्थिति और 90 प्रतिशत मिशन व्यय अनुपात के अनुपालन के वास्तविक या संभावित प्रत्यक्ष वित्तीय प्रभाव के दस्तावेज़ शामिल होंगे।
- (4) किसी क्लिनिक की निरंतर संचालनशील संस्था के रूप में कार्य जारी रखने की क्षमता पर विचार करते समय, क्लिनिक या किसी संबद्ध इकाई से संबंधित निम्नलिखित कारकों को शामिल किया जाएगा:
- (A) क्लिनिक या किसी संबद्ध इकाई द्वारा संचालित किसी सुविधा-स्थल का वास्तविक या संभावित बंद होना।
- (B) मरीज़ सेवाओं या प्रोग्रामों का वास्तविक या संभावित बंद होना।
- (C) नौकरियों का वास्तविक या संभावित नुकसान।
- (D) क्या क्लिनिक द्वारा संचालित सुविधा-स्थल छोटे, ग्रामीण या सीमांत क्षेत्र में स्थित हैं, या किसी ग्रामीण सेवा-क्षेत्र की आबादी को सेवाएँ प्रदान करती हैं।
- (E) क्या क्लिनिक द्वारा संचालित किसी सुविधा-स्थल के बंद होने से उस क्षेत्र या सेवा-क्षेत्र में सेवाओं तक पहुँच पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।
- (F) क्या क्लिनिक ऐसी वित्तीय कठिनाई में है जिसके परिणामस्वरूप, या जिसके परिणामस्वरूप होने की संभावना है, उसके द्वारा या किसी संबद्ध इकाई द्वारा संचालित किसी सुविधा-स्थल का बंद होना, मरीज़ सेवाओं या प्रोग्रामों का बंद होना, या नौकरियों का नुकसान। वित्तीय कठिनाई का निर्धारण करते समय विचार किए जाने वाले कारकों में वित्तीय मानकों के आधार पर क्लिनिक का पिछला और अनुमानित प्रदर्शन शामिल है, लेकिन ये केवल इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, उपलब्ध नकदी की राशि और यह भी शामिल है कि क्या क्लिनिक का परिचालन मार्जिन नकारात्मक है या उसके नकारात्मक होने का अनुमान है।
- (5) इस उपखंड के अनुसार छूट के अनुरोध राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग को लिखित रूप में प्रस्तुत किए जाएँगे।
- (6) राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग छूट के अनुरोध पर अपने निर्णय की सूचना क्लिनिक को लिखित रूप में देगा।
- (7) कोई क्लिनिक इस उपखंड के अनुसार जारी की गई छूट के नवीनीकरण के लिए किसी भी समय आवेदन कर सकता है, लेकिन मौजूदा छूट की समाप्ति से कम-से-कम 180 दिन पहले आवेदन करना होगा।
- अनुभाग 5. धर्मार्थ न्यास के उल्लंघन का दावा।
- अनुभाग 5.1. निगम संहिता में अनुभाग 5142.1 को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए जोड़ा जाता है:
- 5142.1. (a) अनुभाग 5142 के बावजूद, यदि सरकारी संहिता के अनुभाग 12586.3 के अधीन कोई क्लिनिक या तो सरकारी संहिता के अनुभाग 12586.3 के उपखंड (b) के अनुसार आवश्यक डेटा की रिपोर्ट करने में विफल रहता है, या उसका मिशन व्यय अनुपात, जैसा कि सरकारी संहिता के अनुभाग 12586.3 के उपखंड (a) के अनुच्छेद (2) में परिभाषित है, 90 प्रतिशत से कम है और वह स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संहिता

के अनुभाग 1234.5 के उपखंड (c) के अनुसार किसी छूट के अधीन नहीं है, तो उस FQHC का कोई भी मरीज़ धर्मार्थ न्यास के उल्लंघन को रोकने, सुधारने या अन्यथा उसका समाधान करने के लिए उसी प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई कर सकता है जो अनुभाग 5142 के तहत किए गए दावे पर लागू होती है।

(b) अनुभाग 5231 के बावजूद, सद्भावना इस अनुभाग के अनुसार की गई किसी भी कार्रवाई में बचाव का आधार नहीं होगी, और चुनौती दिए गए उल्लंघनों के किसी भी पहलू पर व्यावसायिक निर्णय नियम का कोई भी रूप लागू नहीं होगा, सिवाय अनुभाग 5239 में दिए गए प्रावधान के अनुसार।

(c) इस अनुभाग को व्यवसाय एवं पेशा संहिता के अनुभाग 17204 के अनुसार भी लागू कराया जा सकेगा।

अनुभाग 6. आपराधिक दंड।

अनुभाग 6.1. निगम संहिता में अनुभाग 6814.1 को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए जोड़ा जाता है:

6814.1. सरकारी संहिता के अनुभाग 12586.3 के अधीन किसी भी क्लिनिक का प्रत्येक निदेशक, अधिकारी या एजेंट, जो या तो जानबूझकर सरकारी संहिता के अनुभाग 12586.3 के तहत व्ययों या राजस्व की गलत रिपोर्ट करता है, या अपने मिशन व्यय अनुपात को कृत्रिम रूप से बढ़ाने के इरादे से सरकारी संहिता के अनुभाग 12586.3 में परिभाषित संबंधित पक्षों—जिनमें संबंधित फाउंडेशन शामिल हैं, लेकिन ये केवल इन्हीं तक सीमित नहीं हैं—के माध्यम से व्ययों या राजस्व को भेजने की किसी योजना में जानबूझकर भाग लेता है, दंड संहिता के अनुभाग 1170 के उपखंड (h) के अनुसार कारावास या काउंटी जेल में अधिकतम एक वर्ष के कारावास से दंडनीय होगा।

अनुभाग 7. पृथक्करणीयता।

इस अधिनियम के प्रावधान पृथक्करणीय हैं। यदि इस अधिनियम का कोई प्रावधान या उसका अनुप्रयोग अमान्य ठहराया जाता है, तो ऐसी अमान्यता उन अन्य प्रावधानों या कार्यान्वयनों को प्रभावित नहीं करेगी जिन्हें अमान्य प्रावधान या कार्यान्वयन के बिना प्रभावी किया जा सकता है।

अनुभाग 8. प्रभावी तिथि।

इस अधिनियम के उद्देश्यों के अनुरूप, इस अधिनियम में निर्धारित मिशन व्यय अनुपात की आवश्यकताएँ प्रत्येक क्लिनिक के उस पहले पूर्ण वित्तीय वर्ष पर लागू होंगी जो इस अधिनियम के पारित होने के कम-से-कम 6 महीने बाद शुरू होता है।

अनुभाग 9. संशोधन।

California के संविधान की धारा II के अनुभाग 10 के उपखंड (c) के अनुसार, इस अधिनियम में संशोधन या तो बाद के किसी विधेयक द्वारा किया जा सकता है जिसे राज्यव्यापी चुनाव में जनता के मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाए; या विधान मंडल द्वारा वैध रूप से पारित और राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षरित कानून द्वारा किया जा सकता है, लेकिन केवल इस अधिनियम के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए।

अनुभाग 10. प्रतिस्पर्धी विधेयक।

यदि यह विधेयक और कोई अन्य विधेयक, जो इसके दायरे में आने वाले कुछ या सभी क्लिनिकों के मिशन व्यय अनुपात को नियंत्रित करता है, एक ही राज्यव्यापी मतपत्र पर आते हैं, तो उस अन्य विधेयक या उन अन्य विधेयकों के प्रावधानों को इस विधेयक के साथ परस्पर विरोधी माना जाएगा। किसी अन्य विधेयक को केवल इस आधार पर इस विधेयक के साथ परस्पर विरोधी नहीं माना जाएगा कि वह इस विधेयक द्वारा जोड़े गए या संशोधित किए गए सरकारी संहिता, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संहिता या निगम

संहिता के एक या अधिक अनुभागों को जोड़ता या संशोधित करता है। यदि इस विधेयक को इसके साथ परस्पर विरोधी माने गए किसी विधेयक की तुलना में अधिक हॉ के मत प्राप्त होते हैं, तो इस विधेयक के प्रावधान पूरी तरह प्रभावी होंगे और अन्य विधेयक अमान्य और निष्प्रभावी होंगे।

प्रस्ताव 45

यह पहल विधेयक California के संविधान की धारा II के अनुभाग 8 के प्रावधानों के अनुसार जनता के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

यह पहल विधेयक सार्वजनिक संसाधन संहिता में अनुभाग जोड़ता है; इसलिए, जोड़े जाने वाले प्रस्तावित नए प्रावधानों को यह संकेत देने के लिए, कि वे नये हैं, इटैलिक टाइप में प्रिंट किया गया है।

प्रस्तावित कानून

अनुभाग 1. सार्वजनिक संसाधन संहिता के प्रभाग 13 में अध्याय 1.5 (अनुभाग 21010 से शुरू होते हुए) को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए जोड़ा जाता है:

अध्याय 1.5. किरायेती CALIFORNIA निर्माण अधिनियम

धारा 1. शीर्षक, निष्कर्ष और घोषणाएँ, एवं उद्देश्य

21010. शीर्षक

इस अध्याय को किरायेती California निर्माण अधिनियम के नाम से जाना जाएगा और इसी नाम से इसका उल्लेख किया जा सकता है।

21011. निष्कर्ष और घोषणाएँ

California राज्य के लोग एतद् द्वारा निम्नलिखित सभी निष्कर्ष निकालते और घोषित करते हैं:

(a) अत्यावश्यक परियोजनाओं को अनुमोदित करने की California की पुरानी व्यवस्था अत्यधिक धीमी, अत्यधिक नौकरशाही वाली और अत्यधिक महंगी है। स्वच्छ जल, स्वच्छ ऊर्जा, अस्पताल, किरायेती आवास, सड़कें, जंगल में लगने वाली आग के रोकथाम, स्कूल, सार्वजनिक सुरक्षा और अन्य बुनियादी ढाँचा सुधार जैसी अत्यावश्यक परियोजनाएँ अनावश्यक लालफीताशाही, नौकरशाही देरी और अत्यधिक मुकदमों के कारण विलंबित या अवरुद्ध हो रही हैं।

(b) ये देरियाँ सभी California के लोगों के लिए जीवन-यापन की लागत में काफी वृद्धि करती हैं। अनुसंधान से पता चलता है कि केवल परमिट संबंधी देरियाँ ही नए घर की कीमत में दसियों हजार डॉलर जोड़ देती हैं, जिससे घर के मालिकों और किरायेदारों के लिए किराए और गृह ऋण की लागत बढ़ जाती है। इसी प्रकार की लालफीताशाही अस्पतालों, जल संबंधी बुनियादी ढाँचे, सड़कों, पुलों, स्वच्छ ऊर्जा, स्कूलों, ब्रॉडबैंड और जंगल में लगने वाली आग की शमन परियोजनाओं के निर्माण की लागत में कई बिलियन डॉलर जोड़ देती है, और अंततः ये लागतें उपभोक्ताओं और करदाताओं पर डाल दी जाती हैं।

(c) California के परमिट संबंधी कानून 50 वर्ष से भी अधिक समय पहले लिखे गए थे, जब आज के आधुनिक पर्यावरणीय कानून अस्तित्व में नहीं थे। वह पुरानी व्यवस्था अब ऐसी अत्यावश्यक परियोजनाओं को धीमा या अवरुद्ध करके राज्य के पर्यावरणीय और सार्वजनिक स्वास्थ्य लक्ष्यों के विरुद्ध काम करती है, जो वायु प्रदूषण कम करेंगी, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन घटाएँगी, जल आपूर्ति को सुरक्षित रखेंगी, समुदायों को जंगल में लगने वाली आग से बचाएँगी और वन्यजीवों एवं पर्यावरण का संरक्षण करेंगी।

(d) यह अधिनियम नौकरशाही लालफीताशाही और अनावश्यक देरियों को कम करने के लिए राज्य के कानून को आधुनिक और सुव्यवस्थित

करेगा, अत्यावश्यक परियोजनाओं को अवरुद्ध करने वाले निराधार मुकदमों को सीमित करेगा, साथ ही सार्वजनिक एजेंसियों और अत्यावश्यक परियोजनाओं के आवेदकों को उन मुकदमों के विरुद्ध बचाव का भार साझा करना जारी रखने की अनुमति देगा, और उन परियोजनाओं को पूरा करने की गति बढ़ाएगा जिन पर California के लोगों हर दिन निर्भर रहते हैं।

(e) हर वर्ष की देरी का अर्थ है कि California के लोगों को अपनी सबसे आवश्यक चीजों के लिए अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है और अधिक भुगतान करना पड़ता है। यह अधिनियम राज्य की सबसे अत्यावश्यक परियोजनाओं पर लागू होता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) पूरे राज्य के समुदायों के लिए स्वच्छ पेयजल और सुरक्षित जल आपूर्ति।

(2) किरायेती स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित, आधुनिक अस्पताल और क्लीनिक।

(3) ऊर्जा बिल कम करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए स्वच्छ ऊर्जा और विश्वसनीय बिजली।

(4) तेजी से बढ़ते हुए किराए और गृह ऋण की लागत से जूझ रहे परिवारों एवं संवेदनशील वरिष्ठ नागरिक आबादी के लिए आवास को अधिक किरायेती बनाने हेतु सभी प्रकार के आवास।

(5) यातायात की भीड़ कम करने और सार्वजनिक सुरक्षा में सुधार करने के लिए सड़कें, पुल और सार्वजनिक परिवहन।

(6) जीवन, घरों और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए जंगल में लगने वाली आग के रोकथाम और उससे निपटने की क्षमता बढ़ाने वाली परियोजनाएँ।

(7) विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए सुरक्षित, आधुनिकीकृत सार्वजनिक स्कूल और शैक्षणिक सुविधाएँ।

(8) कम सुविधा प्राप्त समुदायों को जोड़ने और अवसरों का विस्तार करने के लिए ब्रॉडबैंड और दूरसंचार बुनियादी ढाँचा।

(f) इन अत्यावश्यक परियोजनाओं की गति बढ़ाकर यह अधिनियम California को अधिक किरायेती बनाएगा और आवास, ऊर्जा, बिजली, स्वास्थ्य देखभाल एवं अन्य आवश्यकताओं की लागत कम करेगा, साथ ही सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं के लिए करदाताओं की लागत भी कम करेगा।

(g) यह अधिनियम अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियाँ पैदा करने वाली परियोजनाओं को भी तेजी से शुरू करेगा और विशेष रूप से निर्माण, स्वच्छ ऊर्जा एवं बुनियादी ढाँचा क्षेत्रों में दसियों हजार Californiaवासियों को रोज़गार देगा, जिससे ऐसे समय में California की अर्थव्यवस्था को बढ़ने में सहायता मिलेगी जब इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

(h) महत्वपूर्ण रूप से, यह अधिनियम राज्य और संघीय स्तर के स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल और पर्यावरण संरक्षण कानूनों को बनाए रखता है, जिनमें लुप्तप्राय प्रजाति अधिनियम, सुरक्षित पेयजल अधिनियम, संघीय विषाक्त पदार्थ नियंत्रण अधिनियम, संघीय स्वच्छ जल अधिनियम, स्वच्छ वायु अधिनियम, संघीय पर्यावरण गुणवत्ता सुधार अधिनियम, California वैश्विक तापमान वृद्धि समाधान अधिनियम, California तटीय अधिनियम और संघीय संसाधन संरक्षण एवं पुनर्प्राप्ति अधिनियम शामिल हैं। यह अध्याय परिवारों और पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले इन कानूनों को निरस्त किए बिना, California को अधिक किरायेती बनाने के लिए आवश्यक परियोजनाओं के निर्माण में सहायता करेगा।

(i) हम एक किरायेती California बना सकते हैं और हमें ऐसा करना ही होगा।

21012. आशय का कथन

इस अध्याय का उद्देश्य अत्यावश्यक परियोजनाओं के अनुमोदन को सुव्यवस्थित और तेज़ करके, परिवारों और करदाताओं की लागतों को कम करके, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करके, अच्छी नौकरियाँ पैदा करके और California के विश्व के सबसे मजबूत पर्यावरणीय संरक्षणों को बनाए रखते हुए California को अधिक किफायती बनाना है।

धारा 2. अध्याय का अनुप्रयोग और अन्य कानूनों के साथ परस्पर संबंध

21013. इस अध्याय के अधीन परियोजनाएँ

यह अध्याय केवल अत्यावश्यक आवास परियोजनाओं, अत्यावश्यक स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं, अत्यावश्यक जल परियोजनाओं, अत्यावश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य परियोजनाओं, अत्यावश्यक सार्वजनिक सुरक्षा परियोजनाओं, अत्यावश्यक ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुँच परियोजनाओं, अत्यावश्यक शैक्षणिक सुविधा परियोजनाओं और अत्यावश्यक परिवहन परियोजनाओं पर लागू होता है, जिन्हें California के लोग एतद् द्वारा इस राज्य में अपने जीवन की गुणवत्ता और वहनीयता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण घोषित करते हैं।

21014. अध्याय का अनुप्रयोग

(a) यह अध्याय किसी भी सार्वजनिक एजेंसी के अत्यावश्यक परियोजना को अनुमोदित या अस्वीकृत करने के अधिकार को कम नहीं करता है। इस अध्याय द्वारा किसी भी प्रस्तावित अत्यावश्यक परियोजना का परिणाम पहले से निर्धारित नहीं किया गया है।

(b) यह अध्याय किसी भी अत्यावश्यक परियोजना को इस प्रभाग या किसी अन्य कानून के तहत पर्यावरणीय समीक्षा से छूट नहीं देता है। यह अध्याय अत्यावश्यक परियोजनाओं के लिए इस प्रभाग के तहत समीक्षा और प्रशासनिक परमिट समीक्षा हेतु स्पष्ट समय-सीमाएँ और अन्य प्रक्रियाएँ निर्धारित करता है।

(c) इस अध्याय में अन्यथा प्रावधान किए जाने को छोड़कर, यह अध्याय किसी अत्यावश्यक परियोजना और उसके साथ जुड़े भूमि-उपयोग अधिकारों के लिए प्रत्येक आवेदन या अनुमोदन की समीक्षा और प्रसंस्करण पर लागू होगा, इसमें इस प्रभाग के तहत प्रोग्राम-स्तरीय, योजना-स्तरीय या परियोजना-स्तरीय पर्यावरणीय समीक्षा को आवश्यक बनाने वाले विवेकाधीन न्यायनिर्णयात्मक और विधायी भूमि-उपयोग अधिकार शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

(d) यह अध्याय सभी सार्वजनिक एजेंसियों पर लागू होगा।

(e) (1) इस अध्याय और किसी अन्य कानून के बीच जहाँ तक कोई टकराव है, वहाँ यह अध्याय नियंत्रण करेगा। इसके विपरीत किसी भी बात के बावजूद, यह अध्याय इस प्रभाग से अन्यथा लागू किसी वैधानिक या श्रेणीगत छूट को समाप्त या सीमित नहीं करेगा।

(2) अनुभाग 21100 या किसी अन्य कानून के बावजूद, इस अध्याय के प्रावधान अत्यावश्यक परियोजना की पर्यावरणीय समीक्षा और उसके साथ होने वाली किसी परमिट समीक्षा से संबंधित किसी भी परस्पर विरोधी आवश्यकता पर प्रभावी होंगे और उसका स्थान लेंगे। अनुभाग 21100 या किसी अन्य कानून का कोई भी प्रावधान किसी अत्यावश्यक परियोजना पर इस अध्याय के अनुप्रयोग को अमान्य या सीमित नहीं करेगा।

(f) (1) किसी अत्यावश्यक परियोजना के लिए ऐसा आवेदन जो इस अध्याय की प्रभावी तिथि से पहले किसी सार्वजनिक एजेंसी को प्रस्तुत किया गया था और जिसे उस तिथि से पहले अंतिम अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है, वापस लिया जा सकता है और इस अध्याय की प्रभावी तिथि के बाद पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है।

(2) अनुच्छेद (1) में दिए गए प्रावधान के अनुसार वापस लिया और पुनः प्रस्तुत किया गया अत्यावश्यक परियोजना का आवेदन इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार समीक्षा और अनुमोदन के लिए लिया जा सकता है।

(3) अनुच्छेद (1) में दिए गए प्रावधान के अनुसार जिन अत्यावश्यक आवास परियोजनाओं के आवेदन वापस लेकर पुनः प्रस्तुत किए जाते हैं, वे कानून के किसी प्रावधान के माध्यम से आवेदक द्वारा प्राप्त किसी निहित अधिकार या अन्य लाभ को नहीं खोएँगे, इनमें उप-प्रभाग मानचित्र अधिनियम (सरकारी संहिता के शीर्षक 7 का प्रभाग 2 (अनुभाग 66410 से शुरू होते हुए)), आवास जवाबदेही अधिनियम (सरकारी संहिता का अनुभाग 65589.5), बिल्डर का उपाय (2024 के विधान का अध्याय 268), और आवास संकट अधिनियम 2019 (सरकारी संहिता के शीर्षक 7 के प्रभाग 1 का अध्याय 12 (अनुभाग 66300 से शुरू होते हुए)) शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। निहित अधिकार उस तारीख से संबंधित माने जाएँगे जिस तारीख को सरकारी संहिता के अनुभाग 65941.1 के अनुसार कोई प्रारंभिक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, या जिस तारीख को अन्य लागू कानून के अनुसार निहित अधिकार उत्पन्न होते हैं।

(4) (A) यदि किसी अत्यावश्यक परियोजना का आवेदन इस अध्याय की प्रभावी तिथि से पहले पूर्ण माना या निर्धारित किया गया था, तो इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए आवेदन को पूर्ण माना जाएगा और कोई सार्वजनिक एजेंसी उसकी पूर्णता की अतिरिक्त समीक्षा की अपेक्षा नहीं करेगी।

(B) ऐसी परिस्थितियों में जहाँ अनुच्छेद (1) में दिए गए प्रावधान के अनुसार आवेदन वापस लेकर पुनः प्रस्तुत किया गया है, इस अध्याय की ऐसी कोई भी समय-सीमा जो आवेदन के पूर्ण निर्धारित या पूर्ण माने जाने की तारीख से शुरू होती है, उस समय से गणना की जाएगी जब आवेदक अत्यावश्यक परियोजना का आवेदन पुनः प्रस्तुत करता है।

(g) इस अध्याय में निर्धारित समय-सीमाएँ इस अध्याय की प्रभावी तिथि के बाद अनुभाग 21017 या किसी अन्य कानून के अनुसार पूर्ण निर्धारित या पूर्ण माने गए सभी अत्यावश्यक परियोजना आवेदनों पर लागू होंगी, चाहे आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख कोई भी हो।

(h) किसी अन्य कानून के बावजूद:

(1) यदि कोई अत्यावश्यक परियोजना किसी बड़ी परियोजना का भाग या घटक है, तो अत्यावश्यक परियोजना के रूप में पात्र उस भाग या घटक को इस अध्याय के अनुसार प्रसंस्कृत, समीक्षा और अनुमोदित किया जा सकता है।

(2) यदि पूरी परियोजना ही एक अत्यावश्यक परियोजना है, तो अत्यावश्यक परियोजना को कई चरणों में लागू किया जा सकता है और चरणबद्ध आवेदनों को इस अध्याय के अनुसार प्रसंस्कृत, समीक्षा और अनुमोदित किए जाने के लिए अलग-अलग अत्यावश्यक परियोजना के मानदंडों को पूरा करना आवश्यक नहीं है।

(i) इस अध्याय में अन्यथा उल्लेख न होने पर, इस अध्याय की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि पर्यावरणीय समीक्षा दस्तावेज़ तैयार करते समय उपयुक्त महत्व सीमा या शमन उपाय निर्धारित करने के प्रमुख एजेंसी के विवेकाधिकार को समाप्त या सीमित किया गया है।

(j) इस अध्याय की कोई भी बात किसी सार्वजनिक एजेंसी को California के संविधान की धाराओं XIII A और XIII C के अनुरूप, अत्यावश्यक परियोजना आवेदनों के प्रसंस्करण और समीक्षा से जुड़ी सरकारी लागतों को पूरा करने के उद्देश्य से आवेदक पर शुल्क लगाने से नहीं रोकती है।

(k) आवेदक इस बात पर सहमत होकर कि वह ऐसा लिखित अनुरोध प्रस्तुत नहीं करेगा जिसे वह अन्यथा अनुभाग 21020 के उपखंड (a) या

अनुभाग 21023 के उपखंड (b) के अनुसार प्रस्तुत करने का अधिकारी है, सार्वजनिक एजेंसी को अनुभाग 21018 या 21019 के अनुसार पर्यावरणीय समीक्षा पूरी करने के लिए, या अनुभाग 21023 के अनुसार आवेदक द्वारा माँगी गई सार्वजनिक एजेंसी की अन्य कार्रवाई पर निर्णय लेने के लिए, अतिरिक्त समय देने पर सहमति दे सकता है।

21015. अन्य कानूनों के साथ परस्पर संबंध

(a) अत्यावश्यक परियोजनाओं के अनुमोदन को सुव्यवस्थित और तेज़ करने की क्षमता को अधिकतम करने के लिए, आवेदक इस अध्याय के किसी भी प्रावधान का उपयोग न करने, कुछ प्रावधानों का उपयोग करने या सभी प्रावधानों का उपयोग करने का विकल्प चुन सकता है और ऐसा अन्य भूमि-उपयोग और पर्यावरणीय समीक्षा कानूनों, व्यवस्थाओं या प्रक्रियाओं के साथ संयोजन में या उनके विकल्प के रूप में कर सकता है। इस अध्याय की कोई भी बात (1) आवेदक को ऐसे अन्य भूमि-उपयोग और पर्यावरणीय समीक्षा कानूनों का लाभ लेने से नहीं रोकती जो इस अध्याय की तुलना में अत्यावश्यक परियोजनाओं की अधिक शीघ्र या लाभप्रद समीक्षा और अनुमोदन की व्यवस्था करते हों, या (2) ऐसी परियोजना का अनुमोदन चाहने वाले आवेदक से, जो अत्यावश्यक परियोजना की परिभाषा को पूरा करती है, इस अध्याय का उपयोग करने की अपेक्षा नहीं करती।

(b) जहाँ इस बारे में कोई अस्पष्टता उत्पन्न होती है कि यह अध्याय कानून के अन्य प्रावधानों के साथ मिलकर किस प्रकार लागू होगा, वहाँ अनुभाग 21029 में निर्धारित नीतियाँ और उद्देश्य प्रभावी होंगे।

(c) किसी अत्यावश्यक आवास परियोजना पर निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे:

(1) सरकारी संहिता के अनुभाग 65913.4 के उपखंड (a) के अनुच्छेद (8) के प्रचलित वेतन संबंधी प्रावधान किसी भी अत्यावश्यक आवास परियोजना में केवल भूमि-स्तर से 85 फीट से अधिक ऊँची इमारतों पर लागू होंगे।

(2) 2025 के विधान के अध्याय 22 (विधानसभा बिल 130) के अनुभाग 59 द्वारा जोड़े गए अनुभाग 21080.66 के उपखंड (d) के अनुच्छेद (3) और (5) के प्रावधान इस अध्याय का उपयोग करने वाली अत्यावश्यक आवास परियोजना पर लागू होंगे।

(3) (A) प्रत्यक्ष ठेकेदार या उपठेकेदार के अतिरिक्त, श्रम संहिता के अनुभाग 218.9 के प्रावधान इस अध्याय का उपयोग करने वाली अत्यावश्यक आवास परियोजना के निर्माण के दौरान उस परियोजना के मालिक पर भी लागू होंगे।

(B) इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, “मालिक” से आशय नागरिक संहिता के अनुभाग 8182 के उपखंड (e) में परिभाषित मालिक से है।

(d) उपखंड (a) के बावजूद:

(1) इस अध्याय का उपयोग करने वाली सभी अत्यावश्यक परियोजनाएँ प्रारंभिक जाँच और जनजातीय परामर्श से संबंधित अनुभाग 21016 में निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगी।

(2) अत्यावश्यक आवास परियोजनाओं को छोड़कर, इस अध्याय का उपयोग करने वाली सभी अत्यावश्यक परियोजनाएँ, अत्यावश्यक परियोजनाओं पर अनुभाग 21183.5 में वर्णित श्रम आवश्यकताओं को लागू करने से संबंधित अनुभाग 21028 में निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगी।

(3) (A) उप-अनुच्छेद (B) में दिए गए प्रावधान को छोड़कर, इस अध्याय का उपयोग करने वाली सभी अत्यावश्यक आवास परियोजनाएँ अत्यावश्यक आवास परियोजनाओं पर वेतन और श्रम मानकों से संबंधित उपखंड (c) में निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगी।

(B) यदि किसी अत्यावश्यक आवास परियोजना का आवेदक आंशिक रूप से इस अध्याय के अनुसार और आंशिक रूप से इस अध्याय के बाहर संहिताबद्ध किसी अन्य स्वैच्छिक सुव्यवस्थित पर्यावरणीय समीक्षा प्रसंस्करण कानून के अनुसार आगे बढ़ने का विकल्प चुनता है, और उस अन्य कानून में भी प्रचलित वेतन या परियोजना श्रम समझौते के उपयोग की आवश्यकता है, तो उस अन्य सुव्यवस्थित कानून के अनुसार प्रसंस्कृत और अनुमोदित अत्यावश्यक परियोजना के घटकों के लिए आवेदक को उस अन्य सुव्यवस्थित कानून द्वारा अनिवार्य किए गए प्रचलित वेतन या परियोजना श्रम समझौते की आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा।

धारा 3. प्रारंभिक जाँच, जनजातीय परामर्श और अत्यावश्यक परियोजना आवेदनों की पूर्णता

21016. जनजातीय सांस्कृतिक संसाधन: अत्यावश्यक परियोजनाओं की प्रारंभिक जाँच और जनजातीय परामर्श

(a) उद्देश्य। California राज्य के लोग एतद् द्वारा घोषित करते हैं कि जनजातीय सांस्कृतिक संसाधनों के संरक्षण को बनाए रखते हुए, अत्यावश्यक परियोजना की योजना के एक प्रमुख तत्व के रूप में प्रारंभिक और सार्थक जनजातीय परामर्श की व्यवस्था करने के लिए यह अनुभाग आवश्यक है। परामर्शदाता जनजातियों के पास अत्यावश्यक परियोजना क्षेत्रों में स्थित जनजातीय सांस्कृतिक संसाधनों से संबंधित ज्ञान और विशेषज्ञता है।

(b) अर्थान्वयन और व्याख्या।

(1) अनुभाग 21015 या कानून के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद, अत्यावश्यक परियोजनाओं के लिए जनजातीय परामर्श प्रक्रिया इस अनुभाग में निर्धारित प्रावधानों का पालन करेगी।

(2) इस अध्याय की किसी भी बात का उद्देश्य परामर्शदाता जनजातियों से संबंधित संधीय सरकार-से-सरकार के परामर्श दायित्वों को बदलना या उनसे टकराव उत्पन्न करना नहीं है।

(3) धारा 4 (अनुभाग 21018 से शुरू होते हुए) में निर्धारित समय-सीमाएँ, अनुभागों 21080.3.1 और 21080.3.2 के अनुसार किसी अत्यावश्यक परियोजना पर परामर्शदाता जनजाति के साथ किए जाने वाले परामर्श की अवधि को नहीं बदलेंगी।

(4) यदि अत्यावश्यक परियोजना के लिए ऐसे कोई तकनीकी अध्ययन किए जाते हैं जो जनजातीय सांस्कृतिक संसाधनों के विश्लेषण, उपायों या उपचार से संबंधित जानकारी प्रदान करते हैं, तो परामर्शदाता जनजातियों को उन अध्ययनों की समीक्षा करने और उन पर अपनी राय देने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

(5) जब परामर्शदाता जनजाति द्वारा जनजातीय पारंपरिक ज्ञान उपलब्ध कराया जाता है, तो उसे जनजातीय सांस्कृतिक संसाधनों की पहचान, उपचार और संरक्षण संबंधी उपायों में शामिल किया जाएगा। चूँकि जनजातीय सांस्कृतिक संसाधन, सांस्कृतिक संसाधनों और पुरातात्विक संसाधनों से अलग श्रेणी हैं, इसलिए कुछ पुरातात्विक विधियाँ और मानक जनजातीय सांस्कृतिक संसाधनों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं। यदि प्रमुख एजेंसी जनजातीय विधियों और मानकों या जनजातीय पारंपरिक ज्ञान का उपयोग न करने का विकल्प चुनती है, तो वह पर्याप्त साक्ष्य के समर्थन के साथ अत्यावश्यक परियोजना के पर्यावरणीय दस्तावेजों में अपने निर्णय का कारण बताएगी।

(6) परामर्शदाता जनजाति द्वारा प्रकट किए गये जनजातीय सांस्कृतिक संसाधनों और जनजातीय पारंपरिक ज्ञान से संबंधित सभी जानकारी अनुभाग 21082.3 के उपखंड (c) के अनुरूप गोपनीय रखी जाएगी और परामर्शदाता जनजाति की अनुमति के बिना उस जानकारी का कार्यवाही के प्रशासनिक रिकॉर्ड में खुलासा नहीं किया जाएगा। प्रमुख एजेंसियाँ प्रभावित परामर्शदाता जनजातियों के परामर्श से जनजातीय सांस्कृतिक संसाधनों

और जनजातीय पारंपरिक ज्ञान से संबंधित जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने के लिए उपयुक्त उपाय निर्धारित करेंगी, इनमें सटीक स्थानों को हटाना, मानचित्रों तक पहुँच सीमित करना, डेटा को सुरक्षित रूप से संग्रहित करना या जनजातीय सांस्कृतिक संसाधनों से संबंधित जानकारी को सुरक्षित रखने के अन्य विधेयक शामिल हैं, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। उपखंड (c) के अनुच्छेद (5) के तहत कोई भी लिखित स्पष्टीकरण उस सीमा तक चुनौती के अधीन नहीं होगा जहाँ इस अनुच्छेद की गोपनीयता आवश्यकताओं के कारण प्रमुख एजेंसी के पास सहायक जानकारी का खुलासा करने के लिए परामर्शदाता जनजाति की अनुमति नहीं है।

(7) उपखंड (c) के अनुसार प्रारंभिक जाँच प्रक्रिया का पूरा होना अनुभाग 21017 या इस प्रभाग के किसी अन्य प्रावधान में निर्धारित किसी आवश्यकता या समय-सीमा से अलग रूप से प्रभावी होगा और उनमें कोई बदलाव नहीं करेगा, उन्हें रोकेगा नहीं या उन्हें प्रभावित नहीं करेगा।

(c) प्रारंभिक जाँच। आवेदक द्वारा किसी अन्य कानून के अनुसार प्रारंभिक आवेदन प्रस्तुत करने, अनुभाग 21024 के उपखंड (b) के अनुसार लिखित सूचना देने, या किसी अत्यावश्यक परियोजना के लिए आवेदन प्रस्तुत करने पर, जनजातीय सांस्कृतिक संसाधनों की पहचान और मूल्यांकन के लिए प्रारंभिक जाँच की जाएगी। प्रारंभिक जाँच से आशय, प्रमुख एजेंसी द्वारा किसी आवेदन को पूर्ण निर्धारित किए जाने से पहले, परामर्शदाता जनजाति, प्रमुख एजेंसी और आवेदक के बीच बैठक और विचार-विमर्श प्रक्रिया के माध्यम से प्रारंभिक चर्चाओं में भाग लेने से है और ये चर्चाएँ प्रस्तावित अत्यावश्यक परियोजना से जनजातीय सांस्कृतिक संसाधनों पर पड़ सकने वाले संभावित प्रभावों से संबंधित होंगी। प्रारंभिक जाँच प्रक्रिया के भाग के रूप में निम्नलिखित सभी कार्य किए जाएँगे:

(1) (A) आवेदक प्रमुख एजेंसी को निम्नलिखित मौजूदा जानकारी उपलब्ध कराएगा:

(i) प्रस्तावित अत्यावश्यक परियोजना का विवरण।

(ii) परियोजना क्षेत्र के प्रस्तावित क्षेत्र-विस्तार, संरक्षण या सामान्य सीमाओं को दर्शाने वाला एक अवधारणात्मक स्थल मानचित्र।

(iii) प्रमुख स्थलों, सड़कों और प्राकृतिक विशेषताओं की पहचान करने वाला आसपास के क्षेत्र का मानचित्र।

(iv) जनजातीय सांस्कृतिक संसाधनों से संबंधित या उन्हें प्रभावित करने वाले प्रारंभिक डिज़ाइन, मार्ग निर्धारण या व्यवहार्यता विश्लेषण पर अनुच्छेद (4) के अनुसार बैठक और विचार-विमर्श में सहायता के लिए पहले तैयार किए गए कोई भी भू-तकनीकी, पर्यावरणीय और स्थल-विशिष्ट तकनीकी अध्ययन।

(v) विद्युत पारेषण लाइनों, पाइपलाइनों, रेल लाइनों, जलसेतुओं, संचार लाइनों और सड़कों जैसी रैखिक परियोजनाओं के लिए, आवेदक सामान्य गलियारे एवं आरंभिक और अंतिम सुविधाओं या सब-स्टेशनों के स्थान को शामिल करेंगे।

(B) इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए आवेदकों से नए अध्ययन या विश्लेषण तैयार करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। जनजातीय सांस्कृतिक संसाधनों की पहचान से संबंधित जानकारी के अलावा, इस अनुभाग के अनुसार कोई भी अन्य राय या जानकारी उपखंड (d) के अनुसार जनजातीय परामर्श प्रक्रिया के दौरान प्रदान की जाएगी।

(2) अनुच्छेद (1) में वर्णित जानकारी प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर, प्रमुख एजेंसी प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र और संभावित प्रभाव क्षेत्र (APE), जैसा कि उस शब्द को संघीय नियमों की संहिता के शीर्षक 36 के अनुभाग 800.16 में परिभाषित किया गया है, के भीतर दर्ज और दस्तावेज़ित

पुरातात्विक संसाधनों, सांस्कृतिक संसाधनों और जनजातीय सांस्कृतिक संसाधनों की रिकॉर्ड खोज पूरी करेगी, प्रमुख एजेंसी द्वारा निर्धारित यह खोज निम्नलिखित सभी स्रोतों के माध्यम से की जाएगी:

(A) मूल अमेरिकी विरासत आयोग द्वारा संधारित पवित्र भूमि फ़ाइल।

(B) ऐतिहासिक संरक्षण का राज्य कार्यालय द्वारा संधारित California ऐतिहासिक संसाधन सूचना प्रणाली (CHRIS)।

(C) प्रमुख एजेंसी के रिकॉर्ड।

(3) अनुच्छेद (2) द्वारा आवश्यक खोज पूरी करने पर, प्रमुख एजेंसी परामर्श करने वाली जनजातियों को अनुच्छेद (1) और (2) के अनुसार प्राप्त सभी जानकारी के साथ-साथ अनुच्छेद (4) के अनुसार बैठक और विचार-विमर्श करने का निमंत्रण भी प्रदान करेगी।

(4) अनुच्छेद (3) के अनुसार प्रमुख एजेंसी द्वारा प्रदान की गई जानकारी प्राप्त करने के बाद और परामर्श करने वाली किसी जनजाति के अनुरोध पर, परामर्श करने वाली जनजाति, प्रमुख एजेंसी और आवेदक प्रस्तावित अत्यावश्यक परियोजना एवं किसी भी ज्ञात या अभिलिखित जनजातीय सांस्कृतिक संसाधनों के संबंध में बैठक और विचार-विमर्श करेंगे, और परामर्श करने वाली जनजाति कोई भी जानकारी साझा कर सकती है, जिसमें जनजातीय सरकार के रजिस्ट्रों में मौजूद जानकारी भी शामिल है। बैठक और विचार-विमर्श के दौरान, तीनों पक्ष जनजातीय सांस्कृतिक संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभावों को संबोधित करने के लिए उपचार और संरक्षण के तरीकों, उपायों और शर्तों की पहचान और उनका मूल्यांकन करेंगे, जिसमें उनसे बचाव और उन्हें उसी स्थान पर संरक्षित रखना शामिल है। जब तक सभी पक्ष अन्यथा सहमत न हों, बैठक और विचार-विमर्श से सभी पक्षों के बीच हुए किसी भी समझौते को उपखंड (d) में निर्धारित जनजातीय परामर्श प्रक्रिया के दौरान अंतिम रूप दिया जाएगा। बैठक और विचार-विमर्श के परिणामों को परामर्श करने वाली जनजाति की सहमति से प्रमुख एजेंसी द्वारा दस्तावेज़ीकृत और संधारित किया जाएगा।

(5) (A) यदि परामर्श करने वाली कोई जनजाति अनुच्छेद (3) के अनुसार प्रमुख एजेंसी द्वारा दिए गए प्रारंभिक जाँच के निमंत्रण का 30 दिनों के भीतर जवाब नहीं देती है, तो इस उपखंड के अनुसार प्रारंभिक जाँच प्रक्रिया को समाप्त माना जाएगा और पक्ष उपखंड (d) में निर्धारित जनजातीय परामर्श प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। इस उपखंड में प्रारंभिक जाँच प्रक्रिया के तहत बैठक और विचार-विमर्श न करने का परामर्श करने वाली जनजाति का निर्णय, उपखंड (d) में निर्धारित जनजातीय परामर्श प्रक्रिया में भाग लेने की उस जनजाति की क्षमता या अधिकार को किसी भी तरह प्रभावित नहीं करेगा।

(B) इस उपखंड में दी गई प्रारंभिक जाँच प्रक्रिया उस समय समाप्त हो जाएगी जब उपखंड (d) में निर्धारित जनजातीय परामर्श प्रक्रिया शुरू होगी।

(C) जहाँ उपखंड (d) में निर्धारित जनजातीय परामर्श प्रक्रिया लागू नहीं होती है, वहाँ इस उपखंड के तहत प्रारंभिक जाँच प्रक्रिया अनुच्छेद (4) के अनुसार बैठक और विचार-विमर्श से पक्षों के बीच समझौता होने की तारीख पर, या प्रमुख एजेंसी द्वारा किसी अत्यावश्यक परियोजना के आवेदन को पूर्ण निर्धारित किए जाने या कानून के प्रभाव से पूर्ण माने जाने की तारीख से 30 दिन बाद—इनमें से जो भी पहले हो—समाप्त हो जाएगी।

(d) जनजातीय परामर्श। किसी अत्यावश्यक परियोजना के लिए जनजातीय परामर्श अनुभाग 21074, 21080.3.1, 21080.3.2, 21082.3, 21084.2 और 21084.3 के अनुसार किया जाएगा, सिवाय इसके कि इसे निम्नलिखित रूप में संशोधित किया गया है:

(1) जनजातीय परामर्श का उद्देश्य जनजातीय सांस्कृतिक संसाधनों की पहचान करना और उन जनजातीय सांस्कृतिक संसाधनों के लिए उपचार और संरक्षण उपायों का मूल्यांकन करना है, जिसमें उपचार और संरक्षण उपायों का कार्यान्वयन भी शामिल है।

(2) जनजातीय परामर्श तब सार्थक नहीं माना जाएगा जब परामर्शदाता जनजाति को उचित रूप से अनुरोधित तकनीकी जानकारी उपलब्ध न कराई जाए, जिसमें परियोजना संबंधी जानकारी और सीमाएँ, डेटा, मानचित्र एवं परियोजना गतिविधियों से संबंधित ऐसी जानकारी शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, जो जनजातीय सांस्कृतिक संसाधनों के उपचार और संरक्षण से संबंधित हो। इस उपखंड के अनुसार जनजातीय परामर्श के दौरान, प्रमुख एजेंसी जनजातीय सांस्कृतिक संसाधनों से संबंधित शमन उपायों के विकास के बारे में परामर्शदाता जनजाति के साथ चरणबद्ध और पुनरावृत्त चर्चा करेगी, जिसमें किसी भी पर्यावरणीय दस्तावेज़ के मसौदे के प्रकाशन से पहले प्रारंभिक अवधारणाओं या दृष्टिकोणों पर चर्चा करना भी शामिल होगा। इसमें, लागू गोपनीयता कानूनों द्वारा अनुमत सीमा तक, अत्यावश्यक परियोजना स्थल पर या उसके आसपास के जनजातीय सांस्कृतिक संसाधनों से संबंधित प्रमुख एजेंसी के पास मौजूद किसी भी तकनीकी अध्ययन या रिपोर्ट के बारे में परामर्शदाता जनजाति को सूचित करना और उन अध्ययनों या रिपोर्टों तक उसे पहुँच प्रदान करना शामिल है। यदि किसी पर्यावरणीय समीक्षा दस्तावेज़ का मसौदा उस दस्तावेज़ की सार्वजनिक टिप्पणी अवधि से पहले समीक्षा के लिए आवेदक को उपलब्ध कराया जाता है, तो वह मसौदा आवेदक को उपलब्ध कराए जाने के समय परामर्शदाता जनजाति को भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस अनुभाग की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि प्रमुख एजेंसी को जनजातीय परामर्श के प्रयोजनों के लिए पर्यावरणीय समीक्षा दस्तावेज़ों के मसौदे तैयार या प्रसारित करना आवश्यक है।

(3) जहाँ प्रमुख एजेंसी, परामर्शदाता जनजाति और आवेदक किसी जनजातीय सांस्कृतिक संसाधन पर महत्वपूर्ण प्रभाव से बचने या उसका शमन करने के उपायों पर लिखित रूप में सहमत होते हैं, वहाँ वे उपाय और कोई भी लिखित समझौता, उपखंड (b) के अनुच्छेद (6) के तहत गोपनीयता आवश्यकताओं के अधीन, परियोजना अनुमोदन की प्रवर्तनीय शर्तें बन जाएँगे।

(e) जनजातीय सांस्कृतिक संसाधनों का उपचार और संरक्षण। जहाँ व्यवहार्य हो, किसी भी जनजातीय सांस्कृतिक संसाधन पर हानिकारक प्रभावों से बचा जाएगा। अनुभाग 21014 के उपखंड (b) के अनुरूप, इस उपखंड की कोई भी बात CEQA के तहत प्रमुख एजेंसी के उस दायित्व को नहीं बदलती है जिसके अनुसार, जहाँ व्यवहार्य हो, जनजातीय सांस्कृतिक संसाधनों पर महत्वपूर्ण प्रभावों से बचना या उनका शमन करना आवश्यक है। जनजातीय सांस्कृतिक संसाधनों पर महत्वपूर्ण प्रभावों से बचने या उन्हें न्यूनतम करने के लिए इस उपखंड के अनुसार परामर्शदाता जनजाति के परामर्श से अपनाए गए शमन और उपचार उपाय निम्नलिखित के अनुरूप होंगे:

(1) परामर्शदाता जनजाति द्वारा अनुरोध किए जाने पर प्रभाव से बचने और संसाधन को उसी स्थान पर संरक्षित रखने पर विचार किया जाएगा। किसी जनजातीय सांस्कृतिक संसाधन को परियोजना डिज़ाइन, बफर क्षेत्र या अन्य संरक्षण उपायों के माध्यम से प्रभाव से बचाकर उसी स्थान पर संरक्षित किया जा सकता है, ताकि जनजातीय सांस्कृतिक संसाधनों पर प्रभाव से बचा जा सके और उनके सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक संदर्भ की रक्षा की जा सके और इसके अतिरिक्त, हरित क्षेत्र, पार्क या अन्य खुले स्थानों की योजना इस प्रकार बनाई जा सकती है कि परियोजना के पर्यावरणीय

दस्तावेज़ों में संदर्भित सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त संरक्षण और प्रबंधन मानदंडों के साथ जनजातीय सांस्कृतिक संसाधनों को उनमें शामिल किया जा सके।

(2) यदि किसी अत्यावश्यक परियोजना में किसी जनजातीय सांस्कृतिक संसाधन के महत्व में पर्याप्त प्रतिकूल परिवर्तन करने की संभावना है और प्रभाव से बचना एवं संसाधन को उसी स्थान पर संरक्षित रखना व्यवहार्य नहीं है, तो प्रमुख एजेंसी पर्याप्त साक्ष्य के साथ उस निर्धारण के आधार को प्रदर्शित और दस्तावेज़ित करेगी, और परामर्शदाता जनजाति सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त शमन उपायों की पहचान कर सकती है, जिन पर प्रमुख एजेंसी विचार करेगी और, जहाँ तक व्यवहार्य हो, अनुभाग 21084.3 के उपखंड (b) के अनुच्छेद (2) के अनुरूप शमन और उपचार उपाय विकसित करते समय उन्हें शामिल करेगी।

(3) जब किसी अत्यावश्यक परियोजना में निर्माण से संबंधित भूमि-विक्षोभ गतिविधियाँ प्रस्तावित हों और परामर्शदाता जनजाति द्वारा अनुरोध किया जाए, तो प्रमुख एजेंसी जनजातीय सांस्कृतिक संसाधनों पर महत्वपूर्ण प्रभावों को कम करने के लिए आकस्मिक खोज संबंधी उपाय शामिल करेगी। उन उपायों में भूमि समतलीकरण को अस्थायी रूप से रोकने की प्रक्रियाएँ, पहचान और मूल्यांकन संबंधी प्रोटोकॉल, समय-संबंधी प्रावधान एवं अतिरिक्त उपचार विधियाँ या संरक्षण उपाय शामिल हो सकते हैं।

(f) अत्यावश्यक परियोजना का अनुमोदन। प्रमुख एजेंसी इस अनुभाग के अनुसार किसी अत्यावश्यक परियोजना को केवल तभी अनुमोदित कर सकती है जब निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी हों:

(1) जनजातीय परामर्श सद्भावपूर्वक संपन्न हो चुका हो।

(2) जहाँ उपखंड (c) के अनुच्छेद (4) या उपखंड (d) के अनुसार सभी पक्षों के बीच सहमति हो, वहाँ सहमत किए गए सभी शमन और प्रभाव-निवारण उपायों को परियोजना की प्रवर्तनीय शर्तों के रूप में शामिल किया गया हो।

(3) यदि प्रभाव से बचना और संसाधन को उसी स्थान पर संरक्षित रखना व्यवहार्य नहीं है, तो प्रमुख एजेंसी ने पर्याप्त साक्ष्य के साथ उस निर्धारण के आधार को प्रदर्शित और दस्तावेज़ित किया हो एवं CEQA के अनुरूप प्रभावों को न्यूनतम करने के लिए अन्य उपाय शामिल किए हों।

21017. अत्यावश्यक परियोजना आवेदनों की पूर्णता का निर्धारण

(a) (1) जब कोई सार्वजनिक एजेंसी किसी अत्यावश्यक परियोजना के लिए प्रारंभिक आवेदन प्राप्त करती है, तो सार्वजनिक एजेंसी आवेदन की समीक्षा करेगी, आवेदन पूर्ण है या नहीं इस बारे में लिखित निष्कर्ष निकालेगी और इस निर्धारण की सूचना आवेदक को लिखित रूप में देगी।

(2) प्रारंभिक आवेदन की पूर्णता का लिखित निर्धारण सार्वजनिक एजेंसी द्वारा प्रारंभिक आवेदन प्राप्त किए जाने के 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। यदि सार्वजनिक एजेंसी 30 दिनों के भीतर पूर्णता का निर्धारण प्रदान करने में विफल रहती है, तो इस प्रभाग के प्रयोजनों के लिए प्रारंभिक आवेदन को पूर्ण माना जाएगा।

(3) किसी आवेदन को निम्नलिखित के आधार पर अपूर्ण निर्धारित नहीं किया जाएगा: (A) ऐसे सूचनात्मक या विश्लेषणात्मक अध्ययन या दस्तावेज़ जिनकी आवश्यकता सार्वजनिक एजेंसी द्वारा उस लिखित और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध प्रस्तुति-आवश्यकता चेकलिस्ट या इसी प्रकार के दस्तावेज़ में नहीं रखी गई थी, जो प्रारंभिक आवेदन प्रस्तुत किए जाने के समय मौजूद था; या (B) ऐसे अधिनियम, विनियम, नियम, मानक या अध्यादेश जो मौजूदा कानून नहीं हैं।

(b) यदि सार्वजनिक एजेंसी का पूर्णता संबंधी निर्धारण यह पाता है कि किसी अत्यावश्यक परियोजना का प्रारंभिक आवेदन अपूर्ण है, तो ऐसा निष्कर्ष निकाले जाने के समय सार्वजनिक एजेंसी आवेदक को एक विस्तृत लिखित सुधार सूची भी प्रदान करेगी जिसमें उन मद्दों और विशिष्ट जानकारी, या ऐसी जानकारी की कमी, का विस्तृत विवरण होगा जिनके कारण आवेदन को अपूर्ण पाया गया।

(c) (1) (A) आवेदक को उसका प्रारंभिक आवेदन अपूर्ण होने की सूचना मिलने के 90 दिनों के भीतर अतिरिक्त जानकारी या संशोधित आवेदन प्रस्तुत करना होगा, जिसमें लिखित सुधार सूची में पहचाने गए विषयों का समाधान किया गया हो।

(B) यदि आवेदक अतिरिक्त जानकारी या संशोधित आवेदन प्रस्तुत करने के लिए उप-अनुच्छेद (A) में निर्धारित 90-दिन की समय-सीमा का पालन नहीं कर सकता है, तो वह सार्वजनिक एजेंसी को लिखित रूप में बताएगा कि वह ऐसा क्यों नहीं कर सकता और यह अनुमान भी देगा कि वह ऐसा कब कर सकेगा।

(2) पूरक जानकारी या संशोधित आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर, सार्वजनिक एजेंसी केवल उपखंड (b) के अनुसार एजेंसी द्वारा प्रदान की गई लिखित सुधार सूची के आधार पर यह निर्धारित करेगी कि पूरक प्रस्तुति पूर्ण है या नहीं। सार्वजनिक एजेंसी पूरक प्रस्तुति प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर उसके आधार पर पूर्णता का निर्धारण प्रदान करेगी। यदि सार्वजनिक एजेंसी यह पाती है कि पूरक प्रस्तुति अभी भी अपूर्ण है, तो ऐसा निष्कर्ष निकाले जाने के समय सार्वजनिक एजेंसी आवेदक को अद्यतित विस्तृत लिखित सुधार सूची प्रदान करेगी। अद्यतित लिखित सुधार सूची में केवल वही मद्दें शामिल की जा सकती हैं जो आवेदक के प्रारंभिक आवेदन के जवाब में प्रदान की गई लिखित सुधार सूची में शामिल थीं।

(3) यदि किसी पूरक प्रस्तुति को फिर से अपूर्ण माना जाता है, तो आवेदक इस उपखंड में निर्धारित प्रक्रियाओं और समय-सीमाओं के अनुसार पूरक जानकारी या संशोधित आवेदनों के अतिरिक्त दौर प्रस्तुत कर सकता है।

(4) यदि सार्वजनिक एजेंसी अनुच्छेद (2) या (3) के अनुसार पूरक जानकारी या संशोधित आवेदन प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर पूर्णता का निर्धारण प्रदान करने में विफल रहती है, तो इस प्रभाग के प्रयोजनों के लिए आवेदन को पूर्ण माना जाएगा।

(5) कोई सार्वजनिक एजेंसी आवेदक से कोई नई जानकारी प्रदान करने का अनुरोध या अपेक्षा नहीं करेगी, जब तक कि वह जानकारी आवेदन के ठीक पिछले संस्करण के लिए दी गई विस्तृत लिखित सुधार सूची में शामिल न हो।

(d) (1) ऐसा पूर्णता निर्धारण जिसमें प्रारंभिक आवेदन, पूरक आवेदन या संशोधित आवेदन को अपूर्ण पाया गया हो, आवेदक द्वारा सार्वजनिक एजेंसी के योजना आयोग, योजना निदेशक या आवेदन की पूर्णता पर अंतिम अधिकार रखने वाले अन्य अधिकारी के समक्ष अपील योग्य होगा। यदि सार्वजनिक एजेंसी में कोई योजना आयोग, योजना निदेशक या आवेदन की पूर्णता पर अंतिम अधिकार रखने वाला अन्य अधिकारी नहीं है, तो अपील की सुनवाई एजेंसी के सर्वोच्च-स्तरीय निर्वाचित या नियुक्त निर्णयकारी निकाय या अधिकारी द्वारा की जाएगी। आवेदक की लिखित अपील प्राप्त होने के अधिकतम 60 दिनों के भीतर अपील पर अंतिम लिखित निर्धारण किया जाएगा।

(2) यदि अपील पर अंतिम लिखित निर्धारण अनुच्छेद (1) में वर्णित 60-दिन की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो इस प्रभाग के प्रयोजनों के लिए आवेदन को पूर्ण माना जाएगा।

(e) आवेदक उपखंड (d) के तहत प्रतिकूल निर्धारण को चुनौती देते हुए दीवानी कार्रवाई कर सकता है। कोई भी कार्रवाई उपखंड (d) के अनुसार जारी किए गए प्रतिकूल अंतिम लिखित निर्धारण के 90 दिनों के भीतर शुरू की जाएगी।

धारा 4. अत्यावश्यक परियोजनाओं के पूर्ण आवेदनों की समीक्षा

21018. स्थानीय एजेंसी द्वारा अत्यावश्यक परियोजनाओं की पर्यावरणीय समीक्षा पूरी करने की समय-सीमा

(a) कोई स्थानीय एजेंसी जो किसी अत्यावश्यक परियोजना के आवेदन या अनुमोदन के लिए प्रमुख एजेंसी (स्थानीय प्रमुख एजेंसी) के रूप में कार्य कर रही है, यह निर्णय करेगी कि परियोजना उपखंड (b), (c) या (d) के अधीन है या नहीं, और यह निर्णय अत्यावश्यक परियोजना के आवेदन को अनुभाग 21017 के अनुसार पूर्ण निर्धारित या पूर्ण माने जाने, या किसी अन्य कानून के अनुसार पूर्ण माने जाने—जो भी पहले हो—के 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।

(b) पर्यावरणीय प्रभाव रिपोर्ट की आवश्यकता वाली अत्यावश्यक परियोजनाएँ। जिन अत्यावश्यक परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव रिपोर्ट आवश्यक है, उनके लिए स्थानीय प्रमुख एजेंसी यह अंतिम निर्धारण करेगी कि पर्यावरणीय प्रभाव रिपोर्ट को प्रमाणित किया जाए या नहीं और यह निर्धारण अत्यावश्यक परियोजना के आवेदन को अनुभाग 21017 के अनुसार पूर्ण निर्धारित या पूर्ण माने जाने, या किसी अन्य कानून के अनुसार पूर्ण माने जाने, जो भी पहले हो, के 365 दिनों के भीतर किया जाएगा।

(c) नकारात्मक घोषणा या शमनयुक्त नकारात्मक घोषणा की आवश्यकता वाली अत्यावश्यक परियोजनाएँ। जिन अत्यावश्यक परियोजनाओं के लिए नकारात्मक घोषणा या शमनयुक्त नकारात्मक घोषणा आवश्यक है, उनके लिए स्थानीय प्रमुख एजेंसी यह अंतिम निर्धारण करेगी कि नकारात्मक घोषणा या शमनयुक्त नकारात्मक घोषणा को अपनाया जाए या नहीं, यह निर्धारण अत्यावश्यक परियोजना के आवेदन को अनुभाग 21017 के अनुसार पूर्ण निर्धारित या पूर्ण माने जाने, या किसी अन्य कानून के अनुसार पूर्ण माने जाने, जो भी पहले हो, के 180 दिनों के भीतर किया जाएगा।

(d) अत्यावश्यक परियोजना के आवेदन या अनुमोदन के लिए इस प्रभाग के अनुसार तैयार किए गए अन्य सभी पर्यावरणीय समीक्षा दस्तावेज़ीकरण के संबंध में, स्थानीय प्रमुख एजेंसी अत्यावश्यक परियोजना के आवेदन को अनुभाग 21017 के अनुसार पूर्ण निर्धारित या पूर्ण माने जाने, या किसी अन्य कानून के अनुसार पूर्ण माने जाने, जो भी पहले हो, के 90 दिनों के भीतर निम्नलिखित में से किसी बात का अंतिम निर्धारण करेगी: कि अत्यावश्यक परियोजना इस प्रभाग से छूट प्राप्त है; या कि अत्यावश्यक परियोजना के प्रभावों का पहले किसी पूर्व पर्यावरणीय समीक्षा दस्तावेज़ के तहत मूल्यांकन किया जा चुका है, जिसमें अनुभाग 21083.3 या 21094.5 के अनुसार किया गया मूल्यांकन, या California नियमों की संहिता के शीर्षक 14 के अनुभाग 15162 या 15164 के अनुसार कोई परिशिष्ट शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

(e) उपखंड (b), (c) और (d) में निर्धारित समय-सीमाएँ आवेदक के लिखित अनुरोध पर बढ़ाई जाएँगी।

21019. स्थानीय एजेंसियाँ न होने वाली सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा अत्यावश्यक परियोजनाओं की पर्यावरणीय समीक्षा पूरी करने की समय-सीमा

(a) कोई ऐसी सार्वजनिक एजेंसी जो स्थानीय एजेंसी नहीं है और किसी अत्यावश्यक परियोजना के लिए प्रमुख एजेंसी (गैर-स्थानीय प्रमुख एजेंसी) के रूप में कार्य कर रही है, यह निर्णय करेगी कि परियोजना उपखंड (b), (c) या (d) के अधीन है या नहीं, यह निर्णय अत्यावश्यक परियोजना के आवेदन को अनुभाग 21017 के अनुसार पूर्ण निर्धारित या पूर्ण माने जाने, या किसी अन्य कानून के अनुसार पूर्ण माने जाने, जो भी पहले हो, के 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।

(b) पर्यावरणीय प्रभाव रिपोर्ट की आवश्यकता वाली अत्यावश्यक परियोजनाएँ। जिन अत्यावश्यक परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव रिपोर्ट आवश्यक है, उनके लिए गैर-स्थानीय प्रमुख एजेंसी यह अंतिम निर्धारण करेगी कि पर्यावरणीय प्रभाव रिपोर्ट को प्रमाणित किया जाए या नहीं, यह निर्धारण अत्यावश्यक परियोजना के आवेदन को अनुभाग 21017 के अनुसार पूर्ण निर्धारित या पूर्ण माने जाने, या किसी अन्य कानून के अनुसार पूर्ण माने जाने, जो भी पहले हो, के 365 दिनों के भीतर किया जाएगा।

(c) नकारात्मक घोषणा या शमनयुक्त नकारात्मक घोषणा की आवश्यकता वाली अत्यावश्यक परियोजनाएँ। जिन अत्यावश्यक परियोजनाओं के लिए नकारात्मक घोषणा या शमनयुक्त नकारात्मक घोषणा आवश्यक है, उनके लिए गैर-स्थानीय प्रमुख एजेंसी यह अंतिम निर्धारण करेगी कि नकारात्मक घोषणा या शमनयुक्त नकारात्मक घोषणा को अपनाया जाए या नहीं, यह निर्धारण अत्यावश्यक परियोजना के आवेदन को अनुभाग 21017 के अनुसार पूर्ण निर्धारित या पूर्ण माने जाने, या किसी अन्य कानून के अनुसार पूर्ण माने जाने, जो भी पहले हो, के 180 दिनों के भीतर किया जाएगा।

(d) अत्यावश्यक परियोजना के आवेदन या अनुमोदन के लिए इस प्रभाग के अनुसार तैयार किए गए अन्य सभी पर्यावरणीय समीक्षा दस्तावेज़ीकरण के संबंध में, गैर-स्थानीय प्रमुख एजेंसी अत्यावश्यक परियोजना के आवेदन को अनुभाग 21017 के अनुसार पूर्ण निर्धारित या पूर्ण माने जाने, या किसी अन्य कानून के अनुसार पूर्ण माने जाने, जो भी पहले हो, के 90 दिनों के भीतर निम्नलिखित में से किसी बात का अंतिम निर्धारण करेगी: कि अत्यावश्यक परियोजना इस प्रभाग से छूट प्राप्त है; या कि अत्यावश्यक परियोजना के प्रभावों का पहले किसी पूर्व पर्यावरणीय समीक्षा दस्तावेज़ के तहत मूल्यांकन किया जा चुका है, जिसमें अनुभाग 21083.3 या 21094.5 के अनुसार किया गया मूल्यांकन, या California नियमों की संहिता के शीर्षक 14 के अनुभाग 15162 या 15164 के अनुसार कोई परिशिष्ट शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

(e) उपखंड (b), (c) और (d) में निर्धारित समय-सीमाएँ आवेदक के लिखित अनुरोध पर बढ़ाई जाएँगी।

21020. अत्यावश्यक परियोजनाओं की पर्यावरणीय समीक्षा पूरी करने की समय-सीमाओं का अनुपालन न करना

(a) जब कोई स्थानीय प्रमुख एजेंसी या गैर-स्थानीय प्रमुख एजेंसी अनुभाग 21018 के उपखंड (b) से (d), समावेशी, या अनुभाग 21019 के उपखंड (b) से (d), समावेशी, में निर्धारित किसी समय-सीमा का अनुपालन करने में विफल रहती है, तो आवेदक इस अनुभाग में निर्धारित अनुसार एजेंसी से अत्यावश्यक परियोजना पर बैठक या सुनवाई आयोजित करने के लिए लिखित अनुरोध कर सकता है।

(b) उपखंड (a) के अनुसार लिखित अनुरोध प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर, स्थानीय प्रमुख एजेंसी या गैर-स्थानीय प्रमुख एजेंसी निम्नलिखित सभी कार्य करेगी:

(1) अत्यावश्यक परियोजना के लिए सभी पर्यावरणीय समीक्षा दस्तावेज़ीकरण को पूरा करेगी या उपलब्ध पर्यावरणीय समीक्षा दस्तावेज़ीकरण को संकलित करेगी, जिसमें अनुभाग 21082.1 के उपखंड (b) या किसी अन्य कानून के अनुसार अनुमत, आवेदक द्वारा तैयार किया गया कोई पर्यावरणीय समीक्षा दस्तावेज़ भी शामिल है।

(2) अत्यावश्यक परियोजना के आवेदन पर निम्नलिखित तरीके से बैठक या सुनवाई आयोजित करेगी:

(A) यदि एजेंसी में एक बहु-सदस्यीय निर्णयकारी निकाय है जो Bagley-Keene ओपन मीटिंग अधिनियम (सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के प्रभाग 3 के भाग 1 के अध्याय 1 की धारा 9 (अनुभाग 11120 से शुरू होते हुए)), Ralph M. Brown अधिनियम (सरकारी संहिता के शीर्षक 5 के प्रभाग 2 के भाग 1 का अध्याय 9 (अनुभाग 54950 से शुरू होते हुए)), या इसी प्रकार के खुले बैठक कानून के अधीन है, तो एजेंसी अत्यावश्यक परियोजना को एजेंसी के सर्वोच्च-स्तरीय निर्णयकारी निकाय की नियमित या विशेष बैठक के एजेंडे में रखेगी।

(B) यदि एजेंसी में Bagley-Keene ओपन मीटिंग अधिनियम, Ralph M. Brown अधिनियम या इसी प्रकार के खुले बैठक कानून के अधीन कोई बहु-सदस्यीय निर्णयकारी निकाय नहीं है, तो एजेंसी का सर्वोच्च-स्तरीय अधिकारी या उसका नामित प्रतिनिधि अत्यावश्यक परियोजना के संबंध में आवेदक के साथ सुनवाई करेगा।

(3) इस प्रभाग के किसी अन्य प्रावधान या किसी अन्य कानून के बावजूद, अनुच्छेद (2) में वर्णित बैठक या सुनवाई में एजेंसी निम्नलिखित दोनों कार्य करेगी:

(A) बैठक या सुनवाई की तारीख तक पूरा किए जा चुके उपलब्ध पर्यावरणीय समीक्षा दस्तावेज़ीकरण पर अंतिम लिखित निर्धारण करेगी।

(B) अत्यावश्यक परियोजना को अनुमोदित या अस्वीकृत करने का अंतिम लिखित निर्धारण करेगी।

(c) (1) यदि स्थानीय प्रमुख एजेंसी या गैर-स्थानीय प्रमुख एजेंसी में कोई योजना आयोग या योजना निदेशक है, तो उपखंड (a) के अनुसार लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर योजना आयोग या योजना निदेशक अत्यावश्यक परियोजना पर अनुशंसा देने के उद्देश्य से नियमित या विशेष बैठक आयोजित करेगा।

(2) इस उपखंड में वर्णित योजना आयोग या योजना निदेशक की बैठक उपखंड (a) के अनुसार लिखित अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर आयोजित की जाएगी।

(3) इस उपखंड में वर्णित बैठक के लिए आवश्यक कोई भी पर्यावरणीय समीक्षा दस्तावेज़ीकरण, कानून द्वारा अपेक्षित अनुसार, बैठक की तारीख से पहले पूरा किया जाएगा।

(d) उपखंड (b) और (c) में निर्धारित समय-सीमाएँ केवल आवेदक द्वारा किए गए लिखित अनुरोध पर ही बढ़ाई जाएँगी।

(e) उपखंड (f) में दिए गए प्रावधान को छोड़कर, स्थानीय प्रमुख एजेंसी और गैर-स्थानीय प्रमुख एजेंसी का यह गैर-विवेकाधीन प्रशासनिक कर्तव्य है कि वे इस अनुभाग में या उपखंड (d) के अनुसार किए गए किसी लिखित अनुरोध में निर्धारित समय-सीमाओं का अनुपालन करें और उपखंड (b) के अनुच्छेद (3) में वर्णित कार्रवाइयाँ पूरी करें।

(f) यदि उपखंड (b) में दी गई 60-दिन की अवधि समाप्त होने से पहले एजेंसी अत्यावश्यक परियोजना के लिए सभी पर्यावरणीय दस्तावेज़ीकरण पूरा कर लेती है और अत्यावश्यक परियोजना को अनुमोदित करने का अंतिम लिखित निर्धारण जारी करती है, तो एजेंसी और आवेदक लिखित रूप में पारस्परिक सहमति से उपखंड (b) के अनुच्छेद (2) के तहत आवश्यक अत्यावश्यक परियोजना संबंधी बैठक या सुनवाई रद्द कर सकते हैं।

(g) (1) आवेदक इस प्रभाग के तहत निम्नलिखित में से किसी को चुनौती देते हुए कार्रवाई कर सकता है:

(A) उपखंड (e) में वर्णित एजेंसी के गैर-विवेकाधीन प्रशासनिक कर्तव्यों का पालन करने में एजेंसी की विफलता।

(B) अत्यावश्यक परियोजना को एजेंसी द्वारा अस्वीकार करना या उसके अनुमोदन पर गैरकानूनी शर्तें लगाना।

(2) अनुच्छेद (1) में वर्णित एजेंसी की विफलता, अस्वीकृति या शर्त लगाए जाने के 90 दिनों के भीतर कार्रवाई शुरू की जाएगी।

(h) इस अनुभाग, अनुभाग 21018 या अनुभाग 21019 के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद, जहाँ किसी अत्यावश्यक परियोजना के लिए प्रमुख एजेंसी उस अत्यावश्यक परियोजना की आवेदक भी है, वहाँ प्रमुख एजेंसी लिखित सूचना के माध्यम से इस अनुभाग, अनुभाग 21018 या अनुभाग 21019 में निर्धारित किसी भी समय-सीमा को बढ़ा सकती है, बशर्ते उस सूचना में समय-विस्तार की अवधि और उसका कारण निर्दिष्ट किया गया हो। यह सूचना प्रमुख एजेंसी की इंटरनेट वेबसाइट पर पोस्ट की जाएगी और प्रशासनिक रिकॉर्ड में शामिल की जाएगी।

21021. अत्यावश्यक परियोजनाओं पर सार्वजनिक टिप्पणियों की समय-सीमा

(a) कोई सार्वजनिक एजेंसी किसी अत्यावश्यक परियोजना के लिए पर्यावरणीय समीक्षा दस्तावेज़ को निम्नलिखित सार्वजनिक टिप्पणी अवधियों के लिए प्रसारित करेगी:

(1) नकारात्मक घोषणा या शमनयुक्त नकारात्मक घोषणा, या राज्य कानून के तहत सार्वजनिक प्रसार की आवश्यकता वाले किसी अन्य दस्तावेज़ के लिए बीस दिन।

(2) मसौदा पर्यावरणीय प्रभाव रिपोर्ट या बाद की या पूरक पर्यावरणीय प्रभाव रिपोर्ट के लिए पैंतालीस दिन।

(b) उपखंड (a) में वर्णित सार्वजनिक टिप्पणी अवधि को सक्षम अधिकार-क्षेत्र वाले न्यायालय के अलावा किसी अन्य द्वारा स्थगित या विस्तारित नहीं किया जाएगा।

(c) यदि कोई सार्वजनिक एजेंसी किसी अत्यावश्यक परियोजना पर सार्वजनिक सुनवाई या उस अत्यावश्यक परियोजना की CEQA समीक्षा को स्थगित करके आगे की तारीख तक जारी रखती है, तो सार्वजनिक एजेंसी सुनवाई को एक निश्चित तारीख तक के लिए जारी रखेगी और स्थगन की मंजूरी मिलने पर सार्वजनिक टिप्पणी अवधि समाप्त कर देगी। सार्वजनिक एजेंसी अत्यावश्यक परियोजना पर बाद में होने वाली किसी भी सुनवाई में सार्वजनिक टिप्पणी अवधि को दोबारा नहीं खोलेगी।

(d) (1) किसी अन्य कानून के बावजूद, किसी अत्यावश्यक परियोजना के प्रशासनिक रिकॉर्ड में केवल निम्नलिखित टिप्पणियाँ शामिल की जाएँगी:

(A) उपखंड (a) में निर्धारित सार्वजनिक टिप्पणी अवधियों के दौरान प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक और लिखित टिप्पणियाँ।

(B) ऐसे CEQA निर्धारण के लिए, जिसके लिए उपखंड (a) में कोई टिप्पणी अवधि निर्धारित नहीं है, अत्यावश्यक परियोजना के पर्यावरणीय समीक्षा दस्तावेज़ीकरण पर सार्वजनिक सुनवाई या अधिसूचित निर्णय से कम से कम 48 घंटे पहले प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक और लिखित टिप्पणियाँ।

(C) (i) CEQA निर्धारण पर सुनवाई या अपील के लिए, सार्वजनिक सुनवाई से कम से कम 48 घंटे पहले प्राप्त उन मुद्दों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और लिखित टिप्पणियाँ जिन्हें उपखंड (a) में निर्धारित सार्वजनिक टिप्पणी अवधि के दौरान इसलिए नहीं उठाया जा सका क्योंकि अत्यावश्यक परियोजना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे जिनके कारण उस अवधि में मुद्दा उठाना संभव नहीं था, या ऐसी नई जानकारी सामने आई थी जो सार्वजनिक टिप्पणी अवधि के दौरान ज्ञात नहीं थी और ज्ञात हो भी नहीं सकती थी।

(ii) “अत्यावश्यक परियोजना में महत्वपूर्ण परिवर्तन” में जनता की टिप्पणियों के जवाब में, CEQA विकल्प समीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से, या CEQA प्रक्रिया के दौरान प्रमुख एजेंसी द्वारा पहचानी गई चिंताओं के कारण अत्यावश्यक परियोजना में किए गए परिवर्तन शामिल नहीं होंगे।

(D) अधिसूचित और अभिलेखित सार्वजनिक सुनवाई में दिया गया मौखिक साक्ष्य।

(2) अन्य सभी सार्वजनिक टिप्पणियों की उपेक्षा की जाएगी और उन्हें प्रशासनिक रिकॉर्ड से बाहर रखा जाएगा।

(e) किसी अन्य कानून के बावजूद, उपखंड (d) के अनुच्छेद (1) में वर्णित किसी टिप्पणी पर प्रमुख एजेंसी या आवेदक की प्रतिक्रिया, या किसी सार्वजनिक एजेंसी के प्रश्न के जवाब में या इस प्रभाग के साथ अत्यावश्यक परियोजना के अनुपालन को प्रदर्शित करने के लिए आवेदक द्वारा दी गई टिप्पणियाँ, बिना किसी शर्त के अत्यावश्यक परियोजना के प्रशासनिक रिकॉर्ड में शामिल की जाएँगी।

21022. प्रभावों का निर्धारण

किसी भी अन्य कानून के बावजूद:

(a) (1) किसी अत्यावश्यक परियोजना को अनुमोदित करने पर विचार करने वाली सार्वजनिक एजेंसी, मौजूदा कानूनों के अनुपालन के आधार पर अत्यावश्यक परियोजना के प्रभावों की पहचान और मूल्यांकन करेगी, उनका महत्व निर्धारित करेगी और उन प्रभावों का शमन करेगी।

(2) जिस सीमा तक किसी सार्वजनिक एजेंसी ने किसी अत्यावश्यक परियोजना के लिए पूर्व-आवेदन या आवेदन दाखिल किए जाने की तारीख को, जो भी पहले हो, अत्यावश्यक परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभावों के लिए महत्व की सीमाएँ प्रकाशित या अपनाई हों या नियमित रूप से उनका उपयोग किया हो, आवेदक उन महत्व की सीमाओं को लागू रखने का विकल्प चुन सकता है, ऐसा विकल्प चुने जाने पर सार्वजनिक एजेंसी अत्यावश्यक परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों का महत्व निर्धारित करने में उन्हीं सीमाओं का उपयोग करेगी।

(b) इस प्रभाग और राज्य CEQA दिशानिर्देशों के साथ किसी अत्यावश्यक परियोजना का अनुपालन केवल अनुभाग 21029 के उपखंड (b) के साथ परियोजना के अनुपालन पर आधारित होगा।

(c) कोई आवेदक सार्वजनिक एजेंसी को छूट के लिए लिखित अनुरोध प्रस्तुत करके किसी अत्यावश्यक परियोजना पर उपखंड (a) या (b), या दोनों, के लागू होने से छूट ले सकता है।

21023. अत्यावश्यक परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक एजेंसी की अन्य कार्रवाइयाँ

(a) यदि किसी अत्यावश्यक परियोजना के लिए सार्वजनिक एजेंसी की ऐसी कोई अन्य कार्रवाई आवश्यक है जिसे इस अध्याय के अन्य प्रावधानों में स्पष्ट रूप से संबोधित नहीं किया गया है, तो सार्वजनिक एजेंसी मौजूदा कानूनों के अनुपालन के आधार पर अंतिम लिखित निर्णय करेगी। सार्वजनिक एजेंसी की अन्य कार्रवाई पर अंतिम लिखित निर्णय निम्नलिखित तरीके से पूरा किया जाएगा:

(1) जहाँ कोई सार्वजनिक एजेंसी किसी अत्यावश्यक परियोजना के लिए प्रमुख एजेंसी है, वहाँ सार्वजनिक एजेंसी, जैसा लागू हो, पर्यावरणीय प्रभाव रिपोर्ट को प्रमाणित करने, नकारात्मक घोषणा या शमनयुक्त नकारात्मक घोषणा को अपनाने, या इस प्रभाग से पूर्व मूल्यांकन या छूट का निर्धारण करने के साथ-साथ अंतिम निर्णय करेगी।

(2) कोई राज्य प्रमुख एजेंसी अनुच्छेद (1) के तहत आवश्यक अंतिम निर्णय को अधिकतम 90 दिनों तक विलंबित कर सकती है, यदि निम्नलिखित सभी शर्तें लागू हों:

(A) 31 दिसम्बर, 2025 से पहले, राज्य एजेंसी के पास अत्यावश्यक परियोजना के लिए मांगी जा रही सार्वजनिक एजेंसी की कार्रवाई के प्रकार पर साक्ष्य संबंधी सुनवाई आयोजित करने के लिए कानून या विनियम में निर्धारित एक स्थापित प्रक्रिया थी।

(B) अनुच्छेद (1) में निर्धारित समय-सीमा से पहले, राज्य एजेंसी आवेदक को लिखित सूचना देती है कि वह साक्ष्य संबंधी सुनवाई के साथ आगे बढ़ेगी।

(3) जहाँ कोई आवेदक किसी अत्यावश्यक परियोजना के लिए ऐसी सार्वजनिक एजेंसी से अनुमोदन मांगता है जो इस प्रभाग के अनुसार उस अत्यावश्यक परियोजना की पहली पर्यावरणीय समीक्षा के समय उसकी प्रमुख एजेंसी नहीं थी, वहाँ वह सार्वजनिक एजेंसी निम्नलिखित में से बाद में आने वाले समय से पहले अंतिम लिखित निर्णय करेगी: (A) सार्वजनिक एजेंसी की कार्रवाई के लिए आवेदन को अनुभाग 21017 के अनुसार पूर्ण निर्धारित या पूर्ण माना जाने, या किसी अन्य कानून के अनुसार पूर्ण माने जाने, जो भी पहले हो, की तारीख से 90 दिन; या (B) प्रमुख एजेंसी द्वारा परियोजना को अनुमोदित किए जाने की तारीख से एक दिन बीतने पर।

(b) जब कोई सार्वजनिक एजेंसी उपखंड (a) में निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं करती है, तो आवेदक सार्वजनिक एजेंसी से मांगी गई अन्य सार्वजनिक एजेंसी कार्रवाई पर बैठक या सुनवाई आयोजित करने के लिए उस एजेंसी को लिखित अनुरोध कर सकता है।

(c) उपखंड (b) के अनुसार लिखित अनुरोध प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर, सार्वजनिक एजेंसी निम्नलिखित सभी कार्य करेगी:

(1) अत्यावश्यक परियोजना के आवेदन पर निम्नलिखित तरीके से बैठक या सुनवाई आयोजित करेगी:

(A) यदि सार्वजनिक एजेंसी में एक बहु-सदस्यीय निर्णयकारी निकाय है जो Bagley-Keene ओपन मीटिंग अधिनियम (सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के प्रभाग 3 के भाग 1 के अध्याय 1 की धारा 9 (अनुभाग 11120 से शुरू होते हुए)), Ralph M. Brown अधिनियम (सरकारी संहिता के शीर्षक 5 के प्रभाग 2 के भाग 1 का अध्याय 9 (अनुभाग 54950 से शुरू होते हुए)), या इसी प्रकार के खुले बैठक कानून के अधीन है, तो सार्वजनिक एजेंसी उससे मांगी गई अन्य एजेंसी कार्रवाई को एजेंसी के सर्वोच्च-स्तरीय निर्णयकारी निकाय की नियमित या विशेष बैठक के एजेंडे में रखेगी।

(B) यदि सार्वजनिक एजेंसी में Bagley-Keene ओपन मीटिंग अधिनियम, Ralph M. Brown अधिनियम या इसी प्रकार के खुले बैठक कानून के अधीन कोई बहु-सदस्यीय निर्णयकारी निकाय नहीं है, तो सार्वजनिक एजेंसी का सर्वोच्च-स्तरीय अधिकारी या उसका नामित

प्रतिनिधि, आवेदक द्वारा मांगी गई अन्य सार्वजनिक एजेंसी कार्रवाई के संबंध में आवेदक के साथ सुनवाई करेगा।

(2) इस प्रभाग के किसी अन्य प्रावधान या किसी अन्य कानून के बावजूद, अनुच्छेद (1) में वर्णित बैठक या सुनवाई में सार्वजनिक एजेंसी आवेदक द्वारा मांगी गई अन्य सार्वजनिक एजेंसी कार्रवाई को मंजूर या अस्वीकार करने का अंतिम लिखित निर्णय करेगी।

(d) उपखंड (a) और (c) में निर्धारित समय-सीमाएँ केवल आवेदक द्वारा किए गए लिखित अनुरोध पर ही बढ़ाई जाएंगी।

(e) उपखंड (f) में दिए गए प्रावधान को छोड़कर, सार्वजनिक एजेंसी का यह गैर-विवेकाधीन प्रशासनिक कर्तव्य है कि वह इस अनुभाग में या उपखंड (d) के अनुसार किसी लिखित अनुरोध में निर्धारित समय-सीमाओं का पालन करे और उपखंड (c) के अनुच्छेद (2) में वर्णित निर्णय करे।

(f) यदि उपखंड (c) में दी गई 45-दिन की अवधि समाप्त होने से पहले सार्वजनिक एजेंसी अत्यावश्यक परियोजना के लिए मांगी गई अन्य सार्वजनिक एजेंसी कार्रवाई को मंजूर करने का अंतिम लिखित निर्धारण करती है, तो सार्वजनिक एजेंसी और आवेदक लिखित रूप में पारस्परिक सहमति से उपखंड (c) के अनुच्छेद (1) के तहत आवश्यक बैठक या सुनवाई रद्द कर सकते हैं।

(g) (1) कोई आवेदक इस प्रभाग के तहत निम्नलिखित दोनों को चुनौती देते हुए कार्रवाई कर सकता है:

(A) उपखंड (e) में वर्णित एजेंसी के गैर-विवेकाधीन प्रशासनिक कर्तव्यों का पालन करने में एजेंसी की विफलता।

(B) सार्वजनिक एजेंसी से मांगी गई अन्य सार्वजनिक एजेंसी कार्रवाई को एजेंसी द्वारा अस्वीकार करना या उसके अनुमोदन पर गैरकानूनी शर्तें लगाना।

(2) अनुच्छेद (1) में वर्णित एजेंसी की विफलता, अस्वीकृति या शर्त लगाए जाने के 90 दिनों के भीतर कार्रवाई शुरू की जाएगी।

धारा 5. अत्यावश्यक परियोजनाओं के लिए प्रारंभिक कार्यक्षेत्र निर्धारण प्रक्रिया और सुव्यवस्थित विकल्प विश्लेषण

21024. अत्यावश्यक परियोजनाओं के लिए प्रारंभिक कार्यक्षेत्र निर्धारण प्रक्रिया

(a) कोई आवेदक इस धारा में निर्धारित प्रारंभिक कार्यक्षेत्र निर्धारण प्रक्रिया और सुव्यवस्थित विकल्प विश्लेषण का उपयोग कर सकता है, लेकिन ऐसा करना आवश्यक नहीं है। हालांकि, यदि कोई आवेदक स्वेच्छा से इस प्रारंभिक कार्यक्षेत्र निर्धारण प्रक्रिया और सुव्यवस्थित विकल्प विश्लेषण का उपयोग करने का विकल्प चुनता है, तो उसे इस धारा का अनुपालन करना होगा।

(b) (1) किसी अत्यावश्यक परियोजना के लिए आवेदन प्रस्तुत करने से पहले, इस धारा के अनुसार आगे बढ़ने का विकल्प चुनने वाला आवेदक प्रमुख एजेंसी को इस धारा में निर्धारित कार्यक्षेत्र निर्धारण प्रक्रिया और सुव्यवस्थित विकल्प विश्लेषण पूरा करने के अपने आशय की लिखित सूचना देगा।

(2) लिखित सूचना में प्रस्तावित अत्यावश्यक परियोजना का प्रारंभिक अवलोकन और विवरण इस सीमा तक दिया जाएगा कि प्रमुख एजेंसी और जनता को परियोजना की अपेक्षित विशेषताओं की जानकारी मिल सके। लिखित सूचना में विस्तृत इंजीनियरिंग योजनाएँ, तकनीकी अध्ययन या डिज़ाइन-स्तर के रेखाचित्र शामिल करना आवश्यक नहीं है। जहाँ तक जानकारी उपलब्ध हो, विवरण में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (A) परियोजना का स्थान, आकार और सीमाएँ।
- (B) परियोजना के प्रमुख घटक और मूल उद्देश्य।
- (C) प्रस्तावित भूमि उपयोग, सुविधा या बुनियादी ढाँचे का सामान्य प्रकार।
- (D) कोई भी ज्ञात या उचित रूप से पूर्वानुमानित संसाधन क्षेत्र जो प्रभावित हो सकते हैं।
- (E) सार्वजनिक एजेंसियों से आवश्यक कोई भी अपेक्षित परमिट या अनुमोदन।
- (3) लिखित सूचना में आवेदक का एक ईमेल पता भी प्रमुखता से दिया जाएगा, जहाँ प्रमुख एजेंसी और जनता प्रस्तावित अत्यावश्यक परियोजना के संबंध में टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर सकें।
- (c) (1) प्रमुख एजेंसी द्वारा उपखंड (b) में वर्णित लिखित सूचना प्राप्त करने के बाद, आवेदक और प्रमुख एजेंसी प्रस्तावित अत्यावश्यक परियोजना, संभावित विकल्पों और संभावित रूप से प्रभावित होने वाले संसाधन क्षेत्रों की पहचान पर चर्चा करने के उद्देश्य से कम से कम दो बैठकें करेंगे।
- (2) प्रमुख एजेंसी सभी बैठकों के सारांश का रिकॉर्ड रखेगी।
- (d) (1) प्रमुख एजेंसी उपखंड (b) के अनुसार प्राप्त लिखित सूचना को अपनी इंटरनेट वेबसाइट पर प्रकाशित करेगी। प्रकाशित सूचना में उपखंड (b) के अनुच्छेद (3) में वर्णित ईमेल पता प्रमुखता से दिया जाएगा, ताकि जनता ईमेल के माध्यम से आवेदक को आसानी से टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर सके।
- (2) आवेदक प्रारंभिक कार्यक्षेत्र निर्धारण चरण के दौरान ईमेल के माध्यम से प्राप्त जनता की राय का सारांश देने वाला रिकॉर्ड रखेगा।
- (3) आवेदक को इस अनुभाग के अनुसार प्राप्त किसी भी राय का उत्तर देना आवश्यक नहीं होगा।
- (e) प्रस्तावित अत्यावश्यक परियोजना पर जनता से अतिरिक्त राय प्राप्त करने के उद्देश्य से आवेदक एक या अधिक सार्वजनिक बैठकें या कार्यशालाएँ आयोजित कर सकता है, जिनमें वर्चुअल या ऑनलाइन प्रारूप भी शामिल हैं, लेकिन ऐसा करना आवश्यक नहीं होगा।
- (f) इस अनुभाग में वर्णित प्रारंभिक कार्यक्षेत्र निर्धारण प्रक्रिया उस तारीख से अधिकतम 60 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी जिस तारीख को प्रमुख एजेंसी ने उपखंड (b) के अनुसार लिखित सूचना प्राप्त की थी।
- (g) यदि कोई आवेदक इस अनुभाग में दी गई कार्यक्षेत्र निर्धारण प्रक्रिया का उपयोग करने का विकल्प नहीं चुनता है, तो इस प्रभाग में निर्धारित अन्य कार्यक्षेत्र निर्धारण आवश्यकताएँ लागू रहेंगी।
- (h) इस अनुभाग के किसी भी प्रावधान के बावजूद, किसी अत्यावश्यक आवास परियोजना के संबंध में, इस अनुभाग के अनुसार दी गई प्रारंभिक कार्यक्षेत्र निर्धारण प्रक्रिया, 2019 के कानूनों के अध्याय 654 (सीनेट बिल 330) द्वारा अधिनियमित आवास संकट अधिनियम 2019 के अनुसार प्रारंभिक आवेदन दाखिल करने की पूर्व-शर्त नहीं होगी।
21025. अत्यावश्यक परियोजनाओं के लिए सुव्यवस्थित विकल्प विश्लेषण

(a) अनुभाग 21024 में निर्धारित प्रारंभिक कार्यक्षेत्र निर्धारण प्रक्रिया पूरी होने पर, आवेदक अत्यावश्यक परियोजना के लिए एक प्रस्तावित विकल्प विकसित करेगा। प्रस्तावित विकल्प में अनुभाग 21024 के अनुसार प्राप्त राय को ध्यान में रखा जाएगा और वह निम्नलिखित सभी आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा:

(1) प्रस्तावित विकल्प, अनुभाग 21024 के अनुसार वर्णित प्रस्तावित अत्यावश्यक परियोजना के मूल उद्देश्य के अनुरूप होगा।

(2) जहाँ तक व्यावहारिक हो, प्रस्तावित विकल्प को लागू स्थानीय क्षेत्रीकरण और भूमि उपयोग नीतियों के अनुरूप बनाया जाएगा।

(3) प्रस्तावित विकल्प का प्रस्तावित अत्यावश्यक परियोजना से अलग स्थल पर स्थित होना आवश्यक नहीं है।

(b) अनुभाग 21100 या इस प्रभाग के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद, और उपखंड (f) में दिए गए प्रावधान को छोड़कर, इस धारा का अनुपालन करने वाली किसी अत्यावश्यक परियोजना के लिए तैयार पर्यावरणीय प्रभाव रिपोर्ट केवल निम्नलिखित का विश्लेषण करेगी:

(1) प्रस्तावित अत्यावश्यक परियोजना।

(2) (A) इस धारा के अनुसार विकसित आवेदक का प्रस्तावित विकल्प।

(B) इस धारा की आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयोजनों के लिए, आवेदक के प्रस्तावित विकल्प में प्रस्तावित अत्यावश्यक परियोजना का कोई वैकल्पिक या अतिरिक्त घटक शामिल हो सकता है। ऐसे अतिरिक्त या वैकल्पिक घटक में प्रभावों को कम करने के लिए तैयार स्थल पर या स्थल से बाहर भौतिक सुधार, या वैकल्पिक या अतिरिक्त परिचालन मानदंड या प्रोग्राम शामिल हो सकते हैं।

(C) इस धारा के अनुसार विकसित प्रस्तावित विकल्प को उन प्रभावों को महत्वहीन स्तर तक कम करने वाला माना जाएगा जिन्हें वह विकल्प संबोधित करने के लिए बनाया गया है, बशर्ते आवेदक यह प्रदर्शित करे कि इस अनुमान का समर्थन करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। हालांकि, इस अनुमान का इस बात पर कोई प्रभाव नहीं होगा कि वह विकल्प अंततः व्यवहार्य है या पर्यावरण की दृष्टि से अधिक उपयुक्त है।

(3) परियोजना न करने का विकल्प। परियोजना न करने के विकल्प में उन उचित रूप से पूर्वानुमानित पर्यावरणीय परिस्थितियों पर विचार किया जाएगा जो अत्यावश्यक परियोजना को अनुमोदित न किए जाने पर उत्पन्न होंगी, इनमें अत्यावश्यक परियोजना के लिए प्रस्तावित स्थल के उचित रूप से पूर्वानुमानित भावी वैकल्पिक उपयोग, उन वैकल्पिक उपयोगों से होने वाले पर्यावरणीय प्रभाव और अत्यावश्यक परियोजना से होने वाले लाभ शामिल हैं।

(c) किसी अत्यावश्यक परियोजना के लिए उपखंड (b) में वर्णित विकल्प इस प्रभाग और किसी अन्य कानून के तहत सभी प्रयोजनों के लिए पर्याप्त होंगे। उपखंड (f) में दिए गए प्रावधान को छोड़कर, उपखंड (b) में वर्णित विकल्पों के अतिरिक्त अन्य सभी विकल्प अनावश्यक होंगे और कोई भी सार्वजनिक एजेंसी या अन्य निकाय या संस्था ऐसे अनावश्यक विकल्पों के विश्लेषण की आवश्यकता नहीं रखेगी।

(d) अनुभाग 21024 में निर्धारित प्रारंभिक कार्यक्षेत्र निर्धारण प्रक्रिया समाप्त होने के 15 दिनों के भीतर, आवेदक प्रमुख एजेंसी को एक लिखित प्रस्तुति भेजेगा जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

(1) प्रस्तावित अत्यावश्यक परियोजना का विवरण।

(2) इस धारा के अनुसार विकसित एकमात्र प्रस्तावित विकल्प का विवरण।

(3) उपखंड (b) के अनुच्छेद (3) में वर्णित परियोजना न करने के विकल्प का विवरण।

(e) प्रमुख एजेंसी प्रस्तावित विकल्प प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर एक लिखित प्रमाणन जारी करेगी, जिसमें यह बताया जाएगा कि आवेदक ने इस धारा की आवश्यकताओं को पूरा किया है या नहीं। वैकल्पिक रूप से, प्रमुख एजेंसी प्रस्तावित विकल्प प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर कोई सकारात्मक कार्रवाई न करके यह प्रमाणित कर सकती है कि आवेदक ने इस धारा की आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है। प्रमुख एजेंसी का प्रमाणन अंतिम होगा, जब तक कि कोई हितधारक प्रमाणन जारी होने के पांच दिनों के भीतर प्रशासनिक अपील दाखिल न करे।

(f) इस धारा की कोई भी बात आवेदक को अपने विवेक के अनुसार परियोजना के अतिरिक्त विकल्प प्रस्तावित करने से नहीं रोकती है।

(g) इस अध्याय की आवश्यकताओं और कानून के अन्य प्रावधानों द्वारा लगाई गई किसी भी सीमा के अधीन, प्रमुख एजेंसी के पास प्रस्तावित अत्यावश्यक परियोजना को अनुमोदित करने, इस धारा के अनुसार विकसित प्रस्तावित विकल्प को अनुमोदित करने या परियोजना न करने के विकल्प का चयन करने का विवेकाधिकार बना रहेगा।

(h) इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए, “प्रस्तावित विकल्प” से आशय अत्यावश्यक परियोजना के ऐसे एक संभावित रूप से व्यवहार्य विकल्प से है जिसे आवेदक द्वारा विकसित किया गया हो।

धारा 6. अत्यावश्यक परियोजनाओं के अनुमोदन या प्राधिकरण की न्यायिक समीक्षा

21026. अत्यावश्यक परियोजनाओं के अनुमोदन या प्राधिकरण की न्यायिक समीक्षा

(a) (1) इस प्रभाग या राज्य CEQA दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने के आधार पर किसी अत्यावश्यक परियोजना के संबंध में किसी सार्वजनिक एजेंसी द्वारा दिए गए किसी अनुमोदन या प्राधिकरण को चुनौती देने, उसकी समीक्षा करने, निरस्त करने, अमान्य करने या रद्द करने के लिए कोई भी कार्रवाई या कार्यवाही इस धारा की आवश्यकताओं के अनुसार संचालित और पूरी की जाएगी।

(2) यह धारा इस अध्याय की प्रभावी तिथि को लंबित या उस तिथि के बाद शुरू की गई किसी भी और सभी कार्रवाइयों या कार्यवाहियों पर लागू होगी।

(b) (1) अनुभाग 21029 के उपखंड (b) में निर्धारित अनुसार, इस प्रभाग या राज्य CEQA दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने के आधार पर किसी अत्यावश्यक परियोजना के अनुमोदन या प्राधिकरण को चुनौती देने, उसकी समीक्षा करने, निरस्त करने, अमान्य करने या रद्द करने के लिए लाई गई किसी भी कार्रवाई या कार्यवाही में, याचिकाकर्ता के दावे किसी सार्वजनिक एजेंसी द्वारा वस्तुनिष्ठ मौजूदा कानूनों का अनुपालन न करने तक सीमित होंगे, और न्यायालय की समीक्षा का दायरा इस बात तक सीमित होगा कि अनुमोदन या प्राधिकरण वस्तुनिष्ठ मौजूदा कानूनों का अनुपालन करता है या नहीं।

(2) इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, “वस्तुनिष्ठ” से आशय ऐसी बात से है जिसमें कोई व्यक्तिगत या व्यक्तिपरक निर्णय शामिल न हो और जिसे आवेदन प्रस्तुत किए जाने से पहले आवेदक और सार्वजनिक एजेंसी दोनों

के लिए उपलब्ध और ज्ञात किसी बाहरी और समान मानदंड या कसौटी के संदर्भ में समान रूप से सत्यापित किया जा सके।

(c) (1) अनुभाग 21029 के उपखंड (b) में निर्धारित अनुसार, इस प्रभाग या राज्य CEQA दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने के आधार पर किसी अत्यावश्यक परियोजना के अनुमोदन या प्राधिकरण को चुनौती देने, उसकी समीक्षा करने, निरस्त करने, अमान्य करने या रद्द करने की किसी भी कार्रवाई या कार्यवाही में, न्यायालय केवल यह निर्धारित करेगा कि संपूर्ण रिकॉर्ड को देखते हुए अनुमोदन या प्राधिकरण पर्याप्त साक्ष्य द्वारा समर्थित है या नहीं।

(2) किसी सार्वजनिक एजेंसी द्वारा किसी अत्यावश्यक परियोजना को दिए गए अनुमोदन या प्राधिकरण को इस आधार पर चुनौती देने, उसकी समीक्षा करने, निरस्त करने, अमान्य करने या रद्द करने की किसी भी कार्रवाई या कार्यवाही में, कि सार्वजनिक भागीदारी प्रक्रियाएँ पूरी किए बिना अनुमोदन या प्राधिकरण दिया गया था, न्यायालय केवल यह निर्धारित करेगा कि सार्वजनिक भागीदारी प्रक्रियाओं का अनुपालन न करना मनमाना और अनुचित था या नहीं और क्या उसके परिणामस्वरूप प्रतिकूल त्रुटि हुई।

(3) इस प्रभाग या राज्य CEQA दिशानिर्देशों में किसी भी बात को इस प्रकार लागू या व्याख्यायित नहीं किया जाएगा कि वह इस प्रभाग या इस अध्याय के प्रावधानों द्वारा संशोधित या सीमित राज्य CEQA दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से निर्धारित आवश्यकताओं से अतिरिक्त प्रक्रियात्मक या मूलभूत आवश्यकताएँ लागू करे।

(d) इस धारा की किसी भी बात की व्याख्या सार्वजनिक उपयोगिता संहिता के अनुभाग 1756 और 1759, या सार्वजनिक उपयोगिता आयोग के आदेशों या निर्णयों की न्यायिक समीक्षा को नियंत्रित करने वाले कानून के किसी अन्य प्रावधान का स्थान लेने के रूप में नहीं की जाएगी।

21027. अत्यावश्यक परियोजनाओं के अनुमोदन या प्राधिकरण की न्यायिक समीक्षा पर लागू समय-सीमाएँ और प्रक्रियाएँ

(a) समय-सीमाएँ।

(1) (A) किसी सार्वजनिक एजेंसी द्वारा किसी अत्यावश्यक परियोजना को दिए गए अनुमोदन या प्राधिकरण को चुनौती देने, उसकी समीक्षा करने, निरस्त करने, अमान्य करने या रद्द करने के लिए कोई कार्रवाई या कार्यवाही उस तारीख से 30 दिनों के भीतर शुरू की जाएगी जिस तारीख को सार्वजनिक एजेंसी अनुभाग 21108 या 21152 के अनुसार निर्धारण की सूचना या छूट की सूचना दाखिल करती है। कार्रवाई या कार्यवाही, मूल और अपीलीय न्यायालय की कार्यवाहियों सहित, अनुभाग 21185 के अनुसार पर्यावरणीय नेतृत्व विकास परियोजनाओं पर लागू न्यायिक प्रक्रिया-सरलीकरण प्रक्रियाओं के अनुसार 270 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी।

(B) न्यायालय अपने विवेक से उप-अनुच्छेद (A) में निर्धारित 270 दिनों की समय-सीमा को अधिकतम 90 अतिरिक्त दिनों तक बढ़ा सकता है।

(2) अनुभाग 21185 के किसी विपरीत प्रावधान या न्यायिक परिषद द्वारा अपनाए गए किसी नियम के बावजूद, और अनुच्छेद (1) के उप-अनुच्छेद (B) में दिए गए प्रावधान को छोड़कर, अनुच्छेद (1) में निर्धारित 270 दिनों की समय-सीमा केवल वादी या याचिकाकर्ता, सार्वजनिक एजेंसी और आवेदक की पारस्परिक लिखित सहमति से ही बढ़ाई जाएगी।

(b) प्रशासनिक रिकॉर्ड।

संपूर्ण प्रशासनिक रिकॉर्ड में केवल वे सूचनाएँ, अध्ययन और अन्य दस्तावेज़ शामिल होंगे जो निम्नलिखित दोनों के अनुरूप हों:

(1) ऐसे दस्तावेज़ जिन्हें इस प्रभाग के तहत प्रमुख एजेंसी द्वारा आम जनता के सदस्यों को भेजना या वितरित करना, पुस्तकालय जैसे

सार्वजनिक संग्रह-स्थल पर जनता के लिए उपलब्ध कराना, या प्रमुख एजेंसी की इंटरनेट वेबसाइट पर उपलब्ध कराना आवश्यक है।

(2) सार्वजनिक टिप्पणियों के संबंध में, अनुभाग 21021 के उपखंड (d) में वर्णित टिप्पणियाँ एवं अनुभाग 21021 के उपखंड (e) में वर्णित प्रतिक्रियाएँ और टिप्पणियाँ।

(c) समाधान।

(1) यदि न्यायालय किसी मुकदमे, सुनवाई या अपीलीय न्यायालय द्वारा वापस भेजे जाने के परिणामस्वरूप यह पाता है कि किसी अत्यावश्यक परियोजना के लिए सार्वजनिक एजेंसी का अनुमोदन या प्राधिकरण रिकॉर्ड में पर्याप्त साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है, तो न्यायालय एक आदेश और अनिवार्य परमादेश रिट जारी करेगा, जिसमें स्पष्ट रूप से यह बताया जाएगा कि अनुमोदन या प्राधिकरण इस प्रभाग या राज्य CEQA दिशानिर्देशों की किस आवश्यकता का अनुपालन नहीं करता है, और यह पहचाना जाएगा कि अत्यावश्यक परियोजना का कौन-सा भाग, चरण या गतिविधि इस गैर-अनुपालन से प्रभावित हुई है।

(2) समाधान केवल गैर-अनुपालन वाले भाग, चरण या गतिविधि को तब तक शुरू करने से रोकने तक सीमित होगा, जब तक गैर-अनुपालन को ठीक नहीं कर दिया जाता।

(3) आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाइयाँ पूरी हो जाने पर, सार्वजनिक एजेंसी अनुपालन की पुष्टि करते हुए रिट का प्रत्युत्तर दाखिल करेगी और उसके बाद न्यायालय कार्रवाई या कार्यवाही को खारिज कर देगा। न्यायालय रिट या किसी अन्य प्रकार के आदेश, निषेधाज्ञा या निर्णय के माध्यम से किसी सार्वजनिक एजेंसी को अत्यावश्यक परियोजना का अपना अनुमोदन या प्राधिकरण वापस लेने का आदेश या निर्देश नहीं दे सकता।

(4) अत्यावश्यक परियोजना का कोई भी भाग, चरण या गतिविधि जो रिट में पहचानी गई कमी के दायरे में नहीं आती है, उस रिट के अधीन नहीं होगी और इस प्रभाग के तहत किसी कार्रवाई या कार्यवाही में आगे की चुनौती के अधीन भी नहीं होगी।

(d) बाद के अनुमोदन या प्राधिकरण।

(1) किसी अत्यावश्यक परियोजना या उसके किसी हिस्से के निर्माण की पूर्णता तक उसके कार्यान्वयन, या उसके बाद के अनुमोदन या प्राधिकरण को चुनौती देने के लिए कोई और कार्रवाई या कार्यवाही दाखिल नहीं की जा सकती, यदि सार्वजनिक एजेंसी के अनुमोदन या प्राधिकरण को न्यायिक चुनौती नहीं दी गई थी; सार्वजनिक एजेंसी के अनुमोदन या प्राधिकरण को चुनौती दी गई थी और उसे बरकरार रखा गया था; या सार्वजनिक एजेंसी ने उपखंड (c) के अनुसार रिट का ऐसा प्रत्युत्तर दाखिल किया है जिसे न्यायालय ने संतोषजनक मानकर स्वीकार कर लिया है।

(2) किसी अत्यावश्यक परियोजना में ऐसे मामूली संशोधनों को, जिनके परिणामस्वरूप प्रारंभ में अनुमोदित अत्यावश्यक परियोजना का कोई नया महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न नहीं होता या पहले पहचाने गए किसी महत्वपूर्ण प्रभाव की गंभीरता में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होती, इस प्रभाग के तहत किसी कार्रवाई या कार्यवाही में चुनौती नहीं दी जा सकती।

(e) निषेधाज्ञा संबंधी राहत।

(1) स्पष्ट और ठोस साक्ष्य से यह प्रदर्शित किए जाने पर कि किसी अत्यावश्यक परियोजना का सार्वजनिक सुरक्षा पर कोई विशिष्ट प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और सार्वजनिक सुरक्षा पर उस विशिष्ट प्रतिकूल प्रभाव को संतोषजनक रूप से कम करने या उससे बचने की कोई व्यवहार्य पद्धति उपलब्ध नहीं है, न्यायालय केवल अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करके

अत्यावश्यक परियोजना के उस विशिष्ट घटक के निर्माण या पूर्णता को रोकने या प्रतिबंधित करने का आदेश दे सकता है जिसके कारण सार्वजनिक सुरक्षा पर वह विशिष्ट प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(2) अनुच्छेद (1) के प्रयोजनों के लिए, सार्वजनिक सुरक्षा पर विशिष्ट प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए संतोषजनक शमन निम्नलिखित में से किसी एक स्थिति में मौजूद माना जाएगा:

(A) सार्वजनिक एजेंसी द्वारा बाद में अत्यावश्यक परियोजना को इस प्रकार संशोधित करने का निर्णय लेना कि सार्वजनिक सुरक्षा पर उस विशिष्ट प्रतिकूल प्रभाव से बचा जा सके या उसे महत्वपूर्ण से कम स्तर तक कम किया जा सके; और उस निर्णय के लिए एजेंसी को इस प्रभाग के तहत कोई अतिरिक्त कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(B) इस अध्याय में निर्धारित समय-सीमाओं और प्रक्रियाओं के अनुसार केवल सार्वजनिक सुरक्षा पर उस विशिष्ट प्रतिकूल प्रभाव को संबोधित करने वाली पर्यावरणीय प्रभाव रिपोर्ट या पूरक पर्यावरणीय प्रभाव रिपोर्ट तैयार करने के बाद सार्वजनिक एजेंसी द्वारा यह निर्धारित किया जाना कि सार्वजनिक सुरक्षा पर उस विशिष्ट प्रतिकूल प्रभाव से बचा नहीं जा सकता या उसे महत्वपूर्ण से कम स्तर तक कम नहीं किया जा सकता।

धारा 7. परिभाषाएँ

21028. परिभाषाएँ

इस अध्याय के उद्देश्यों के लिए, निम्नलिखित परिभाषाएँ लागू होती हैं:

(a) “आवेदक” से आशय ऐसे व्यक्ति, कानूनी संस्था, सार्वजनिक एजेंसी या सार्वजनिक उपयोगिता से है जो किसी अत्यावश्यक परियोजना का प्रस्ताव करता है।

(b) “अनुमोदन या प्राधिकरण” से आशय किसी ऐसे अनुमोदन, प्राधिकरण, निर्धारण, निष्कर्ष, वित्तपोषण, अचल संपत्ति संबंधी लेनदेन या अनुबंध, या सार्वजनिक एजेंसी की अन्य कार्रवाई से है जो किसी अत्यावश्यक परियोजना की प्रगति, निर्माण, पूर्णता या कार्यान्वयन को आगे बढ़ाता है।

(c) “California शैक्षणिक संस्थान” से आशय निम्नलिखित सभी से है: कोई स्कूल ज़िला; काउंटी स्कूल अधीक्षक; काउंटी शिक्षा बोर्ड; सामुदायिक कॉलेज ज़िला; राज्य विशेष स्कूल; California सामुदायिक कॉलेजों का बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स या California सामुदायिक कॉलेजों के चांसलर; California स्टेट यूनिवर्सिटी या California स्टेट यूनिवर्सिटी के न्यासी बोर्ड; California विश्वविद्यालय या California विश्वविद्यालय के रीजेंट; यूनिवर्सिटी ऑफ़ California लॉ San Francisco, जिसे पहले हेस्टिंग्स कॉलेज ऑफ़ लॉ के नाम से जाना जाता था; 1992 का चार्टर स्कूल अधिनियम (शिक्षा संहिता के शीर्षक 2 के प्रभाग 4 का भाग 26.8 (अनुभाग 47600 से शुरू होते हुए)) के अनुसार स्थापित कोई चार्टर स्कूल; और California के स्वतंत्र कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के संघ की सदस्यता वाला कोई गैर-लाभकारी कॉलेज या विश्वविद्यालय।

(d) “CEQA” से आशय California पर्यावरण गुणवत्ता अधिनियम (प्रभाग 13 (अनुभाग 21000 से शुरू होते हुए)) से है।

(e) (1) “परामर्शदाता जनजाति” से आशय ऐसी जनजाति से है जो संघीय रूप से मान्यता प्राप्त अमेरिकी इंडियन जनजाति सूची अधिनियम, 1994 (25 U.S.C. अनुभाग 5131) के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रकाशित सबसे हाल की सूची में शामिल हो और प्रस्तावित अत्यावश्यक परियोजना के भौगोलिक क्षेत्र से पारंपरिक और सांस्कृतिक रूप से संबद्ध हो।

(2) अनुभाग 21073 या किसी अन्य कानून के बावजूद, जब परियोजना कोई अत्यावश्यक परियोजना हो, तो अनुभाग 21074, 21080.3.1, 21080.3.2, 21082.3, 21084.2, 21084.3, और इस अध्याय में या इनके संबंध में प्रयुक्त “California की मूल अमेरिकी इंडियन जनजाति” का अर्थ इसके बजाय “परामर्शदाता जनजाति” होगा और इसे इसी रूप में पढ़ा जाएगा।

(f) “दिन” से आशय निम्नलिखित दोनों से है:

(1) अनुभाग 21018 और 21019 में प्रयुक्त “दिन” से आशय शनिवार, रविवार या राज्य अवकाश के रूप में निर्धारित किसी दिन के अलावा किसी अन्य दिन से है।

(2) अनुभाग 21018 और 21019 को छोड़कर इस अध्याय के किसी भी अनुभाग में प्रयुक्त “दिन” से आशय कैलेंडर दिवस से है।

(g) “शैक्षणिक सुविधा-स्थल” से आशय ऐसी अचल संपत्ति, सुविधा-स्थल, संरचना, भवन या स्थायी उपकरण से है जिसका स्वामित्व या संचालन एक या अधिक California शैक्षणिक संस्थानों द्वारा शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, या जो पूरा होने पर उनके स्वामित्व या संचालन में होगा।

(h) “पर्यावरणीय समीक्षा दस्तावेज़” या “पर्यावरणीय समीक्षा दस्तावेज़ीकरण” से आशय प्रारंभिक अध्ययनों; नकारात्मक घोषणाओं; शमनयुक्त नकारात्मक घोषणाओं; प्रारूप और अंतिम पर्यावरणीय प्रभाव रिपोर्टों; पर्यावरणीय प्रभाव रिपोर्टों के विकल्प के रूप में तैयार दस्तावेज़ों; अनुभाग 21080.5 के अनुसार प्रमाणित किसी प्रोग्राम के अनुसार नकारात्मक घोषणा और शमनयुक्त नकारात्मक घोषणाओं; इस प्रभाग से वैधानिक या श्रेणीगत छूटों या प्रक्रिया-सरलीकरण प्रावधानों की प्रयोज्यता को प्रमाणित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले दस्तावेज़ों या दस्तावेज़ीकरण, जिनमें अनुभाग 21083.3 और 21094.5 के अनुसार दस्तावेज़ बिना किसी सीमा के शामिल हैं; परिशिष्टों और अन्य पूरक या बाद की समीक्षा के दस्तावेज़ों; राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम, 1969 (42 U.S.C. अनुभाग 4321 आदि) के तहत तैयार और किसी सार्वजनिक एजेंसी द्वारा उपर्युक्त दस्तावेज़ों या दस्तावेज़ीकरण में से किसी के स्थान पर उपयोग किए गए दस्तावेज़ों; एवं California विनियम संहिता के शीर्षक 14 के अनुभाग 15361 में परिभाषित पर्यावरणीय दस्तावेज़ों से है।

(i) (1) “अत्यावश्यक ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुँच परियोजना” से आशय इस राज्य में ग्राहकों को तार सेवा, वायरलेस सेवा या रेडियो के माध्यम से व्यापक बाजार वाली खुदरा सेवा प्रदान करने वाली ऐसी परियोजना से है जो सभी या लगभग सभी इंटरनेट एंडपाइंट तक डेटा भेजने और उनसे डेटा प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करती है, जिसमें संचार सेवा के संचालन से संबंधित और उसे सक्षम बनाने वाली क्षमताएँ शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है; इसमें डायल-अप इंटरनेट पहुँच सेवा शामिल नहीं है।

(2) कोई “अत्यावश्यक ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुँच परियोजना” अनुभाग 21183.5 में वर्णित सभी श्रम आवश्यकताओं का पालन करेगी।

(j) (1) “अत्यावश्यक स्वच्छ ऊर्जा परियोजना” से आशय ऐसी परियोजना से है जो निम्नलिखित में से एक या अधिक माध्यमों द्वारा California के जलवायु, ऊर्जा दक्षता, विश्वसनीयता, विद्युतीकरण, स्थिरता या स्वच्छ ऊर्जा संबंधी उद्देश्यों का समर्थन करती है:

(A) (i) नवीकरणीय या टिकाऊ संसाधनों से प्राप्त बिजली का उत्पादन, सृजन या भंडारण करना, जिनमें सौर, पवन, भू-तापीय ऊर्जा; California विनियम संहिता के शीर्षक 17 के अनुभाग 94203 की वितरित उत्पादन

प्रमाणन प्रोग्राम आवश्यकताओं के अनुसार राज्य वायु संसाधन बोर्ड द्वारा अपनाए गए उत्सर्जन मानकों का पालन करने वाले ईंधन सेल; 30 मेगावाट या उससे कम का लघु जलविद्युत उत्पादन; डाइजेस्टर गैस; नगरपालिका ठोस अपशिष्ट रूपांतरण; लैंडफिल गैस; समुद्री तरंग, समुद्री तापीय या ज्वारीय धारा ऊर्जा; और उनसे संबद्ध पारेषण लाइनें शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

(ii) इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए, “संबद्ध पारेषण लाइनें” से आशय ऐसी पारेषण लाइन से है जो खंड (i) में वर्णित किसी सुविधा से बिजली के इंटरकनेक्शन या वितरण के लिए आवश्यक हो।

(iii) खंड (i) के बावजूद, इस उप-अनुच्छेद में परमाणु ऊर्जा से बिजली का उत्पादन या सृजन शामिल नहीं है।

(B) ऐसे स्वच्छ हाइड्रोजन का उत्पादन, सृजन, भंडारण, पारेषण या वितरण करना जो जीवाश्म ईंधन फीडस्टॉक से प्राप्त न हो।

(C) माइक्रोग्रिड और उससे संबंधित बुनियादी ढाँचे का विकास, निर्माण या स्थापना करना। इस उप-अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, “माइक्रोग्रिड” से आशय सार्वजनिक उपयोगिता संहिता के अनुभाग 8370 के उपखंड (d) में परिभाषित माइक्रोग्रिड से है।

(D) ऊर्जा उत्पादन, विनिर्माण या रिफाइनिंग सुविधाओं सहित स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को स्थायी रूप से पृथक रखने के लिए उसे पकड़ना, परिवहन करना या भंडारित करना।

(E) स्वतंत्र सिस्टम ऑपरेटर द्वारा अनुमोदित पारेषण योजना प्रक्रिया में या अनुभाग 25302 के अनुसार अपनाई गई एकीकृत ऊर्जा नीति रिपोर्ट में पहचाने गए पारेषण या वितरण प्रणाली के घटकों का विकास, निर्माण, उन्नयन या विस्तार करना; इसमें उन सुविधाओं, परिसंपत्तियों या घटकों का बिक्री, पट्टे, हस्तांतरण, गृह ऋण या अन्य निपटान या भार के माध्यम से वित्तपोषण भी शामिल है, जिसके लिए राज्य एजेंसी की मंजूरी आवश्यक हो।

(2) कोई “अत्यावश्यक स्वच्छ ऊर्जा परियोजना” अनुभाग 21183.5 में वर्णित सभी श्रम आवश्यकताओं का पालन करेगी।

(k) (1) “अत्यावश्यक शैक्षणिक सुविधा परियोजना” से आशय किसी शैक्षणिक सुविधा के अधिग्रहण, निर्माण, विस्तार, पुनर्निर्माण, नवीनीकरण, सुधार, साज-सज्जा या उपकरण उपलब्ध कराने से है।

(2) कोई अत्यावश्यक शैक्षणिक सुविधा परियोजना अनुभाग 21183.5 में वर्णित सभी श्रम आवश्यकताओं का पालन करेगी।

(l) “अत्यावश्यक आवास परियोजना” से आशय निम्नलिखित सभी से है:

(1) केवल आवासीय यूनिट्स।

(2) मिश्रित-उपयोग विकास।

(3) सरकारी संहिता के अनुभाग 65582 में परिभाषित संक्रमणकालीन आवास, आपातकालीन आश्रय या सहायक आवास।

(4) स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता के अनुभाग 50199.7 के उपखंड (h) में परिभाषित खेतिहर कामगारों के लिए आवास।

(5) सामूहिक आवास व्यवस्था, अर्थात् ऐसी इमारतें या इमारतों के हिस्से जो एक परिवार के रूप में साथ न रहने वाले व्यक्तियों के आवासीय उपयोग के लिए बनाए गए हों या उन्हें आवास प्रदान करते हों, और जिनमें सामान्यतः प्रत्येक कमरे या यूनिट के लिए अलग रसोईघर या बाथरूम की सुविधा नहीं होती। इस उपयोग में कॉन्वेंट, मठ और अन्य प्रकार के संस्थागत आवास शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

(6) विद्यार्थी आवास यूनिट्स। इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, “विद्यार्थी आवास यूनिट्स” से आशय विद्यार्थियों द्वारा उपयोग के लिए बनाई गई किसी भी आवासीय यूनिट या सामूहिक आवास व्यवस्था से है, जिसमें छात्रावास-शैली का विद्यार्थी आवास और सुइट-शैली का विद्यार्थी आवास शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

(7) (A) वरिष्ठ नागरिक आवास यूनिट्स। इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, “वरिष्ठ नागरिक आवास यूनिट्स” से आशय किसी भी आकार की ऐसी आवासीय यूनिट्स या सामूहिक आवास व्यवस्था से है जो 55 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के निवास के लिए बनाई गई हों, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है: (i) कई पीढ़ियों वाले आवास विकास; (ii) वरिष्ठ नागरिक सामूहिक आवास; (iii) नागरिक संहिता के अनुभाग 51.3 के उपखंड (b) के अनुच्छेद (4) में परिभाषित वरिष्ठ नागरिक आवास विकास; (iv) स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता के अनुभाग 1569.2 के उपखंड (o) के अनुच्छेद (1) में परिभाषित बुजुर्गों के लिए आवासीय देखभाल सुविधा-स्थल; और (v) स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता के अनुभाग 1771 के उपखंड (c) के अनुच्छेद (10) में परिभाषित सतत देखभाल रिटायरमेंट समुदाय।

(B) इस अनुच्छेद की व्याख्या किसी सार्वजनिक एजेंसी के उस अधिकार को सीमित करने के रूप में नहीं की जाएगी जिसके तहत वह अपने क्षेत्रीकरण अध्यादेशों या अन्य कानूनों के अनुसार वरिष्ठ नागरिक आवास के भूमि उपयोग को गैर-आवासीय के रूप में वर्गीकृत कर सकती है; हालांकि, वरिष्ठ नागरिक आवास यूनिट्स सरकारी संहिता के अनुभाग 65589.5 के उपखंड (h) के अनुच्छेद (2) के अनुसार “आवास विकास परियोजना” के रूप में पाले होंगे।

(8) नागरिक संहिता के अनुभाग 4100 में परिभाषित ऐसा उपविभाजन या साझा हित विकास, जिसमें आवासीय यूनिट्स या अविकसित आवासीय भूखंड शामिल हों।

(9) किसी मौजूदा व्यावसायिक भवन को आवासीय उपयोग में परिवर्तित करना।

(m) “अत्यावश्यक परियोजना” से आशय ऐसी परियोजना से है जो निम्नलिखित सभी आवश्यकताओं को पूरा करती हो:

(1) (A) परियोजना कोई अत्यावश्यक आवास परियोजना, अत्यावश्यक जल परियोजना, अत्यावश्यक स्वच्छ ऊर्जा परियोजना, अत्यावश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य परियोजना, अत्यावश्यक सार्वजनिक सुरक्षा परियोजना, अत्यावश्यक ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुँच परियोजना, अत्यावश्यक शैक्षणिक सुविधा परियोजना या अत्यावश्यक परिवहन परियोजना हो।

(B) किसी अत्यावश्यक परियोजना में उप-अनुच्छेद (A) में पहचानी गई परियोजना को सेवाएँ प्रदान करने के लिए किसी उपयोगिता या सार्वजनिक एजेंसी द्वारा आवश्यक, या पूरी परियोजना के हिस्से के रूप में अत्यावश्यक परियोजना के आवेदन में शामिल, सभी संबंधित और सहायक सार्वजनिक, निजी और उपयोगिता बुनियादी ढाँचे एवं सार्वजनिक सेवा सुविधाएँ शामिल हैं। इनमें बिजली, दूरसंचार, गैस, पानी, अपशिष्ट जल, वर्षाजल, सार्वजनिक परिवहन, पुलिस, अग्निशमन और परिवहन संबंधी सुधार शामिल हैं, जो परियोजना को आवश्यक सार्वजनिक और उपयोगिता सेवाएँ एवं बुनियादी ढाँचा प्रदान करते हैं। जब इस अध्याय के अन्य प्रावधानों द्वारा किसी अत्यावश्यक परियोजना पर कोई विशिष्ट श्रम मानक लागू किया जाता है, तो वह श्रम मानक इस उप-अनुच्छेद में वर्णित अत्यावश्यक परियोजना के घटकों पर भी लागू होगा।

(2) परियोजना में कोई जेल या अन्य हिरासत सुविधा-स्थल शामिल न हो और न ही उसमें किसी नई तेल या प्राकृतिक गैस उत्पादन सुविधा-स्थल का विकास शामिल हो।

(n) (1) “अत्यावश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य परियोजना” से आशय किसी चिकित्सा उपचार सुविधा-स्थल से है।

(2) कोई “अत्यावश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य परियोजना” अनुभाग 21183.5 में वर्णित सभी श्रम आवश्यकताओं का पालन करेगी।

(o) (1) “अत्यावश्यक सार्वजनिक सुरक्षा परियोजना” से आशय किसी प्रथम प्रतिक्रिया सुविधा या जंगल में लगने वाली आग के जोखिम कम करने की परियोजना से है।

(2) (A) कोई “अत्यावश्यक सार्वजनिक सुरक्षा परियोजना” अनुभाग 21183.5 में वर्णित सभी श्रम आवश्यकताओं का पालन करेगी।

(B) ऐसी जंगल में लगने वाली आग के जोखिम कम करने की परियोजना, जो केवल वनस्पति प्रबंधन, ईंधन सामग्री में कमी, फायरब्रेक बनाने या उनका रखरखाव करने, या ज्वलनशील सामग्री का भार कम करने तक सीमित हो और जिसे कोई सार्वजनिक एजेंसी अपने कर्मचारियों का उपयोग करके सीधे संचालित करती हो, इस अनुच्छेद का अनुपालन करने वाली मानी जाएगी, यदि परियोजना पर काम करने वाले सार्वजनिक एजेंसी के कर्मचारी किसी सामूहिक सौदेबाजी समझौते या राज्य के अन्य सिविल सेवा कानूनों के अंतर्गत आते हों जो समकक्ष वेतन, प्रशिक्षण और सुरक्षा मानक प्रदान करते हों।

(p) (1) “अत्यावश्यक परिवहन परियोजना” से आशय निम्नलिखित दोनों से है:

(A) California के संविधान की धारा XIX के अनुभाग 2 के उपखंड (a) या (b) में वर्णित कोई परियोजना।

(B) इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग और ईंधन भरने का बुनियादी ढाँचा।

(2) कोई “अत्यावश्यक परिवहन परियोजना” अनुभाग 21183.5 में वर्णित सभी श्रम आवश्यकताओं का पालन करेगी।

(3) “अत्यावश्यक परिवहन परियोजना” में हाई-स्पीड ट्रेन, हाई-स्पीड ट्रेन प्रणाली, कॉरिडोर या उपयोग योग्य खंड शामिल नहीं हैं, जैसा कि इन शब्दों को सड़क और राजमार्ग संहिता के अनुभाग 2704.01 में परिभाषित किया गया है; और न ही इसमें 21वीं सदी के सुरक्षित, भरोसेमंद और तेज़ रफ़्तार यात्री ट्रेन बॉन्ड अधिनियम (सड़क और राजमार्ग संहिता के प्रभाग 3 का अध्याय 20 (अनुभाग 2704 से शुरू होते हुए)) का कोई अन्य घटक शामिल है।

(q) (1) “अत्यावश्यक जल परियोजना” से आशय निम्नलिखित में से किसी का निर्माण, विस्तार, मरम्मत, प्रतिस्थापन, सुधार या क्षमता बढ़ाने के लिए किसी परियोजना या कार्रवाई से है: (A) स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता के अनुभाग 116275 के उपखंड (h) में परिभाषित “सार्वजनिक जल प्रणाली”; (B) ऐसी प्रणाली जो किसी सार्वजनिक जल प्रणाली को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पानी उपलब्ध कराती हो; या (C) ऐसी प्रणाली जिसका सामान्य रूप से वर्णन राज्य के जल के लचीलेपन वाले पोर्टफोलियो में किया गया हो और जो उसके दायरे में आती हो।

(2) कोई “अत्यावश्यक जल परियोजना” अनुभाग 21183.5 में वर्णित सभी श्रम आवश्यकताओं का पालन करेगी।

(3) “अत्यावश्यक जल परियोजना” में जल संहिता के अनुभाग 79702 के उपखंड (f) में परिभाषित डेल्टा परिवहन सुविधाएँ शामिल नहीं हैं।

(r) “मौजूदा कानून” से आशय निम्नलिखित से है:

(1) कानूनों, विनियमों, नियमों, मानकों या अध्यादेशों में निहित औपचारिक रूप से अपनाई गई वे कानूनी आवश्यकताएँ, जो किसी अत्यावश्यक परियोजना के लिए सार्वजनिक एजेंसी को आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख को विद्यमान और प्रभावी थीं।

(2) (A) किसी कानून, विनियम, अध्यादेश, मानक या नियम में निहित ऐसी औपचारिक रूप से अपनाई गई कानूनी आवश्यकता, जो किसी अत्यावश्यक परियोजना के लिए सार्वजनिक एजेंसी को आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख को प्रभावी नहीं थी, लेकिन प्रमुख एजेंसी यह निष्कर्ष निकालती है कि उस विशिष्ट कानून, विनियम, अध्यादेश, मानक या नियम का अनुपालन किसी विशिष्ट प्रतिकूल जीवन-सुरक्षा प्रभाव को कम करने या उससे बचने के लिए आवश्यक है, जिसमें विशिष्ट प्रतिकूल जीवन-सुरक्षा प्रभाव से आशय महत्वपूर्ण, मापने योग्य, प्रत्यक्ष और अपरिहार्य जीवन-सुरक्षा प्रभावों से है, जिसमें नई या उभरती प्रौद्योगिकियाँ, सामग्रियाँ या ग्रिड-एकीकरण प्रणालियों से संबंधित जीवन-सुरक्षा प्रभाव भी शामिल हैं, और जो वस्तुनिष्ठ, पहचाने गए और लिखित सार्वजनिक सुरक्षा मानकों, नीतियों या शर्तों पर आधारित हो। प्रमुख एजेंसी इस उप-अनुच्छेद में वर्णित निष्कर्ष निकालने के 72 घंटों के भीतर आवेदक को सूचित करेगी।

(B) उप-अनुच्छेद (A) में वर्णित निष्कर्ष निम्नलिखित में से जो भी पहले हो, उससे पहले निकाला जाना आवश्यक है: (i) इस अध्याय के अनुसार अत्यावश्यक परियोजना की पर्यावरणीय समीक्षा पूरी होना; या (ii) प्रारंभिक भवन परमिट आवेदन या योजना-समीक्षा पैकेज परियोजना पर अधिकार-क्षेत्र रखने वाले प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाना।

(3) California निर्माण मानक संहिता का कोई भी अद्यतन, जिसमें California अग्नि संहिता शामिल है, लेकिन यह इसी तक सीमित नहीं है, जो निम्नलिखित में से जो भी पहले हो, उससे पहले प्रभावी हो: (A) इस अध्याय के अनुसार अत्यावश्यक परियोजना की पर्यावरणीय समीक्षा पूरी होना; या (B) प्रारंभिक भवन परमिट आवेदन या योजना-समीक्षा पैकेज परियोजना पर अधिकार-क्षेत्र रखने वाले प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाना।

(s) “व्यवहार्य” से आशय ऐसी चीज़ से है जिसे आर्थिक, पर्यावरणीय, कानूनी, सामाजिक और तकनीकी कारकों को ध्यान में रखते हुए उचित समयावधि के भीतर सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके।

(t) (1) “प्रथम प्रतिक्रिया सुविधा-स्थल” से आशय निम्नलिखित सभी से है:

(A) California राज्य, किसी शहर, काउंटी, शहर और काउंटी, संयुक्त शक्तियाँ प्राधिकरण, परामर्शदाता जनजाति या विशेष ज़िले के स्वामित्व या संचालन वाला अग्निशमन स्टेशन।

(B) किसी शहर, काउंटी, शहर और काउंटी, संयुक्त शक्तियाँ प्राधिकरण या विशेष ज़िले के स्वामित्व या संचालन वाला पुलिस स्टेशन या शेरिफ का स्टेशन, लेकिन जेल या अन्य हिरासत सुविधा-स्थल के रूप में उपयोग किए जाने वाले किसी भी हिस्से को छोड़कर।

(2) “प्रथम प्रतिक्रिया सुविधा-स्थल” में निम्नलिखित में से कोई भी शामिल नहीं है:

(A) संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार के स्वामित्व, संचालन या पट्टे पर लिया गया कोई भी सुविधा-स्थल।

(B) आव्रजन हिरासत सुविधा या राज्य कारागार के रूप में उपयोग किया जाने वाला कोई भी सुविधा-स्थल।

(u) “प्रमुख एजेंसी” से आशय अनुभाग 21067 में परिभाषित प्रमुख एजेंसी से है।

(v) “स्थानीय एजेंसी” से आशय ऐसी सार्वजनिक संस्था से है जो इस धारा में परिभाषित “राज्य एजेंसी” नहीं है।

(w) “चिकित्सा कार्यालय इमारत” से आशय ऐसी इमारत से है जिसका प्राथमिक कार्य उन स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को कार्यालय स्थान उपलब्ध

कराना है जिन्हें व्यवसाय और पेशा संहिता के प्रभाग 2 (अनुभाग 500 से शुरू होते हुए) के अनुसार अभ्यास करने के लिए लाइसेंस, प्रमाणन, पंजीकरण या अन्य प्रकार का प्राधिकार प्राप्त है।

(x) “चिकित्सा उपचार सुविधा-स्थल” से आशय निम्नलिखित सभी से है: (1) स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता के अनुभाग 1250 में परिभाषित स्वास्थ्य सुविधा-स्थल; (2) स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता के अनुभाग 1200 में परिभाषित क्लीनिक; और (3) चिकित्सा कार्यालय इमारत।

(y) (1) “मिश्रित-उपयोग वाले विकास” से आशय आवासीय और गैर-आवासीय उपयोगों वाले ऐसे विकास से है जो निम्नलिखित में से किसी शर्त को पूरा करता हो:

(A) नए या परिवर्तित कुल वर्ग फुट क्षेत्र का कम से कम दो-तिहाई हिस्सा आवासीय उपयोग के लिए निर्धारित हो।

(B) नए या परिवर्तित कुल वर्ग फुट क्षेत्र का कम से कम 50 प्रतिशत आवासीय उपयोग के लिए निर्धारित हो और परियोजना निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी करती हो:

(i) परियोजना में कम से कम 500 शुद्ध नई आवासीय यूनिट्स शामिल हों।

(ii) परियोजना का कोई भी हिस्सा होटल, मोटल, बेड एंड ब्रेकफास्ट इन या अन्य अस्थायी आवास के रूप में उपयोग के लिए निर्धारित न हो; हालांकि, परियोजना का कोई हिस्सा स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता के अनुभाग 50519 में परिभाषित आवासीय होटल के रूप में उपयोग के लिए निर्धारित किया जा सकता है।

(C) शुद्ध नए या परिवर्तित कुल वर्ग फुट क्षेत्र का कम से कम 50 प्रतिशत आवासीय उपयोग के लिए निर्धारित हो और परियोजना निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी करती हो:

(i) परियोजना में कम से कम 500 शुद्ध नई आवासीय यूनिट्स शामिल हों।

(ii) परियोजना में कम से कम 100,000 वर्ग फुट गैर-आवासीय उपयोग को ध्वस्त करना या आवासीय उपयोग में परिवर्तित करना शामिल हो।

(iii) परियोजना स्थल पर मौजूदा गैर-आवासीय उपयोगों में से कम से कम 50 प्रतिशत को ध्वस्त करती हो।

(iv) परियोजना का कोई भी हिस्सा होटल, मोटल, बेड एंड ब्रेकफास्ट इन या अन्य अस्थायी आवास के रूप में उपयोग के लिए निर्धारित न हो; हालांकि, परियोजना का कोई हिस्सा स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता के अनुभाग 50519 में परिभाषित आवासीय होटल के रूप में उपयोग के लिए निर्धारित किया जा सकता है।

(2) इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, गैर-आवासीय उपयोगों में भारी औद्योगिक, निष्कर्षण, बंदरगाह, रिफाइनरी या खतरनाक सामग्री संबंधी उपयोग या पदनाम शामिल नहीं होंगे।

(3) मिश्रित-उपयोग वाले विकास में शामिल किसी भी गैर-आवासीय उपयोग और स्थल से बाहर स्थित किसी मौजूदा आवासीय उपयोग के बीच आवश्यक न्यूनतम दूरी राज्य कानून द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(z) “सार्वजनिक एजेंसी” से आशय California विनियम संहिता के शीर्षक 14 के अनुभाग 15379 में परिभाषित सार्वजनिक एजेंसी; उत्तरदायी एजेंसी; स्थानीय एजेंसी; राज्य एजेंसी; प्रमुख एजेंसी; स्थानीय एजेंसी गठन आयोग; शहर; काउंटी; शहर और काउंटी; विशेष ज़िला; संयुक्त शक्तियाँ प्राधिकरण; या राज्य या स्थानीय कानून के तहत गठित किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण से है, चाहे उसका स्वरूप राज्यव्यापी, स्थानीय या क्षेत्रीय हो।

(aa) “सार्वजनिक भागीदारी प्रक्रियाएँ” से आशय अनुभाग 21016, 21018, 21020, 21021, 21023 और 21024 में निर्धारित सार्वजनिक भागीदारी प्रक्रियाओं से है।

(ab) “उत्तरदायी एजेंसी” से आशय California विनियम संहिता के शीर्षक 14 के अनुभाग 15381 में परिभाषित उत्तरदायी एजेंसी से है।

(ac) “राज्य एजेंसी” से आशय सरकारी संहिता के अनुभाग 8557 के उपखंड (a) में परिभाषित राज्य एजेंसी और सरकारी संहिता के अनुभाग 11121 में परिभाषित किसी भी राज्य निकाय से है।

(ad) “राज्य CEQA दिशानिर्देश” से आशय California विनियम संहिता के शीर्षक 14 के प्रभाग 6 के अध्याय 3 (अनुभाग 15000 से शुरू होते हुए) से है।

(ae) “पर्याप्त साक्ष्य” से आशय उपलब्ध जानकारी से प्राप्त पर्याप्त प्रासंगिक जानकारी और उचित निष्कर्षों से है, जिनके आधार पर किसी निष्कर्ष के समर्थन में उचित तर्क दिया जा सके, भले ही अन्य निष्कर्षों पर भी पहुँचा जा सकता हो।

(af) “जनजातीय सांस्कृतिक संसाधन” में निम्नलिखित में से कोई भी शामिल है:

(1) कोई स्थल, विशेषता, स्थान, सांस्कृतिक भू-दृश्य या पवित्र स्थान, जिसमें किसी परामर्शदाता जनजाति का पवित्र कब्रिस्तान, इंडियन कब्रिस्तान या दफन करने वाला क्षेत्र शामिल है, या परामर्शदाता जनजाति के लिए सांस्कृतिक महत्व की कोई वस्तु, जो निम्नलिखित में से कोई हो:

(A) California ऐतिहासिक संसाधनों का रजिस्टर या ऐतिहासिक स्थलों का राष्ट्रीय रजिस्टर में शामिल हो या उसमें शामिल किए जाने के योग्य हो।

(B) अनुभाग 5020.1 में परिभाषित ऐतिहासिक संसाधनों के किसी स्थानीय रजिस्टर में शामिल हो।

(C) मूल अमेरिकी विरासत आयोग द्वारा अनुभाग 5097.94 या 5097.96 के अनुसार पवित्र स्थान के रूप में पहचाना गया हो।

(D) संघीय राष्ट्रीय ऐतिहासिक संरक्षण अधिनियम के अनुभाग 101 (54 U.S.C. अनुभाग 300101 आदि) के अनुसार आंतरिक सचिव द्वारा अनुमोदित जनजातीय ऐतिहासिक संरक्षण अधिकारी द्वारा बनाए गए किसी जनजातीय सरकारी रजिस्टर में शामिल हो।

(2) ऐसा सांस्कृतिक भू-दृश्य जो अनुच्छेद (1) के मानदंडों को उस सीमा तक पूरा करता हो जहाँ भू-दृश्य को उसके आकार और विस्तार के संदर्भ में भौगोलिक रूप से परिभाषित किया गया हो।

(3) अनुभाग 21084.1 में वर्णित कोई ऐतिहासिक संसाधन, अनुभाग 21083.2 के उपखंड (g) में परिभाषित कोई विशिष्ट पुरातात्विक संसाधन, या अनुभाग 21083.2 के उपखंड (h) में परिभाषित कोई “गैर-विशिष्ट पुरातात्विक संसाधन”, जो अनुच्छेद (1) के मानदंडों के अनुरूप हो।

(ag) “जंगल में लगने वाली आग के जोखिम कम करने की परियोजना” से आशय ऐसी गतिविधि से है जो किसी आवासीय या व्यावसायिक संरचना, या दोनों, के लिए जंगल में लगने वाली आग के जोखिम को कम करती है। “जंगल में लगने वाली आग के जोखिम कम करने की परियोजना” में निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है: विद्युत उपयोगिता लाइनों, सड़कों और बुनियादी ढाँचे को बदलना, अधिक सुरक्षित बनाना या भूमिगत करना; वनस्पति प्रबंधन; ईंधन सामग्री में कमी; घरों को आग-प्रतिरोधी बनाना; फायरब्रेक और पहुँच मार्ग बनाना या उनका रखरखाव करना; एवं ज्वलनशील सामग्री का भार कम करना।

धारा 8. अध्याय की व्याख्या और सामान्य प्रावधान

21029. अध्याय की व्याख्या

(a) California राज्य की जनता की यह नीति है कि इस अध्याय की व्याख्या और कार्यान्वयन इस प्रकार किया जाए कि अत्यावश्यक परियोजनाओं के हित एवं उनके अनुमोदन और कार्यान्वयन को यथासंभव पूर्ण महत्व दिया जा सके।

(b) (1) California राज्य की जनता का आशय है कि न्यायालय, कानून की व्याख्या के सामान्यतः स्वीकृत नियमों के अनुरूप, इस प्रभाग या राज्य CEQA दिशानिर्देशों की ऐसी व्याख्या न करें जिससे अत्यावश्यक परियोजनाओं पर इस प्रभाग या राज्य CEQA दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से निर्धारित आवश्यकताओं से अतिरिक्त प्रक्रियात्मक या मूलभूत आवश्यकताएँ लगाई जाएँ।

(2) California राज्य की जनता का यह भी आशय है कि न्यायालय इस उपखंड की व्याख्या और इसे अनुभाग 21083.1 के निर्देशानुसार लागू करें, और यह अनुभाग 21083.1 के साथ एक ही विषय पर है, ताकि कानून द्वारा अनुमत अधिकतम सीमा तक यह उपखंड न्यायालयों के ऐसे निर्णय जारी करने या ऐसा उपचार लागू करने के अधिकार को सीमित करे जो इस अध्याय द्वारा स्पष्ट रूप से अधिकृत नहीं है।

21030. राज्यव्यापी सरोकार

California राज्य की जनता एतद् द्वारा घोषित करती है कि इस अध्याय में निर्धारित अत्यावश्यक परियोजनाओं की समीक्षा और अनुमोदन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना राज्यव्यापी सरोकार का विषय है, क्योंकि आवास, स्वच्छ ऊर्जा, पानी, परिवहन, ब्रॉडबैंड इंटरनेट, शिक्षा सुविधाओं, सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे और सार्वजनिक सुरक्षा बुनियादी ढाँचे की पर्याप्तता, उपलब्धता और वहनीयता California की आबादी और अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। इसलिए, California राज्य एतद् द्वारा इस अध्याय में निर्धारित अत्यावश्यक परियोजनाओं की समीक्षा और अनुमोदन के क्षेत्र में पूर्ण नियामक अधिकार ग्रहण करता है।

21031. वैधानिक संदर्भ

(a) उपखंड (b) में दिए गए प्रावधान को छोड़कर, इस अध्याय के बाहर संहिताबद्ध राज्य कानूनों या विनियमों के सभी संदर्भ उन कानूनों और विनियमों को उनके 31 दिसंबर, 2025 को विद्यमान स्वरूप में संदर्भित करते हैं, चाहे उस तारीख के बाद कोई संशोधन, निरसन, समाप्ति प्रावधान या अवधि समाप्ति हुई हो।

(b) श्रम संहिता के अनुभाग 218.9 का संदर्भ उस अनुभाग के 1 जनवरी, 2026 को विद्यमान स्वरूप को संदर्भित करता है।

21032. पृथक्करणीयता

इस अध्याय के प्रावधान पृथक्करणीय हैं। यदि इस अध्याय का कोई भाग, अनुभाग, उपखंड, अनुच्छेद, उप-अनुच्छेद, अनुभाग, उप-अनुभाग, वाक्य, वाक्यांश, शब्द या कार्यान्वयन किसी भी कारण से सक्षम क्षेत्राधिकार वाले किसी न्यायालय के निर्णय द्वारा अवैध माना जाता है, तो वह निर्णय इस अध्याय के शेष भागों की वैधता को प्रभावित नहीं करेगा। California राज्य की जनता एतद् द्वारा घोषित करती है कि उसने इस अध्याय एवं इसके प्रत्येक ऐसे भाग, अनुभाग, उपखंड, धारा, उप-अनुच्छेद, खंड, उपखंड, वाक्य, वाक्यांश, शब्द और अनुप्रयोग को, जिसे अमान्य या असंवैधानिक घोषित नहीं किया गया है, इस बात की परवाह किए बिना अपनाया होता कि इस अध्याय के किसी घटक या उसके अनुप्रयोग को बाद में अमान्य घोषित किया जाएगा या नहीं।

21033. प्रभावी तिथि

यह अध्याय California के संविधान की धारा II के अनुभाग 10 के उपखंड (a) में निर्धारित प्रावधान के अनुसार प्रभावी होगा और उस प्रभावी तिथि से सभी अत्यावश्यक परियोजनाओं से संबंधित सभी लंबित और भावी सार्वजनिक एजेंसी एवं न्यायिक समीक्षाओं और प्रक्रियाओं पर लागू होगा।

21034. संशोधन

विधान मंडल इस अध्याय में ऐसे कानून द्वारा संशोधन कर सकता है जिसे विधान मंडल के प्रत्येक सदन में दैनिकी में दर्ज नामवार मतदान द्वारा पारित किया गया हो और जिसके पक्ष में कुल सदस्यता के दो-तिहाई सदस्यों की सहमति हो, बशर्ते कि वह कानून इस अध्याय के अनुरूप हो और इसके उद्देश्यों को आगे बढ़ाता हो। इस अध्याय में संशोधन करने वाला कोई विधेयक तब तक पारित नहीं किया जा सकता या कानून नहीं बन सकता, जब तक उस विधेयक को उसके अंतिम स्वरूप में विधान मंडल के सदस्यों के लिए मुद्रित और वितरित न किया गया हो एवं विधान मंडल के किसी भी सदन में उसके पारित होने से कम से कम 12 कार्यदिवस पहले इंटरनेट पर प्रकाशित न किया गया हो।

अनुभाग 2. परस्पर विरोधी विधेयक।

यदि यह पहल विधेयक और इस अधिनियम में परिभाषित अत्यावश्यक परियोजनाओं की समीक्षा या अनुमोदन से संबंधित कोई अन्य विधेयक या विधेयक एक ही राज्यव्यापी चुनाव मतपत्र पर प्रस्तुत होते हैं, तो अन्य विधेयक या विधेयकों को इस विधेयक के साथ परस्पर विरोधी माना जाएगा। यदि इस पहल विधेयक को अधिक संख्या में हाँ के मत प्राप्त होते हैं, तो इस विधेयक के प्रावधान पूर्ण रूप से प्रभावी होंगे और अन्य विधेयक या विधेयकों के प्रावधान अमान्य और निष्प्रभावी होंगे।

अनुभाग 3. उदार व्याख्या।

इस अधिनियम के आशय और उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए इसकी उदारतापूर्वक व्याख्या की जाएगी।

अनुभाग 4. कानूनी बचाव।

इस अनुभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोगों के पहल के बहुमूल्य अधिकार को राज्य के राजनेताओं द्वारा अनुचित रूप से निरस्त

नहीं किया जा सके, जो मतदाताओं की इच्छा का संरक्षण करने से इनकार करते हैं। इसलिए, यदि इस अधिनियम को California राज्य के मतदाताओं द्वारा अनुमोदित किया जाता है और उसके बाद इसे कानूनी चुनौती दी जाती है जो किसी भी तरह से इस अधिनियम के दायरे या कार्यान्वयन को सीमित करने का प्रयास करती है, या आरोप लगाती है कि यह अधिनियम किसी राज्य या संघीय कानून का पूर्णतः या आंशिक रूप से उल्लंघन करता है, और राज्यपाल और अटॉर्नी जनरल दोनों California राज्य की ओर से इस अधिनियम का यथासंभव पूर्णतः बचाव करने से इनकार करते हैं, तो निम्नलिखित कार्यवाई की जाएगी:

(a) सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के प्रभाग 3 के भाग 2 के अध्याय 6 (अनुभाग 12500 से शुरू होते हुए) या किसी अन्य कानून में इसके विपरीत किसी भी प्रावधान के बावजूद, अटॉर्नी-जनरल California राज्य की ओर से इस अधिनियम का यथासंभव पूर्ण सीमा तक निष्ठापूर्वक और दृढ़ता से बचाव करने के लिए स्वतंत्र कानूनी सलाहकार नियुक्त करेगा।

(b) स्वतंत्र कानूनी सलाहकार को नियुक्त करने या उसे बदलने से पहले, अटॉर्नी-जनरल स्वतंत्र कानूनी सलाहकार की योग्यताओं का निर्धारण करने में समुचित सावधानी बरतेगा और उससे लिखित पुष्टि प्राप्त करेगा कि वह इस अधिनियम का यथासंभव पूर्ण सीमा तक निष्ठापूर्वक और दृढ़ता से बचाव करेगा। अनुरोध किए जाने पर लिखित पुष्टि तत्काल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी।

(c) ऐसे मामलों में इस अधिनियम के बचाव में सहायता करने के लिए, जहाँ राज्यपाल और अटॉर्नी-जनरल मतदाताओं की इच्छा के बावजूद ऐसा करने में विफल रहते हैं, नियंत्रक को सामान्य कोष से, वित्तीय वर्षों की परवाह किए बिना, स्वतंत्र कानूनी सलाहकार को नियुक्त रखने की लागतों को पूरा करने के लिए आवश्यक राशि का निरंतर विनियोग एतद्वारा किया जाता है, ताकि California राज्य की ओर से इस अधिनियम का यथासंभव पूर्ण सीमा तक निष्ठापूर्वक और दृढ़ता से बचाव किया जा सके।